चतुर्दश माला, खंड 37, अंक 7

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009
1 फाल्गुन, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 76-7
Dated 23 July 2010

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

अनिल कुमार निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 37, पंद्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)]

अंक 7, शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009/1 फाल्गुन, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85	2–45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 100	45–107
अतारांकित प्रश्न संख्या 430 से 501	107–234
सभा पटल पर रखे गए पत्र	235–239
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	240
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	240
लोक लेखा समिति	
(एक) 83वां प्रतिवेदन	241
(दो) विवरण	241–242
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
11वां प्रतिवेदन	242
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
29वां प्रतिवेदन	242
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
39वां प्रतिवेदन	243
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री अजय माकन	243–244
(दो) (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन की स्थिति	244–246
(ख) विधवाओं तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का विस्तार	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	246–247

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(तीन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रेमचंद गुप्ता 248

(चार) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित समेकित कम लागत स्वच्छता (आईएलसीएस) योजना के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

कुमारी सैलजा 248–249

(पांच) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

श्री नमोनारायन मीना 249–250

सभा का कार्य 250–255

कार्य मंत्रणा समिति के 53वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 255

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 256

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में संगठित और असंगठित सेक्टरों में कर्मकारों की बड़े पैमाने पर छंटनी, काम बंदी, मजदूरी कटौती तथा सांविधिक प्रसुविधाओं के आहरण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम 256–271

श्री गुरुदास दासगुप्त 257, 259–264

श्री ऑस्कर फर्नांडीस 257–259, 266–271

श्री रूपचंद पाल 264–266

श्री सांताश्री चटर्जी 266

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोग निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह 277–281

श्री संतोष गंगवार 281–282

श्री बृज किशोर त्रिपाठी ....

खण्ड 2 से 45 और 1 ....

पारित करने के लिए प्रस्ताव ....

अंतरिम बजट (सामान्य)–2009-2010–सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)–2009-2010
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)–2008-2009 291–309

श्री अनंत कुमार 309–321

श्री आर. प्रभु 321–330

विषय **कॉलम**

श्री रूपचंद पाल 330–340

श्री राम कृपाल यादव 341–350

श्री ब्रह्मानंद पंडा 350–353

श्री भर्तृहरि महताब 353–358

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 358–366

प्रो. एम. रामदास 366–376

श्री पी.एस. गढ़वी 376–379

श्री विजय बहुगुणा 379–381

श्री रामदास आठवले 381–384

श्री तथागत सत्पथी 384–387

डा. सत्यनारायण जटिया 388–393

श्री आर.एल. जालप्पा 393–396

श्री बिक्रम केशरी देव 396–399

डा. टोकचोम मैन्या 399–401

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 401–404

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 405

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 406–408

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 409–410

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 409–410

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009/1 फाल्गुन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, आज हजारों की तादाद में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक घंटे के बाद बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक घंटे के बाद मैं प्रत्येक की बात सुनूंगा। कृपया 1 घंटे बाद इसे उठाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, कल आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी थी।

अध्यक्ष महोदय: आज आपके अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष जी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वैल में नहीं आए, आपके ऊपर यह लागू नहीं होगा। जो वैल में नहीं आए, उनके ऊपर लागू नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो-जो मेम्बर्स आए थे, उनके ऊपर हमारा कर्स लागू होगा।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, कल आपने अनुमति नहीं दी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे देखने दीजिए कि आपका बर्ताव कैसा है, फिर मैं इसे वापस लूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु मैं आपको अनुमति दूंगा। एक घंटे के लिए धैर्य रखें। मुझे नहीं पता आपके मतदाता पांच साल से आपको कैसे झेल रहे हैं। लेकिन आप एक घंटे के लिए मुझे बरदाश्त करें। कृपया 1 घंटे के लिए मुझे बरदाश्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, हम आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है। आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं। कभी-कभी मैं आपकी खिंचाई कर सकता हूं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 81, श्री रायापति सांबासिवा राव-उपस्थित नहीं।

श्री के. सुब्बारायण।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

+
***81. श्री के. सुब्बारायण:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और उनका उचित उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण में यदि कोई कठिनाइयां पेश आ रही हैं तो वे क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने के लए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई तथा उनके द्वारा उसमें से कितनी धनराशि उपयोग की गई;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई धनराशि का कुछ राज्यों द्वारा उचित रूप से उपयोग नही किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने देश में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के संवर्धन और समुचित उपयोग के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क;
* संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर;
* अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए न्यूनतम प्रतिशतता का निर्धारण करने हेतु सभी राज्यों को बिजली अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दिशा-निर्देश;
* क्षेत्र विशिष्ट संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सहायता;
* प्रिंट, डाक और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के प्रयोग के संबंध में व्यापक प्रचार और जागरूकता;
* राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन;
* अक्षय ऊर्जा स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन।

13,700 मेगावाट से अधिक की ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता, जो देश में कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 9% है, की स्थापना के साथ पहले ही उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इसमें से लगभग 6795 मेगावाट क्षमता का संयोजन 10वीं योजना अर्थात् 2002-07 के दौरान 3075 मेगावाट के योजना लक्ष्य की तुलना में हुआ है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण घरों में कुकिंग और रोशनी की बुनियादी ऊर्जा आवश्यकताओं के प्रावधान हेतु 5.5 मिलियन से अधिक ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा प्रणालियां/युक्तियां संस्थापित की गई हैं जिनमें मुख्यतया बायोगैस संयंत्र और सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां शामिल हैं।

(ख) अक्षय ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने में प्रमुख कठिनाइयां निम्नवत हैं:

* अक्षय ऊर्जा स्रोतों की अन्तर्निहित सविरामी प्रकृति जिसके कारण लगभग 17% से 70% की श्रेणी में निम्न क्षमता उपयोग कारक का होना है जो संसाधन और स्थल पर निर्भर करता है;
* आपूर्ति की सविरामी प्रकृति के कारण ग्रिड समक्रमण (ग्रिड सिनक्रोनाइजेशन) सीमाएं;
* पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश; और
* अक्षय विद्युत में निवेश को वाणिज्यिक दृष्टि से आकर्षक बनाने के लिए अन्य राजकोषीय और/अथवा वित्तीय रियायतों के अलावा अधिमान्य शुल्क-दरों की आवश्यकता।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई/उपयोग की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) से (च) राज्यों को जारी की गई निधियों का 95% से अधिक उपयोग हुआ है। निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं- आवधिक वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, निधि उपयोग प्रमाण-पत्रों एवं

व्यय के लेखा परीक्षा किए गए विवरणों की आवश्यकता; राज्य नोडल/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें; और संस्थापित प्रणालियों की संख्या और गुणवत्ता का पता लगाने के लिए परियोजना स्थलों के यादृच्छिक निरीक्षण दौरे, आदि। इनके अलावा राज्य नोडल एजेंसियों की आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा भी की जाती है।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई/उपयोग की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार विवरण

(करोड़ रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि			बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र			उपयोग की गई निधि		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08*	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.57	0.00	–	–	0.00	0.00	0.57	0.00
आंध्र प्रदेश	10.33	23.63	17.90	0.01	–	17.83	10.32	23.63	0.07
अरुणाचल प्रदेश	7.55	15.27	13.44	–	0.16	12.08	7.55	15.11	1.36
असम	3.16	4.35	78.84	0.33	0.09	77.28	2.82	4.26	1.56
बिहार	1.25	6.98	5.27	0.03	0.03	5.27	1.22	6.94	0.00
चंडीगढ़	0.83	0.40	3.24	–	–	3.24	0.83	0.40	0.00
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन एवं दीव (केवल दमन)	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	44.40	39.53	43.82	0.06	0.04	40.74	44.33	39.49	3.08
गोवा	0.21	0.42	0.44		0.00	0.44	0.21	0.42	0.00
गुजरात	3.28	7.53	9.79	0.04	0.76	5.97	3.24	6.77	3.82
हरियाणा	1.94	8.94	5.68	0.11		5.53	1.83	8.94	0.15
हिमाचल प्रदेश	1.84	10.30	2.51		0.14	2.39	1.84	10.15	0.12
जम्मू-कश्मीर	10.10	2.48	8.33	0.04	0.21	6.32	10.06	2.27	2.02
कर्नाटक	6.34	6.91	8.68	1.40	1.40	8.51	4.94	5.50	0.18
केरल	1.29	3.96	1.02	0.03		0.88	1.26	3.96	0.15
मध्य प्रदेश	6.61	9.09	10.65	0.05	0.11	7.85	6.56	8.98	2.81
महाराष्ट्र	21.91	34.59	48.95	0.19	0.16	48.93	21.71	34.43	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.00	–	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
मणिपुर	4.14	6.60	3.03	0.01	0.01	3.03	4.13	6.59	0.00
मेघालय	3.65	5.50	6.47	–	–	5.88	3.65	5.50	0.59
मिजोरम	14.83	9.81	7.70	–	–	3.23	14.83	9.81	4.47
नागालैंड	1.31	1.83	3.39	–	–	3.26	1.31	1.83	0.14
उड़ीसा	3.07	9.76	5.86	0.11	0.11	4.99	2.96	9.65	0.87
पांडिचेरी	0.64	0.15	0.13	–	–	0.13	0.64	0.15	0.00
पंजाब	1.59	6.10	4.97	–	0.73	3.00	1.59	5.37	1.97
राजस्थान	8.29	4.84	13.56	0.01	–	13.56	8.28	4.84	0.00
सिक्किम	3.36	7.00	14.10	–	–	13.95	3.36	7.00	0.14
तमिलनाडु	13.24	11.50	5.29	0.20	1.27	5.00	13.04	10.22	0.29
त्रिपुरा	0.44	3.01	10.51	–	0.02	10.51	0.44	2.99	0.00
उत्तर प्रदेश	5.84	6.80	12.19	0.00	–	12.19	5.84	6.80	0.00
पश्चिम बंगाल	18.69	27.55	15.24	–	0.03	11.67	18.69	27.53	3.57
छत्तीसगढ़	5.38	6.35	9.22	–	0.01	8.52	5.38	6.34	0.70
झारखंड	12.14	3.20	14.22	0.01	–	14.22	12.13	3.20	0.00
उत्तराखंड	7.44	17.56	8.70	–	0.28	8.62	7.44	17.28	0.09

*उपयोग प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2009 तक प्राप्त होने की संभावना है।

श्री के. सुब्बारायण: क्या भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को लाभकारी बनाने की संभावना के अध्ययन के लिए कोई अनुसंधान कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय: जब तक सूर्य है, तब तक सौर ऊर्जा है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, नवीकरणीय ऊर्जा के कई स्रोत हैं और उसकी हरेक की वायबिल्टी, ये आन-गोइंग प्रोसेस है, ये होते रहते हैं। इसके बावजूद भी आज देश में हम करीब 14,000 मेगावाट तक अक्षय ऊर्जा का दोहन कर चुके हैं। उसमें जितनी भी संभावनाएं हैं, करीब 90,000 मेगावाट की हैं और वह इसीलिए हो रहा है कि इसमें लगातार संशोधन हो रहा है, जैसा कि कहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा की केपिटल कास्ट हाई होती है। उसे भी कम करने के प्रयास पिछले सालों में हुए हैं। मैं समझता हूं कि विपुल संभावनाएं हैं और लगातार यह प्रोसेस है, जिसमें इसे देखने के प्रयास होते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. सुब्बारायण: भारत में सरकारी विभाग द्वारा उत्पादित विद्युत और निजी कम्पनियों द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट लागत क्या है?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, राज्यों की जो सीआरसी होती है, उनके द्वारा पर-यूनिट कास्ट को डिसाइड करने का निर्णय

होता है। इसमें प्राइवेट और सरकार का कुछ संबंध नहीं होता है। वह जो डिसाइड करती है, जो इंडीविजुअल पावर प्रोड्यूसर रहते हैं, सी.आर.सी. राज्य सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट के जो इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड्स हैं, वे चार्ज करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

[अनुवाद]

इसलिए आप राज्य से संपर्क करें।

श्री दुष्यंत सिंहः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि उनके पास लगभग 13,700 मेगावाट का ग्रिड-इंटरएक्टिव कार्यक्रम है जिसका 9 प्रतिशत देश में स्थापित हो चुका है। वर्ष 2008-09 में आपने केंद्रीय अनुदान की मांगों से 624 करोड़ रुपये दिए थे और इस साल बजटीय योजना 628 करोड़ रुपये की है। आपने उन कारणों और समस्याओं का भी उल्लेख किया है जिनका सामना आप कर रहे हैं जिसमें कम क्षमता का उपयोग और आपेक्षिक रूप से उच्च पूंजी निवेश आदि सम्मिलित है।

मीडिया चैनल, जैसे एन.डी.टी.वी. ने दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, में भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उनको सौर लालटेन बायोगैस के माध्यम से विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है और लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। क्या आप और धन देकर, बेहतर कर प्रोत्साहन या उन लोगों को जो इन दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे बारन जो मेरे चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, में ये सुविधाएं दे रहे हैं को बेहतर सहायता देकर इस उद्योग की मदद करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सौर लालटेन 'ममोनी' संकल्प द्वारा दिए गए थे। क्या आप इन लोगों की मदद के लिए बायोगैस और सौर लालटेन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं जिससे कि अधिक लोग इस उद्योग में आ सकें? क्या सरकार ऐसा करने में दिलचस्पी रखती है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले वर्ष से इस वर्ष तक मैं वित्त पोषण में कोई वृद्धि नहीं देख रहा हूं। केवल उत्तर-पूर्व के राज्यों को ही पिछले वर्ष से लेकर इस साल तक 62 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य महोदय, आपने अपनी बात सही तरीके से रखी है।

श्री दुष्यंत सिंहः क्या सरकार सौर ऊर्जा और बायोगैस उद्योग की मदद के लिए तथा इस उद्योग के भविष्य में विकास सुनिश्चित करने के लिए इसे आगे जारी रखने पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवारः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने सौर ऊर्जा की बात कही है। दूरदराज के क्षेत्रों और जहां कन्वैंशनल पावर नहीं पहुंचा है, वहां उन गांवों को प्रकाशित करने की योजना के बारे में आपने प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो बजट था या इस साल जो बजट है, विद्युत पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं है और न विद्युत पहुंचाने में किसी प्रकार से बजट की कोई कमी है।

आप जानते ही हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 25 हजार गांवों को विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जहां ग्रिड से पावर पहुंचाना फिजीबल नहीं है या जहां पर पावर नहीं पहुंच सकती है, ऐसे 25 हजार गांवों को बिजली पहुंचाने का दायित्व हमारे मंत्रालय पर है। इसके मातहत 90 परसेंट सब्सिडी उन गांवों को बिजली पहुंचाने के लिए दी जाती है। इसके आप्शन्स राज्य सरकारों की ओर से आते हैं कि उन गांवों में वे बिजली क्या सौर ऊर्जा से लगाना चाहती हैं, बायोगैस से लगाना चाहती हैं, बायोमास से लगाना चाहती हैं या माइक्रो हाइड्रो से लगाना चाहती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे सोर्सेस हमारे पास हैं। ग्रामों में विद्युत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अगर ऐसी जगहों के लिए राज्य सरकारों की योजना के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्ताव आते हैं, तो उन्हें स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है।

महोदय, जहां तक राजस्थान और आपके क्षेत्र का सवाल है, वहां यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेनः अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। महोदय उत्तर बंगाल में स्वच्छता के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रोत्साहन तथा उचित उपयोग के लिए छोटे जल विद्युत परियोजनाओं और बायोमास विद्युत परियोजनाओं की काफी संभावना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने उत्तर बंगाल के दूर-दराज के गांवों में ग्रिड संपर्क या तो संभव नहीं है या सस्ता नहीं होगा, बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र तथा छोटी जल-विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कोई योजना शुरू की है? क्या सरकार ने उत्तर बंगाल में छोटी जल-विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सभावित स्थलों की पहचान कर ली है?

अध्यक्ष महोदय: वे कहते हैं कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, हमारी सारी प्रणालियों को लेकर माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पहले सुन्दरबन में बिजली जाना बड़ा असम्भव था और वहां सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे और कई मौतें इसकी वजह से होती थीं और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी रखना वहां बड़ा असम्भव था, क्योंकि वहां बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर पावर प्लांट लगाने की वजह से वहां अब यह सम्भव हुआ है। पहले जो पश्चिम बंगाल के लोग आमार सोनार बंगला बोलते थे, अभी वे आमार सोलार बंगला बोलते हैं, इतनी प्रगति वहां हुई है।

जैसा कि माननीय सदस्या ने माइक्रो हाइड्रो का कहा है तो मंत्रालय की तरफ से इस पोटेंशियल को हारनैस करने की पूरी कोशिश है और हमारे आप्शंस खुले हैं और एक बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता, क्योंकि, जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में कहा है कि कैपीटल कास्ट बहुत हाई होती है तो हम इसमें वित्तीय सहायता देते हैं, फिर इसमें डैप्रीशिएशन भी है। बायोमास के लिए भी बड़ा प्रयत्न हो रहा है, उसमें भी हमारी सहायता जाती है और कई राज्य सरकारों से इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में मैं यह कहूंगा कि वहां पैडी का उत्पादन बहुत होता है और पैडी के आधार पर, क्योंकि जो राइस हस्क होता है, उसमें कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है तो उसके भी प्रोजैक्ट्स बहुत लग रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ अभी-अभी प्रोजैक्ट्स आये हैं और उसमें भी मदद करने का काम जारी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी राजसहायता के बिना मैंने अपने घर में सौर बिजली लगाई है। बहुत अच्छा है, सस्ता है, उन्होंने मुझे राजसहायता नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, अभी सप्लीमेंटरी के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि जो सोलर रिन्युएबल सोर्स आफ इनर्जी है, वह दूरदराज और रिमोट इलाके में बहुत मुफीद है और यह सही भी है। मेरी कांस्टीट्वेंसी लद्दाख का जहां तक ताल्लुक है, 70 परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया लद्दाख का है, वहां पर जो इलैक्ट्रिसिटी की नीड है, वह सोलर इनर्जी होम लाइटिंग सिस्टम के जरिये मुहैया होती है और मेरी कांस्टीट्वेंसी में पोटेंशियल बहुत है। खास तौर पर सोलर इनर्जी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वहां जियो थर्मल का बहुत ज्यादा पोटेंशियल पाया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि मिनिस्ट्री ने नान-कन्वेंशनल इनर्जी सोर्सेज का जहां-जहां पोटेंशियल ज्यादा है, बजाय इसके कि उसको प्रमोट करें, वहां पर बहुत सारी रुकावटें इन्होंने डाली हैं। जिस तरह का इन्सेंटिव वहां देना चाहिए था, जिस तरह का प्रोजैक्ट मुहैया कराना चाहिए था, वह नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या लद्दाख को अलग से एक लोंग टाइम पावर पर्सपैक्टिव, जैसा मैंने कहा कि कन्वेंशनल सोर्स आफ इनर्जी वहां पर उपलब्ध नहीं हो सकती है तो सोलर जियो थर्मल, विंड और सोलर इनर्जी का ये लद्दाख के लिए करेंगे। दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा, वह इसी से रिलेटिड है कि जहां-जहां लद्दाख में हमने होम लाइटिंग सिस्टम का दिया था, उसकी बैटरी की एक लाइफ है, फिर बैटरी को सात साल में, 10 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ता है, उसमें मुश्किल यह होती है कि जिन-जिन घरों में होम लाइटिंग सोलर सिस्टम दिया गया है, वहां पर एक तो जब हम सर्वे करते हैं कि इलैक्ट्रीफाइड है कि नहीं तो उसको इलैक्ट्रीफाइड में दिखाना पड़ता है। मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कोई ऐसी योजना नहीं है, जिसकी तरफ से रिप्लेस किया जाये या उनको दोबारा होम लाइटिंग सिस्टम दिया जाये? क्या मंत्री जी अपने रूल्स में चेंज करके, तब्दीली करके इसको वहां पर मुहैया करने के लिए आप कोई फैसला लेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लद्दाख तक बढ़ाना तथा बैटरी को बदलना। ठीक है, बोलिये।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसे तीन डिवाइसेज के बारे में जियो थर्मल, सोलर और विंड के बारे में उन्होंने बात कही और लद्दाख में हाई रैडिएशन है, वहां सूरज की रोशनी अच्छी है और वहां लोगों को दिक्कत भी है तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम सोलर का वहां से शुरूआत हुई और पावर प्लांट भी लगे और उसके बाद इस योजना के अंतर्गत भी लद्दाख में हमारा काम हुआ। उन्होंने जो एक शिकायत की है कि हमारी यूनिट लग जाने के बाद, डिवाइसेज लग जाने के बाद उसका मेंटीनेंस नहीं होता तो मंत्रालय की हमारी अपनी एक मर्यादा होती है और हमारा पूरा प्रोग्राम राज्य सरकार

की मार्फत हम मोनीटर करते हैं और जब हम उनको पैसा देते हैं, जैसा मैंने कहा कि अभी तो 90 परसेंट एवेलेबल है, पहले थोड़ा कम था। लेकिन तब भी यह उत्तरदायित्व के साथ मैन्युफैक्चरर को दिया जाता था कि इसका मेंटीनेंस भी आप प्रिज्यूम तक करें। लांग टर्म 5, 10, 15 सालों के लिए तो मेंटीनेंस की गारंटी नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरर को जब हम आर्डर करते हैं, तभी यह बोलते हैं कि आप 5 या 10 सालों तक इसका मेंटीनेंस करिए। यह बात सही है कि 6-7 बार बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है और उतना ही काम बेनेफिशियरीज को करना पड़ता है।

दूसरी बात, माननीय सदस्य जी ने जियो-थर्मल के बारे में पूछी है। जियो-थर्मल का हमारे देश में लद्दाख, छत्तीसगढ़ और (मनाली) हिमाचल प्रदेश ऐसे तीन प्रदेश हैं, जहां जियो-थर्मल का पोटैंशियल है। हमने जब आज से 10 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि कैपिटल कास्ट तब बहुत ज्यादा आती थी, उसमें वायबिलिटी नहीं आती थी। इसमें संशोधन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। प्राइवेट सैक्टर में भी इन्वेस्टर बहुत जोर-शोर से आ रहे हैं। उसके अंदर हमने लद्दाख और कारगिल के लिए एक्शन प्लान बनाया है। उसके अंतर्गत जियो-थर्मल के पोटैंशियल का दोहन करने हेतु राज्य सरकार की पहल या प्रयासों को हरसंभव समर्थन दिया जाएगा।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, सौर ऊर्जा का बाढ़ इफेक्टेड एरियाज में जहां हर साल बाढ़ आती है, महोदय, मैं कोसी को लूंगी, वहां बांध के पास लगभग 7 से 8 लाख जनसंख्या रहती है। जब तक वहां नदी कटती रहेगी, तब तक प्रापर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती। वहां पंचायत के माध्यम से मुखिया के द्वारा दो-चार पंचायत करके सौर ऊर्जा दी जाती है, जो 30 से 40 हजार की होती है, तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल बिहार सरकार की ओर से आया है अन्यथा क्या केन्द्र सरकार ऐसा कोई प्रपोजल दे सकती है, ताकि जो बाढ़ इफेक्टेड एरियाज हैं, जो नदी के बीच में होते हैं, जिसके चलते वहां इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं आ पाती, जब तक स्थायी निदान नहीं होता, उसे क्या हम सौर ऊर्जा के लिए ले सकते हैं, क्योंकि वहां अधिकतम मात्रा में सौर ऊर्जा मिलती है? क्या ऐसा कोई प्रपोजल वहां से आए, तो आप उसे मंजूर करेंगे?

श्री विलास मुत्तेमवार: जैसा कि आपको मालूम है, जहां-जहां सूरज की रोशनी जाती है, वहां-वहां सौर ऊर्जा का दोहन हो सकता है। आपने जो कोसी का और कोसी के कहर का जिक्र किया, उससे हम सभी लोग अपने आपको संबद्ध करते हैं कि बहुत बड़ी विपदा वहां आयी। जहां तक ऐसी विपदाओं में मंत्रालय की तरफ से मदद करने का सवाल है, तो जब सुनामी हुआ था, तब हमने करीब 80 हजार सोलर लैंटर्न सुनामी अफेक्टेड एरिया में दिए थे। महाराष्ट्र में जो 6 जिले हैं, जहां फार्मर्स ने सुसाइड की, उन 6 जिलों में मंत्रालय की तरफ से 100 प्रतिशत सब्सिडी पर हमने वहां सात हजार घर प्रति जिले को, दस हजार सोलर लैंटर्न दिए हैं। बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया कि कोसी में जिस प्रकार से यह कहर आया, उनको सोलर लैंटर्न दें या सोलर के द्वारा उनको बिजली देने का काम हो। अगर वहां से ऐसा कोई प्रपोजल आता है, जैसा मैंने अपने उत्तर में पहले कहा कि हमारी कोई मानिटरिंग एजेंसी नहीं है कि राज्य सरकार इस प्रकार से कोई इनीशिएटिव लेती है, तो हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं और ऐसी विपदा में जो लोग होते हैं, उनको मदद देने के लिए तो पहली प्रायरिटी है।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: इसके पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के सबसे खतरनाक तरीके हैं। इसलिए, मैं तथाकथित अक्षय ऊर्जा के संबंध में किसी नीति का सुझाव नहीं दूंगी। यह वास्तव में बहुत खतरनाक है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि इस देश में उत्पादित विद्युत का कितना प्रतिशत नई और नवीकरणीय ऊर्जा से आता है। ये आंकड़े कैसे संकलित किए जाते हैं। कौन-सा राज्य अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है?

अध्यक्ष महोदय: कितना प्रतिशत है और कौन राज्य सबसे ज्यादा इसका उपयोग कर रहा है?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, मेरे पहले उत्तर में ही है कि अभी तक 13 हजार 700 मेगावाट का, अक्षय ऊर्जा का उपयोग विविध राज्यों में हो रहा है, जिसके अंदर विंड एनर्जी फोरफ्रंट पर है। करीब साढ़े 9 हजार मेगावाट का दोहन ग्रीन इंटरेक्टिव पावर से हमें मिल रहा है। बायो गैस और बायो मास भी ...

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: इसका प्रतिशत कितना है।

श्री विलास मुत्तेमवार: यह आठ प्रतिशत है, स्थापित क्षमता नौ प्रतिशत की है, विद्युत मिश्रण दो प्रतिशत है और योगदान आठ प्रतिशत का है।

श्रीमती मेनका गांधी: मैंने पूछा है कि कौन-सा राज्य सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह आपका दूसरा अनुपूरक है, जिसकी सामान्यतया अनुमति नहीं दी जाती।

[हिन्दी]

क्या कोई स्टेट है?

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, तमिलनाडु है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान

+

***82. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को वर्ष 2008-09 के दौरान सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अब तक विभिन्न राज्यों से प्राप्त तथा अनुमोदित की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्य शुरू करने हेतु भी धनराशि का आबंटन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस घटक के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) एक मांग आधारित कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक जिला एक परियोजना तैयार करती है और विभाग को मंजूरी के लिए भेजती है, जिसका उद्देश्य 4 से 5 वर्ष की अवधि में शत-प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल करना है। 2008-09 से पहले, 588 जिलों के लिए परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। 2008-09 के दौरान, झारखंड के दो जिलों के लिए परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं एवं मंजूर की गई थी। ब्यौरा अनुबंध-II में है।

(ख) 2008-09 के दौरान टीएससी परियोजनाओं के लिए राज्यवार मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-III में दिया गया है। विगत वर्षों में परियोजना लागत के केंद्रीय अंश की तुलना में की गई रिलीजों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था बहाल करना संपूर्ण स्वच्छता अभियान के घटकों में से एक है। भारत सरकार द्वारा टीएससी में यह घटक 2006 में शुरू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को कूड़ा-करकट इकट्ठा और इसका निपटान करने तथा जल जमाव को रोकने के लिए उचित तंत्र बनाने की जरूरत है। इस घटक के अंतर्गत पूंजी लागत को पूरा करने के लिए परियोजना लागत की 10% तक की राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के लिए राज्यवार अनुमोदित केंद्रीय अंश को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-V में दिया गया है। टीएससी के अंतर्गत घटक-वार रिलीजों को विनिर्दिष्ट किए बिना समेकित राशि के रूप में परियोजना-वार रिलीज की जाती है।

अनुबंध-I

अनुमोदित जिला परियोजनाओं की वित्तवर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4	0	6	8	4	0	0	0	0	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	0	0	0	10	0	2	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	3	0	8	0	3	1	5	2	4	26
4.	बिहार	1	4	5	6	0	0	22	0	0	38
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1	3	2	1	8	1	0	16
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7.	गोवा	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
8.	गुजरात	3	0	0	2	0	20	0	0	0	25
9.	हरियाणा	0	2	2	3	12	0	0	1	0	20
10.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	5	0	0	5	0	0	12
11.	जम्मू-कश्मीर	0	2	0	2	10	0	0	0	0	14
12.	झारखंड	1	1	2	2	0	16	0	0	0	22
13.	कर्नाटक	3	0	0	0	0	15	9	0	0	27
14.	केरल	0	2	4	7	0	0	1	0	0	14
15.	मध्य प्रदेश	0	5	1	9	30	0	0	0	3	48
16.	महाराष्ट्र	4	5	0	11	13	0	0	0	0	33
17.	मणिपुर	0	1	0	3	0	0	0	1	4	9
18.	मेघालय	0	0	0	0	2	0	1	3	1	7
19.	मिजोरम	0	0	0	1	1	0	6	0	0	8
20.	नागालैंड	0	3	0	1	0	0	1	4	0	9
21.	उड़ीसा	3	0	2	10	0	15	0	0	0	30
22.	पांडिचेरी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
23.	पंजाब	0	2	1	2	9	1	2	0	0	17
24.	राजस्थान	4	1	0	5	0	11	11	0	0	32
25.	सिक्किम	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
26.	तमिलनाडु	4	3	3	12	6	1	0	0	0	29
27.	त्रिपुरा	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4
28.	उत्तर प्रदेश	4	8	16	13	29	0	0	0	0	70
29.	उत्तराखंड	0	0	1	5	7	0	0	0	0	13
30.	पश्चिम बंगाल	0	6	4	5	3	0	0	1	0	19
	कुल	39	46	65	116	132	81	81	13	15	588

अनुबंध-II

वर्ष 2008-09 के दौरान मंजूर की गई जिला परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	जिला	मंजूरी की तिथि	परियोजना की लागत (रु. लाख)	अनुमोदित अंश (रु. लाख)			मंजूर किए गए घटक (इकाई)						
				केन्द्रीय	राज्य	लाभार्थी	आईएचएचएल बीपीएल	आईएचएचएल एपीएल	आईएचएचएल कुल	एससीडब्ल्यू	स्कूल शौचालय	बालवाड़ी शौचालय	आरएसएम/ पीसी
झारखण्ड	रामगढ़	22.7.2008	1830.11	1165.46	485.60	179.05	48992	16857	65849	40	670	40	8
	खुंटी	22.7.2008	2087.33	1367.40	548.21	171.72	45773	11493	57266	12	1791	196	12
	कुल		3917.44	2532.86	1033.81	350.77	94765	28350	123115	52	2461	236	20

आईएचएचएल – व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय
बीपीएल – गरीबी रेखा से नीचे
एपीएल – गरीबी रेखा से ऊपर
एससीडब्ल्यू – महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसर
आरएसएम – ग्रामीण स्वच्छता परिसर
पीसी – निर्माण केन्द्र

अनुबंध-III

वर्ष 2008-09 के दौरान रिलीज की गई राशि (केन्द्रीय अंश) का ब्यौरा

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य	2008-2009 राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1391.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.04
3.	असम	1422.16
4.	बिहार	7150.57
5.	छत्तीसगढ़	1144.14
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00
7.	गोवा	0.00
8.	गुजरात	26.81
9.	हरियाणा	1069.09
10.	हिमाचल प्रदेश	105.39
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00
12.	झारखंड	3188.20
13.	कर्नाटक	2297.51
14.	केरल	261.29
15.	मध्य प्रदेश	8597.85
16.	महाराष्ट्र	3526.29
17.	मणिपुर	0.00
18.	मेघालय	143.00
19.	मिजोरम	354.52
20.	नागालैंड	99.78
21.	उड़ीसा	7204.33
22.	पांडिचेरी	0.00
23.	पंजाब	223.18

1	2	3
24.	राजस्थान	2516.85
25.	सिक्किम	0.00
26.	तमिलनाडु	473.31
27.	त्रिपुरा	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	38139.95
29.	उत्तराखंड	146.33
30.	पश्चिम बंगाल	1814.27
	कुल	81360.67

अनुबंध-IV

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	वित्त वर्ष के दौरान की गई वर्ष-वार रिलीज (रु. लाख)										कुल
			1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	92690.72	417.24	771.39	1877.09	1600.87	4660.35	3362.27	4300.09	9455.20	878.78	1391.81	28715.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	4001.76	25.48	73.98	52.80	-	10.00	90.00	382.42	-	-	64.04	698.72
3.	असम	54342.19	133.22	-	410.38	-	199.31	254.95	1355.65	337.74	4256.13	1422.16	8369.54
4.	बिहार	124938.75	445.14	678.69	1663.56	1548.70	-	120.00	5796.27	830.23	9554.97	7150.57	27788.13
5.	छत्तीसगढ़	39018.74	-	-	229.33	175.64	-	1100.17	2663.38	4677.48	5158.04	1144.14	15148.18
6.	दादरा और नगर हवेली	70.97	-	-	-	3.15	-	-	-	-	-	-	3.15
7.	गोवा	574.40	-	-	-	-	-	134.67	-	-	37.65	-	172.32
8.	गुजरात	34923.83	359.10	-	-	94.65	-	3690.44	188.79	4976.36	8528.33	26.81	17864.48
9.	हरियाणा	10615.52	-	214.23	62.06	402.90	62.06	811.13	9.97	2334.61	2755.14	1069.09	7721.19
10.	हिमाचल प्रदेश	7462.74	6.85	19.91	26.76	79.29	-	50.00	641.06	27.01	1024.50	105.39	1980.77
11.	जम्मू-कश्मीर	18441.01	-	122.05	-	-	76.48	1044.88	-	-	1791.20	-	3034.61
12.	झारखंड	49269.83	284.61	199.13	632.71	223.87	284.61	1946.71	2077.87	2747.69	1909.95	3188.20	13495.35
13.	कर्नाटक	46541.72	536.05		-	-	-	461.99	5752.61	1924.30	1383.75	2297.51	12356.21
14.	केरल	11358.22	-	308.09	741.98	439.27	864.13	805.53	736.90	363.18	2229.06	261.29	6749.43
15.	मध्य प्रदेश	79903.12	-	772.55	219.17	644.93	4425.96	2242.97	2024.68	4386.49	6793.58	8597.85	30108.18
16.	महाराष्ट्र	71870.39	1113.62	1195.96	-	591.37	725.05	3493.05	1494.98	8719.53	6785.73	3526.29	27645.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मणिपुर	6458.46	-	48.08	-	-	103.56	-	-	90.81	748.44	-	990.89
18.	मेघालय	6633.24	-	-	-	-	221.37	-	73.40	550.06	-	143.00	987.83
19.	मिज़ोरम	2213.27	-	-	-	-	11.51	60.00	209.33	647.91	182.70	354.52	1465.97
20.	नागालैंड	4202.29	-	118.33	-	13.79	-	62.69	79.37	89.61	170.05	99.78	633.62
21.	उड़ीसा	84902.24	243.06	971.06	567.83	1113.85	284.16	4582.48	2346.29	5465.48	5858.40	7204.33	28636.94
22.	पांडिचेरी	453.08	-	-	47.42	-	-	47.42	-	-	-	-	94.84
23.	पंजाब	9327.56	-	94.25	142.17	52.67	-	699.94	194.06	-	-	223.18	1406.27
24.	राजस्थान	51746.47	333.45	1285.23	-	265.62	119.12	700.86	4353.91	1148.29	3191.56	2516.85	13914.89
25.	सिक्किम	1264.22	17.98	-	124.42	17.98	38.36	74.07	344.90	137.64	-	-	755.35
26.	तमिलनाडु	53711.71	513.67	834.25	1703.78	2192.49	2768.98	2972.06	7786.94	4873.92	2243.15	473.31	26362.55
27.	त्रिपुरा	4452.95	-	253.66	364.63	249.56	819.21	368.73	361.72	-	882.41	-	3299.92
28.	उत्तर प्रदेश	154923.34	170.49	1572.25	2292.21	2272.40	3120.44	3475.35	11619.82	17210.53	15085.11	38139.95	94958.55
29.	उत्तराखंड	9461.28	-	-	34.62	151.16	13.40	503.23	97.50	157.40	664.36	146.33	1768.00
30.	पश्चिम बंगाल	55589.03	-	1472.20	1481.15	1528.88	1181.10	1566.85	4640.37	945.99	9056.89	1814.27	23687.70
	कुल	1091363.05	4599.96	11005.29	12674.07	13663.04	19989.16	34722.44	59532.28	72097.46	91169.88	81360.67	400814.25

अनुबंध-V

टीएससी के ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत अनुमोदित केन्द्रीय अंश

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9209.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	346.70
3.	असम	2198.97
4.	बिहार	12041.91
5.	छत्तीसगढ़	4691.13
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00
7.	गोवा	25.00
8.	गुजरात	3946.99
9.	हरियाणा	1669.38
10.	हिमाचल प्रदेश	897.41
11.	जम्मू-कश्मीर	1042.20
12.	झारखंड	4062.55
13.	कर्नाटक	4594.48
14.	केरल	1986.99
15.	मध्य प्रदेश	9198.95

1	2	3
16.	महाराष्ट्र	8820.79
17.	मणिपुर	605.83
18.	मेघालय	323.00
19.	मिजोरम	291.13
20.	नागालैंड	262.86
21.	उड़ीसा	6776.23
22.	पांडिचेरी	0.00
23.	पंजाब	173.89
24.	राजस्थान	5561.05
25.	सिक्किम	170.00
26.	तमिलनाडु	5053.20
27.	त्रिपुरा	614.46
28.	उत्तर प्रदेश	18035.08
29.	उत्तराखंड	604.12
30.	पश्चिम बंगाल	5825.54
	कुल	109029.73

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, उत्तर एकदम संतोषजनक नहीं है और यह बिल्कुल सामान्य है। सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था जिसे 1999 में पुनः नया रूप दिया गया। नए कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान का उद्देश्य 2010 तक एम.डी.जी. के 9 लक्ष्यों तथा 2012 तक सबके लिए स्वच्छता को प्राप्त करना है। मुख्य उद्देश्य 2012 तक खुले में शौच की प्रथा को समाप्त कर देना है। 2001 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 29.9 प्रतिशत लोग ही शौचालय का उपयोग करते हैं। उपलब्ध नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह प्रतिशत बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है।

यह मानते हुए कि सरकारी स्रोत के ये आंकड़े सही हैं, इस समय हम, 2009 में, निर्धारित मानक से काफी पीछे हैं। हम देश के सभी जिलों को भी नहीं कवर कर पाये हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या निर्धारित समय पर लक्ष्य को प्राप्त करना संभव होगा और क्या हम ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य और जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य पूरा कर पायेंगे तथा महिलाओं को अलग से जनसुविधाएं और प्रतिष्ठा दे पायेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या टारगेट डेट ठीक रहेगी?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, सन् 2012 तक हमारा नेशनल गोल है कि निर्मल भारत हो जाएगा, सौ फीसदी घरों में शौचालयों का प्रबंध हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* सन् 2001 में 21.9 फीसदी घरों में शौचालय थे। लेकिन जब हमने शुरू किया तो 2003-2004 में 27 फीसदी घरों में शौचालय थे और अभी हम 60 फीसदी पार कर गए हैं, 60.42 फीसदी घरों में शौचालय हो गए। ...*(व्यवधान)* चार वर्षों में, पिछले साल हमने लगभग 9 फीसदी से अधिक घरों में शौचालय बनवाए हैं। यदि यह कनसिस्टैंसी और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, तो कोई कारण नहीं है कि सन् 2012 तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

मिलेनियम डेवलपमैंट गोल में कहा गया है कि सन् 2015 तक देश की बची हुई आबादी के सभी घरों में शौचालय बनाने हैं, लेकिन हमारा नेशनल गोल मिलेनियम डेवलपमैंट गोल से आगे है और सन् 2012 तक निर्मल भारत का लक्ष्य है। हमें माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स, सिविल सोसाइटी, राज्य सरकारों ने भी रुचि दिखाई है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि

[अनुवाद]

स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

हम उनके सपनों का भारत सन् 2012 में पूरा कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि 60 प्रतिशत परिवारों को कवर किया गया है। जहां तक शौचालय का संबंध है यहां सभी सदस्य जानते हैं कि कितने ग्रामीण परिवारों को कवर कियां गया है। यह आंकड़ा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है और पूरा देश उनकी बातों को सुन रहा है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था।

अध्यक्ष महोदय: आप उनसे दूसरे सदन में पूछ सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: जहां तक टी.एस.सी. के एक घटक के रूप में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम भी अपने निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहा है। वह भी टी.एस.सी. का एक घटक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 10 प्रतिशत खर्च करने में सक्षम थी जो कि मंत्रिमंडल का निर्णय था। यह आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के वर्ष 2006 में अनुमोदन और निर्णय पर आधारित था। क्या आप इस कार्यक्रम के लिए टी.एस.सी. के अंतर्गत कुल आबंटन के 10 प्रतिशत को कवर कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रोजैक्ट कास्ट है, हमने उसके 10 फीसदी का फैसला सन् 2006 में लिया कि सालिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट गांवों में कूडा-करकट का निपटान और वेस्टेज वाटर का निपटान, दोनों के लिए हमने 10 फीसदी का प्रावधान किया है। अभी कुल 17 हजार करोड़ का प्रौजेक्ट टोटल सेनीटेशन कैम्पेन का है, जिसमें लगभग 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन उसे भी हम कम मानते हैं। हम उस राशि को भी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री नन्द कुमार साय: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो लक्ष्य बताए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। मेरा कहना है कि सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत जो कमजोर राज्य हैं, वे एक साथ समय पर निर्मल भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए क्या आप उनकी धनराशि का प्रतिशत बढ़ाने के बारे में कोई विचार कर रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नहीं महोदय। सभी राज्य आगे आये हैं। उन्होंने टोटल सैनीटेशन कैम्पेन में रुचि ली है। माननीय सदस्य जब राज्यवार प्रतिशत देखेंगे, तो सभी राज्यों का सहयोग है और सभी राज्य अपने शेयर का अंश दे रहे हैं। काम ठीक ढंग से चल रहा है और बड़ा उत्साहजनक परिणाम आ रहा है। इसलिए अभी अलग-अलग राज्यों को बांटने में हमारी रुचि नहीं है और न उस तरफ हमारा ध्यान है।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अन्य राज्यों की तुलना में केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। गांवों का शहरीकरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में केरल सरकार स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना चाहती है। बहुत से ग्राम पंचायतों को मंत्रालय की ओर से निर्मल पुरस्कार मिल रहे हैं। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और जल जमाव रोकना राज्य में सामाजिक समस्या बनती जा रही है। मंत्रालय द्वारा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वीकृत परियोजना की स्थिति बहुत ही खराब है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि चूंकि गांवों का शहरीकरण शुरू हुआ है, इसलिए क्या केरल राज्य के लिए और अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी और क्या केरल राज्य को और केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, केरल राज्य निकट कुछ महीनों में निर्मल केरल हो जायेगा मतलब हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो जायेगी। सिक्किम राज्य निर्मल हो चुका है। उनको गोल्डन पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों दिलवाया गया है। केरल के चार जिले निर्मल ग्राम में आ गये हैं और केरल राज्य आगे है। लेकिन माननीय सदस्या ने जिस बारे में ध्यान खींचा है, उस पर हमारा ध्यान पहले गया है कि वहां ग्राउंड वाटर ऊपर है और अंदर जो ग्राउंड शौचालय है, उससे कनटैमिनेशन का खतरा है, इसलिए हम राज्य सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं कि वहां ऐसी टेक्नोलाजी लगायी जाये जिससे ग्राउंड वाटर का कनटैमिनेशन न हो और वाटर लागिंग से जो प्रोब्लम हो रही है, उससे हम मुकाबला कर सकें। इसलिए उस तरफ हमारा ध्यान है और जो भी सहायता होगी, उसे हम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी आवाज बिना माइक्रोफोन के भी सुनी जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, हम साउंड पाल्यूशन कभी नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप धीरे-धीरे बोलिये।

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अभी बता रहे थे कि निर्मल भारत बनाने की इनकी जो योजना है, उसके तहत वह काफी राशि भी आवंटित कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में उसकी प्रोग्रैस अच्छी है। मैं बिहार राज्य से आता हूं और उसी राज्य से मंत्री जी भी आते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां अभी तक निर्मल ग्राम बनाने के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है और कितने पैसे का उपयोग हुआ है? आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस हुई है, लोग जागरूक हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि दो योजनाओं के अंतर्गत बिहार के लिए आपने कितनी राशि आवंटित की है? उसमें से कितनी राशि का उपयोग हुआ है और बिहार में हुए काम से क्या आप संतुष्ट हैं? वहां के कितने जिलों और कितने ग्रामों को अब तक निर्मल बनाया गया है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि वर्ष 2008-2009 के दौरान रिलीज राशि राज्यवार है। माननीय सदस्य कृपा करके उसे देख लें कि बिहार के 71 करोड़ 50 लाख रुपए इस साल रिलीज किए गए हैं, लेकिन वहां की कुल परियोजना 14,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से सेंटर का अंश हम दे रहे हैं। राज्य सरकार ने भी अब रुचि दिखाई है। हालांकि यह बात ठीक है कि देश भर में सबसे ज्यादा काम उनको करना है और वे अभी भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी रुचि दिखाई है। सिविल सोसाइटी के लोग भी लगे हुए हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। हमने कहा है कि सभी पंचायतों में कार्य आरंभ कर दिया जाए, लेकिन अभी भी कुछ पंचायतों में वहां काम पीछे है, शुरू नहीं हुआ है। हम बराबर राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि बिहार भी टोटल सैनिटेशन कैंपेन में नेशनल एवरेज में किसी से पीछे न रहे।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्तीः महोदय, आपके माध्यम से क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार विभिन्न राज्यों को आवंटित धन के उचित उपयोग की देख-रेख के लिए निगरानी समिति गठित करने पर विचार कर रही है। यदि कोई राज्य आवंटित धन के उपयोग करने में चूक करता है तो उस राज्य के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाएंगे?

अध्यक्ष महोदयः ऐसा न करे। आपका नाम सूची में है और यदि आप शांति से बैठे तो मैं आपको एक मौका दे सकता हूं।

चौधरी लाल सिंहः महोदय, आप सभा के अभिरक्षक हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः लेकिन कस्टोडियन को आप काम नहीं करने देते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, माननीय सदस्य ने निगरानी समिति का जिक्र किया है। माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि

[अनुवाद]

स्थानीय सांसद और सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला सतर्कता और निगरानी समिति

[हिन्दी]

की व्यवस्था है, जो ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की छानबीन, देखभाल और निगरानी करने का काम करती है। अगर कहीं से भी पैसे के दुरुपयोग और हेराफेरी की बात आती है तो हम उसकी जांच करते हैं और कार्यवाही करते हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्माः महोदय, माननीय मंत्री जी गुजरात के दौरे पर आए थे। वह भलीभांति जानते हैं कि गुजरात में सैनिटेशन की जागरूकता के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, एन.जी.ओ. भी अपना सहयोग दे रहे हैं और सुखी परिवार के लोग भी वहां अपना सहयोग देकर अभियान चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी ओर से राज्य सरकार को वर्ष 2004-05 में केवल 20 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया था और उसके बाद वर्ष 2005, 2006 और 2007 में एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। इसके लिए एमाउण्ट भी बहुत कम, 26.81 लाख रुपए ही आपकी ओर से दिए गए हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि आज गुजरात में जो इतना अच्छा काम हो रहा है, जिसकी आपने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, उस प्रशंसा को सार्थक करने के लिए क्या आप ज्यादा फण्ड का एलोकेशन करेंगे? आप यह कह रहे हैं कि वर्ष 2012 तक सभी को सैटिनेशन की सुविधा मिलेगी। अपने देश की गरीब जनता 60 साल तक शांति रखे बैठी है। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि खाने के लिए नहीं रोटी, पहनने के लिए नहीं कपड़ा, रहने के लिए नहीं मकान, फिर भी वह कह रहे हैं मेरा भारत देश है महान।

अध्यक्ष महोदयः आपने बिल्कुल ठीक बोला है। अगर पालिटिशियन्स थोड़ा चुप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा काम होगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, यह एक डिमाण्ड-ड्रिवेन प्रोग्राम है। हम जो प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं, उसमें जो राशि वे खर्च करते हैं, उसमें हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। गुजरात

राज्य या देश के अन्य राज्य जितना खर्च करेंगे, हम उतना पैसे देंगे, दे रहे हैं। जो कहते हैं कि भारत महान, तो वह सचमुच में है। जब सब घरों में पानी-पाखाने की व्यवस्था हो जाएगी तो हिन्दुस्तान के सारे नागरिक कहेंगे—हमारा भारत महान, तो सचमुच में दुनिया में हो जाएगा हमारा भारत महान।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ नाराजगी के साथ आपको समय दे रहा हूं क्योंकि आपने सभा में व्यवधान उत्पन्न किया है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष जी, आप स्वयं देखें कि जम्मू-कश्मीर के बारे में इसमें 14 जिले दिए हैं, लेकिन उनमें पैसे नाम पर जीरो रकम है, जबकि सारी मानिटरिंग हो गई है। सांसदों के पास कोई ताकत नहीं है कि वह सारा पैसा खर्च करा सकें। पिछले पांच सालों में हमारी रियासत में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और कोई काम नहीं हुआ, तो फिर 2012 में, जैसा मंत्री जी ने कहा, कैसे यह योजना साकार होगी, मंत्री जी यह बताएं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हम पांच किस्तों में पैसा देते हैं। पैसा मंजूर करने के बाद प्रथम किस्त दे दी, अगर राज्य सरकार उसका 60 प्रतिशत खर्च करती है तो हम तुरंत अगली राशि देते हैं। लेकिन जब तक यह रकम खर्च नहीं होगी, तो कैसे अगली राशि दी जा सकती है। वैसे अब जम्मू-कश्मीर ने भी पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है और इस ओर उनका ध्यान गया है। इसलिए उन्हें भी पैसे की कमी नहीं होगी और वह राज्य भी किसी से पीछे नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम उम्मीद करें कि युवा मुख्य मंत्री कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में निगरानी एजेंसी

***83. श्री जीवाभाई ए. पटेल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत के उत्पादन एवं वितरण कार्य में लगी सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के विरुद्ध अनियमितता के कितने मामले इस एजेंसी के ध्यान में आए हैं तथा इस अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(घ) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी नहीं। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने 11वीं योजना में चालू होने वाली लक्षित विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए अप्रैल, 2008 में विद्युत परियोजना मानीटरिंग पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा भी विद्युत परियोजनाओं की मानीटरिंग की जाती है।

(1) विद्युत परियोजना मानीटरिंग पैनल (पीपीएमपी)-28 मई, 2007 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के रूप में विद्युत मंत्रालय ने 11वीं योजना में चालू होने वाली लक्षित ताप एवं जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं तथा संबद्ध पारेषण स्कीमों की मानीटरिंग करने के लिए अप्रैल, 2008 में ''विद्युत परियोजना मानीटरिंग पैनल'' (पीपीएमपी) का गठन किया है। वर्तमान में पीपीएमपी के अंतर्गत पांच स्वतंत्र परियोजना मानीटरिंग परामर्शक शामिल हैं। प्रत्येक परामर्शक को विशिष्ट परियोजना दी गई है। प्रत्येक परामर्शक परियोजना स्थल का दौरा करते हैं तथा अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे समन्वय परामर्शक द्वारा संकलित किया जाता है और असाधारण रिपोर्ट के साथ उसे सचिव (विद्युत) को प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, सचिव (विद्युत) द्वारा मानीटरिंग पैनल से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)-सीईए प्रत्येक चालू परियोजना से संबद्ध नोडल अधिकारी है, जो नियमित रूप से निरंतर दौरे एवं संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से

परियोजना स्थल पर प्रगति की मानीटरिंग करता है। संबंधित नोडल अधिकारी मासिक आधार पर प्रत्येक चालू विद्युत परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए सुधार कार्रवाई अपेक्षित हो। अध्यक्ष सीईए नोडल अधिकारियों के साथ चालू परियोजनाओं की मासिक प्रगति की समीक्षा करता है। सीईए विकासकर्ताओं एवं अन्य अंशधारकों के साथ भी तिमाही आधार पर समीक्षा बैठक आयोजित करता है।

विद्युत क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों द्वारा अनियमितताओं के मामलों की पीपीएमपी तथा सीईए द्वारा कोई मानीटरिंग नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: अध्यक्ष जी, देश में बिजली उत्पादन और उसका वितरण संबंधी कम्पनीज के कामकाज को देखने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत परियोजना मानिटरिंग पैनल है, जिस पर करोड़ों रुपया बेकार में खर्च हो रहा है। न तो विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है और न ही लोगों को मांग के अनुरूप बिजली मिल रही है। संसद में 2003 में जो विद्युत अधिनियम बना था, बाद में उसमें संशोधन भी किया गया था। जनता का शोषण न हो सके इसलिए उस कानून में कई धाराएं जोड़ी गईं, लेकिन उस कानून का भी उपयोग इस तरह से किया जा रहा है, जिससे कम्पनीज को बहुत फायदा हो रहा है। प्राइवेट विद्युत कम्पनीज से जनता बहुत परेशान है। क्या सरकार ने बिजली उत्पादन एवं वितरण करने वाली कम्पनीज पर ध्यान रखने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत परियोजना मानिटरिंग पैनल की कोई समीक्षा की है, अगर हां तो क्या परिणाम रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, निगरानी पैनल की इतनी अधिक निंदा सही नहीं है। यह पैनल एक वर्ष से थोड़े अधिक समय से कार्यरत है और इसने आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। वह देश में विभिन्न ताप और जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का विश्लेषण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग में और मंत्रालय स्तर पर विभिन्न अन्य निगरानी तंत्र हैं। इस सबका कुल परिणाम यह है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में मोटे तौर पर 9300 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है। हमें पूरा विश्वास है कि 11वीं योजना के लगभग 78000 मेगावाट के पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। अत:, यह कहना सही नहीं है कि निगरानी पैनल ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है।

अत्यधिक हानि संबंधी माननीय सदस्य की चिंता को ध्यान में रखा जाएगा। भारत सरकार का त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम नामक एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और विभिन्न वितरण कंपनियों में कुल, तकनीकी और वाणिज्यिक हानि के वर्तमान स्तर को 34 प्रतिशत से घटाकर लगभग 15 प्रतिशत करने के लिए इस कार्यक्रम में 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अत: हमने भारी कार्य आरंभ किया है। हमें क्षमता बढ़ानी है तथा हानि कम करनी है। परंतु यह कहना उचित नहीं होगा कि निगरानी पैनल ने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि बिजली वितरण करने वाली कम्पनीज द्वारा कानून का पालन नहीं होने के कारण क्या किसी कंपनी के निदेशक को सजा दी गई है, अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, भारत में केवल दो स्थानों में विद्युत वितरण का पूर्ण निजीकरण किया गया है। एक राज्य उड़ीसा है और अन्य राज्य दिल्ली है। यह सच है कि विद्युत अधिनियम, 2003 और निजीकरण के बाद भी इन निजी वितरण कंपनियों के हानि का स्तर अब भी बहुत अधिक है। उड़ीसा के मामले में, मैं स्वयं वहां गया हूं और देखा है कि हानि 40 प्रतिशत से अधिक है जो कि अस्वीकार्य है। दिल्ली में हानि 50 प्रतिशत से अधिक हुआ करती थी परंतु यह हानि निरंतर कम हुई है और अब यह 25 से 30 प्रतिशत के बीच है। अत:, हम हानि के स्तर की निगरानी करने हेतु कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हानि के स्तर में कमी लाने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं के प्रथम बैच की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह ए.पी.डी.आर.पी. योजना देश के लगभग 1420 कस्बों और शहरों के लिए है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और हरियाणा राज्यों में परियोजनाओं के प्रथम चरण को स्वीकृति दी जा चुकी है। 884 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। हमें विश्वास है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करके 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मेरे विचार से एक अति सक्षम मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अन्यों पर टिप्पणी करने के बजाय अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। इस प्रश्न से पहले की बात को हटा दिया जाएगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, प्रश्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। यह विनियामक आयोग के कार्यकरण के बारे में नहीं है और माननीय मंत्री ने इसका उल्लेख भी नहीं किया है। यदि आप इस पर नजर डालें तो उत्तर में कहा गया है कि कार्यकरण तथा विद्युत के वितरण की निगरानी करने के लिए केंद्रीय एजेंसी है। यह उत्पादन के बारे में नहीं है। वह एटी एंड सी हानि के बारे में बोल रहे हैं। यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय: अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि उत्तर सही नहीं है क्योंकि पहला प्रश्न विनियामक आयोग के बारे में है। यह प्रश्न विनियामक आयोग के कार्यकरण के बारे में था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि मैंने प्रश्न की अनुमति दी है इसलिए आप इसके औचित्य पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।

श्री वी.पी. सिंह के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मानिक सिंह, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगली बार जब आप अध्यक्ष बनें तो अन्य ऐसा कर सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मानिक सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने देश के विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कार्य में लगी सरकारी और निजी क्षेत्रों की कंपनियों से प्रभावित स्थानीय क्षेत्रों को भी विद्युत वितरण करने का अनुबंध किया है। यदि हां, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में लगने वाली विद्युत इकाइयों से क्या स्थानीय स्तर पर विद्युत का वितरण किया जा रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको श्री वी.पी. सिंह के प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर का वह भाग हटा दिया जाएगा। आपको सिर्फ श्री मानिक सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंह, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: महोदय, माननीय सदस्य ने निजी बिजली उत्पादकों विशेषकर सिंगरौली क्षेत्र के संबंध में प्रश्न उठाया है। निजी उत्पादकों द्वारा विद्युत संयंत्र स्थापित करने के अनेक उदाहरण हैं परंतु विद्युत वितरण को स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं किया गया है। यह कतिपय पूर्व-निर्धारित पैरामीटर्स पर ग्रिड में पारेषण कर दिया जाता है।

जहां तक विद्युत के निजी उत्पादन का संबंध है, सिंगरौली के विशिष्ट उदाहरण पर मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर माननीय सदस्य को भेज दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई निजी कंपनी विद्युत संयंत्र स्थापित करती है तो ऐसा केवल जल विद्युत के मामले में होता है। हमारी जल विद्युत नीति यह है कि 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत भी गृह राज्य को मिलती है तथा एक प्रतिशत निःशुल्क विद्युत का उस स्थानीय क्षेत्र के लिए अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए जहां पर संयंत्र स्थित है।

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री मानिक सिंह को उनके सबसे पहले प्रश्न के लिए बधाई देता हूं।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, भारत सरकार में 210 मेगावाट अनाबंटित कोटे से गुजरात के कोटे को घटा दिया है जिसके परिणामस्वरूप जीएसईबी विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) या किसी अन्य निगरानी एजेंसी ने गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की मांग और पूर्ति की निगरानी की है। यदि हां, तो क्या पीपीएमपी अथवा किसी अन्य निगरानी एजेंसी ने गुजरात राज्य के सामने आने वाली बिजली की कमी की रिपोर्ट दी है और विद्युत विभाग द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्युत उत्पादन इकाइयों से राज्यों को वितरित की जाने वाली विद्युत के अनाबंटित भाग में कोई कोटा नहीं है। परिभाषा के अनुसार अनाबंटित भाग का कोई कोटा नहीं होता है। किसी केंद्रीय बिजली उत्पादन इकाई से उत्पादित विद्युत का पंद्रह प्रतिशत भाग अनाबंटित रह जाता है। जिसे केंद्र सरकार के विवेकानुसार निश्चित समयावधि में उत्पन्न विद्युत की कमी की स्थिति पर निर्भरता के अनुसार विभिन्न राज्यों को आबंटित किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से आश्वस्त कर सकता हूं कि इसमें कोई राजनीतिक सोच नहीं है। जब राज्य विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना करते हैं तो केंद्र उन राज्यों को और अधिक विद्युत आबंटित करने का निर्णय लेता है।

गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उस क्षेत्र में आते हैं जहां विद्युत की अत्यधिक कमी है। मुझे इसका पूरा विश्वास है। मैं तत्काल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दूंगा, परंतु मैं स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि 15 प्रतिशत के अनाबंटित भाग से किसी राज्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहां तक राज्य का संबंध है तो ऐसा होता है कि अनाबंटित भाग को मांग-पूर्ति की मौजूदा स्थिति के आधार पर आवंटित किया जाता है।

[हिन्दी]

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स

+
***84. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थापित किए जा रहे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स से उत्पादित होने वली विद्युत के आवंटन के लिए अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उनसे अतिरिक्त विद्युत आंवंटन का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) से विद्युत के बंटवारे हेतु किसी भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यूएमपीपी से विद्युत के बंटवारे को विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में राज्यों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर निर्धारित किया गया है। विद्युत के बंटवारे के आधार पर सासन, मूंदड़ा, कृष्णापटनम तथा तिलैया से संबंधित विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर विकासकर्ता/स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) तथा विद्युत की खरीद करने वाली संस्थाओं के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने उपर्युक्त यूएमपीपी से बंटवारे के बाद अतिरिक्त विद्युत दिए जाने का अनुरोध किया है। इस तरह अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि उपर्युक्त यूएमपीपी से उपलब्ध विद्युत का बंटवारा पहले ही किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि कुछ राज्य सरकारों के पास यूएमपीपी से बंटवारे के बाद अतिरिक्त विद्युत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस प्रकार के अनुरोध कौन-कौन सी राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं तथा इन अनुरोधों को कब तक पूरा किया जाएगा? क्या महाराष्ट्र सरकार

से किसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इसका विवरण तथा सरकार द्वारा इस अनुरोध को कब तक पूरा किया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, अब तक, चार 'अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट' (यूएमपीपी) की अनुमति दी जा चुकी है। पहला मुन्द्रा में है जो गुजरात में है। यह 4,000 मेगावाट का 'अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट' है। दूसरा सासन, मध्य प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन है। यह भी मोटे तौर पर 4,000 मेगावाट का है, यदि सही-सही कहें तो 3,960 मेगावाट का है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापत्तनम भी 4,000 मेगावाट का है और चौथा, 'एलओआई' जो हाल ही में जारी किया गया था, झारखंड के तिलैया में है, वह भी 4,000 मेगावाट का है। 'यूएमपीपी' से प्राप्त विद्युत किसी फार्मूला के अनुसार वितरित नहीं की जाती है। बल्कि यह राज्यों के साथ हुई बैठकों पर आधारित है और हम सुनिश्चित करते हैं कि यूएमपीपी से उत्पादित विद्युत में से कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादक राज्य को मिले।

माननीय सदस्या ने महाराष्ट्र के बारे में प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र में भी एक 'यूएमपीपी' प्रस्तावित है। सिन्धुदुर्ग जिले में विभिन्न स्थान प्रस्तावित किए गए हैं; उन पर गौर किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश, आपके दृष्टिकोण के अनुसार, कुछ पर्यावरणीय कारक भी हैं जिनका ध्यान रखा जाना है। जहां तक स्थान विशेष की बात है तो आंदोलन भी हुए हैं। हम अभी तक स्थान निर्धारित नहीं कर पाए हैं लेकिन यह महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले में है और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन, दोनों के साथ चल रहे पत्राचार और बातचीत के आधार पर, अंतिम यूएमपीपी मानदंड और महाराष्ट्र में स्थान आबंटन महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुद्दों के सुलझाने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अब तक देश में कितनी यूएमपीपी योजनाओं को मंजूरी दी गई है? इससे कितनी विद्युत का उत्पादन होगा तथा देश को अभी कितनी विद्युत की आवश्यकता है? क्या सरकार महाराष्ट्र में किसी प्रकार की परियोजना को प्रारम्भ करने का विचार कर रही है, यदि हां, तो इसका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैं माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। विभिन्न 'यूएमपीपी' से महाराष्ट्र को कुल आबंटन 6,300 मेगावाट है। ये पूरी तरह चालू 12वीं योजना में होंगे। जहां तक महाराष्ट्र में स्थान का प्रश्न है, सिन्धुदुर्ग जिले में स्थान का निर्धारण राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर करेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्द ही यूएमपीपी के सटीक स्थान का निर्धारण भी कर लेंगे।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं यह प्रश्न पूछने वाली माननीय सदस्या को एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूं। इन चार 'यूएमपीपी' से आबंटन के अलावा, महाराष्ट्र में दो परियोजनाएं और भी हैं जिनमें से एक मडुदा में है जो 1,000 मेगावाट की परियोजना है और दूसरी शोलापुर में है जो 1,320 मेगावाट की परियोजना है। यह एनटीपीसी से है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा है। श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे, कृपया अपना बैग हटा लीजिए।

[हिन्दी]

वहां रखने की जगह नहीं है, उसी वास्ते खराब हो जाता है।

[अनुवाद]

आपका पर्स बहुत सुन्दर है लेकिन इसे वहां मत रखिए।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: माननीय मंत्री ने पहले बताया था कि तमिलनाडु के लिए दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु में इन परियोजनाओं की क्या स्थिति है, किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा नहीं।

श्री जयराम रमेश: महोदय, तमिलनाडु में प्रस्तावित यूएमपीपी के लिए निर्धारित स्थान चेयूर है। इस स्थान की पुष्टि राज्य सरकार ने भी कर दी है। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि 'यूएमपीपी' का सही स्थान निर्धारित नहीं हो सका था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब राज्य सरकार ने सही स्थान के रूप में चेयूर की पहचान कर ली है। चेयूर में 'यूएमपीपी' और परमलकेनी में पत्तन, जो चेयूर के निकट है, दोनों स्थानों की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है।

श्री रूपचंद पाल: क्या यह सच नहीं है कि विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के एनटीपीसी जैसे उपक्रम द्वारा बोली प्रक्रिया में समान अवसर देने संबंधी दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने के लिए बार-बार अपील किए जाने के बावजूद अब तक जारी दिशा-निर्देशों और 'सीवीसी' के कारण वे बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते।

श्री जयराम रमेशः महोदय, यह सत्य है कि झारखंड के तिलैया में नवीनतम 'यूएमपीपी' की बोली में एक निजी कंपनी ने जिसे संविदा मिली, 1.77 रुपए प्रति यूनिट की दर का प्रस्ताव किया था। अगले न्यूनतम बोलीदाता, 'एनटीपीसी' ने 2.34 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार, यह सत्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों, यथा 'एनटीपीसी' ने निजी कंपनियों की तुलना में उच्चतर मूल्यों का प्रस्ताव किया है? लेकिन, इसके साथ ही, ऐसी अनेक निजी कंपनियां भी थी जिन्होंने 'एनटीपीसी' की तुलना में उच्चतर मूल्यों का प्रस्ताव किया है। तथापि, हम उस बात के प्रति अति संवेदनशील हैं जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। किसी भी अवस्था में 'एनटीपीसी' जैसी कंपनियों को शुल्क आधारित परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में अक्षम नहीं किया जाना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को होने वाले नुकसान, चाहे वह 'सीवीसी' के दिशा-निर्देशों के कारण हो अथवा प्रापण दिशा-निर्देशों के कारण अथवा अन्य किन्हीं कारणों से हो, उसे समाप्त किया जा सके। हम उन कारणों की जांच कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शुल्क अधिक क्यों है। यदि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह हस्तक्षेप अवश्य हो।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार की नीति का संबंध है, मार्च 2011 तक भारत में सभी विद्युत परियोजनाएं, चाहे वे निजी हों अथवा सार्वजनिक हों, शुल्क-आधारित प्रतियोगी बोली के आधार पर प्रदान की जाएंगी। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं को दूर करना आवश्यक है। मैं इस बात से सहमत होने वाला प्रथम व्यक्ति हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सामने कुछ समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री हंसराज गं. अहीर। वे मेरे पसंदीदा संसद सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीरः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने महाराष्ट्र में महादा प्रोजैक्ट मेगा पावर प्रोजैक्ट के रूप में बनाने की घोषणा की थी जब केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार गठित की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इसे निजी क्षेत्र को दिया गया है और केन्द्र सरकार ने इससे अपना पल्ला झाड़ा है? माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि इसका निजी क्षेत्र में निर्माण क्यों किया जा रहा है? यहां मंत्री जी कहते हैं कि जिन राज्यों से बिजली की मांग की गई है, उनके अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यों में बिजली की कमी हैं, अगर उन राज्यों को आप बिजली नहीं दे पाते हैं तो क्या उन राज्यों को बाहरी देशों से बिजली मंगाने की अनुमति देंगे ताकि अपने राज्यों में बिजली की आपूर्ति पूरी कर सकें।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेशः महोदय, सर्वप्रथम मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि 1,000 मेगावाट की मोडा परियोजना निजी क्षेत्र में है। वस्तुतः, इसका निर्माण 'एनटीपीसी' द्वारा किया जा रहा है जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसका शिलान्यास माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री द्वारा परसों किया जाएगा। अतः, यह सत्य नहीं है कि मोडा परियोजना निजी क्षेत्र को सौंप दी गई है।

जहां तक इस बड़े मुद्दे का संबंध है कि राज्यों में विद्युत घाटे को कैसे कम किया जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं नहीं समझता कि हमारे पास इसकी गहराई में जाने का समय है सिवाय इसके कि आज हम भूटान से विद्युत आयात कर रहे हैं। हम भूटान से लगभग 1400 मेगावाट विद्युत आयात कर रहे हैं। वर्ष 2020 तक हमें 5000 मेगावाट विद्युत आयात की आवश्यकता पड़ सकती है। हम नेपाल में परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। हम नेपाल से विद्युत आयात करेंगे। हमने म्यांमार के साथ लगभग 2,500 मेगावाट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका अर्थ है कि जब भी इसे विकसित किया जाएगा, भारत को विद्युत निर्यात की जाएगी। इसलिए, हम यह सुनिश्चित करने का प्रबंध कर रहे हैं कि हम जल विद्युत संसाधनों में समृद्ध देशों से आयात करके घरेलू विद्युत आवश्यकता पूरी कर सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

***85. श्री के. फ्रांसिस जार्जः क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के अनुरूप खर्च में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य के और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विद्यमान मानदण्डों को पुनःनिर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पौधरोपण क्षेत्र में पुनः पौधरोपण तथा उसके पुनरुज्जीवन कार्य को शामिल करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को लागू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। एनआरईजीए के अंतर्गत शुरू किए जा सकने वाले कार्य इस अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 1 में प्राथमिकता क्रम में सूचीबद्ध किए जाते हैं और वे इस प्रकार हैं:

(i) जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण;

(ii) सूखारोधन (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षरोपण शामिल है);

(iii) सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य शामिल हैं;

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए या भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रावधान;

(v) पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों की गाद निकालना शामिल है;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण तथा संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों से जल निकासी शामिल है;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच वाली ग्रामीण सड़क संपर्कता; और

(ix) कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

उप-पैरा (iv), जैसा कि ऊपर दिया गया है, दिनांक 6.3.2007 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है और संशोधित प्रावधान इस प्रकार है:

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से संबंधित परिवारों द्वारा अधिगृहीत जमीन में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराना, बागवानी, पौधरोपण और भूमि विकास सुविधाएं"।

अनुमेय कार्यों की उपर्युक्त सूची को सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) जैसा कि प्रश्न के पैरा (क) और (ख) के उत्तर में ऊपर दर्शाए गए उप-पैरा (ii) और संशोधित उप-पैरा (iv) में दर्शाया गया है, पौधरोपण एनआरईजीए के अंतर्गत अनुमेय क्रियाकलाप है। इसमें पुनः पौधरोपण और पुनरुत्थान कार्य शामिल है।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्जः महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि पादप रोपण कार्य विशेषकर पुनः पौध- रोपण और पुनरुत्थान कार्य को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जा सकता है। परंतु देश के अनेक भागों में 100 दिन का काम मिलना भी मुश्किल हो गया है।

वास्तव में, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसान और उसके परिवार द्वारा छोटे और सीमांत खेतों में किए जा रहे कार्यों को सम्मिलित करने पर विचार करेगी ताकि हम विशेषकर ऐसे समय में और अधिक रोजगार और निवेश के अवसर उत्पन्न कर सकें जब हम देश में अधिक आर्थिक तेजी चाहते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या छोटे खेतों में किए जाने वाले कार्यों को भी एनआरईजीए कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमति दी जा सकेगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आई.ए.वाई. बैनिफिशयरीज के खेतों में काम करने का प्रावधान है लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि अन्य किसान को या फर्म को सब्सिडाईज्ड किया जाय। मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि उस पर अभी तक हमने विचार नहीं किया है।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्जः महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है और इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी हुआ है। परंतु वास्तविकता यह है कि कई स्थानों पर रोजगार चाहने वाले कर्मकारों को अपने अधिकारों के हनन, काम की कमी, मजदूरी के भुगतान में विलंब, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने, कार्यस्थल पर

सुविधाओं के अभाव आदि जैसी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अब, सरकार ने बैंकों के माध्यम से भुगतान आरंभ किया है। ज्ञात हुआ है कि बैंक, विशेषकर राष्ट्रीय बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या का समाधान करे और भुगतान प्रक्रिया को सुरक्षित तथा आसान बनाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बैंकों को पर्याप्त निदेश देगी और क्या सरकार बायो-मीट्रिक कार्ड भी शुरू करेगी ताकि बिचौलियों द्वारा इन साधारण कर्मकारों के साथ कोई धोखाधड़ी न की जाए।

अध्यक्ष महोदयः आपने अपना प्रश्न इतने समय में रखा है कि उत्तर देने के लिए समय ही नहीं बचा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी तक कुल 6 करोड़ 15 लाख के खाते बैंकों और पोस्ट आफिसेज में खोले गये हैं जिनमें आधे बैंकों में और आधे पोस्ट आफिसेज में हैं। अगर कहीं समस्यायें आती हैं तो हमारी माहवारी एक बैठक बैंकों और पोस्ट आफिसेज के साथ होती है। अगर किसी राज्य या गांव स्तर पर कहीं कोई कमी है तो हम उन्हें दुरुस्त करेंगे।

महोदय, राज्य में नीचे कहीं गांव स्तर पर कोई कमियां हैं तो हम उन्हें दुरुस्त करेंगे। महोदय, बहुत ही वर्ल्ड लारजेस्ट फाइनेंशियल इन्क्लूजन हुआ है। गरीबों को पैसे मिल रहे हैं, बारगेनिंग कैपेसिटी में बढ़ोत्तरी हुई है, मिनिमम वेजेज में भी बढ़ोत्तरी हुई है। महोदय, माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि यह सफलता की ओर जा रहा है। महोदय, जहां कहीं पर भी शार्ट कमिंग्स हैं, उनको हम कुछ महीनों में दूर कर पायेंगे।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कार्य

***86. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटीलः**
श्रीमती मेनका गांधीः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य कुछ राज्यों में अब तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों में और विलम्ब किए बिना कार्य शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या देश में अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत 27 राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत इन राज्यों में अद्यतन 558 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और 558 परियोजनाओं में से 438 परियोजनाओं को कार्य सौंप दिया गया है। इन 438 परियोजनाओं में निष्पादन कार्य शुरू हो चुका है। शेष 120 परियोजनाओं को सौंपने के लिए निष्पादन-पूर्व गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी मानीटरिंग कमेटी, जिसमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा कर रही है। इसके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन समय-समय पर प्रगति की समीक्षा कर रही है। शेष 120 परियोजनाओं को सौंपने के लिए निष्पादन पूर्व गतिविभियां शुरू हो चुकी हैं।

(घ) और (ङ) आरजीजीवीवाई में लगभग 1.15 लाख अविद्युताकृत गांवों के विद्युतीकरण, 2.34 करोड़ बीपीएल घरों को विद्युत कनैक्शन प्रदान करने और 2009 तक सभी ग्रामीण घरों में विद्युत उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

(31.01.2009 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	10वीं योजना के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव	11वीं योजना के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव	अब तक स्वीकृत कुल प्रस्ताव	सौंपी गई परियोजनाओं की संख्या	अभी सौंपे जाने वाली परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17	9	26	24	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	14	16	12	4
3.	असम	3	20	23	9	14
4.	बिहार	26	17	43	30	13
5.	छत्तीसगढ़	3	10	13	10	3
6.	गुजरात	3	22	25	13	12
7.	हरियाणा	4	14	18	16	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11	12	1	11
9.	जम्मू-कश्मीर	3	11	14	7	7
10.	झारखंड	13	9	22	22	0
11.	कर्नाटक	17	7	24	21	3
12.	केरल	1	0	1	1	0
13.	मध्य प्रदेश	8	21	29	13	16
14.	महाराष्ट्र	4	30	34	28	6
15.	मणिपुर	2	2	4	4	0
16.	मेघालय	2	5	7	3	4
17.	मिजोरम	2	6	8	8	0
18.	नागालैंड	2	9	11	8	3
19.	उड़ीसा	4	27	31	30	1
20.	पंजाब	0	17	17	17	0
21.	राजस्थान	25	16	41	39	2
22.	सिक्किम	2	2	4	0	4
23.	तमिलनाडु	0	26	26	26	0

1	2	3	4	5	6	7
24.	त्रिपुरा	1	3	4	1	3
25.	उत्तर प्रदेश	64	0	64	64	0
26.	उत्तराखंड	13	0	13	13	0
27.	पश्चिम बंगाल	13	15	28	18	10
	कुल	235	323	558	438	120

राज्य विद्युत बोर्डों को वाणिज्यिक घाटा

*87. **श्री निखिल कुमार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक राज्य विद्युत बोर्डों को वाणिज्यिक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को हुए घाटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई कार्य समूह गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां, पिछले कुछ वर्षों से पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) राज्य स्तरीय विद्युत संस्थाओं [राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी)/असंगठित संस्थाओं/विद्युत विभागों] तथा सुधार उपायों के परिणामस्वरूप सृजित निजी वितरण कंपनियों के निष्पादन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। राज्य विद्युत संस्थाओं के वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि के निष्पादन को शामिल करते हुए पीएफसी ने 5वीं रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार होने वाली हानियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। सूचना की गणना (अंकेक्षित, अनंतिम वार्षिक लेखें/वार्षिक संसाधन योजनाओं) हेतु आंकड़ों के स्रोत विवरण-II में संलग्न हैं। एसईबी/विद्युत संस्थाओं को होने वाली वाणिज्यिक हानियों के कुछ प्रमुख कारण हैं- प्रणाली से होने वाली उच्च समेकित तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां तथा एक निश्चित श्रेणी के उपभोक्ताओं जैसे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और कृषि उपभोक्ताओं के मामले में आपूर्ति की औसत लागत से बिक्री की गई विद्युत पर औसत राजस्व की कम वसूली हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। एसईबी/विद्युत संस्थाएं जिन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है, संबंधित राज्य सरकारों तथा विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथापि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 में यह व्यवस्था की गई है कि टैरिफ का विनियमन इस अधिनियम द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा, इसके साथ-साथ इस व्यवस्था में दक्षता सुधार तथा क्रास सब्सिडी में कमी को भी शामिल किया गया है।

(2) चोरी ऊंची एटी एंड सी हानियों का प्रमुख कारणों में से एक है। विद्युत की चोरी से निपटने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में दिए गए प्रावधानों को आगे विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा और अधिक सशक्त बनाया गया है। इस संशोधन के अनुसार विद्युत चोरी को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है।

(3) फीडर्स की मीटरिंग तथा उपभोक्ताओं को आपूर्ति पर जोर दिया जा रहा है जिसके लिए ऊर्जा का लेखा रखकर लेखा परीक्षण किया जा रहा है ताकि ऊंची हानियों की पहचान कर उसके सुधार हेतु उपाय किए जा सकें।

(4) केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर ग्यारहवीं योजना के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को मंजूरी दी जा चुकी है। इस कार्यक्रम में दीर्घकालिक हानियों में निरंतर कमी के वास्तविक प्रदर्शन योग्य निष्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण I

राज्य विद्युत बोर्डों का वाणिज्यिक घाटा

राज्य-वार लाभ और हानि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	राज्य	2004-05 कर (प्रोदभवन/देय आधार पर) के बाद लाभ/हानि	2005-06 कर (प्रोदभवन/देय आधार पर) के बाद लाभ/हानि	2006-07 कर (प्रोदभवन/देय आधार पर) के बाद लाभ/हानि
1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	(54)	(429)	(855)
	झारखंड	(352)	(588)	63
	उड़ीसा	265	23	300
	सिक्किम	(21)	(26)	(26)
	पश्चिम बंगाल	(275)	(234)	(3,725)
कुल पूर्वी क्षेत्र		(437)	(1,255)	(4,243)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	(96)	(101)	(111)
	असम	(1,011)	(140)	(251)
	मणिपुर	(131)	(243)	(285)
	मेघालय	2	(41)	(94)
	मिजोरम	(72)	(40)	(71)
	नागालैंड	(84)	(40)	(92)
	त्रिपुरा	(70)	9	27
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र		(1,461)	(643)	(877)
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	(812)	341	384
	हरियाणा	(454)	(433)	(345)
	हिमाचल प्रदेश	(37)	20	2
	जम्मू-कश्मीर	(1,080)	(1,421)	(1,228)
	पंजाब	(3,834)	13	(1,626)
	राजस्थान्	(0)	0	0

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	(3,161)	(3,277)	(4,637)
	उत्तराखंड	(191)	(230)	(352)
कुल उत्तरी क्षेत्र		(9,569)	(4,986)	(7,802)
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	109	358	261
	कर्नाटक	462	400	436
	केरल	104	101	217
	पुडुचेरी	63	39	38
	तमिलनाडु	(1,177)	(1,329)	(1,896)
कुल दक्षिणी क्षेत्र		(439)	(430)	(943)
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	135	402	437
	गोवा	146	144	125
	गुजरात	(916)	203	220
	मध्य प्रदेश	1,244	(592)	(981)
	महाराष्ट्र	(768)	(173)	269
कुल पश्चिमी क्षेत्र		(158)	(16)	70
सकल योग		(12,065)	(7,331)	(13,796)

नोट: () में दर्शाए गए आंकड़े हानि को दर्शाते हैं।

विवरण II

राज्य विद्युत बोर्डों का वाणिज्यिक घाटा

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान वार्षिक लेखा की स्थिति

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	पी	पी	पी
	झारखंड	जेएसईबी	पी	पी	आरपी
	उड़ीसा	जीआरआईडीसीओ	ए	ए	ए
		ओपीटीसीएल	नई इकाई	ए	ए

1	2	3	4	5	6
		एनईएससीओ	पी	पी	पी
		ओएचपीसी	ए	ए	ए
		ओपीजीसीएल	ए	ए	पी
		एसईएससीओ	पी	पी	पी
		सीईएससीओ	पी	पी	पी
		डब्ल्यूईएससीओ	पी	पी	पी
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	आरपी	आरपी	आरपी
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	ए	ए	ए
		डब्ल्यूबीएसईबी	ए	ए	पी
पूर्वोत्तर	असम	एएसईबी (1.4.2005 से असंगठित और ट्रेडिंग कंपनी के रूप में कार्यरत)	ए	ए	पी
		एपीजीसीएल	नई इकाई	ए	ए
		एईजीसीएल		ए	पी
		यूएईडीसीएल		ए	पी
		एलएईडीसीएल		ए	पी
		सीएईडीसीएल		ए	पी
	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	आरपी	आरपी	आरपी
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	आरपी	आरपी	आरपी
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	आरपी	आरपी	आरपी
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	आरपी	आरपी	आरपी
	त्रिपुरा	त्रिपुरा	आरपी	आरपी	आरपी
	मेघालय	एमईएसईबी	ए	ए	पी
उत्तरी	दिल्ली	दिल्ली ट्रांस्को	ए	ए	ए
		इंद्रप्रस्थ	ए	ए	ए
		एनडीपीएल	ए	ए	ए
		बीएसईएस राजधानी	ए	ए	ए

1	2	3	4	5	6
		बीएसईएस यमुना	ए	ए	ए
		प्रगति	ए	ए	ए
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	ए	ए	पी
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	ए	ए	पी
		एचपीजीसीएल	ए	पी	पी
		एचवीपीएलएल	ए	ए	पी
		यूएचबीवीएनएल	ए	ए	ए
	जम्मू-कश्मीर	जे एण्ड के पीडीसीएल	पी	पी	पी
		जे एण्ड के पीडीडी	आरपी	आरपी	आरपी
	पंजाब	पीएसईबी	ए	ए	ए
	राजस्थान	एवीवीएनएल	ए	ए	ए
		जेडीवीवीएनएल	ए	ए	ए
		आरआरवीपीएनएल	ए	ए	ए
		आरआरवीयूएनएल	ए	ए	ए
	उत्तर प्रदेश	यूपीजेवीएनएल	ए	पी	पी
		यूपीपीसीएल	ए	ए	पी
		यूपीआरवीयूएनएल	ए	ए	ए
		एमवीवीएनएल	पी	पी	पी
		पूर्व वीवीएनएल	पी	पी	पी
		पश्चिम वीवीएनएल	पी	पी	पी
		डीवीवीएनएल	पी	पी	पी
		केस्को	पी	पी	पी
	उत्तरांचल	यूटीपीसीएल	पी	पी	पी
		यूटी ट्रांस्को	पी	पी	पी
		यूजीवीएनएल	पी	पी	पी
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	ए	ए	ए
		एपीईपीडीसीएल	ए	ए	ए

1	2	3	4	5	6
		एपीजीईएनसीओ	ए	ए	ए
		एपीएनपीडीसीएल	ए	ए	ए
		एपीएसपीडीसीएल	ए	ए	ए
		एपीटीआरएएनएससीओ	ए	ए	ए
	कर्नाटक	बेसकोम	ए	ए	ए
		जेसकोम	ए	ए	ए
		हेसकोम	ए	ए	ए
		केपीसीएल	ए	ए	ए
		केपीटीसीएल	ए	ए	ए
		मेसकोम	ए	ए	ए
		वीवीएनएल	ए	ए	1.4.2006 से केपीसीएल में सम्मिलित
		चामुंदेश्वरी डिस्काम	नई इकाई	ए	ए
	केरल	केएसईबी	ए	ए	पी
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	आरपी	आरपी	आरपी
		पुडुचेरी पीसीएल	आरपी	आरपी	आरपी
	तमिलनाडु	टीएनईबी	ए	ए	पी
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	पी	पी	पी
	गोवा	गोवा पीडी	आरपी	आरपी	आरपी
	गुजरात	जीईबी	ए	–	1.4.2005 से असंगठित
		पीजीवीसीएल	नई इकाई	ए	पी
		डीजीवीसीएल		ए	ए
		एमजीवीसीएल		ए	ए
		यूजीवीसीएल		ए	ए
		गेटको		ए	ए
		जीएसईसीएल	ए	ए	ए

1	2	3	4	5	6
		जीयूवीएनएल		ए	ए
	मध्य प्रदेश	एमपीएसईबी	ए	पी(2 महीनों के लिए)	1.6.2005 से असंगठित
		एमपीपीटीसीएल	नई इकाई	ए	ए
		एम.पी. पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल		ए	ए
		एम.पी. पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल		ए	पी
		एम.पी. मध्य क्षेत्र वीवीसीएल		ए	ए
		एमपीजीसीएल		ए	ए
	महाराष्ट्र	एमएसईबी	ए	पी(2 महीनों के लिए)	6.6.2006 से असंगठित
		एमएसपीटीसीएल	नई इकाई	ए	ए
		एमएसईडीसीएल		ए	ए
		एमएसपीजीसीएल		ए	ए

नोट: ए:अंकेक्षित, पी: अनंतिम, आर.पी. योजना आयोग वार्षिक संसाधन योजना

कम्पनियों का निरीक्षण

***88. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनियमितताओं में लिप्त पाई गई कम्पनियों का निरीक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत पांच वर्षों के दौरान शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनका निरीक्षण किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा निवेशकों के विरुद्ध कम्पनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी/अनियमितता पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए कानूनों में किए गए किसी संशोधन सहित क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के गैर-अनुपालन या उल्लंघन तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में शिकायत या सचना के माध्यम से चयनित कम्पनियों की लेखा बहियों की जांच के आदेश देती है। जांच रिपोर्टों के आधार पर किसी कम्पनी के संबंध में कम्पनी अधिनियम के गैर अनुपालन/उल्लंघन की सूचना मिलने पर कानून के अंतर्गत यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) दिनांक 1.4.2003 से 31.1.2009 तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर 263 कम्पनियों का निरीक्षण किया गया। इन कम्पनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कम्पनी के कार्यों के बारे में सत्यता की जानकारी देने के इरादे से कम्पनी के कार्यों का प्रकटीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अनिवार्य होगा। कम्पनी द्वारा ऐसे प्रकटीकरण को सहायता देने के लिए तथा पणधारकों, नियामक एजेंसियों द्वारा उनकी आसान उपलब्धता एवं अवलोकन के लिए सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से चौबीसों घंटे कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का गठन किया है। सरकार के पास कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत कम्पनी के बही खातों का निरीक्षण करने एवं जरूरत पड़ने पर उसके कार्यों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में लेखाओं की लेखापरीक्षा करने एवं शेयरधारकों को रिपोर्ट देने के लिए स्वतंत्र, सांविधिक

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसे लेखापरीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक रूप से देखे जाने के लिए इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री में रखा जाएगा, जबकि रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत विनियमित होती हैं, लेखापरीक्षकों का आचरण चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित होता है। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए इन सांविधिक अपेक्षाओं को प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव जो कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत विनियमित होते हैं, के द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना अपेक्षित होगा। सरकार ने वर्ष 2006 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 तथा कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन किया है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कम्पनी सचिवों द्वारा किए गए गलत आचरण के मामलों के लिए अत्यधिक प्रभावी अनुशासनात्मक प्रणाली का प्रावधान है। वर्ष 2006 में सरकार ने कम्पनियों के लेखाओं का आकलन एवं प्रकटीकरण उचित, पारदर्शी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर किए जाने के लिए लेखामानकों को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के विस्तृत पुनरीक्षण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी द्वारा अनियमितताओं/धोखाधड़ी के विरुद्ध अधिक प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा, के लिए कम्पनी विधेयक, 2008 को भी लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया।

विवरण

उन कंपनियों के नाम जिनका निरीक्षण दिनांक 1.4.2003 से 31.1.2009 तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर किया गया

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	वीनस सीमेंट्स लिमिटेड
2.	भारत फ्यूल कंपनी लिमिटेड
3.	एसआर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
4.	मैजिस्टिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
5.	श्रीनिक कमर्शियल कं. लिमिटेड
6.	दीप स्पेशल स्टोल्स लिमिटेड
7.	आशियाना एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
8.	श्रुति सिन्थेटिक्स लिमिटेड
9.	[illegible] लिमिटेड
10.	काशी इस्पात प्रा. लिमिटेड
11.	विश्वकर्मा सीमेन्ट्स लिमिटेड
12.	श्रमन वुलन मिल्स लिमिटेड
13.	अरिहन्त थ्रेड्स लिमिटेड
14.	बैन्सवैर सिन्टेक्स लिमिटेड
15.	विशिष्ट चै व्यापार लिमिटेड
16.	डुकग्रेफन इंडिया लिमिटेड
17.	मल्टीमेटल्स लिमिटेड
18.	यूपी डिजिटल्स लिमिटेड
19.	मैजिस्टिक सिक्यूरिटीज लिमिटेड
20.	श्री राजस्थान सिन्टेक्स लिमिटेड
21.	मेस्को फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
22.	बनारस बीड्स लिमिटेड
23.	मार्डन सिन्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड
24.	डेल्टा कोलोनाइजर्स लिमिटेड
25.	मोरपेन लेबोरेट्रीज लिमिटेड
26.	वर्शाटाइल्स प्लानटेन्स लिमिटेड
27.	वर्धमान इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
28.	मोडेला निटवेयर लिमिटेड
29.	अशोका पालीफेब्रिक्स प्रा. लिमिटेड
30.	मार्डन डेनिम लिमिटेड
31.	स्टेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
32.	क्लासिक शूज प्रा. लिमिटेड
33.	स्टैण्डर्ड अपार्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड
34.	राजगाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
35.	राजस्थान ब्रीवरीज लिमिटेड
36.	कांसेंट्स मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड

1	2
37.	अरिहन्त इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
38.	थापर स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
39.	अरिहन्त कारपोरेशन लिमिटेड
40.	एस्कार्ट्स फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग प्रा. लिमिटेड
41.	श्री सीमेंट्स लिमिटेड
42.	सेल्फरिज आटोमोबाइल लीजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
43.	साइमोह आटो लिंक्स लिमिटेड
44.	हरि पर्वत मेरी लैण्ड एण्ड रिजोर्ट्स लिमिटेड
45.	रेमेब लैब्स लिमिटेड
46.	आटोपाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
47.	एस्कार्ट्स लिमिटेड
48.	जेसीटी लिमिटेड
49.	ड्रेगन फिशरीज लिमिटेड
50.	मोहन मिकिन लिमिटेड
51.	भूषण स्टील एण्ड स्ट्रीप्स लिमिटेड
52.	रेबैन सन आप्टिक्स इंडिया लिमिटेड
53.	मार्डन टेरी टावेल लिमिटेड
54.	मार्डन थ्रेड्स (इंडिया) लिमिटेड
55.	राजेन्द्रा जिमखाना एण्ड महिन्द्रा क्लब लिमिटेड
56.	मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड
57.	अरबन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड
58.	ईटीआई ट्रैवेल एण्ड टेक्नोलोजीज प्रा. लिमिटेड
59.	एस्कार्ट्स फाइनेंस लिमिटेड
60.	सन सिटी प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड
61.	कल्याणी फाइनेंस लिमिटेड
62.	सागर एडूटेक प्रा. लिमिटेड
63.	डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
64.	एसआरजी इन्फोटेक लिमिटेड
65.	नुमेटिक ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड
66.	मैजिस्टिक मेटेलिक्स लिमिटेड
67.	एनआईआईटी लिमिटेड
68.	डाक्टर मोरपेन लिमिटेड
69.	हरप्रसाद कंपनी प्रा. लिमिटेड
70.	साउथ डेल्ही क्लब लिमिटेड
71.	डीसीएम लिमिटेड
72.	एसोशिएटेड केमिकल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
73.	बस्ती शुगर मिल्स लिमिटेड (आरवीडी)
74.	गोविन्द शुगर मिल्स लिमिटेड (आरवीडी)
75.	अहलूवालिया कान्ट्रेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
76.	पिट्रूनिया फाइनेंस सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
77.	निकेतन ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड
78.	शकुन इंटरप्राइसेज प्रा. लिमिटेड
79.	क्रास ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड
80.	केएमजी मिल्क फूड्स लिमिटेड
81.	रेडिको खेतान लिमिटेड
82.	यू.पी. लेमीनेटर्स प्रा. लिमिटेड
83.	केशव फूड्स लिमिटेड
84.	अमृत एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
85.	कैलास मोटर्स फाईनेंस प्रा. लिमिटेड
86.	मिडिल ईस्ट एस्टेट बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड
87.	कमर्शियल आटोमोबाइल्स प्रा. लिमिटेड
88.	जयप्रकाश एसोशिएट्स लिमिटेड
89.	कैलाश मोटर्स प्रा. लिमिटेड
90.	कमर्शियल इंजीनियर्स एण्ड बाडीबिल्डर्स प्रा. लिमिटेड

1	2
91.	रैकिट बैन्सकिसर इंडिया लिमिटेड
92.	यू.जी. होटल्स एण्ड रिजोर्ट्स लिमिटेड
93.	एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड (शिवालिक ग्लोबल लि.)
94.	कैलाश रबर कंपनी लिमिटेड
95.	नागार्जुना फाइनेंस लिमिटेड
96.	स्पैक्ट्रम पावर जेनेरेशन लिमिटेड
97.	श्रुति आयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
98.	जम्बो बैग लिमिटेड
99.	त्रिचुर हार्ट हास्पिटल लिमिटेड
100.	परम फाइनेंस एण्ड सिक्यूरिटीज लिमिटेड
101.	स्वधर्म स्वराज्य संघ
102.	द कोचीन मालाबार एस्टेट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
103.	पेंटाफोर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
104.	द पेंटाफोर सुलाम टेक्नोलोजीज लिमिटेड
105.	अरूधरा पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड
106.	द ननसच टी स्टेट्स लिमिटेड
107.	पायोनियर बेक हाउस प्रा. लिमिटेड
108.	अनुपमा हेम्स प्रा. लिमिटेड
109.	नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
110.	आटोमोबाइल एसोशिएशन आफ सदर्न इंडिया
111.	एसीआई लिमिटेड
112.	टीकटेक्स प्रोसेसिंग कामप्लेक्स लिमिटेड
113.	द मदुरा हिन्दू पर्मनेंट फंड लिमिटेड
114.	किरलोस्कर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड
115.	इलेक्ट्रेक्स (इंडिया) लिमिटेड
116.	एनईपीसी इंडिया लिमिटेड
117.	अटकमड क्लब
118.	अल-अमीन इंटरनेशनल लिमिटेड
119.	प्रसाद प्रोडक्शन्स लिमिटेड
120.	एस एण्ड एस इण्डस्ट्रीज एण्ड इंटरप्राइजेज लिमिटेड
121.	कुम्भकोणम म्युच्युअल बेनीफिट फंड लिमिटेड
122.	रेमाउण्ड कोमोडिटीज प्रा. लिमिटेड
123.	हैदराबाद रेस क्लब
124.	एस.एस. ओरगेनिक्स लिमिटेड
125.	मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
126.	तमिलनाडु विश्वकर्मा म्युच्युअल बेनीफिट फंड लिमिटेड
127.	साग्ग आर आर इन्फ्रा लिमिटेड
128.	यशस्वी लिमिटेड
129.	मेगासिटी (बंगलौर) डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स लिमिटेड
130.	जे आर फूड्स लिमिटेड
131.	इमेक्स इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
132.	गोल्डेन कारपेट्स लिमिटेड
133.	अर्चना साफ्टवेयर लिमिटेड
134.	नार्थ मद्रास बेनीफिट फंड लिमिटेड
135.	कलाभवन स्टूडियोज लिमिटेड
136.	सेन्ट्रल त्रावनकोर स्पेशलिस्ट्स हास्पिटल्स लिमिटेड
137.	एसडीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
138.	फर्स्ट कोमोडिटीज एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड
139.	सोमाथीरम आयुर्वेदिक बीच रिजोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
140.	कुमार म्युच्युअल फंड लिमिटेड
141.	नवरत्न बिजनेस डेवलपर्स लिमिटेड
142.	एसडब्ल्यूपी मद्रास लिमिटेड
143.	आईजीजीआई रिजोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड
144.	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड

1	2
145.	मैक्सवर्थ कन्टरी (आई) लिमिटेड
146.	लीडर साफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड
147.	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड
148.	सुजारा यूनीवर्सल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
149.	मांड फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
150.	पालमोर एग्रो कामप्लेक्स लिमिटेड
151.	सीडीआर हैल्थ केयर लिमिटेड
152.	फोर्थ जेनेरेशन सिस्टम्स लिमिटेड
153.	टेरी गोल्ड (इंडिया) लिमिटेड
154.	लिफिन इंडिया लिमिटेड
155.	सूर्यज्योति स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
156.	सफायर ग्लोबल मेडीकेयर लिमिटेड
157.	ईमंड काम टेक्नोलोजीस लिमिटेड
158.	कन्ट्री क्लब (इंडिया) लिमिटेड
159.	किरण कृष्णा एग्रो टेक लिमिटेड
160.	किरण कृष्णा रियल एस्टेट्स एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्रा. लिमिटेड
161.	जी.पी.आर. हाउसिंग लिमिटेड
162.	हर्षा लिफिन कमर्शियल लिमिटेड
163.	मैसर्स फियट इंडिया प्रा. लिमिटेड
164.	मैसर्स पीसीआई केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
165.	मैसर्स लोयड्स फाइनेंस लिमिटेड
166.	मैसर्स जीजी आटोमोटिव गियर्स लिमिटेड
167.	मैसर्स ज्योति ट्रेडंग सिस्टम्स लिमिटेड
168.	मैसर्स सस्वाद माली शुगर फैक्ट्री लिमिटेड
169.	मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड
170.	मैसर्स इन्डोकान इंजी. सिस्टम्स लिमिटेड

1	2
171.	मैसर्स स्वीफ्ट फिनलीज (इंडिया) लिमिटेड
172.	मैसर्स होम ट्रेड वन लिमिटेड
173.	मैसर्स होम ट्रेड लिमिटेड
174.	मैसर्स बाम्बे आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड
175.	मैसर्स नेशनल बोर्ड आफ ट्रेड लिमिटेड
176.	मैसर्स होम ट्रेड मार्केटिंग लिमिटेड
177.	मैसर्स शेसा गोवा लिमिटेड
178.	मैसर्स शेसा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
179.	मैसर्स वल्लभ रिफैक्ट्रीज सेरामिक्स लिमिटेड
180.	मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड
181.	मैसर्स रिलायंस कान्सोलिडेटेड इंटरप्राइसेज प्रा. लिमिटेड
182.	मैसर्स कुदरत लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड
183.	मैसर्स ट्वीन रोजेस ट्रेड्स एण्ड एजेंसीज लिमिटेड
184.	मैसर्स गन्ना ग्लास टेक. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
185.	मैसर्स हिन्दुस्तान सिस्टम्स एम्ड कन्सल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड
186.	मैसर्स इंडो बायोटेक फूड्स लिमिटेड
187.	मैसर्स गुड वैल्यू मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड
188.	मैसर्स लोयर्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
189.	मैसर्स इन्टीग्रेटेड अम्यूजमेंट लिमिटेड
190.	मैसर्स ईसीबार्स लिमिटेड
191.	मैसर्स इंडो बायोटेक हर्बल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
192.	मैसर्स ब्लासम ब्रीवरीज लिमिटेड
193.	मैसर्स सन अर्थ सेरामिक्स लिमिटेड
194.	मैसर्स मफतलाल फाइनेंस लिमिटेड
195.	मैसर्स जे.एफ. लैबोरेट्रीज लिमिटेड
196.	मैसर्स सनस्टार साफ्टवेयर सिस्टम लिमिटेड
197.	मैसर्स ब्लू इन्फारमेशन टेक्नोलाजी लिमिटेड

1	2
198.	मैसर्स फार ईस्ट लैबोरेट्रीज लिमिटेड
199.	मैसर्स गुजरात कनकास्ट लिमिटेड
200.	मैसर्स गुजरात फन एण्ड वाटर पार्क लिमिटेड
201.	मैसर्स इंटरनेशनल काम्पटेक इंजी. सर्विसेज लिमिटेड
202.	मैसर्स अल्पिक फाइनेंस लिमिटेड
203.	मैसर्स एनराय फाइनेंस लिमिटेड
204.	मैसर्स गोल्ड मल्टीफैब लिमिटेड
205.	मैसर्स स्टरलिंग बायोटेक लिमिटेड
206.	मैसर्स फास्ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स सर्विसेज एण्ड कमर्शियल एडवाइजर्स लिमिटेड
207.	मैसर्स नेक्सस साफ्टवेयर लिमिटेड
208.	मैसर्स डायनामेटिक फारजिंग्स इंडिया लिमिटेड
209.	मैसर्स कनेल आयल एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड
210.	मैसर्स जयन्त विटामिन्स लिमिटेड
211.	मैसर्स सवाका कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
212.	मैसर्स पूनम एण्ड पटेल कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड
213.	मैसर्स रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
214.	मैसर्स अरनेस्ट हैल्थ केयर लिमिटेड
215.	मैसर्स इंडियन सीमलेस स्टील एण्ड एलायस लिमिटेड
216.	मैसर्स प्रकाश फोरटार्न एण्ड साफ्टेक लिमिटेड
217.	मैसर्स एनके टेक्सोफूड्स लिमिटेड
218.	मैसर्स माजदा इण्डस्ट्रीज एण्ड लीजिंग लिमिटेड
219.	मैसर्स पतेजा फारजिंग्स आटो पार्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड
220.	मैसर्स सौराष्ट्रा सीमेंट लिमिटेड
221.	मैसर्स अल्पाइन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
222.	मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड
223.	मैसर्स फिल कारपोरेशन लिमिटेड
224.	मैसर्स इंटरनेशनल फाइनेंस एण्ड टैक्स कन्सल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड
225.	मैसर्स हनिल एरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
226.	मैसर्स ग्वालियर पालीपाइप्स लिमिटेड
227.	मैसर्स बेनलक्स होटल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
228.	मैसर्स मन्ना ग्लास टेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
229.	मैसर्स लान एसेदा स्टील लिमिटेड
230.	मैसर्स ज्वाय अपार्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड
231.	मैसर्स तेनवाला केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड
232.	मैसर्स गोदरेज इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
233.	मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड
234.	मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड
235.	मैसर्स वर्लपूल (इंडिया) लिमिटेड
236.	मैसर्स डायनावोक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
237.	पशुपति शिवहंग लिमिटेड
238.	स्टोन इंडिया लिमिटेड
239.	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड
240.	स्टार टी कंपनी लिमिटेड
241.	एलियन्स मैनेजमेंट एण्ड फिसकल सर्विसेज लिमिटेड
242.	एसके टेलीकाम लिमिटेड
243.	डेल्टा इंटरनेशनल लिमिटेड
244.	ईडियो कन्सट्रक्शन एण्ड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
245.	यूनीवर्थ लिमिटेड
246.	रेक्सोर इंडिया लिमिटेड
247.	टी एण्ड आई ग्लोबल लिमिटेड
248.	ग्लोब स्टाक एण्ड सिक्युरिटीज लिमिटेड
249.	ईमेको लिमिटेड

1	2
250.	डंकन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
251.	परफेक्ट रिफैक्ट्रीज लिमिटेड
252.	रेविको (इंडिया) लिमिटेड
253.	हैप्पी वैली टी कंपनी लिमिटेड
254.	कैपरीकार्न लिमिटेड
255.	दोशी एजेंट्स प्रा. लिमिटेड
256.	सेठ मेहता एण्ड कंपनी प्रा. लिमिटेड
257.	एमएनआर एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
258.	विस्टर फाइनेंशियर्स प्रा. लिमिटेड
259.	जगदीश्वर फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लिमिटेड
260.	ओसीएल इंडिया लिमिटेड
261.	यूनीवर्सल पेपर मिल्स लिमिटेड
262.	असमब्रूक लिमिटेड
263.	डनलप इंडिया लिमिटेड

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

*89. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई तथा उनके द्वारा कितनी राशि उपयोग में लाई गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि के दुर्विनियोजन तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्षवार आवंटित/जारी की गई राशि तथा उनके द्वारा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित, रिलीज तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08			2008-09		
		आबंटन	रिलीज	व्यय*	आबंटन	रिलीज**	व्यय***
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20232.26	20232.26	19428.88	28989.21	27290.30	17693.13
2.	बिहार	25909.42	25909.42	34875.91	49996.41	47107.81	28665.04
3.	छत्तीसगढ़	11090.26	11090.26	10424.73	13408.63	12394.98	9016.67
4.	गोवा	136.36	136.36	79.6	156.75	127.49	81.57
5.	गुजरात	2468.01	2468.01	2503.63	2568.67	1672.45	1991.26

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हरियाणा	2982.65	2982.65	3559	4127.50	3892.15	2570.51
7.	हिमाचल प्रदेश	2290.41	2290.41	1514.93	1989.31	1917.02	2018.04
8.	जम्मू-कश्मीर	1863.99	1863.99	899.2	2042.75	1998.24	604.52
9.	झारखंड	14180.12	14180.12	12039.5	20983.60	19826.92	16315.49
10.	कर्नाटक	21176.47	21176.47	17738.22	22850.20	21036.24	10273.47
11.	केरल	7497.36	7497.36	7084.47	5779.21	5023.94	2786.21
12.	मध्य प्रदेश	24397.63	24397.63	17387.81	43592.42	41355.11	13353.94
13.	महाराष्ट्र	20199.06	20199.06	18515	31332.25	28231.85	12358.00
14.	उड़ीसा	18479.38	18479.38	18266.55	20802.81	18612.22	13257.70
15.	पंजाब	1229.47	1229.47	1229.47	4792.37	4632.22	1656.38
16.	राजस्थान	15959.34	15959.34	12001.69	14316.14	13137.05	9279.76
17.	तमिलनाडु	18479.19	18479.19	18479.19	32070.19	29655.88	12032.03
18.	उत्तर प्रदेश	33106.56	33106.56	58176	84300.35	80007.18	40394.48
19.	उत्तराखंड	1841.90	1841.90	1670.88	4720.53	4334.87	743.87
20.	पश्चिम बंगाल	17012.92	17012.92	19129.91	27842.45	25206.12	16481.96
21.	अरुणाचल प्रदेश	390.85	390.85	358.27	488.02	465.29	10.00
22.	असम	16872.45	16872.45	15464.00	17941.11	17341.33	7625.56
23.	मणिपुर	2082.48	2082.48	2082.48	2051.86	2021.35	1263.00
24.	मेघालय	950.23	950.23	1264.62	1866.47	1829.94	723.57
25.	मिजोरम	429.71	429.71	345.00	602.20	593.18	368.66
26.	नागालैंड	789.22	789.22	232.75	835.15	815.18	691.00
27.	सिक्किम	441.39	441.39	421.96	437.90	426.84	239.71
28.	त्रिपुरा	2648.32	2648.32	2616.82	3339.35	3270.62	3484.85
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.85	12.63	12.63	25.00	18.75	18.75
30.	चंडीगढ़	186.54	30.91	30.91	181.00	135.75	135.75
31.	दादरा और नगर हवेली	41.67	30.00	30.00	61.00	61.00	61.00

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	9.93	6.69	6.69	13.00	9.75	9.75
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3640.00	3640.00	3640.00	5327.00	3995.25	3995.25
34.	लक्षद्वीप	0.77	0.57	0.57	1.00	1.00	1.00
35.	पुडुचेरी	115.00	115.00	115.00	168.00	126.00	126.00
	कुल	289148.17	288973.21	301626.27	450000.00	418571.27	230327.88

*खर्च रिलीज और अथशेष दोनों में से किया गया है।
**आंकड़े 15 फरवरी 2009 तक के हैं।
***राज्यों द्वारा दिसंबर 2008 तक दी गई जानकारी के अनुसार।

कम्पनियों के लेखे तथा लेखा परीक्षा

***90. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री चन्द्र शेखर दुबे:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राइस वाटरहाऊस कूपर्स तथा कुछ अन्य लेखापरीक्षा कम्पनियों के विरुद्ध उनके द्वारा कुछ कम्पनियों की लेखा बहियों में की गई अनियमितताओं में कथित रूप से लिप्त पाए जाने पर जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड घोटाले के मद्देनजर देश में प्रचलित लेखाविधि मानकों में कुछ बदलाव लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 7.1.2009 को प्राइस वाटरहाऊस, बंगलोर स्थित सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की लेखापरीक्षक कम्पनियों द्वारा उक्त कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते समय कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के साथ-साथ लेखा एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में सांविधिक कार्य निपटाने में उनकी भूमिका और पद्धति की जांच करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) को कहा है। सरकार ने दिनांक 13.1.2009 को इसके सांविधिक लेखापरीक्षकों की भूमिका और उनके द्वारा अपने सांविधिक कार्य निपटाने में यथोचित कर्मठता निभाने सहित कम्पनी के कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 और अन्य कानूनों के उपबंधों के गैर-अनुपालन/उल्लंघन से संबंधित शिकायत या किसी सूचना के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समय-समय पर जांच और निरीक्षण कराती है तथा ऐसी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों सहित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यथा-अपेक्षित कार्रवाई करती है।

(ग) और (घ) सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 में यथानिर्धारित विस्तृत प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2006 अधिसूचित किए हैं। सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित घटनाओं के परिणामस्वरूप इन लेखा मानकों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टें

***91. श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को देश के कतिपय भागों में हाल ही में महिलाओं/लड़कियों पर हुए कथित हमलों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं थीं/उनके बारे में उसने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा की शिकार महिलाओं के संबंध में पिछले तीन महीनों में 1207 शिकायतें प्राप्त कर पंजीकृत की हैं। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) इन 1207 शिकायतों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संकलित किया जा रहा है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) इन 1207 मामलों में से 866 मामलों में संबंधित राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों अथवा पुलिस प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, से रिपोर्टें मंगाई गई है और 125 मामलों में की-गई-कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। 31 मामलों में संबंधित पक्षों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। 279 मामलों की अभी आयोग में जांच चल रही है। 31 मामलों को बंद कर दिया गया है।

विवरण

महिलाओं/लड़कियों पर तथाकथित हिंसा के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज मामलों की प्रकृति-वार संख्या

अवधि: 1.11.2008-31.1.2009

क्र.सं.	शिकायत की प्रकृति	नवंबर, 2008	दिसंबर, 2008	जनवरी, 2009	कुल
1.	हत्या का प्रयास	04	02	03	09
2.	बलात्कार तथा बलात्कार का प्रयास	55	63	72	190
3.	घरेलू हिंसा तथा वैवाहिक विवाद	71	99	79	249
4.	दहेज मृत्यु	60	43	42	145
5.	दहेज उत्पीड़न तथा निर्दयता	169	147	140	456
6.	मादा भ्रूण हत्या/शिशु हत्या	0	01	0	01
7.	अपहरण और भगाकर ले जाना	18	19	30	67
8.	महिला के साथ छेड़छाड़/शीलभंग	22	21	18	61
9.	हत्या	0	0	0	0
10.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	10	10	07	27
11.	तेजाब फेंकना	01	01	0	02
	कुल	410	406	391	1207

विद्युत क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग

***92. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा नेपाल ने दोनों देशों के बीच विद्युत आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए चार अन्तर-सीमा पारेषण गलियारों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे दोनों देशों को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच विद्युत विनिमय को बढ़ाने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक गलियारों पर विचार किया गया।

(1) बुटवल-गोरखपुर;

(2) दूहाबी-पूर्णिया;

(3) धालकेबर-मुजफ्फरपुर; और

(4) अनारमनी-सिलीगुड़ी।

विद्युत अंतरण के परिणाम को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में, केवल एक पारेषण गलियारे अर्थात् धालकेबर-मुजफ्फरपुर को चिह्नित किया गया है और शुरू में 220 केवी पर प्रभारित 400 केवी डी/सी के रूप में निर्माण के लिए अंतिम रूप दिया गया है, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) और भारतीय शिष्टमंडल के बीच 17 सितम्बर, 2007 को हुई बैठक में इस पर सहमति हुई थी।

(ग) 400 केवी धालकेबार-मुजफ्फरपुर डीसी लाइन के निर्माण के पश्चात् एनईए भारत से विद्युत आयात कर सकेगा। बाद में नेपाल की जल विद्युत क्षमता के दोहन हेतु यह लाइन नेपाल से विद्युत आयात करने के काम में आएगी।

(घ) इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व फाइनेंशियल सर्विस लि. (आईएलवएफएस) ने, एनईए के साथ दो देशों के बीच पारेषण संपर्क के संयुक्त विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पारेषण लाइन के भारतीय हिस्से के कार्यान्वयन हेतु एक बहुद्देशीय कंपनी और आईएल एण्ड एफएस के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी-क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लि. (सीपीटीसी) का पंजीकरण किया गया है।

पारेषण लाइन के नेपाली हिस्से के कार्यान्वयन के लिए पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि. (पीटीसीएन) का पंजीकरण किया गया है।

[हिन्दी]

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

*93. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए किसी न्यायिक मंच को अधिकार प्रदान करने के लिए कोई विधायी ढांचा विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (घ) न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्टें समय-समय पर सरकार की सूचना में आई हैं।

संविधान की योजना में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कार्यावधि की सुरक्षा प्राप्त है तथा उन्हें केवल संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में यथा-उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया का अनुपालन करने और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के उपबंधों को संपूरित करने के विचार से सरकार ने 19.12.2006 को लोक सभा में न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया था, जो अन्य बातों के साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कदाचार के आरोपों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् के गठन का उपबंध करता है। यह विधेयक यह भी उपबंध करता है कि परिषद् समय-समय पर एक आचार-संहिता भी जारी करेगी, जिसमें न्यायाधीशों के आचार और व्यवहार के लिए दिशा-निर्देश अंतर्विष्ट होंगे। इस विधेयक की समीक्षा कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2007 में प्रस्तुत कर दी थी। स्थायी समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 को वापिस लिया जाए और ''न्यायाधीश (जांच) संशोधन विधेयक, 2008'' शीर्षक वाला एक अन्य विधेयक पुरःस्थापित किया जाए।

न्यायिक उत्तरदायित्व के मुद्दे पर, वर्ष 1990 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और परिचर्चाओं से हुई व्यापक आम सहमति के आधार पर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने स्थिति को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया था:

''किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अपने न्यायालय के न्यायाधीशों के आचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के

लिए सक्षम है और जब उसे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह यह पता लगाने के लिए उस पर विचार करेगा कि क्या वह गहराई से विचार किए जाने योग्य है। जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि विषय की समीक्षा करना अपेक्षित है, वहां वह ऐसी रीति में, जिसे वह आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है, तथ्यों को अभिनिश्चित कराएगा और यदि उसकी यह राय है कि यह विषय ऐसा है कि इसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जो वह ऐसा करेगा।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में समान रीति में कार्रवाई करेंगे। अभिनिश्चित तथ्यों के आधार पर, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ऐसी कार्रवाई करेंगे, जो न्यायपालिका के हित को सर्वोच्च मानते हुए उचित समझी जाए।''

वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर ऊपर दर्शित रीति में कार्यवाही की जा रही है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में निहित होता है। अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारी, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विरचित नियमों के एक सेट द्वारा मार्गदर्शित होते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाना

***94. श्री तथागत सत्पथी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन मेजबान राज्यों में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन स्थापित होते हैं उन्हें दूसरे राज्यों की तुलना में कुछ अधिक लाभ मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा सहित कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों के भीतर विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत बंटवारे के लिए वर्तमान में लागू भारत सरकार की नीति में जल-विद्युत पावर स्टेशनों के मामले में मेजबान राज्य को 12 प्रतिशत तथा तापीय और नाभिकीय स्टेशनों के मामले में 10 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

(ग) से (ङ) जी हां, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने विद्युत के उत्पादन पर ड्यूटी शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। जबकि विद्युत उत्पादन पर कर, विद्युत के ''उत्पादन अथवा निर्माण'' पर कर के समान है। राज्य सरकारें इस प्रकार का कर नहीं लगा सकती हैं क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की सूची I की प्रविष्टि 84 के अनुसार उत्पादन अथवा निर्माण पर कर लगाने का अधिकार संघ को है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रस्ताव

***95. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शहरी गरीबों को मूलभूत सेवा तथा समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत सौंपे गए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उप मिशन तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर मंजूरी समितियां योजना आयोग द्वारा उल्लिखित केन्द्रीय सहायता के सीमित राज्यवार नियतन और योजना आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अध्यधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा यथा मूल्यांकित परियोजनाओं पर विचार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी

सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत 40.69 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से दो प्रस्ताव तथा 338.66 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से 16 प्रस्ताव केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति समितियों के अनुमोदन के लिए लंबित हैं। राज्य-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

उपर्युक्त परियोजनाएं हाल ही में प्राप्त हुई हैं और केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने हेतु विचार करने का कार्यक्रम है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी) के अंतर्गत मिशन निदेशालय के पास लंबित परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

(18.2.2008 की स्थिति)
(करोड़ रु.)

राज्य	शहर/कस्बे	परियोजना लागत
उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	10.53
महाराष्ट्र	नागपुर-V	30.16
कुल		40.69

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

(करोड़ रु.)

राज्य	शहर/कस्बे	परियोजना लागत
1	2	3
आंध्र प्रदेश	निर्मल	11.25
	मछलीपटनम	9.63
	तिरुपति	150.00
अरुणाचल प्रदेश	सागाली	4.96
	यूपला	4.86
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	17.48
	मालवीय नगर	2.00
	अम्बेडकर नगर	2.00
	बेल्हा	21.83
	प्रतापगढ़	18.65
	अलीगढ़	18.94
	गोरखपुर	21.36
	काकोरी	22.6
	महोना	22.81
	मलीहाबाद	6.35
	घासीगंज	3.94
कुल		338.66

शहरी गरीबों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई

***96. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार समस्त शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर आगे क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर योजना आयोग समय-समय पर राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखा के साथ-साथ शहरी गरीबों का आकलन जारी करता है। शहरी क्षेत्रों में ''गरीबी रेखा से नीचे'' रह रहे लोगों का सर्वेक्षण योजना आयोग द्वारा निर्धारित राज्य विशिष्ट शहरी गरीबी रेखाओं के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण की सिफारिश की है जो कि एक वर्ष के भीतर किया जाना है। ऐसी पहचान

के लिए उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर साधारण और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए जिसमें विवेक का उपयोग किए बिना वास्तविक मात्रा दी गई हो। बुनियादी पैरामीटरों को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार से स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह पहचान संबंधित क्षेत्रीय सभा से कम से कम एक व्यक्ति वाले सर्वेक्षण दलों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण के आधार पर की जानी चाहिए। इस प्रकार पहचान किए गए शहरी गरीबों को सभी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बहु-उद्देश्यीय पहचान पत्र जारी किए जाएं।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के घटक के साथ-साथ एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के अंतर्गत पहचान किए गए शहरों में स्लमों के विकास, शहरी गरीबी और गरीबों की जीविका प्रोफाइलों तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले/प्रस्तावित अन्य शहरों/कस्बों का चयन करने के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (सोपानबद्ध तरीके से) करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय द्वारा राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को इस संबंध में आवश्यक योजना भी जारी की गई है। मंत्रालय ने मानव संसाधन और मूल्यांकन के लिए शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) नामक एक स्कीम शुरू की है जिसके अंतर्गत विभिन्न सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्ताव

***97. श्री एस अजय कुमारः**
श्री पन्नियन रवीन्द्रनः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में अपने राज्यों में मेट्रो रेल परिवहन की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें सौंपी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर अब तक राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को मेट्रो रेल परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपये में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
(1)	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली**				
1.	दिल्ली	दिल्ली एमआरटीएस फेज-1	65.05	10571	परियोजना 12.11.1996 को स्वीकृत की गई थी तथा पूर्ण रूप से चालू और प्रचालात्मक हो गई है।
		शाहदरा-रिठाला	22.06		
		विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय	10.84		
		इन्द्रप्रस्थ-द्वारका	25.65		
		द्वारका उप नगर (द्वारका-द्वारका-6)	6.5		

1	2	3	4	5	6
2.	दिल्ली	दिल्ली एमआरटीएस फेज-2	54.675	8605.36	परियोजना प्रारंभ में 30.3.2006 को स्वीकृत की गई थी तथा संशोधित स्वीकृति आदेश 7.3.2008 को जारी किए गए थे और कार्य शुरू हो गया है।
					लक्ष्य/पूरा करने की तारीख
		विश्वविद्यालय-जहांगीरपुरी	6.36		3.2.2009 को चालू की गई (कार्यक्रम से 9 माह पहले)
		केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब मीनार	12.525		30.6.2010
		शाहदरा-दिलशाद गार्डन	3.09		30.6.2008 को चालू की गई (कार्यक्रम से 6 माह पहले)
		इन्द्रप्रस्थ-न्यू अशोक नगर	8.07		30.6.2009
		यमुना तट-आनन्द विहार आईएसबीटी	6.16		31.12.2009
		कीर्ति नगर-मुंडका (इन्द्र लोक के प्रचलनात्मक लिंक के साथ)	18.47		31.3.2010
3.	दिल्ली	दिल्ली में अम्बेडकर नगर से सुशांतलोक (गुड़गांव) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	14.47	1581	परियोजना 4.12.2006 को स्वीकृत की गई थी। इसे 31.7.2010 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
4.	दिल्ली	दिल्ली में न्यू अशोक नगर से नोएडा सेक्टर-32 तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	7.0	827	परियोजना 19.3.2008 को स्वीकृत की गई थी। इसे 30.6.2009 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
5.	दिल्ली	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक हाई स्पीड एक्सप्रैस लिंक	19.2	3076	परियोजना 17.5.2007 को स्वीकृत की गई थी। और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसे जून, 2010 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
6.	दिल्ली	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर	20.16	4012	परियोजना 17.5.2007 को स्वीकृत की गई थी। इसे जून, 2010 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
7.	दिल्ली	इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर-21 तक एक्सप्रैस लिंक	3.50	793	परियोजना 29.1.2009 को स्वीकृत की गई है। इसे 30.9.2010 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6
8.	दिल्ली	दिल्ली मेट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार	13.875	2028	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की 50% स्वामी है, का अनुमोदन प्राप्त होना है। हरियाणा राज्य सरकार से व्यापक संचालन योजना (सीएमपी) प्रस्तुत करने, नगर बस सेवा का सुधार, विशेष परियोजना व्हीकल स्थापित करने आदि का भी अनुरोध किया गया है।
9.	दिल्ली	जहांगीरपुरी से बादली तक मेट्रो लिंक	3.425	520	परियोजना प्रस्ताव दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से 16.2.2009 को ही प्राप्त हुआ है।
(2)	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से इतर क्षेत्र**				
10.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	3.3	6395	परियोजना 11.5.2006 को स्वीकृत की गई थी। कार्य शुरू हो गया है और 30.9.2012 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
		बंगलौर मेट्रो रेल फेज-1 के नार्थ-साउथ कोरीडोर का विस्तार	9.3	1763	अधिकार प्राप्त मंत्री दल द्वारा 30.1.2009 को परियोजना अनुमोदित की गई थी।
11.	पश्चिम बंगाल	ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कोरीडोर, कोलकाता	13.77	4676	परियोजना 30.7.2008 को स्वीकृत की गई थी। कार्य शुरू हो गया है और 2014-15 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
12.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना, तमिलनाडु	50	14600	परियोजना 18.2.2009 को स्वीकृत की गई थी। परियोजना को 2014-15 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।
13.	केरल	कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना, केरल	25.3	2991.5	योजना आयोग ने विस्तृत जांच करने के बाद यह निर्णय लिया कि विशिष्ट वित्तपोषण न मिलने और कोच्ची की कम जनसंख्या के कारण वह इस समय भारत सरकार की धनराशि से परियोजना की सहायता करने की स्थिति में नहीं है। जब कभी नीति और धनराशि उपलब्ध होंगे योजना आयोग प्रस्ताव पर पुन: विचार करेगा।

1	2	3	4	5	6
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना, आध्र प्रदेश	71.29	11814	अधिकार प्राप्त समिति ने 2362.88 करोड़ रु. अर्थात् कुल लागत के 20% के व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के संबंध में ''सैद्धांतिक रूप से'' अनुमोदन प्रदान किया है।
15.	महाराष्ट्र	वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल कोरीडोर के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ)	11.07	2356	वित्त मंत्रालय की अवस्थापना में पीपीपी. को वित्तीय सहायता की स्कीम [जिसे व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण स्कीम (वीजीएफ) के रूप में जाना जाता है] के अंतर्गत प्रस्ताव को नहीं लिया जा सका क्योंकि वीजीएफ स्कीम के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
		चारकोप बांद्रा मनकुर्द मेट्रो कोरीडोर के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ)	31.87	7660	अधिकार प्राप्त समिति ने 1532 करोड़ रु. अर्थात् 7660 करोड़ रु. की कुल लागत के 20% के व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के संबंध में ''सैद्धांतिक रूप से'' अनुमोदन प्रदान किया है।

[हिन्दी]

जनजातीय शिक्षा के लिए योजनाएं

*98. **श्री हेमंत खंडेलवाल:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए चल रही केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश सहित देश में जनजातीय क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय खोले जाने हेतु एक योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (घ) जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालयों के संवर्धन हेतु निम्नांकित चार केन्द्रीय योजनाओं के तहत राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निधियां दी जाती हैं: यथा-कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान। इन विद्यालयों का प्रबंधन राज्य सरकार अथवा गैर-सरकारी संगठन अथवा पंजीकृत समितियों के द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त चारों योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालयों के संवर्धन हेतु निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III तथा IV में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय मध्य प्रदेश सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को अनिवार्य शिक्षा देने हेतु विद्यालय खोलने के लिए योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं करता है।

विवरण I

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में गैर-सरकारी संगठनों/राज्य द्वारा संचालित स्वायत्त समितियों को शैक्षिक परिसरों की स्थापना हेतु राज्यवार निर्मुक्त निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1.	आंध्र प्रदेश	3.23	1.28	14.34
2.	छत्तीसगढ़	0.09	0.16	0.16
3.	गुजरात	0.11	0.31	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.00
5.	झारखंड	0.04	0.03	0.05
6.	कर्नाटक	0.00	0.00	1.80
7.	मध्य प्रदेश	0.84	1.40	0.81
8.	महाराष्ट्र	0.00	0.28	0.14
9.	उड़ीसा	1.11	3.00	1.59
10.	राजस्थान	0.31	0.87	0.49
11.	पश्चिम बंगाल	0.25	0.58	0.37
	कुल जोड़	6.00	7.91	19.75

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य के नाम	2005-06 राशि	2006-07 राशि	2007-08 राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	112.76	558.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	**200.00**	**156.52**	**117.39**
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	250.00
11.	कर्नाटक	150.00	**400.00**	100.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	**200.00**	**624.01**	673.81
14.	महाराष्ट्र	**50.00**	**256.71**	300.80
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
19.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
28.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
	कुल	600.00	1550.00	2000.00

नोट: (मोटे अक्षरों में दी गई) राशि पूर्व वर्ष में स्वीकृत बकाया से संबंधित है।

विवरण III

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु विगत 3 वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	360.00	530.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	105.44	0.00
3.	असम	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	1115.00
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	1850.00	540.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	175.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00
10.	झारखण्ड	400.00	0.00
11.	कर्नाटक	387.76	189.87
12.	केरल	0.00	330.00
13.	मध्य प्रदेश	577.75	452.25
14.	महाराष्ट्र	520.00	120.00
15.	मणिपुर	0.00	125.00
16.	मेघालय	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00
19.	उड़ीसा	1029.79	300.00
20.	राजस्थान	0.00	420.00
21.	सिक्किम	100.00	0.00
22.	तमिलनाडु	205.00	180.00
23.	त्रिपुरा	0.00	115.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
25.	उत्तराखंड	0.00	150.00
26.	पश्चिम बंगाल	325.00	450.00
	कुल जोड़	5860.74	5192.12

वर्ष 2007-08 से मंत्रालय ने ई.एम.आर.एस. हेतु अलग से निधि आबंटित करना बंद कर दिया है तथा ई.एम.आर.एस. हेतु आवश्यक निधि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संबंधित राज्य हेतु आबंटित अनुदान की सीमा में उस राज्य द्वारा उपयोग की जाएगी।

विवरण IV

स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान की योजना के तहत विगत तीन वर्षों में आवासीय विद्यालय हेतु स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों हेतु राज्यवार निधियों की निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.51	1.22	0.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.49	1.43	1.44
3.	छत्तीसगढ़	0.04	0.02	0.10

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	0.21	0.64	0.22
5.	हिमाचल प्रदेश	0.37	0.45	0.86
6.	जम्मू-कश्मीर	0.61	0.51	0.43
7.	झारखण्ड	0.41	0.31	0.75
8.	कर्नाटक	0.92	1.94	1.15
9.	केरल	0.00	0.37	0.20
10.	मध्य प्रदेश	0.33	0.57	0.46
11.	महाराष्ट्र	0.38	0.45	0.51
12.	मणिपुर	1.13	1.53	0.95
13.	मेघालय	0.13	0.00	0.13
14.	मिजोरम	0.11	0.00	0.08
15.	नागालैंड	0.00	0.04	0.10
16.	दिल्ली	0.06	0.05	0.00
17.	उड़ीसा	1.25	1.84	3.14
18.	राजस्थान	0.00	0.20	0.30
19.	सिक्किम	0.21	0.37	0.30
20.	तमिलनाडु	0.20	0.00	0.21
21.	त्रिपुरा	0.00	0.02	0.02
22.	उत्तर प्रदेश	0.14	0.00	0.41
23.	उत्तराखंड	0.54	0.00	0.55
24.	पश्चिम बंगाल	1.01	1.15	1.42
	कुल जोड़	11.05	13.11	14.49

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

***99. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय बायोगैस तथा खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं/उपलब्धि हासिल की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों को धनराशि की कमी के कारण इन संयंत्रों की स्थापना में कठिनाइयां पेश आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव सौंपे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 2 मिलियन घनमीटर की समग्र क्षमता के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राज्यवार वास्तविक लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान राज्यवार वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

जी नहीं। राज्यों के पास निधियों की कमी नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता के 50% की रिलीज, वास्तविक लक्ष्य के आवंटन के साथ की जाती है और शेष राशि संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखों के लेखा-परीक्षित विवरण के प्राप्त होने पर जारी की जाती है। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों/एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों (2007-08 और 2008-09) के दौरान राज्यवार वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	2007-08		2008-09 (जनवरी, 2009 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	18000	10195	18000	7371
अरुणाचल प्रदेश	150	100	150	0
असम	2550	2500	3000	3000
बिहार	100	0	200	0
गोवा	75	21	50	1
गुजरात	8000	7801	8000	2501
हरियाणा	1000	1034	1500	708
हिमाचल प्रदेश	150	151	150	0
जम्मू-कश्मीर	110	0	50	0
कर्नाटक	4000	2433	10000	6290
केरल	4500	2144	3000	1891
मध्य प्रदेश	15000	7042	16000	7006
महाराष्ट्र	13000	15066	15000	4956
मणिपुर	100	0	100	0
मेघालय	200	200	300	65
मिजोरम	100	100	200	73

1	2	3	4	5
नागालैंड	200	131	200	151
उड़ीसा	4000	3895	4000	103
पंजाब	1500	3000	8000	5500
राजस्थान	25	0	100	0
सिक्किम	200	172	200	103
तमिलनाडु	1500	1223	1500	474
त्रिपुरा	300	0	200	0
उत्तर प्रदेश	4000	2856	3000	866
पश्चिम बंगाल	8500	11000	11000	12343
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	–	0	0
चंडीगढ़	0	–	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	–	0	0
दिल्ली	0	–	0	0
पुडुचेरी	100	–	100	0
छत्तीसगढ़	1500	2095	3000	1188
झारखंड	200	186	500	0
उत्तरांचल	400	370	500	414
केवीआईसी और अन्य	15000	15125	16000	11112
कुल	104460	88840	124000	66116

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

100. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत काफी ज्यादा लागत वाली कई परियोजनाओं पर कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा राज्यों को इनका कार्यान्वयन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की सहायता हेतु वित्तपोषण संबंधी मानदण्डों में छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर

प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने यह उल्लेख किया है कि कच्ची सामग्रियों, यथा स्टील, सीमेंट, स्टोन चिप्स इत्यादि की लागत में वृद्धि होने से परियोजना लागत में वृद्धि हुई है और राज्य सरकारों तथा नगर पालिकाओं, खासकर छोटी नगर पालिकाओं पर अतिरिक्त भार पड़ा है। राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कठिनाई व्यक्त की है, जिसके कारण कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के स्तर पर धनराशि की समस्या के कारण मूल्य वृद्धि पर विचार नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों से परियोजनाओं की मूल्य वृद्धि लागत वहन करनी होगी।

एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर

430. **श्री प्रतीक पी. पाटील:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सभी ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों और पंचायत प्रशिक्षण केंद्रों को एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर का दर्जा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम

431. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों से बी.ओ.टी. प्रणाली की तर्ज पर रेल आधारित 'मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम' की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाओ, चलाओ व हस्तांतरण करो (बीओटी) आधार पर रेल जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अवस्थापना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। कुछ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उन पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

राज्य	शहर	प्रस्ताव का नाम	वर्तमान स्थिति
महाराष्ट्र	मुंबई	वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मैट्रो कारीडोर के लिए व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण	वित्त मंत्रालय की वीजीएफ स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव नहीं लिया जा सका क्योंकि वीजीएफ स्कीम के दिशानिर्देश जारी होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया आरंभ कर दी गई।
महाराष्ट्र	मुंबई	चारकोप बान्द्रा मानकुर्द मैट्रो कारीडोर के लिए व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण	अधिकार प्राप्त समिति ने 1532 करोड़ रु., अर्थात् 7660 करोड़ रु. की लागत को 20% वीजीएफ हेतु ''सिद्धान्तत:'' अनुमोदन प्रदान किया है।
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद मैट्रो रेल परियोजना	अधिकार प्राप्त समिति ने 2362.88 करोड़ रु. की कुल लागत को 20% वीजीएफ हेतु सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया है। अधिकार प्राप्त समिति ने 2362.88 करोड़ रु., अर्थात् 11814 करोड़ रु. की कुल लागत के 20% वीजीएफ हेतु सिद्धान्तत: अनुमोदन प्रदान किया है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन योजनाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण

432. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए कोई ऋण प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) आर्थिक मामले विभाग द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में करार किए गए हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	करार करने की तारीख	प्रभावी होने की तारीख	समापन की तारीख	ऋण की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)
1.	अतिरिक्त वित्तपोषण-आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना	25.1.2008	15.4.2008	30.9.2009	65
2.	कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना	24.7.2006	4.10.2006	31.3.2012	120
3.	तमिलनाडु सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन परियोजना	14.9.2005	24.10.2005	30.9.2011	120
4.	उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना-''तृप्ति''	27.1.2009	अभी प्रभावी किया जाना है	31.12.2013	82.4

शिशु की परिभाषा

433. **श्री के.एस. रावः** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बच्चों के कल्याण तथा विकास से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत शिशु की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार शिशु की सार्वभौमिक परिभाषा तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) हमारे देश में विभिन्न कानूनों में 'बालक'' की परिभाषा इन कानूनों के स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है। कतिपय अधिनियमों में 'बालक' की परिभाषाएं इस प्रकार हैं:

(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000-ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष न हुई हो।

(2) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986-ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष न हुई हो।

(3) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006-ऐसा व्यक्ति, यदि बालक हो, जिसकी आयु 21 वर्ष न हुई हो, और यदि बालिका हो, जिसकी आयु 18 वर्ष न हुई हो।

(4) कारखाना अधिनियम, 1948-ऐसा व्यक्ति, जिसकी आयु 15 वर्ष न हुई हो।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि सभी कानूनों में 'बालक' की एक समान परिभाषा रखी जाए।

जल से जुड़ी कंपनियों संबंधी ए.डी.बी. रिपोर्ट

434. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में जल से जुड़ी कंपनियों के प्रबंधन के बेहतर कार्य निष्पादन हेतु कुछ तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) एशिया विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी रिपोर्ट अर्थात् इन इंडिया 2007 बैंचमार्किंग एंड डाटा बुक वाटर यूटीलिटिज में विभिन्न संकेतकों जैसे कि जलापूर्ति कवरेज, जल उपलब्धता, उपभोग, पानी का ध्यान न रखने, प्रति व्यक्ति उत्पादन, मीटर, मुफ्त कनैक्शन औसत प्रशुल्क आदि का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र में अधिक निवेश का समर्थन करने और अधिक कवरेज, 24×7 जलापूर्ति, उत्पादन और उपभोग का 100% मीटर से हिसाब रखने, पानी की क्षति के प्रबंधन, उचित कीमत निर्धारण, जन चेतना, प्रचालन और रख-रखाव की लागत को पूरा करने के लिये उचित प्रशुल्क और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। इन विषयों पर मंत्रालय का ध्यान केन्द्रित हुआ है और स्कीमों जैसे कि जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी), सेवा स्तर पर बैंचमार्क प्रतिपादन, परामर्श देकर, शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण के जरिए इन मुद्दों के समाधान के अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्य कर रहे बच्चों के कल्याण हेतु योजना

435. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान 'स्कीम फार वेलफेयर आफ वर्किंग चिल्ड्रन इन नीड आफ केयर एण्ड प्रोटेक्शन' के अंतर्गत आबंटित तथा जारी की गई राशि का कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों के खिलाफ केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को 'देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम' के अंतर्गत कोई भी धनराशि न तो आबंटित की गई है और न ही निर्मुक्त की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आईडीएसएमटी तथा एयूडब्ल्यूएसपी का क्रियान्वयन

436. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे तथा मध्यम शहरों के समेकित विकास (आईडीएसएमटी), त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी), फुटपाथ पर रहने वालों हेतु आश्रय तथा स्वच्छता के क्रियान्वयन हेतु आवंटित राशि में से गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने उक्त अवधि के दौरान मंजूर की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या धनराशि के समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार को कोई दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) छोटे और मझोले कस्बों का समेकित विकास तथा तीव्र शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को आवंटित धनराशि तथा राज्य द्वारा सूचित इसके उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	आईडीएसएसएमटी		एयूडब्ल्यूएसपी	
	केन्द्रीय सहायता	सूचित व्यय	जारी धनराशि	धनराशि का उपयोग
2005-06	1092.71	1475.99	212.84	212.84
2006-07	718.17	1260.53	296.42	296.42
2007-08	शून्य	490.97	171.32	22.22
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आईडीएसएसएमटी और एयूडब्ल्यूएसपी स्कीमों को दिसम्बर, 2005 से शुरू नई स्कीम छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) में मिला दिया गया है तथा तब से इन स्कीमों के अंतर्गत कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय फुटपाथ पर रहने वालों के लिए आश्रय और सफाई व्यवस्था के लिए कोई अनन्य स्कीम कार्यान्वित नहीं करता है।

(ग) और (घ) एयूएसडब्ल्यूपी स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि दो से तीन वर्ष तक है। एयूडब्ल्यूएसपी के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान जारी की गई 171.32 लाख रुपए की धनराशि में से 149.10 लाख रुपए की राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किए जाने हैं।

(ङ) और (च) सभी राज्य सरकारों को धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने तथा नियमित आधार पर इस मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं तथा इस संबंध में समय-समय पर अनुस्मारक जारी किए जाते हैं।

बलात्कार पीड़ितों हेतु पुनर्वास योजना

437. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात ने बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास तथा आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) "बलात्कार पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास" नामक एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

जल विद्युत परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन

438. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश और असम में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) द्वारा निष्पादित की जा रही सभी जल विद्युत परियोजनाओं की निचली धारा पर पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्तमान में, एनएचपीसी लिमिटेड, सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना (एचईपी) (2000 मेगावाट) का निष्पादन कर रही है और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (नीपको लिमिटेड), कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) और पारे जल विद्युत परियोजना (100 मेगावाट) का निष्पादन कर रही है। एनएचपीसी लि. और नीपको लिमिटेड दोनों ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना और कामेंग जल विद्युत परियोजना और पारे जल विद्युत परियोजना के लिए ईआईए को पूरा किया है और इन परियोजनाओं को तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

हालांकि, विशेष मामलों के रूप में, सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना का डाऊनस्ट्रीम प्रभाव पर एक अध्ययन एनएचपीसी द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय को सौंपा गया है और अध्ययन प्रगति पर है।

नीपको लिमिटेड ने तीन ऋतुओं (मानसून पूर्व, मानसून तथा मानसून पश्चात्) तथा डाउनस्ट्रीम में उसके प्रभाव के लिए समग्र आवाह क्षेत्र को शामिल करते हुए डिकरांग-पनयोर बेसिन के जल-मौसम संबंधी पहलुओं पर व्यापक अध्ययन करने के लिए आईआईटी, गुवाहाटी को अनुरोध किया है, जिसमें डिकरांग-पनयोर बेसिन में चालू "पारे जल विद्युत परियोजना" के कार्यान्वयन के कारण बाढ़ पर अतिरिक्त प्रभाव भी शामिल होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कालोनियों में अनधिकृत गतिविधियां

439. श्री नकुल दास राई: क्या **शहरी विकास मंत्री** 24.10.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1084 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस जानकारी को कब तक एकत्र किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम

440. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को महिलाओं के संरक्षण से संबंधित कानूनों तथा विधायी उपबंधों के तथाकथित दुरुपयोग के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन अधिनियमों के उपबंधों के दुरुपयोग, यदि कोई हों, से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योग इकाइयों के लिए भूमि का आबंटन

441. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली में बंद लघु उद्योग इकाइयों को भूमि आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली में उन लघु उद्योग इकाइयों को भूमि आबंटित करने की कोई नीति नहीं है जिन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बंद कर दिया गया था। तथापि, वर्ष 1996 में शुरू की गयी पुनर्स्थापन स्कीम 22749 औद्योगिक भूखंड/फ्लैट के तहत उन आवेदकों को आबंटित किये गये हैं जिन्हें ऐसे आबंटन के लिए पात्र घोषित किया गया था।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

442. श्री एल. राजगोपाल:
श्री महावीर भगोरा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की आयु सीमा 65 वर्ष से घटा कर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन मंजूर करने के लिए मानदंड यह है कि व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) 65 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित हों।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

443. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री उदय सिंह:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के अनुसार जनजातीय लोगों को वन भूमि उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.01.2009 तक निम्नलिखित राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार अधिकार-पत्र वितरित किए हैं:-

राज्य	वितरित किए गए अधिकार पत्रों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	330
छत्तीसगढ़	85,549
मध्य प्रदेश	8,059
राजस्थान	321
पश्चिम बंगाल	21
कुल	94,280

(ग) और (घ) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके राज्यों में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और मंत्रालय के अधिकारी भी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव

444. श्री पी. करुणाकरन: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में कितने श्रमिकों तथा अधिकारियों ने अपनी नौकरी गंवाई है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) जी, हां। इस विषय से संबंधित श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव से संबंधित रिपोर्ट' नामक अध्ययन किया है। यह रिपोर्ट भारत में अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के बीच की अवधि में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए खान, टेक्सटाइल, धातु, हीरा जवाहरात, आटोमोबाइल, परिवहन और आईटी/बीपीओ क्षेत्रों से संबंधित 2581 यूनिटों में त्वरित सेम्पल सर्वे पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के अंतर्गत कवर किए गए सभी क्षेत्रों में कुल रोजगार सितम्बर, 2008 के दौरान 162 लाख से घटकर दिसम्बर, 2008 के दौरान 157 लाख रह गया है, इस तरह लगभग पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार का नुकसान हुआ।

(ग) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय और मौद्रिक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए दिनांक 7 दिसम्बर, 2008 और 2 जनवरी, 2009 को दो पैकेजों की घोषणा शामिल है, जिससे मांग को मजबूत करने के लिए कर राहत मिलती है तथा रोजगार और जन-परिसम्पत्तियां सृजित करने के लिए और लोक परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाने का उद्देश्य पूरा होता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

445. श्री पी.सी. थामस:
श्री अधीर चौधरी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की न्यायालयवार स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पुरुष एवं महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की न्यायालयवार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (घ) उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की न्यायालयवार अनुमोदित पदसंख्या, पुरुष और महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की संख्या और न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं और इसलिए, पृथक रूप से कोई ऐसा डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, बार से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे व्यक्तियों और ऐसी महिलाओं को, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं, प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समय-समय पर पत्र लिखे हैं।

विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	अनुमोदित पदसंख्या	तारीख 15.2.2009 को यथाविद्यमान न्यायाधीश	रिक्तियां	आसीन न्यायाधीश		वर्ष के दौरान की गई नई नियुक्तियां			
					पुरुष न्यायाधीश	महिला न्यायाधीश	2006	2007	2008	2009 (15.2.2009 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क.	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	31*	24	7*	24	–	3	7	5	–
ख.	**उच्च न्यायालय**									
1.	इलाहाबाद	160	73	87	70	3	10	–	13	–
2.	आंध्र प्रदेश	49	31	18	29	2	6	–	3	1
3.	बम्बई	75	64	11	57	7	8	1	12	6
4.	कलकत्ता	58	38	20	36	2	16	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	18	6	12	6	–	–	–	1	–
6.	दिल्ली	48	39	9	33	6	12	3	10	–
7.	गुवाहाटी	24	22	2	21	1	6	3	2	–
8.	गुजरात	42	29	13	26	3	–	4	–	–
9.	हिम्माचल प्रदेश	11	10	1	10	–	3	3	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	14	12	2	12	–	–	1	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	झारखंड	20	13	7	11	2	4	–	2	2
12.	कर्नाटक	41	39	2	37	2	4	5	5	–
13.	केरल	38	33	5	31	2	–	6	6	4
14.	मध्य प्रदेश	43	38	5	34	4	3	2	3	–
15.	मद्रास	60	43	17	39	4	7	7	3	–
16.	उड़ीसा	22	17	5	16	1	1	4	2	–
17.	पटना	43	22	21	20	2	13	2	1	1
18.	पंजाब और हरियाणा	68	48	20	44	4	13	11	7	–
19.	राजस्थान	40	31	9	31	–	3	7	3	–
20.	सिक्किम	3	1	2	1	–	–	–	–	–
21.	उत्तराखंड	9	8	1	8	–	1	–	2	–
	योग	886	617	269	572	45	110	59	78	14

*तारीख 6.2.2009 को सृजित 5 पदों सहित।

राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त होना

446. डा. आर. सेनथिल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों से संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग-क के खंड 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रतिवेदनों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों से उक्त प्रतिवेदन को समय पर प्राप्त किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों यथा 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्राप्त रिपोर्टों का विवरण
1.	आंध्र प्रदेश	2005-06 और 2006-07
2.	छत्तीसगढ़	2005-06 और 2006-07
3.	गुजरात	2005-06 और 2006-07
4.	हिमाचल प्रदेश	2005-06 और 2006-07
5.	झारखंड	2005-06
6.	मध्य प्रदेश	2005-06 और 2006-07
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त नहीं हुई
8.	उड़ीसा	प्राप्त नहीं हुई
9.	राजस्थान	2005-06 और 2006-07

(ग) राज्य सरकारें जो समय पर रिपोर्ट जमा नहीं कराती हैं, को समय-समय पर रिपोर्ट जमा कराने हेतु स्मरण कराया जाता है।

[हिन्दी]

एस.सी.एस.एल. के निवेशकों को वित्तीय सहायता

447. श्री संतोष गंगवार:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्रीमती मिनाती सेन:
श्री रघुवर सिंह कौशल:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों में बरती गई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप निवेशकों को कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान संकट से उबारने हेतु इन निवेशकों/कम्पनियों को कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के शेयरपत्रों के व्यापार के संबंध में उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, यह शेयर दिनांक 7.1.2009 को 188 रुपए पर खुला, लेकिन उसी दिन कम्पनी के पूर्व अध्यक्ष द्वारा इसके वित्तीय विवरणों की जालसाजी के बारे में रहस्योद्घाटन करने पर यह 38.40 रुपए पर बंद होने से पहले 30.70 रुपए तक गिर गया था। यह कम्पनी तभी से भिन्न-भिन्न मूल्यों पर व्यापार कर रही है। तथापि, उपरोक्त घटनाओं के पश्चात् निवेशकों को हुए नुकसान की मात्रा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों के कारण होते हैं तथा कम्पनी के शेयर निवेशकों द्वारा भिन्न-भिन्न मूल्यों एवं भिन्न-भिन्न समय पर अपनी पसंद के अनुसार निरंतर खरीदे और बेचे जाते हैं।

(ख) और (ग) सरकार की इसमें शामिल निवेशकों या कम्पनियों को किसी तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। पूंजी बाजार में जिन इक्विटियों का व्यापार किया गया वे जोखिम वाले दस्तावेज हैं। जहां तक सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का संबंध है, कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश के आधार पर कम्पनी के पूर्व बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है तथा छः नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कम्पनी के नए निदेशक कम्पनी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और वित्तीय क्षमता के आधार पर कम्पनी के पणधारकों के हित में कम्पनी के व्यापार और कार्यों को जारी रखने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय साधन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

शहरी नागरिक निकाय

448. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शहरी नागरिक निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी नगर निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण करने के उपाय शुरू किए हैं। इन प्रयासों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले शहरी सुधार जैसे जल आपूर्ति व सफाई के संबंध में उचित उपभोक्ता प्रभार लगाना, संपत्ति कर एकत्र करने में अधिक कवरेज तथा कार्यकुशलता, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का सांस्थानीकरण तथा सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्तर में सुधार के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग से भी अनुरोध किया गया है। शहरी नगर निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगाए व विनियोजित किए जाने वाले करों के स्वरूप का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं

449. श्री राम सिंह कस्वां:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में ऐसे विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके पास पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने निकट भविष्ट में प्रत्येक विद्यालय में इन सुविधाओं को प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है और सहायता प्रदान की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) जिला शिक्षा आसूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2007-08 के आंकड़े के अनुसार पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाविहीन विद्यालयों की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2006 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सभी सरकारी तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2009 तक पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) और (ङ) पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 के लिए एसएसए के तहत आदिनांक तक प्राप्त तथा अनुमोदित प्रस्ताव के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत वर्षवार परियोजनाएं प्राप्त नहीं की जाती हैं। टीएससी के लिए 590 जिलों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिसमें विद्यालयों में शौचालय इकाई शामिल है। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा तथा अनुमोदित लागत विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

जिला शिक्षा आसूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2007-08 के आंकड़े के अनुसार पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाविहीन विद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्यालयों की की संख्या	पेयजल सुविधाविहीन विद्यालयों की संख्या	शौचालय सुविधाविहीन विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	359	7	56
2.	आंध्र प्रदेश	100449	10045	38899
3.	अरुणाचल प्रदेश	4547	1557	3559
4.	असम	66727	25191	49157
5.	बिहार	67874	13199	34939
6.	चंडीगढ़	176	0	109
7.	छत्तीसगढ़	49708	6603	31001
8.	दादरा और नगर हवेली	304	27	206
9.	दमन और दीव	98	13	19
10.	दिल्ली	4742	22	453
11.	गोवा	1503	53	677
12.	गुजरात	39039	5001	11459
13.	हरियाणा	17743	462	1048
14.	हिमाचल प्रदेश	17197	1190	8940
15.	जम्मू-कश्मीर	20789	5003	12929

1	2	3	4	5
16.	झारखण्ड	41944	12277	27387
17.	कर्नाटक	56441	11517	16700
18.	केरल	12426	301	1974
19.	लक्षद्वीप	37	0	9
20.	मध्य प्रदेश	129000	10387	36608
21.	महाराष्ट्र	87280	10940	21738
22.	मणिपुर	4011	965	1954
23.	मेघालय	10572	5218	7324
24.	मिजोरम	2783	578	633
25.	नागालैंड	2523	705	576
26.	उड़ीसा	59435	8552	29207
27.	पुडुचेरी	703	12	211
28.	पंजाब	20026	468	2328
29.	राजस्थान	103303	12673	66017
30.	सिक्किम	1150	232	130
31.	तमिलनाडु	53307	0	18335
32.	त्रिपुरा	3901	902	1205
33.	उत्तर प्रदेश	180058	4140	16125
34.	उत्तराखंड	20610	2681	3205
35.	पश्चिम बंगाल	70010	14821	21736
	कुल	1250775	165742	466853

विवरण II

पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त तथा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	विद्यालयों के लिए स्वीकृत शौचालय		विद्यालयों के लिए स्वीकृत पेयजल सुविधाएं	
		संख्या	निधियां (रु. करोड़ में)	संख्या	निधियां (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	253.90	0	30.00
2.	आंध्र प्रदेश	0	644.21	0	382.40

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	74	37.00	0	0.00
4.	असम	2799	1144.80	0	0.52
5.	बिहार	2318	643.24	649	404.11
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0	4.60	0	9.00
8.	दादरा और नगर हवेली	81	41.50	0	22.35
9.	दमन और दीव	0	0.10	0	0.00
10.	दिल्ली	0	0.00	0	0.00
11.	गोवा	56	49.19	0	0.00
12.	गुजरात	210	92.77	241	482.00
13.	हरियाणा	1840	755.01	0	46.41
14.	हिमाचल प्रदेश	1865	569.31	0	0.00
15.	जम्मू-कश्मीर	0	0.00	0	0.00
16.	झारखण्ड	0	84.87	0	17.67
17.	कर्नाटक	1177	588.50	0	0.00
18.	केरल	1395	401.22	762	152.40
19.	लक्षद्वीप	0	4.00	0	3.00
20.	महाराष्ट्र	451	245.54	189	104.88
21.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00
22.	मेघालय	0	0.00	0	0.00
23.	मिजोरम	971	194.20	0	0.00
24.	मध्य प्रदेश	0	785.03	0	2216.64
25.	नागालैंड	329	65.80	0	0.00
26.	उड़ीसा	0	3.84	0	10.92
27.	पुडुचेरी	9	5.20	0	0.00
28.	पंजाब	250	115.88	97	24.98
29.	राजस्थान	1274	318.50	397	238.20

1	2	3	4	5	6
30.	सिक्किम	0	19.80	0	24.02
31.	तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00
32.	त्रिपुरा	361	72.20	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	1210	290.40	22064	2763.28
34.	उत्तराखंड	1029	205.80	0	23.55
35.	पश्चिम बंगाल	1725	602.82	0	168.14
	कुल	19424	8239.22	24399	7124.47

विवरण III

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत अनुमोदित विद्यालय शौचालय घटक

क्र.सं.	राज्य	विद्यालयों के लिए अनुमोदित शौचालय	
		संख्या	निधियां (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	113861	22972.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3944	788.80
3.	असम	34772	6920.69
4.	बिहार	76581	15316.19
5.	गोवा	731	146.20
6.	गुजरात	22425	4485.00
7.	हरियाणा	7029	1405.63
8.	हिमाचल प्रदेश	11342	2318.59
9.	जम्मू-कश्मीर	23108	4621.60
10.	कर्नाटक	35698	7107.58
11.	केरल	3600	720.00
12.	मध्य प्रदेश	84580	16642.81
13.	महाराष्ट्र	81682	16215.09
14.	मणिपुर	3919	779.64
15.	मेघालय	8842	1768.40
16.	मिजोरम	3219	643.80
17.	नागालैंड	2672	508.67
18.	उड़ीसा	70663	14132.60
19.	पंजाब	12567	2337.39
20.	राजस्थान	68134	13575.74
21.	सिक्किम	1604	320.80
22.	तमिलनाडु	40418	8086.36
23.	त्रिपुरा	4939	966.93
24.	उत्तर प्रदेश	241424	41265.04
25.	पश्चिम बंगाल	134981	25792.92
26.	दादरा व नगर हवेली	0	0.00
27.	पुडुचेरी	26	5.20
28.	उत्तराखंड	3925	1053.00
29.	छत्तीसगढ़	48549	9709.80
30.	झारखंड	42687	8267.80
	कुल योग	1187922	228874.47

[अनुवाद]

किशोरी शक्ति योजना

450. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किशोरी शक्ति योजना की उसकी शुरूआत से लेकर अब तक कितनी बार समीक्षा की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी लड़कियां लाभान्वित हुई हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) इस स्कीम के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा घटिया निष्पादन वाले राज्यों को किशोरी शक्ति योजना हेतु आबंटित निधियों को पूर्णतया एवं उचित ढंग से उपयोग में लाने के लिए कहा जाता है, ताकि लाभार्थी स्कीम का अभीष्ट लाभ प्राप्त कर सकें।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत लाभान्वित लड़कियों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रशिक्षित	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियां	पूरक पोषण प्राप्त करने वाली लड़कियां	आई.एफ.ए./कृमिनाशक गोलियां प्राप्त करने वाली लड़कियां
2005-06	722578	763221	758816	1832117
2006-07	1072378	2285154	2322716	4488079
2007-08	2550216		2541653	3193358

[हिन्दी]

विद्युत की कमी

451. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री सुभाष महरिया:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2008 में विद्युत का उत्पादन नवम्बर 2007 में इसके उत्पादन की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नवंबर, 2008 माह के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन दोनों के संदर्भ में तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान राज्यवार वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाये गए हैं या उठाये जा रहे हैं:—

(1) उपलब्ध स्रोतों से उत्पादन को बढ़ाना जिसमें तरल ईंधन पर गैस आधारित विद्युत केन्द्र की अनपेक्षित क्षमता का प्रयोग शामिल है।

(2) 11वीं योजना में प्रस्तावित चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि की सख्त मानीटरिंग।

(3) घरेलू उपलब्धता और कोयले की मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले का आयात।

(4) योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के दौरान 78,700 मे.वा. की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से कुल मिलाकर 11,937 मे.वा. की परियोजनाएं 31 जनवरी 2009 तक चालू की गई हैं और शेष क्षमता निर्माणाधीन है।

(5) आर्थिक स्तर पर लाभ उठाने के लिए प्रत्येक 4000 मे.वा. की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का विकास।

(6) अधिशेष कैप्टिव विद्युत का ग्रिड में उपयोग करना।

(7) भारत में विद्युत का आयात करने के लिए भूटान में नई जल विद्युत परियोजनाएं लगाना।

(8) पुराने और अप्रभावी उत्पादन यूनिटों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और कार्यकाल विस्तार।

(9) कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष से विद्युत का अंतरण करने के लिए अंतर राज्यीय और अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

(10) हानियों में कमी करने संबंधी प्रमुख प्रयास के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के माध्यम से उप-पारेषण एवं नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना।

(11) मांग परक प्रबंध, मांग प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना।

विवरण

विद्युत आपूर्ति की स्थिति की मासिक तुलना (ऊर्जा)-संशोधित

(आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	नवम्बर, 2008 ऊर्जा				नवम्बर, 2007 ऊर्जा			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	93	93	0	0.0	93	93	0	0.0
दिल्ली	1,486	1,483	-3	-0.2	1,469	1,466	-3	-0.2
हरियाणा	2,091	2,015	-76	-3.6	2,160	1,865	-295	-13.7
हिमाचल प्रदेश	510	508	-2	-0.4	473	461	-12	-2.5
जम्मू-कश्मीर	956	717	-239	-25.0	1,194	776	-418	-35.0
पंजाब	2,761	2,350	-411	-14.9	2,571	2,390	-181	-7.0
राजस्थान	3,531	3,531	0	0.00	3,261	3,228	-33	-1.0
उत्तर प्रदेश	5,716	4,307	-1,409	-24.7	5,118	3,916	-1,202	-23.5
उत्तराखंड	623	615	-8	-1.3	562	533	-29	-5.2
उत्तरी क्षेत्र	**17,767**	**15,619**	**-2,148**	**-12.1**	**16,901**	**14,728**	**-2,173**	**-12.9**
छत्तीसगढ़	1,084	1,059	-25	-2.3	1,040	994	-46	-4.4
गुजरात	5,879	5,250	-629	-10.7	6,061	4,980	-1,081	-17.8
मध्य प्रदेश	4,551	3,910	-641	-14.1	4,326	3,676	-650	-15.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	10,539	7,996	-2,543	-24.1	9,689	8,073	-1,616	-16.7
दमन और दीव	138	120	-18	-13.0	144	126	-18	-12.5
दादरा और नगर हवेली	284	264	-20	-7.0	273	272	-1	-0.4
गोवा	217	215	-2	-0.9	221	219	-2	-0.9
पश्चिमी क्षेत्र	**22,692**	**18,814**	**-3,878**	**-17.1**	**21,754**	**18,340**	**-3,414**	**-15.7**
आंध्र प्रदेश	5,561	5,195	-366	-6.6	4,963	4,819	-144	-2.9
कर्नाटक	3,287	3,043	-244	-7.4	3,227	3,135	-92	-2.9
केरल	1,448	1,261	-187	-12.9	1,286	1,252	-34	-2.6
तमिलनाडु	5,088	4,600	-488	-9.6	5,229	4,914	-315	-6.0
पांडिचेरी	158	125	-33	-20.9	142	142	0	0.0
लक्षद्वीप	2	2	0	0.0	2	2	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**15,542**	**14,224**	**-1,318**	**-8.5**	**14,847**	**14,262**	**-585**	**-3.9**
बिहार	782	643	-139	-17.8	732	590	-142	-19.4
डीवीसी	1,108	1,087	-21	-1.9	1,106	1,073	-33	-3.0
झारखंड	444	431	-13	-2.9	435	317	-118	-27.1
उड़ीसा	1,605	1,584	-21	-1.3	1,550	1,519	-31	-2.0
पश्चिम बंगाल	2,215	2,170	-45	-2.0	2,165	2,061	-104	-4.8
सिक्किम	29	28	-1	-3.4	29	28	-1	-3.4
अंडमान व निकोबार	20	15	-5	-25.0	20	15	-5	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	**6,183**	**5,943**	**-240**	**-3.9**	**6,017**	**5,588**	**-429**	**-7.1**
अरुणाचल प्रदेश	36	24	-12	-33.3	33	26	-7	-21.2
असम	404	366	-38	-9.4	394	369	-25	-6.3
मणिपुर	50	43	-7	-14.0	51	50	-1	-2.0
मेघालय	143	120	-23	-16.1	138	108	-30	-21.7
मिजोरम	29	24	-5	-17.2	23	22	-1	-4.3
नागालैंड	42	37	-5	-11.9	30	27	-3	-10.0
त्रिपुरा	65	54	-11	-16.9	67	52	-15	-22.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**769**	**668**	**-101**	**-13.1**	**736**	**654**	**-82**	**-11.1**
अखिल भारत	**62,953**	**55,268**	**-7,685**	**-12.2**	**60,255**	**53,572**	**-6,683**	**-11.1**

विद्युत आपूर्ति की स्थिति की मासिक तुलना (ऊर्जा)-संशोधित

(आंकड़े मेगावाट निवल में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	नवम्बर, 2008 व्यस्ततमकालीन				नवम्बर, 2007 व्यस्ततमकालीन			
	मांग (मेगावाट)	आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट)	(%)	मांग (मेगावाट)	आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	184	184	0	0.0	186	186	0	0.0
दिल्ली	2,919	2,919	0	0.00	3,005	3,005	0	0.00
हरियाणा	4,585	4,258	-327	-7.1	4,370	3,713	-657	-15.0
हिमाचल प्रदेश	997	983	-14	-1.4	950	901	-49	-5.2
जम्मू-कश्मीर	2,050	1,274	-776	-37.9	1,900	1,331	-569	-29.9
पंजाब	5,499	4,439	-1,060	-19.3	5,234	4,443	-791	-15.1
राजस्थान	5,474	5,474	0	0.00	5,200	5,181	-19	-0.4
उत्तर प्रदेश	9,446	7,158	-2,288	-24.2	9,255	7,532	-1,723	-18.6
उत्तराखंड	1,213	1,213	0	0.00	1,095	1,035	-60	-5.5
उत्तरी क्षेत्र	**29,933**	**26,710**	**-3,223**	**-10.8**	**30,180**	**26,504**	**-3,676**	**-12.2**
छत्तीसगढ़	2,061	2,005	-56	-2.7	2,095	1,763	-332	-15.8
गुजरात	10,145	8,379	-1,766	-17.4	11,644	8,445	-3,199	-27.5
मध्य प्रदेश	7,564	6,810	-754	-10.0	6,768	6,436	-332	-4.9
महाराष्ट्र	18,049	12,990	-5,059	-28.0	17,489	13,575	-3,914	-22.4
दमन और दीव	218	193	-25	-11.5	217	192	-25	-11.5
दादरा और नगर हवेली	423	399	-32	-7.4	416	399	-17	-4.1
गोवा	423	390	-33	-7.8	451	406	-45	-10.0
पश्चिमी क्षेत्र	**37,240**	**29,603**	**-7,637**	**-20.5**	**37,111**	**29,385**	**-7,726**	**-20.8**
आंध्र प्रदेश	10,391	8,958	-1,433	-13.8	7,947	7,494	-453	-5.7
कर्नाटक	5,613	5,079	-534	-9.5	5,844	5,071	-773	-13.2
केरल	2,918	2,369	-549	-18.8	2,700	2,621	-79	-2.9
तमिलनाडु	9,002	7,742	-1,260	-14.0	9,000	7,828	-1,172	-13.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पांडिचेरी	300	224	-76	-25.3	270	270	0	0.0
लक्षद्वीप	5	5	0	0.0	6	6	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**25,769**	**22,794**	**-2,975**	**-11.5**	**25,907**	**23,342**	**-2,565**	**-9.9**
बिहार	1,738	1,269	-469	-27.0	1,447	1,183	-264	-18.2
डीवीसी	1,721	1,681	-40	-2.3	1,658	1,621	-37	-2.2
झारखंड	826	823	-3	-0.4	643	633	-10	-1.6
उड़ीसा	2,865	2,811	-54	-1.9	2,746	2,669	-77	-2.8
पश्चिम बंगाल	4,581	4,542	-39	-0.9	4,502	4,314	-188	-4.2
सिक्किम	67	66	-1	-1.5	61	60.0	-1	-1.6
अंडमान व निकोबार	40	32	-8	-20.0	20	15.0	-5	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	**11,325**	**10,635**	**-690**	**-6.1**	**11,113**	**10,232**	**-881**	**-7.9**
अरुणाचल प्रदेश	70	68	-2	-2.9	82	57	-25	-30.5
असम	800	750	-50	-6.3	822	766	-56	-6.8
मणिपुर	110	93	-17	-15.5	114	97	-17	-14.9
मेघालय	241	217	-24	-10.0	398	238	-160	-40.2
मिजोरम	70	56	-14	-20.0	72	53	-19	-26.4
नागालैंड	88	81	-7	-8.0	83	83	0	0.0
त्रिपुरा	141	122	-19	-13.5	165	116	-49	-29.7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,520**	**1,326**	**-194**	**-12.8**	**1,652**	**1,330**	**-332**	**-19.5**
अखिल भारत	**105,787**	**91,068**	**-14,719**	**-13.9**	**105,963**	**90,793**	**-15,170**	**-14.3**

दिल्ली में दोषपूर्ण विद्युत मीटर

452. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की प्राइवेट विद्युत वितरण कंपनियों के विद्युत मीटर में अनेक दोष हैं जैसा कि केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर द्वारा बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अत्यधिक वित्तीय हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त के उत्तर के आलोक में कुछ नहीं है। हालांकि, जन शिकायत प्रकोष्ठ, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एक निकाय है, ने मई 2007 में स्वतंत्र तृतीय पक्ष भारत सरकार के निकाय केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के माध्यम से बिजली के मीटरों की जांच का अभियान शुरू किया था और अब तक उन्होंने इस धारणा पर कि ये मीटर तेज चल रहे हैं उपभोक्ताओं द्वारा लाए गए 1475 इलैक्ट्रानिक मीटरों की जांच की है। इनमें से, केवल 72 मीटर ही ±2.5% की स्वीकार्य शुद्धता सीमा से अधिक कार्य करते हुए पाये गए थे। अत: खराब पाए गए मीटरों का प्रतिशत लगभग 5% था और यह भी उन मीटरों के बारे में था जो कि उपभोक्ता द्वारा पूरे विश्वास के साथ कि वे तेज चल रहे हैं लाए गए थे। जांच 50 रुपये के सब्सिडीकृत मूल्य पर की जाती है, जिसे उपभोक्ता से लिया जाता है और प्रत्येक जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सीपीआरआई को 450 रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान करती है। दिल्ली में लगभग 30 लाख उपभोक्ता हैं और केवल लगभग 1500 उपभोक्ताओं ने ही यह महसूस किया कि नया मीटर तेज चल रहा है और उस ग्रुप में भी 5% मीटर ही स्वीकार्य शुद्धता सीमा से आगे चल रहे थे। अत: स्वीकार्य शुद्धता सीमा से अधिक चलने वाले मीटरों की संख्या को 0.01% के भीतर लिया जा सकता है।

जब कोई मीटर विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट शुद्धता की सीमा से तेज चलता हुआ पाया जाता है तो लाइसेन्सी/उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, जांच के 15 दिन के भीतर मीटर को बदल/ठीक कर सकता है। लाइसेन्सी मीटर की अधिष्ठापना की तारीख से छह माह अथवा उससे कम की अधिकतम अवधि के लिए प्रतिशत खराबी के आधार पर उक्त खराबी के कारण एकत्रित की गई अतिरिक्त राशि यदि कोई है तो उसको समायोजित/वापस भी कर सकता है। यदि मीटर शुद्धता की सीमाओं से धीमा पाया जाता है तो उपभोक्ता इसी तरीके से इसके अंतर का भुगतान करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (क) और (ग) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं है।

विवाह योग्य आयु के संबंध में विधि आयोग की सिफारिशें

453. **श्री रशीद मसूद:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) विधि आयोग ने "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य सहबद्ध विधियों का संशोधन करने का प्रस्ताव" पर अपनी 205वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की है कि लड़कों और लड़कियों, दोनों के विवाह की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) मामला समीक्षाधीन है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

454. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री अनंत गुढ़े:
श्री के.एस. राव:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किफायती ऊर्जा उत्पादन की नयी प्रौद्योगिकी का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन के मामले में अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्य सरकारों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के अनेक प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) अक्षय ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर से विद्युत उत्पादन की यूनिट लागत को पारंपरिक

विद्युत उत्पादन के समान करने में सहायता देने वाली प्रौद्योगिकियों/तरीकों को विकसित करने हेतु इस देश सहित वैश्विक स्तर पर अनुसंधान, डिजाइन और विकास प्रयास जारी हैं जो मुख्यतया उद्योग द्वारा किए जाते हैं। मंत्रालय, सुपरिभाषित विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने हेतु अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग को परियोजना लागत के 100% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता से ऐसे प्रयासों की सहायता कर रहा है।

(ग) दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार देश में 13,741 मेगावाट की ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संस्थापित की गई है। इसमें 9654 मेगावाट पवन विद्युत, 2329 मेगावाट लघु पनबिजली लगभग 1756 मेगावाट बायो विद्युत और लगभग 2 मेगावाट सौर विद्युत शामिल है। भारत, चीनी मिलों में ग्रिड सम्बद्ध खोई सह-उत्पादन में विश्व में अग्रणी है और इसका संस्थापित पवन विद्युत क्षमता में यूएसए, जर्मनी, स्पेन और चीन के बाद पांचवां स्थान है। अन्य स्रोतों से अक्षय विद्युत उत्पादन में प्रगति संतोषजनक समझी जाती है।

(घ) से (च) मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु प्रस्ताव, निरंतर आधार पर राज्य सरकारों/पदनामित राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये प्रस्ताव अपूर्ण पाए जाते हैं अथवा स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाए जाते हैं। स्कीमों/कार्यक्रमों के अनुसार पूर्ण प्रस्तावों पर बजट प्रावधानों के अध्यधीन विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

''कपार्ट'' कार्यालयों में फाइल

455. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''कपार्ट'' के विभिन्न कार्यालयों में वास्तविक रूप से मौजूद फाइलों तथा उसके डाटाबेस में दर्शायी गई फाइलों के बीच असंगति की जांच करने वाली एजेन्सी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) कपार्ट के विभिन्न कार्यालयों में गुम हुई फाइलों का पता लगाने तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध फाइलों की सूची तैयार करने का कार्य सनदी लेखाकारों की एक स्वतंत्र फर्म को सौंपा गया था। फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, कपार्ट के डाटाबेस में उल्लिखित 26372 फाइलों में से 22793 फाइलों का पता लगाया गया था। तथापि, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और कार्यालयों में व्यापक खोज-बीन तथा परिषद् के डाटाबेस की पुनः जांच करने के बाद यह पाया गया है कि आज की तारीख में 2157 फाइलें गुम हैं।

(ग) गुम हुई फाइलों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिषद् ने इस मामले में और जांच करने तथा फाइलों के गुम होने के संबंध में जवाबदेही निर्धारित करने के उद्देश्य से कपार्ट के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति की सिफारिशों पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुसंधान संस्थान

456. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित राज्य सरकारों से अपने राज्यों में बायोगैस, बायोडीजल तथा सौर ऊर्जा के विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने प्रस्ताव अभी तक लम्बित हैं;

(ग) लंबित रहने के क्या कारण हैं, यदि कोई हैं;

(घ) शेष प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ङ) राज्यों में बायोगैस, बायोडीजल और सौर ऊर्जा के विकास हेतु अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

मीठी नदी परियोजना

457. **श्री मोहन रावले:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं का कार्यान्वयन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत मीठी नदी विकास परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मीठी नदी और इसके आस-पास के स्थानों के विकास और संरक्षण के संबंध में एक परियोजना प्रस्तुत की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

भूकम्परोधी भवन

458. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा निजी कंपनियों द्वारा दिल्ली में भवनों के निर्माण के लिए भूकम्परोधी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं;

(ग) दिल्ली स्थित ऐसे महत्वपूर्ण भवनों का ब्यौरा क्या है, जिनका निर्माण भूकम्परोधी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए बगैर किया गया है;

(घ) क्या मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली की पुनर्योजना, पुनर्विकास तथा पुनर्वास के लिए प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भवनों की भूकम्पीय और संरचनात्मक सुरक्षा मुहैया कराने के लिये दिल्ली भवन उपनियम 1983 को 21.03.2001 को संशोधित किया गया था। इसमें भूकम्प सहित प्राकृतिक आपदाओं से भवनों की सुरक्षा के लिए भवन नक्शों की स्वीकृति देते समय स्वामी/वास्तुकार/संरचनात्मक इंजीनियरों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

(ग) ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में पुराने और जीर्ण-शीर्ण क्षेत्रों के नवीकरण के लिए रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने पर मुख्य बल दिया गया है। पुनर्विकास के लिए लक्षित क्षेत्रों की उन्नयन की जरूरत और विकास की क्षमता के आधार पर पहचान की जानी है। इसमें स्लम और झुग्गी-झोंपड़ी समूह, पुनर्वास कालोनियां और अनधिकृत कालोनियां, गांव और विशेष क्षेत्रों सहित गैर नियोजित क्षेत्रों के साथ-साथ नियोजित क्षेत्र भी शामिल हैं। पुनर्विकास स्कीमों के लिए दिशानिर्देशों में प्रत्येक ब्लाक के लिए आपातकालीन वाहन प्राप्त करने, पुनर्विकास/नियमितिकरण योजनाओं का अनुमोदन, दो स्तरों में (अर्थात् आयोजना अनुमति और समूह ब्लाक अनुमति) भवन नक्शों का अनुमोदन आदि के लिए परिचालन पद्धति के प्रावधान शामिल हैं।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन प्रणाली हेतु निधियां

459. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में शहरी परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत कर सिंगल टिकटिंग के अंतर्गत लाने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) शहरी परिवहन, जिसमें सड़कें, राजमार्ग/एक्सप्रैस-वे/एमआरटीएस/मैट्रो परियोजनाएं शामिल हैं, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना

और शासन संबंधी उप मिशन घटक के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु अनुमेय घटकों में से है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा दिनांक 2.1.2009 को घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत राज्यों को दिनांक 30.6.2009 तक एक बारगी उपाय के रूप में अपनी शहरी परिवहन प्रणालियों हेतु बसों की खरीद के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सहायता मुहैया कराई जाएगी। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी परिवहन हेतु बसों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। सभी जेएनएनयूआरएम मिशन शहरी परिवहन हेतु बसों की खरीद के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के लिए पात्र होंगे।

जेएनएनयूआरएम दिशानिर्देशों के तहत वित्तपोषण पद्धति इस प्रकार होगी:-

शहरों/कस्बों की श्रेणी	अनुदान		
	केन्द्र	राज्य	वित्तीय संस्थानों से यूएलबी पैरा स्टेटल अंश/ऋण
2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से अधिक आजादी वाले शहर/शहरी समूह	35%	15%	50%
2001 की जनगणना अनुसार एक मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर/शहरी समूह	50%	20%	30%
पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर में शहर/कस्बे/शहरी समूह	90%	10%	–
उपर्युक्त के अलावा अन्य शहर/शहरी समूह	80%	10%	10%

जब भी बसों के लिए वित्तपोषण हेतु प्रस्ताव भेजे जाते हैं, राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करनी होती है, जिसका एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और केन्द्रीय स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 में एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की परिकल्पना की गई है ताकि प्रयोक्ता ऐसी सभी प्रणालियों पर एकल टिकट का उपयोग कर सकें। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में किसी भी राज्य सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

जल प्रबंध प्रणाली

460. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंध प्रणाली को शीर्ष वरीयता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय है तथा यह राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का उत्तरदायित्व है कि वे राज्य पीएचईडी/शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य योजना कोष से जल आपूर्ति की आयोजना और डिजाइन, निष्पादन तथा प्रचालन और अनुरक्षण करें। तथापि, जल आपूर्ति को मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम अर्थात् जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता दी जाती है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 15724.57 करोड़ रु. की लागत से 124 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 29% परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, यूआईडीएसएसएमटी तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 10% एक मुश्त स्कीम के

अंतर्गत भी जल आपूर्ति परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के मामले में भी जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है जिनके लिए यह मंत्रालय संबंधित मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने देश के शहरी क्षेत्रों में जल के कुशल प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रकाशन भी निकाले हैं:-

1. जल आपूर्ति संबंधी मेनुअल।
2. विभिन्न राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नीचे दिए गए सेवा स्तरीय बेंचमार्कों को अपनाना ताकि शहरी क्षेत्रों में जल की सुरक्षित, विश्वसनीय और लगातार आपूर्ति मुहैया करायी जा सके।

जल आपूर्ति

क्र.सं.	सूचक	बेंचमार्क
1.	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (जनसंख्या)	100%
2.	उपभोक्ता को जल आपूर्ति की प्रति व्यक्ति उपलब्धता	135 एलपीसीडी
3.	जल आपूर्ति कनेक्शनों के मीटरिंग की सीमा	100%
4.	गैर-राजस्व जल की सीमा	20%
5	जल आपूर्ति की निरंतरता	24×7
6.	उपभोक्ता शिकायतों के निपटान की कार्यकुशलता	80%
7.	जल आपूर्ति की क्वालिटी	100%
8.	जल आपूर्ति सेवाओं की लागत वसूली	100%
9.	जल आपूर्ति प्रभार एकत्र करने में कार्यकुशलता	90%
10.	70 एलपीसीडी से कम जल आपूर्ति प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या	0

3. जल के संरक्षण, आपूर्ति और उपयोग के लिए सबसे अच्छी प्रक्रियायें अपनाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को परामर्श देना।

बिजली की चोरी

461. श्री के.एस. राव:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की चोरी देश के विद्युत क्षेत्र की वृद्धि में बाधक बन रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बिजली की चोरी को रोकने के लिए एक कार्य योजना आरम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) बिजली की चोरी विद्युत यूटिलिटियों के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुख्य कारकों में से एक कारक है। यह विद्युत आपूर्ति की खराब/निम्न गुणवत्ता, बार-बार होने वाली लोड शेडिंग तथा अनिश्चित जबरबंदी में शामिल है। बिजली की चोरी के प्रभावी नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 में चोरी का पता लगाने, चोरी से संबंधित अपराधों का तेजी से निपटान तथा चोरी की गई बिजली के शुल्कों की वसूली के लिए भी विशेष प्रावधानों को अधिनिगमित किया गया है। राज्यों तथा अन्य पणधारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, केन्द्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 पारित कर चोरी से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा बिजली की चोरी को स्पष्ट रूप से संज्ञेय और गैर-जमानतीय अपराध माना गया है। वितरण लाइसेंसियों को चोरी का पता लगने पर बिजली की आपूर्ति रद्द करने के लिए सशक्त किया गया है। बड़े उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की निरंतर चोरी करने पर उनके दंड को भी बढ़ा दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एवं सी) हानियों की कमी के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय मतैक्य का गठन किया है। 28 मई, 2007 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव अपनाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा लेखा एवं परीक्षण तथा वितरण में

हानि में कमी को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य आधारभूत आंकड़ों तथा सूचना तकनीक आवेदनों को स्थापित करने के लिए राज्यों, केन्द्र में समुचित सहायता के साथ, की प्रतिबद्धता शामिल थी। सम्मेलन में, राज्यों ने आगामी पांच वर्षों में समग्र सकल, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया।

सरकार ने सुधारों को प्रोत्साहित करने, सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी करने, विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता को सुधारने और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2002-03 में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया था। सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधित शर्तों एवं निबंधनों के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एपीडीआरपी को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु हानि/कमी के संबंध में वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन पर है। परियोजना क्षेत्र में, राज्य विद्युत यूटिलिटियों से 15% की सकल, तकनीकी एवं वाणिज्यिक, हानि (एटी एवं सी) कमी को प्राप्त करने की आशा की जाती है। यूटिलिटियों ने यूटिलिटि स्तर पर सकल, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि/कमी के निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त भी करना है:-

* 30% से अधिक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि वाली यूटिलिटियों - 3% प्रति वर्ष तक कमी।
* 30% से कम तक की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि वाली यूटिलिटियों - 1.5% प्रति वर्ष तक कमी।

सटीक आधारभूत आंकड़ों के सतत एकत्रीकरण हेतु विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणालियों की स्थापना और ऊर्जा लेखा के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु किसी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व अनिवार्य शर्तें हैं। 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-नगर एवं कस्बों को पुनर्गठित कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में ली जानी हैं। भाग (क) में ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा केन्द्रों के लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की स्थापना हेतु परियोजनाओं को शामिल किया जाना है। भाग (ख) में नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल है। इस योजना में ऐसे नगरों जहां सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि स्तरों को आधारभूत स्तरों से भी नीचे लाया गया है, में यूटिलिटि स्टाफ के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी है।

विद्युत उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम

462. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन के लिए टाटा कंसलटैन्सी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि एनटीपीसी लिमिटेड ने सूचित किया है कि विद्युत व्यापार के लिए विद्युत विनिमय को स्थापित करने हेतु 11 दिसंबर, 2008 को ''नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड'' नामक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है। इस कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक की $16^2/_3$% भागीदारी है तथा मै. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लि. की इसमें 50% इक्विटी है। उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी ने 2 जनवरी, 2009 को ''कमेंसमेंट आफ बिजनेस सर्टिफिकेट'' प्राप्त कर लिया है।

जनजातीय महिलाओं हेतु कार्यक्रम

463. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय महिलाओं के लिए लागू किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित, जारी और उपयोग की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात सहित देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान दिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के सामाजार्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। ये योजनाएं/कार्यक्रम जनजातीय महिलाओं के लिए भी हैं। योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित, निर्मुक्त और प्रयुक्त की गई निधियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संकलित किया जा रहा है और प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) गुजरात सहित, गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और योजना-वार संख्या, जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है, संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

1. अनुकरणीय सेवा के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा अवार्ड सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
3. महिला विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
4. जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास
5. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
6. आदिम जनजातीय समूहों का विकास
7. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन
8. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
9. उत्कृष्ट/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना
10. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

11. अनुसूचित जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना
12. अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना
13. आश्रम विद्यालयों की स्थापना
14. अनुसंधान, सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य
15. सूचना और प्रौद्योगिकी
16. निगरानी एवं मूल्यांकन

विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम

17. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
18. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान

विवरण II

वित्तपोषित एनजीओ की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2005-06 गै.स.सं. की सं.	2006-07 गै.स.सं. की सं.	2007-08 गै.स.सं. की सं.	2008-09 गै.स.सं. की सं.
1	2	3	4	5	6
I.	**स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना**				
1.	आंध्र प्रदेश	13	14	13	3
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	1	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	10	3

1	2	3	4	5	6
4.	असम	11	9	9	0
5.	छत्तीसगढ़	3	5	4	0
6.	गुजरात	7	10	8	3
7.	हिमाचल प्रदेश	5	5	5	1
8.	जम्मू-कश्मीर	4	2	3	4
9.	झारखंड	6	6	7	3
10.	कर्नाटक	6	13	13	4
11.	केरल	4	4	6	2
12.	मध्य प्रदेश	6	14	11	5
13.	महाराष्ट्र	12	24	17	3
14.	मणिपुर	12	8	9	6
15.	मेघालय	3	2	2	1
16.	मिजोरम	3	1	2	1
17.	नागालैंड	1	5	4	1
18.	दिल्ली	3	3	1	2
19.	उड़ीसा	19	21	25	9
20.	राजस्थान	2	3	4	1
21.	सिक्किम	1	2	1	1
22.	तमिलनाडु	2	2	1	1
23.	त्रिपुरा	1	3	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	2	0	2	2
25.	उत्तराखण्ड	6	0	5	4
26.	पश्चिम बंगाल	18	16	22	18
II.	**जनजातीय क्षेत्रों में (एनजीओ) में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**				
1.	असम	3	3	3	0
2.	छत्तीसगढ़	0	1	1	0
3.	गुजरात	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6
4.	कर्नाटक	0	1	2	0
5.	मध्य प्रदेश	1	1	2	1
6.	महाराष्ट्र	0	1	1	0
7.	मेघालय	1	1	1	0
8.	नागालैंड	0	0	2	0
9.	राजस्थान	0	1	0	0
10.	तमिलनाडु	0	0	1	0
11.	दिल्ली	1	0	0	0
III.	**आदिम जनजातीय समूहों का विकास**				
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	0
2.	छत्तीसगढ़	2	2	2	0
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0
4.	झारखंड	3	3	3	0
5.	कर्नाटक	2	1	0	0
6.	मध्य प्रदेश	2	2	2	0
7.	महाराष्ट्र	1	1	1	0
8.	मणिपुर	0	1	0	0
9.	तमिलनाडु	1	1	1	0
10.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	0
IV.	**कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना**				
1.	छत्तीसगढ़	0	0	2	0
2.	मणिपुर	1	0	0	0
3.	मिजोरम	1	1	0	0
4.	दिल्ली	1	1	2	2
5.	मध्य प्रदेश	1	0	2	2
6.	उड़ीसा	0	0	1	1
7.	राजस्थान	0	0	3	3

1	2	3	4	5	6
V.	**कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देना**				
1.	आंध्र प्रदेश	5	4	3	3
2.	छत्तीसगढ़	1	1	1	1
3.	गुजरात	1	2	0	3
4.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0
5.	झारखण्ड	1	1	1	0
6.	कर्नाटक	0	0	1	0
7.	मध्य प्रदेश	6	10	6	5
8.	महाराष्ट्र	0	2	1	0
9.	उड़ीसा	7	16	14	6
10.	राजस्थान	2	4	3	0
11.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	0

पार्कों में अतिक्रमण

464. श्री नकुल दास राई: क्या **शहरी विकास मंत्री** 25 अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4587 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना के कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 25.4.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4587 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 12 नवम्बर, 2008 के पत्र संख्या एन. 11016/40/2005-डीडी VI के तहत भेज दी गई हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों का पुनर्वास

465. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक दिल्ली में कालोनीवार कितने लोग अनधिकृत कालोनियों में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है और उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें पुनर्वासित किया गया है; और

(ङ) उन पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने यह सूचित किया है कि लगभग 35-40 लाख लोग 1639 अनधिकृत कालोनियों में रहते हैं।

(ख) जी, नहीं। अनधिकृत कालोनियों (समाज के समृद्ध वर्गों द्वारा निवास की जा रही कालोनियों को छोड़कर) को नियमित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों और विनियमनों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कालोनियों को नियमित करने, समन्वय करने, निगरानी रखने और पर्यवेक्षण करने का कार्य कर रही है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त के आलोक में लागू नहीं।

[अनुवाद]

महिला विकास

466. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, आबंटित और जारी की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने जारी की गई धनराशि का समुचित उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के विकास हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों के लिए आबंटित एवं निर्मुक्त राशि का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है। मौजूदा वर्ष के दौरान आबंटित एवं निर्मुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केवल केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत ही राशि राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती है, जैसा कि स्वयंसिद्धा के मामले में किया जाता है। केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत राशि कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को निर्मुक्त की जाती है। इसके अलावा, राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दोनों ही मामलों में राशि की निर्मुक्ति कार्य योजना, तिमाही प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण-पत्रों एवं निरीक्षण रिपोर्ट आदि की प्राप्ति के बाद ही की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मौजूदा वर्ष के दौरान आबंटित एवं निर्मुक्त राशि का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2008-09	
		आबंटित राशि	निर्मुक्त राशि (31.12.08 तक)
1.	स्टेप	3700.00	1040.59
2.	स्वयंसिद्धा चरण-1	*	*
3.	स्वाधार	[illegible]	522.95
4.	कामकाजी महिला होस्टल	2000.00	213.59
5.	उज्ज्वला**	1000.00	280.00
6.	अल्पावास गृह	[illegible]	794.80
7.	जागरूकता विकास परियोजना	[illegible]	268.85
8.	शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	[illegible]	315.00
9.	प्रियदर्शिनी	[illegible]	***

*स्कीम 31 मार्च, 2008 को समाप्त हो गई।

**स्कीम दिसंबर, 2007 में ही अनुमोदित हुई।

***स्कीम नवंबर, 2008 में ही अनुमोदित हुई।

नागार्जुन सागर बांध से जलापूर्ति

467. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **ग्रामीण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नागार्जुन सागर बांध से पेयजल की आपूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को नागार्जुन सागर बांध से पेयजल आपूर्ति करने के परियोजना के वित्त पोषण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पेशेवर संस्थाओं को शामिल किया जाना

468. श्री बृजकिशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए पेशेवर संस्थाओं को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) एनआरईजी अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अनुसार, जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर पंचायतें अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण हैं। अधिनियम की धारा 16(5) में आगे यह व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतें परियोजनाओं की लागत के मामले में कम से कम 50% कार्यों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं। मध्यवर्ती तथा जिला पंचायतें, सरकार के लाईन विभाग, केंद्र तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र तथा राज्य सरकारों की सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली सहकारी समितियां तथा बेहतर कार्य निष्पादन का रिकार्ड वाले प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां हो सकती हैं। स्व-सहायता समूहों को भी संभव कार्यान्वयन एजेंसियां माना जा सकता है।

व्यावसायिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों को एनआरईजीए के तहत विशेष अध्ययनों के लिए शामिल किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा 4 भारतीय प्रबंधन संस्थानों, 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 4 कृषि विश्वविद्यालयों तथा 3 अन्य व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजना लागत

469. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री मोहन सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को कच्ची सामग्री के बढ़ते मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमानित लागत को संशोधित करने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान अब तक कितने राज्यों ने विभिन्न परियोजनाओं की अनुमानित लागत को संशोधित किया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन संशोधनों के कारण ऐसी परियोजनाओं की बढ़ी/घटी लागत का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां। सभी राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है कि वे परियोजनाओं, जो निविदा प्रक्रिया में हैं, की लागत में संशोधन की मांग करें ताकि इस्पात, सीमेंट और बिटुमेन की कीमतों में वृद्धि (परियोजना की स्वीकृति के पश्चात्) का समायोजन परियोजना की स्वीकृति जारी होने की तारीख 75 दिनों के भीतर किया जा सके।

(ख) और (ग) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान अब तक जिन राज्यों के लिए परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया गया है, उन राज्यों की ऐसी परियोजनाओं की मूल लागत और परियोजना की संशोधित लागत निम्न सारणी में दी गई है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	चरण	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	संशोधित लागत (करोड़ रु.)
1.	बिहार (इरकॉन)	-	125.587	127.897
2.	छत्तीसगढ़	चरण-VII	1978.06	2037.36
3.	कर्नाटक	चरण-VII	633.76	656.14
4.	महाराष्ट्र	चरण-VI	1453.16	1475.48

न्यायिक पैनल

470. **श्री विजय कृष्णा:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा गठित न्यायिक पैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनों ने अपनी रिपोर्टें सरकार को सौंप दी हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) शेष पैनलों द्वारा कब तक अपनी-अपनी रिपोर्टें सरकार को सौंप दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्य बाल आयोगों का गठन

471. **श्री रशीद मसूद:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में राज्य बाल आयोगों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सभी राज्यों में कब तक इनका गठन कर दिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम तथा दिल्ली राज्यों में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन हो चुका है।

(ग) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर लिखता रहा है।

गैर-सरकारी संगठनों के कार्य की निगरनी

472. **श्री हेमंत खंडेलवाल:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनजातियों के कल्याण तथा विकास संबंधी कतिपय क्रियाकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के कार्य की निगरानी में जन-प्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित सभी योजनाओं में अनिवार्य वार्षिक मानीटरिंग अर्थात् जिला समाहर्ता/जिला प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण का प्रावधान अन्त: निहित है, जिसके बिना संबंधित गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) को निधियां निर्मुक्त नहीं की जाती हैं। इसके साथ-साथ जहां भी लागू हो मानीटरिंग के उद्देश्य हेतु योजना में पंचायती राज संस्थानों के साथ संबंध रखने पर विचार करती है। इसके साथ-साथ, योजनाओं में स्वतंत्र मानीटरिंग एजेंसियों के माध्यम से समवर्ती मानीटरिंग पर भी जोर दिया गया है।

स्वाधार योजना

473. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वाधार योजना के अंतर्गत धनराशि जारी न किए जाने के कारण कुछ राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में मकानों का निर्माण बंद हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण कंपनियों का कार्य निष्पादन

474. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विद्युत का वितरण राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। तदनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वितरण कंपनियां (डिस्काम) संबंधित राज्यों के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा विनियामित/नियंत्रित होती है। भारत सरकार इन निजी डिस्काम कंपनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा नहीं करती है।

दिल्ली राज्य विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा यह सूचित किया गया है कि उसके द्वारा वर्ष 2007 के आरंभ में 10,000 से भी अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया जिसमें से अधिकतर/एक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने सरकारी संस्था के बदले निजी डिस्काम को वरीयता दी है। उपभोक्ताओं की राय को इस सर्वेक्षण के जरिए जानने के लिए 1 से 10 तक के पैमाने पर, दिल्ली की तीन यूटिलिटियों की रेंज 5.10 से 5.67 आंकी गई है। सर्वेक्षण से यह पता चला है कि लोड-शेडिंग एक बड़े उपभोक्ता वर्ग के लिए चिंता का निर्णय है जिससे मीटरिंग एवं बिलिंग से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं।

उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) ने सूचित किया है कि उसने उपभोक्ता संतुष्टि पर विस्तृत सर्वेक्षण हेतु भुवनेश्वर में विकास सहायता केन्द्र (डीएससी) बनाया/स्थापित किया है।

(ग) उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए फोरम की स्थापना हेतु राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अगर कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत बिना निपटान के दंडित होता है तो वह राज्य आयोगों द्वारा नियुक्त या पदनामित लोकपाल/को अपनी शिकायत के निपटान के लिए अभ्यावेदन, प्राधिकरण के माध्यम से दे सकता है। लोकपाल राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय एवं निर्धारित तरीके से उपभोक्ता की शिकायत को दूर करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, इस अधिनियम में संरक्षित है, जिसका अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत का समाधान संभव/उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सुधार गृह में शिक्षा

475. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सुधार गृहों (आबजरवेशन होम्स) में रहने वाले बच्चों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तैयार की गई माडल नियमावली, 2007 के नियम 48 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक संस्था किशोरों या बच्चों को लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी और तकनीकी अनुदेश संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, सरकारी एवं निजी संगठन या उद्यम, विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी या गैर-सरकारी संगठन अथवा स्थापन एजेंसियों के साथ नेटवर्क भी स्थापित करेगी। संबंधित प्राधिकारियों को इस अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों के अनुसार गृह/संस्थाओं को चलाना होता है।

महाराष्ट्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें

476. **श्री मोहन रावले:**
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत कितनी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर परियोजना-वार क्या कार्रवाई की गई है और अब तक इसके लिए कितनी अनुदान राशि जारी की गई है;

(ग) शेष विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के संबंध में अनुदान राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)/एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत सभी परियोजनाओं के संबंध में लागत वृद्धि पर विचार करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत अब तक 161 विस्तृत परियोज़ना रिपोर्टें (डीपीआर) प्राप्त की गई हैं। इसमें से जनवरी, 2009 तक जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा 10536.70 करोड़ रु. की कुल लागत की 73 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं। 73 परियोजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय अंश 4581.15 करोड़ रु. है जिसमें से 1717.97 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र के लिए अनुमोदित 73 परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एलएलएससी) द्वारा अपी विभिन्न बैठकों में 118 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है जिसमें से धनराशि जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को 47 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है तथा 561.02 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

(ग) जेएनएनयूआरएम एक मांग आधारित कार्यक्रम है जिसके तहत दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा नगर विकास योजना से प्राप्त और प्राथमिकता के अनुसार राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजनाएं वित्तपोषण के लिए पात्र हैं बशर्ते कि उनका तकनीकी मूल्यांकन किया गया हो और धनराशि उपलब्ध हो।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटक के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में अनेक मंचों पर समय-समय पर मूल्यवृद्धि के मुद्दे उठाए हैं। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने सूचित किया है कि धनराशि की कठिनाइयों को देखते हुए और मूल्यवृद्धि पर विचार नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार को अपने स्वयं के संसाधनों से परियोजनाओं की मूल्यवृद्धि की लागत को वहन करना है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम (यूआईजी घटक) के अंतर्गत महाराष्ट्र के संबंध में अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	शहर	क्षेत्र	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	वचनबद्ध एसीए (लाख रु. में)	जारी धनराशि	जारी धनराशि का %	जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मुम्बई-4 के लिए मिडल वैतरण जल आपूर्ति परियोजना	2006-07	22 फरवरी, 2007	132950.00	46532.50	23266.00	50	10.8.2007 और 28.3.2007, 1.10.2008
2.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना स्टेज-2 प्राथमिक कार्य	2006-07	8 सितम्बर 2006	36447.00	12756.45	3189.11	25	10.8.2007 और 15.11.2006
3.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम से एपीएलआर-एमयूआईपी तक पूर्वोत्तर फ्रीवे	2006-07	25 अक्तूबर 2006	33638.80	11773.58	2943.40	25	20.12.2006 और 31.3.2007
4.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	सहार रोड एमयूआईपी पर एलीवेटिड रोड	2006-07	25 अक्तूबर 2006	15513.34	5429.67	1357.42	25	20.12.2006 और 31.3.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	थाणे के अतिरिक्त 100 एमएलडी जलापूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर	2006-07	8 जनवरी 2007	7118.00	2491.30	1868.37	75	10.8.2007 और 17.3.2008 और 31.1.2007, 9.1.2009
6.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकासी/वर्षा जलनिकासी	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-2	2006-07	22 जनवरी 2007	11659.00	4080.65	2040.32	50	10.8.2007 और 20.2.2007, 24.10.2008
7.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकासी/वर्षा जलनिकासी	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-1	2006-07	22 जनवरी 2007	9239.00	3233.65	1616.82	50	10.8.2007 और 31.1.2007 और 29.5.2008
8.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अन्य शहरी परिवहन	थाणे रेलवे प्रणाली क्षेत्र ट्रैफिक सुधार स्कीम	2006-07	8 दिसम्बर 2006	2325.00	813.75	610.21	75	25.3.2008 और 31.1.2007, 9.1.2009
9.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मालावार हिल जलाशय के क्रास मैदान (3.6 कि.मी. तक) भूमिगत सुरंग	2007-08	20 जुलाई 2007	9398.79	3289.58	822.39	25	29.8.2007
10.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मारोसी से रूपारेल कालेज तक (12 कि.मी.) तक भूमिगत सुरंग	2007-08	7 सितम्बर 2007	29486.76	10320.37	2580.09	25	31.10.2007
11.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	थाणे के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम फेज-1	2007-08	20 अप्रैल 2007	14956.79	5234.88	1308.72	25	13.6.2007
12.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना ग्रेटर मुंबई	2007-08	23 नवंबर 2007	17879.00	6257.65	1564.41	25	29.5.2008
13.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	मीरा भयंदर-विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर आधारित भूमिगत सीवरेज परियोजना	2007-08	6 दिसम्बर 2007	33142.37	11599.80	2899.95	25	2.9.2008
14.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	थाणे के लिए थाणे सीवरेज सिस्टम परियोजना, फेस-2	2007-08	22 फरवरी 2008	14009.00	4903.15	1225.79	25	22.4.2008
15.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल निकास	थाणे के लिए थाणे सीवरेज सिस्टम परियोजना, फेस-3	2007-08	22 फरवरी 2006	4181.00	1463.35	365.84	25	25.3.2008
16.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल निकास	कल्याण डोंमबीविल-बरसाती जल निकास	2008-09	18 जुलाई 2008	5540.26	1939.09	484.77	25	28.8.2008
17.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	कल्याण डोंमबीविल-केडीएमसी के भाग के लिए भूमिगत सीवरेज	2008-09	18 जुलाई 2008	16963.35	5937.17	1484.29	25	16.9.2008
18.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल आपूर्ति	कल्याण डोंमबीविल-म्यूनिसिपल निगम की कल्याण डोंमबीविल 150 एमएलडी जल आपूर्ति स्कीम	2008-09	14 अक्तूबर 2008	10681.49	3738.52	373.85	10	22.12.2008
19.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल आपूर्ति	नवी मुंबई-नवी मुंबई नगर निगम के लिए जल आपूर्ति प्रणाली बढ़ाना	2008-09	30 अक्तूबर 2008	23052.03	8068.21	2017.05	25	31.12.2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल निकास	थाणे-थाणे नगर निगम के कलवा और मुंबरा क्षेत्रों के लिए एकीकृत नल्ला विकास फेस-3	2008-09	21 नवंबर 2008	5789.27	2026.24	303.94	15	29.12.2008
21.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल आपूर्ति	उल्हास नगर-जल आपूर्ति वितरण प्रणाली	2008-09	19 दिसम्बर 2008	12765.23	4467.83	223.30	5	9.1.2009
22.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	कुलगांव-बदलापुर-भूमिगत सीवरेज स्कीम	2008-09	29 दिसम्बर 2008	15146.18	5301.16	530.12	10	9.1.2009
23.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	रोड ओवर ब्रिज	2005-06	21 मार्च 2006	8628.00	4314.00	2158.00	50	4.1.2008 और 29.3.2006
24.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	नागपुर शहर में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क का विस्तार का उन्नयन	2005-06	21 मार्च 2006	3793.00	1896.50	948.24	50	8.1.2008 और 29.3.2006
25.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति के लिए एनर्जी आडिट प्रोजेक्ट	2005-06	21 मार्च 2006	2503.62	1251.81	938.85	75	4.1.2008 और 29.3.2006, 9.1.2009
26.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति (रिसाव)	2005-06	21 मार्च 2006	329.77	164.89	123.66	75	29.3.2006, 29.12.2008
27.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जल आपूर्ति आडिट प्रोजेक्ट	2005-06	21 मार्च 2006	2500.00	1250.00	312.50	25	29.3.2006
28.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कैनाल की जगह पर मोटर लाइन एमएस पाइप लाइन द्वारा महादुल्ला तक पेच जलाशय से लिफ्टिंग वाटर	2006-07	8 सितम्बर 2006	14463.70	7231.85	1807.96	25	8.1.2008 और 31.10.2006
29.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-2	2006-07	28 दिसम्बर 2006	6196.00	3098.00	774.50	25	31.1.2007
30.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-3	2006-07	28 दिसम्बर 2006	8059.27	4029.64	1007.38	25	31.1.2007
31.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-3	2006-07	28 दिसम्बर 2006	10460.68	5230.34	1307.58	25	20.2.2007
32.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कान्हावृद्धि स्कीम	2006-07	22 दिसम्बर 2006	8217.00	4108.50	1027.12	25	31.1.2007
33.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	खराब जल का रिसाइकिल और पुनर्उपयोग	2006-07	22 दिसम्बर 2006	13011.00	6505.50	1626.38	25	10.8.2007 और 20.2.2007
34.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	आनन्द टाकिज के पास रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	2006-07	22 जनवरी 2007	1828.65	914.33	228.58	25	5.8.2007
35.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	मसकासाथ में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	2006-07	22 जनवरी 2007	253.00	126.50	31.63	25	5.8.2007
36.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	इतवारी में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	2006-07	22 जनवरी 2007	900.80	450.40	112.60	25	5.8.2007
37.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	अमला नागपुर सेक्शन पर किलोमीटर 1.41/3-5 के बीच लेवल क्रासिंग सं. 297/ए (ए क्लास) को बदलने में मंगलवाड़ी पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	2008-09	19 सितम्बर 2008	849.14	424.57	106.41	25	24.10.2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	महाराष्ट्र	नांदेड	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	नांदेड में सिटी सड़कों का सुधार	2006-07	25 अक्तूबर 2006	6108.55	4886.84	1221.71	25	22.11.2006
39.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति	उत्तर नांदेड में जलापूर्ति का सुधार	2006-07	31 जुलाई 2006	9087.00	7269.60	5452.30	75	13.10.2006, 8.2.2008, 3.2.2009
40.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	उत्तर नांदेड जोन-1 में सीवरेज प्रणाली	2006-07	31 जुलाई 2006	4025.00	3220.00	805.00	25	13.10.2006
41.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	उत्तर नांदेड जोन-2 में सीवरेज प्रणाली	2006-07	31 जुलाई 2006	4889.00	3911.20	977.75	25	13.10.2006
42.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	उत्तर नांदेड जोन-3 में सीवरेज प्रणाली	2006-07	31 जुलाई 2006	3931.00	3144.80	786.25	25	13.10.2006
43.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति	नांदेड दक्षिण के लिए जलापूर्ति	2006-07	25 अगस्त 2006	4945.00	3956.00	2967.00	75	8.2.2008 और 13.10.2006, 1.10.2008
44.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	अंडर ग्राउंड सीवरेज और सीवरेज शोधन (नांदेड दक्षिण)	2006-07	25 अगस्त 2006	4093.00	3274.40	2455.80	75	13.10.2006, 28.8.2008, 1.10.2008
45.	महाराष्ट्र	नांदेड	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	नांदेड पैकेज-2, 3 और 3बी सड़कों में मुवमेंट नेटवर्क का सुधार	2006-07	25 अक्तूबर 2006	21497.33	17197.86	8598.94	50	20.12.2006, 28.8.2008
46.	महाराष्ट्र	नांदेड	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	नांदेड पैकेज-3बी सड़कों में मुवमेंट नेटवर्क का सुधार	2006-07	22 फरवरी 2007	5815.49	4652.39	4652.40	100	8.5.2007, 8.2.2008, 28.8.2008, 29.12.2008
47.	महाराष्ट्र	नांदेड	हेरीटेज क्षेत्रों का विकास	रिवर फ्रंट विकास नार्थ बैंक जोन-3	2006-07	9 फरवरी 2007	4313.08	3450.46	3450.48	100	8.5.2007, 8.2.2008, 28.8.2008, 29.12.2008
48.	महाराष्ट्र	नासिक	सीवरेज	नासिक शहर के लिए अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना फेज-1	2006-07	22 दिसम्बर 2006	14846.00	7423.00	3711.50	50	10.8.2007 और 20.2.2007, 9.1.2009
49.	महाराष्ट्र	नासिक	जलापूर्ति	जलापूर्ति परियोजनाओं का चल रहा कार्य	2006-07	10 नवम्बर 2006	5052.00	2526.00	1894.50	75	8.1.2008 और 31.1.2007, 3.2.2009
50.	महाराष्ट्र	नासिक	ठोस कचरा प्रबंधन	नासिक के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	2006-07	22 दिसम्बर 2006	5999.23	2999.62	2249.73	75	10.8.2007 और 31.1.2007, 1.10.2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	महाराष्ट्र	नासिक	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	नासिक नगर निगम के लिए जल निकास	2007-08	6 दिसम्बर 2007	31031.00	15515.50	3878.75	25	1.8.2008
52.	महाराष्ट्र	नासिक	जल निकायों का संरक्षण	गोदावरी नदी के मुहाने का विकास, घाट सुधार और सौंदर्यकरण	2008-09	29 दिसम्बर 2008	5805.00	2902.50	435.38	15	9.1.2009
53.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	पुणे शहर के लिए बीआरटी पायलेट परियोजना (कटराज स्वरगेट हादपसर मार्ग 13.6 कि.मी.)	2006-07	11 अगस्त 2006	10313.50	5156.75	3867.56	75	25.3.2008 और 14.9.2006, 31.12.2008
54.	महाराष्ट्र	पुणे	निकासी/वर्षा जल निकासी	सीवरेज शोधन प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की वृद्धि और अध्ययन	2006-07	10 मई 2006	8613.00	4306.50	2153.23	50	4.1.2008 और 8.6.2006
55.	महाराष्ट्र	पुणे	निकासी/वर्षा जल निकासी	नालों का निर्माण और विकास	2006-07	8 सितम्बर 2006	9996.00	4998.00	1249.50	25	13.10.2006
56.	महाराष्ट्र	पुणे	जल निकास/ बरसाती पानी की नालियां	पुणे में सीवरेज एवं जल निकास का नवीकरण एवं प्रबंधन (वेरीस को बढ़ाना, झीलों का पुनरुद्धार, बायो रीमेडिएसन तथा नाला एवं नदियों का भू-विन्यास)	2006-07	8 सितम्बर 2006	9778.00	4889.00	2444.50	50	13.10.2006, 9.1.2009
57.	महाराष्ट्र	पुणे	ठोस कचरा प्रबंधन	पीसीएमसी-ठोस कचरा प्रबंधन-पिंपरी-चिंचवाड़	2006-07	22 दिसम्बर 2006	7044.81	3522.40	880.60	25	31.1.2007, 3.2.2009
58.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (राष्ट्रमंडल युवा खेल-2008 के लिए अवसंरचना का विकास)	2006-07	5 मार्च 2007	43422.00	21711.00	5427.75	25	10.8.2007 और 28.3.2007, 31.12.2008
59.	महाराष्ट्र	पुणे	सीवरेज	पिंपरी चिंचवाड़ के लिए सीवरेज प्रस्ताव	2006-07	25 अक्तूबर 2006	11938.88	5969.44	4477.08	75	8.1.2008 और 20.12.2006, 9.1.2009
60.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन (फेज-1)	2006-07	25 अक्तूबर 2006	47662.20	23831.10	11913.65	50	10.8.2007 और 25.3.2008 और 20.12.2006, 31.12.2008
61.	महाराष्ट्र	पुणे	जल आपूर्ति	पिंपरी चिंचवाड़ के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (4)	2006-07	22 दिसम्बर 2006	35862.00	17931.00	8965.50	50	20.2.2007 और 31.3.2007, 9.1.2009
62.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	मुंबई-पुणे राजमार्ग (8.5 कि.मी.) तथा औंध रावेत सड़क (14.5 कि.मी.) के लिए बीआरटीएस कारीडोर	2007-08	28 दिसम्बर 2007	31214.00	15607.00	11705.25	75	8.1.2008, 24.10.2008
63.	महाराष्ट्र	पुणे	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	नगर सड़क पर पैदल यात्री सबवे (3) और व्हीकुलर अंडरपास (सं. 1) का निर्माण	2007-08	22 फरवरी 2008	661.00	330.50	82.63	25	25.3.2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	महाराष्ट्र	पुणे	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	बनेर जंक्शन पर वेस्टरली बाईपास पर सबवे	2007-08	22 फरवरी 2008	726.00	363.00	272.25	75	25.3.2008, 9.1.2009, 3.2.2009
65.	महाराष्ट्र	पुणे	रोड/फ्लाई ओवर/ आरओबी	संगमवाड़ी ब्रिज तक अप्रोच रोड	2007-08	22 फरवरी 2008	782.00	391.00	97.75	25	25.3.2008
66.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	पुणे के लिए बीआरटीएस कारीडोर के रूप में नई अलंदी सड़क का सुधार और सुदृढ़ीकरण (13.9 कि.मी. विक्रांतवाड़ी से दिग्हीओक्ट्रोई नाका तक)	2008-09	19 अगस्त 2008	3703.00	1851.50	462.88	25	26.9.2008
67.	महाराष्ट्र	पुणे	सीवरेज	पीसीएमसी-पीसीएमसी के लिए सीवरेज सिस्टम (फेस-2)	2008-09	19 अगस्त 2008	12070.45	6035.23	1207.05	20	1.10.2008
68.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	पीसीएमसी-बीआरटीएस कारीडोर-कालेवाड़ी-केएसबी चौक से देहु-अलंदी सड़क ट्रंक मार्ग-7 तक	2008-09	21 नवम्बर 2008	21920.00	8768.00	2192.00	25	31.12.2008
69.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	पीसीएमसी-बीआरटीएस कारीडोर-नासिक फाटा से वकाद तक (ट्रंक मार्ग सं. 9)	2008-09	21 नवम्बर 2008	20682.00	8272.80	2068.20	25	31.12.2008
70.	महाराष्ट्र	पुणे	जल आपूर्ति	पीसीएमसी-जल आपूर्ति फेस-2	2008-09	14 जनवरी 2009	14008.81	7004.41	1751.10	25	2.3.2009
71.	महाराष्ट्र	पुणे	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	पीसीएमसी-बरसाती जल नालियां, फेज-1	2008-09	14 जनवरी 2009	12625.83	5815.12	1453.78	25	2.3.2009
72.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	नवी मुंबई-नवी मुंबई के लिए भूमिगत सीवरेज सिस्टम	2008-09	22 जनवरी 2009	35366.52	12378.28	0.00	0	
73.	महाराष्ट्र	पुणे	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	पुणे शहर फेज-1 के लिए बरसाती जल निकास परियोजना	2008-09	30 जनवरी 2009	39967.18	10000.00		0	
							1053670.05	458117.56	171797.30		

जनजातीय क्षेत्रों का विकास

477. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसमें कितनी सफलता मिली;

(ग) क्या जनजातियों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं के संबंध में जनजातियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित एवं प्रयुक्त निधियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संकलित किया जा रहा है तथा इसे तैयार कर लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। मंत्रालय सामान्यतया योजनाओं के कार्यान्वयन से संतुष्ट है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में मंत्रालय के कार्यक्रमों तथा योजनाओं का बृहत प्रचार करने के लिए अन्य के साथ राज्य सरकारों से विशेष रूप से अनुरोध करता है। वार्षिक रिपोर्ट, वेबसाइट, समाचार, विज्ञापन तथा समय-समय पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, बैठकों तथा सम्मेलनों के माध्यम से भी मंत्रालय सूचना प्रदान कराता है।

मलिन बस्ती में रहने वाले

478. श्री नकुल दास राई: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अनेक प्रमुख सीपीडब्ल्यूडी सरकारी कालोनियों के आस-पास मलिन बस्तियों में रहने वालों और झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो कालोनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मलिन बस्ती में रहने वालों की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इन अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई ठोस और समयबद्ध योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबों को आवास मुहैया कराने हेतु राजसहायता

479. श्री रामदास आठवले: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को आवास मुहैया कराने हेतु राजसहायता देने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां। सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उप मिशन के तहत 63 शहरों तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों एवं कस्बों में शहरी गरीबों हेतु आवास एवं बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था की गई है।

651 शहर/कस्बा/शहरी स्थानीय निकायों में कुल 987 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा इससे 1210039 रिहायशी इकाइयों के निर्माण में मदद मिलेगी। बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं
(उप मिशन-2)
कुल अनुमोदित परियोजना

9.2.2009 तक स्थिति
(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं.	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3	23	2006.72	102393	996.27	1010.45	435.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	4.10	100	3.36	0.75	0.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	1	1	53.95	1232	48.56	5.40	12.14
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1	2	564.94	25728	396.13	168.81	5.00
5.	छत्तीसगढ़	1	4	391.45	27976	312.18	79.26	78.05
6.	बिहार	2	9	367.72	14596	179.54	188.18	44.89
7.	दिल्ली	1	15	1814.49	65504	768.73	1045.76	157.72
8.	गुजरात	4	16	1436.88	95084	691.67	745.21	235.65
9.	गोवा	1	1	10.22	155	4.60	5.62	1.15
10.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18	33.05	23.38
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	636	18.27	5.74	4.57
12.	जम्मू-कश्मीर	2	2	105.17	5208	84.88	20.29	21.22
13.	झारखंड	2	10	355.58	11890	244.40	111.17	42.90
14.	कर्नाटक	2	8	529.46	22310	281.70	247.77	68.24
15.	केरल	2	6	304.12	22208	202.39	101.73	50.65
16.	मध्य प्रदेश	4	19	520.68	33289	256.67	264.00	74.13
17.	महाराष्ट्र	5	.46	4655.77	142006	2254.30	2401.47	575.01
18.	मेघालय	1	2	30.44	600	23.77	6.67	5.94
19.	मिजोरम	1	2	34.33	408	28.91	5.42	7.23
20.	नागालैंड	1	1	134.50	3504	105.60	28.90	41.79
21.	उड़ीसा	2	5	67.17	2316	48.77	18.40	12.19
22.	पंजाब	2	2	72.43	5152	36.15	36.28	9.04
23.	पुडुचेरी	1	2	43.97	1304	32.31	11.67	8.08
24.	राजस्थान	2	2	277.14	17337	169.20	107.95	42.30
25.	सिक्किम	1	2	28.42	254	24.57	3.85	0.70
26.	तमिलनाडु	3	47	2305.05	90222	1030.89	1274.16	252.10
27.	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.96	2.77	6.98
28.	उत्तर प्रदेश	7	19	663.77	28368	308.15	355.63	104.92
29.	उत्तराखण्ड	3	4	22.88	524	18.08	4.80	4.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	पश्चिम बंगाल	2	82	2629.52	122988	1275.66	1353.86	308.23
	कुल अनुमोदित परियोजना	61	338	19535.83	846796	9890.86	9644.97	2634.60
	डीपीआर तैयार करने के प्रभात		9					3.41
	पीएमयू		17					2.92
	पीआईयू		67					8.82
	सकल योग	61		19535.83	846796	9890.86	9644.97	2649.75

विवरण II

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजना

9.2.2009 तक स्थिति
(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	निर्माण हेतु अनुमोदित नए रिहायशी मकानों की कुल सं.	उन्नयन हेतु रिहायशी यूनिटों की कुल सं.	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं.	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	55	71	959.96	40840	656.58	303.38	298.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	9.95	176	8.66	1.29	0.00
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1	5.27	40	4.74	0.53	2.37
4.	असम	12	12	38.31	5393	33.11	5.20	16.55
5.	बिहार	10	10	80.73	6500	59.76	20.96	29.88
6.	छत्तीसगढ़	13	14	176.50	14846	122.01	54.49	61.00
7.	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	0.50	0	0.45	0.05	0.23
8.	दमन एवं दीव	1	1	0.69	16	0.58	0.11	0.29
9.	गुजरात	23	23	227.49	18405	153.13	74.36	76.42
10.	हरियाणा	10	15	238.84	14641	182.96	55.88	91.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	हिमाचल प्रदेश	3	3	23.44	816	16.19	7.25	8.10
12.	जम्मू-कश्मीर	25	25	85.00	6062	59.84	25.17	16.12
13.	झारखंड	4	4	87.54	4881	48.26	39.28	7.79
14.	कर्नाटक	25	25	240.27	13053	145.76	94.51	72.88
15.	केरल	29	30	159.77	14005	121.41	38.36	64.73
16.	मध्य प्रदेश	30	33	241.89	17164	171.08	70.81	85.54
17.	मिजोरम	3	3	8.27	624	6.21	2.06	3.11
18.	राजस्थान	32	34	418.82	25634	287.90	130.93	143.95
19.	मेघालय	1	1	21.82	456	8.97	12.85	4.49
20.	मणिपुर	2	2	16.50	1103	12.37	4.14	6.18
21.	महाराष्ट्र	68	88	1417.25	74844	920.74	496.51	220.24
22.	नागालैंड	1	1	87.74	2496	44.14	43.60	22.07
23.	उड़ीसा	15	15	83.63	4884	59.13	24.50	29.57
24.	पंजाब	2	3	63.42	4658	32.62	30.79	16.31
25.	पुडुचेरी	1	1	17.03	432	5.48	11.55	2.31
26.	तमिलनाडु	69	70	426.18	31952	299.50	126.68	84.60
27.	त्रिपुरा	1	1	7.19	400	6.33	0.86	3.17
28.	उत्तर प्रदेश	73	78	329.29	13776	202.83	126.47	113.85
29.	उत्तराखण्ड	2	2	5.85	231	2.91	2.95	1.45
30.	पश्चिम बंगाल	77	81	798.41	44915	575.00	223.41	257.20
	कुल	590	649	6277.55	363243	4248.63	2028.92	1739.93

[अनुवाद]

कम्पनियों में अनियमितताएं

480. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री पी.एस. गढवी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सत्यम कम्प्यूटर की तरह कुछ अन्य कम्पनियों में भी अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए विभिन्न कम्पनियों के खातों की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (घ) सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित अनियमितताओं की घटना किसी कम्पनी विशेष के लिए अपने-आप में एकमात्र घटना है।

सरकारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत व्यक्तियों या संस्थानों या अन्य नियामक/सरकारी विभागों आदि से कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के गैर-अनुपालन या उल्लंघन तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में संदर्भ या सूचना के माध्यम से कम्पनियों के विरुद्ध शिकायत पर कम्पनियों के सांविधिक दस्तावेजों/वित्तीय विवरणों, उनके वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों/अर्हक अभ्युक्तियों की संवीक्षा के पश्चात् नियमित आधार पर कम्पनियों की लेखाबहियों की जांच के आदेश देती है। जांच रिपोर्टों के आधार पर किसी कम्पनी के संबंध में कम्पनी अधिनियम के गैर अनुपालन/उल्लंघन की सूचना मिलने पर कानून के अंतर्गत यथोचित कार्रवाई की जाती है।

वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2008) के दौरान, मंत्रालय द्वारा 31.1.2009 तक 146 जांचें की गईं और जांच रिपोर्टें प्राप्त की गईं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के उक्त उपबंधों के अंतर्गत कम्पनियों की लेखाबहियों की जांच उल्लंघन करने वाली कम्पनियों और उनके निदेशकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के रूप में भी यथापेक्षित रूप से निरंतर आधार पर की जाती है।

जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

481. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितनी पंचायतों को सहायता प्रदान की गयी है और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार मुहैया करायी गयी निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

जनजातियों का पुनर्वास

482. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में जनजातियों के पुनर्वास के लिए कोई नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में पहले से ही 31.10.2007 को ''राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007'' को अधिसूचित कर दिया है। प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए अन्य प्रावधानों के साथ-साथ इस नीति में पैरा 7.21, अध्याय-7 में अनुसूचित जनजाति से संबंधित परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ के लिए भी विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।

[हिन्दी]

आदिवासियों को प्रशिक्षण

483. श्री हेमंत खंडेलवाल:
श्री महावीर भगोरा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुटीर उद्योग में कार्यरत आदिवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए ''ओ'' स्तर के कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ग) कुटीर उद्योग में जनजातियों को प्रशिक्षण देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय में कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की अन्य श्रेणियों में, कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ऐसी परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जनजातियों को "ओ" स्तर के कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी. को एस.सी.ए.) को विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं पर विचार किया जाता है, जिसमें यह परिकल्पना की जाती है कि कम्प्यूटर कोर्स यथासंभव सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अवकाश के दिनों में कमी

484. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अवकाश के दिनों में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य घंटे, संबंधित न्यायालयों द्वारा विरचित नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत का उच्चतम न्यायालय एक वर्ष में 222 दिन कार्य करता है और देश के सभी उच्च न्यायालयों में समान्यतया एक वर्ष में 210 कार्य दिवस होते हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

485. श्री विजय कृष्ण: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा योजना का समुचित पालन न होने के कारण देश में कुपोषण के शिकार बच्चों के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है। कुपोषण के महिला निरक्षरता, विवाह तथा पहला बच्चा होने के समय लड़कियों की आयु, परिवार में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रतिरक्षण, सुरक्षित पेयजल एवं सफाई सुविधाओं तथा अन्य सामाजिक सेवाओं तक कम पहुंच जैसे अलग-अलग कारण होते हैं। इस प्रकार, देश में कुपोषण की दर को कम करने के लिए केवल समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को ही उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है।

(ग) सरकार ने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सेवा प्रदायगी के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए हाल ही में कुछ उपाय किये हैं, जो इस प्रकार हैं:-

* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या को स्कीम में शामिल करने पर विशेष ध्यान देते हुए 792 अतिरिक्त परियोजनाओं, 2.13 लाख अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 77,102 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु आईसीडीएस स्कीम के विस्तार का तीसरा चरण;
* वित्तीय वर्ष 2009-10 से केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित अनुपात में लागत भागीदारी की पद्धति की शुरूआत:-
  - (1) पूर्वोत्तर राज्यों हेतु पूरक पोषण कार्यक्रम सहित सभी घटकों हेतु 90:10
  - (2) पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को सभी घटकों हेतु 90:10 तथा पूरक पोषण हेतु 50:50;
* पूरक पोषण हेतु मानकों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

क्र.सं.	श्रेणी	मौजूदा	संशोधित (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन)
1.	बच्चे (6-72 माह)	2.00 रुपये	4.00 रुपये
2.	अत्यधिक कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	2.70 रुपये	6.00 रुपये
3.	गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं	2.30 रुपये	5.00 रुपये

* आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 500/- रुपये तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 250/- रुपये की वृद्धि;
* सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए मौजूदा उपायों के वित्तीय मानकों में संशोधन;
* आंगनवाड़ी स्तर पर फ्लैक्सी फंड का प्रावधान;
* प्रबंधन सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण; तथा
* आईसीडीएस स्कीम के प्रशिक्षण घटक के लागत मानकों में संशोधन।

[हिन्दी]

कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास

486. श्री रामदास आठवले: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने हेतु कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कामकाजी महिला होस्टल स्कीम के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2007 तथा 2008 के दौरान 46 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 46 प्रस्तावों में से 8 प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित कर दिए हैं। बाकी 38 मामले स्कीम के मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे, जिसके बारे में संबंधित राज्य सरकार को विधिवत सूचित कर दिया गया है।

विवरण

कामकाजी महिला होस्टल स्कीम के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2007 तथा 2008 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007			2008		
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	राज्य सरकार को प्रस्तावों में कमियों को दूर करने हेतु पत्र	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	राज्य सरकार को प्रस्तावों में कमियों को दूर करने हेतु पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	1		1	3		3
2.	गुजरात	1		1	1		1
3.	हरियाणा	3		3			
4.	हिमाचल प्रदेश	1		1			
5.	कर्नाटक	5	1	4	2		2
6.	केरल	5	2	3			
7.	मध्य प्रदेश	2	1	1			
8.	महाराष्ट्र	1	1		4		4
9.	मणिपुर	4	1	3	1		1
10.	राजस्थान	1		1			

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	तमिलनाडु	2	1	1	4		4
12.	उत्तर प्रदेश	1	1		2		2
13.	पश्चिम बंगाल	1		1			
14.	पुडुचेरी	1		1			
	कुल	29	8	21	17		17

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

487. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुभाष महरिया:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री काशीराम राणा:
श्री अधीर चौधरी:
श्री गिरिधर गमांग:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान और अब तक, विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन योजनाओं के तहत राज्यों को संस्वीकृत/जारी की गई निधियों एवं उनके द्वारा व्यय की गई निधियों का योजना-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के तहत अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लाभान्वित लोगों की संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निधियों के पूर्ण उपयोग एवं कार्य को समय से पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम (एनआरईजीए) तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने तथा क्षेत्र विकास हेतु इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएसपी), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएमपी) तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) जैसी मंत्रालय की अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का राज्यवार एवं योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत राज्यवार उपलब्धि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। तथापि, आईएवाई, एसजीएसवाई तथा एनआरईजीए नामक प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभों की मानीटरिंग की जाती है। इस संबंध में वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रणाली बनाई है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दौरों

तथा राज्य सचिवों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी शामिल है। मंत्रालय ने इस संबंध में पांच सूत्री रणनीति अपनाई है जिसमें ये शामिल हैं- (1) योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, (2) पारदर्शिता, (3) जन-भागीदारी, (4) जवाबदेही, और (5) कार्यक्रमों के संबंध में कड़ी सतर्कता एवं निगरानी। इन उपायों से निधियों के अधिकतम उपयोग और कार्यों/परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सहायता मिलती है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 के दौरान (जनवरी, 2009 तक) राज्यवार निधियों का रिलीज तथा उपयोग

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	एसजीएसवाई		एनआरईजीए		आईएवाई		पीएमजीएसवाई		डीडीपी	डीपीएपी	आईडब्ल्यूडीपी	एआरडब्ल्यूएसपी	
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	जारी	जारी	जारी	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	10616.38	10511.61	268283.78	2144.67	78836.71	46530.64	350.60	270.71	3502.21	5307.95	4070.78	39505.49	34481.23
2.	अरूणाचल प्रदेश	553.82	221.33	2256.84	6.46	1147.53	1197.80	71.49	81.85	0.00	0.00	2417.87	13698.70	6341.48
3.	असम	14390.35	13104.55	61831.36	600.39	42117.97	28333.38	692.45	472.76	0.00	0.00	3341.56	12322.00	16300.37
4.	बिहार	25255.54	10773.44	108838.94	933.29	188533.93	160373.99	653.96	555.17	0.00	0.00	732.11	45238.00	15715.50
5.	छत्तीसगढ़	5608.59	4407.99	147586.78	1080.70	14777.41	6079.59	337.12	604.56	0.00	2173.69	2856.54	12525.50	6217.02
6.	गोवा	125.00	81.98	239.00	0.00	155.32	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
7.	गुजरात	3996.20	3560.29	10026.96	112.23	30371.40	19614.33	170.81	154.79	7301.69	3402.18	2498.47	31444.00	12196.81
8.	हरियाणा	2351.04	2340.44	10125.71	67.60	4846.81	2359.33	182.02	211.18	1026.06	0.00	428.12	11729.00	8501.34
9.	हिमाचल प्रदेश	990.11	579.58	28136.56	209.39	1701.88	1135.13	123.58	153.29	644.62	775.87	2171.52	14151.00	6166.35
10.	जम्मू-कश्मीर	1225.40	626.16	8626.15	24.73	5719.12	1751.02	91.74	93.27	275.67	640.20	455.02	19893.00	13201.45
11.	झारखण्ड	9522.53	6652.38	144208.35	973.50	20303.62	11791.24	79.40	130.57	0.00	289.77	760.48	8033.00	4862.85
12.	कर्नाटक	8016.88	6568.79	26609.29	207.10	26485.30	13201.15	272.46	285.75	4429.80	3924.55	4131.40	23933.00	23450.15
13.	केरल	3597.15	3513.00	12850.72	113.49	15437.75	7053.44	34.02	41.16	0.00	0.00	969.21	5167.00	3976.79
14.	मध्य प्रदेश	12019.50	10906.04	305486.47	2667.06	21508.85	11765.32	1187.58	1356.16	0.00	5499.51	6043.54	37509.44	17030.74
15.	महाराष्ट्र	15848.40	14118.35	13332.81	260.97	39869.39	24861.96	500.00	519.29	0.00	5859.66	2380.55	28629.00	28258.02
16.	मणिपुर	964.72	288.14	24717.69	168.68	938.63	111.24	0.00	13.28	0.00	0.00	921.31	2508.00	18.01
17.	मेघालय	1080.84	234.05	6021.60	54.14	415.92	538.60	15.90	10.75	0.00	0.00	430.87	5201.89	6331.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	मिजोरम	250.11	213.86	13549.47	104.54	842.30	435.30	40.00	38.74	0.00	0.00	1862.57	3675.99	2430.79
19.	नागालैंड	741.40	396.42	11870.03	92.21	2517.90	2892.87	85.71	75.04	0.00	0.00	2306.06	2126.00	3919.29
20.	उड़ीसा	12141.96	9790.60	61452.67	441.44	13324.84	7954.91	731.63	713.78	0.00	2351.55	2689.08	14934.00	12322.46
21.	पंजाब	1142.58	995.52	5282.19	29.18	4116.83	2499.96	143.42	147.86	0.00	0.00	360.13	7507.54	3450.70
22.	राजस्थान	6087.48	5645.25	532096.31	4451.81	16804.85	9258.16	1204.54	1173.86	17934.92	1790.70	4151.32	90798.00	67176.37
23.	सिक्किम	276.91	276.91	3657.94	16.89	534.84	459.17	0.00	76.09	0.00	0.00	260.08	1473.01	851.00
24.	तमिलनाडु	9387.22	9387.24	107649.40	777.53	29055.89	23069.42	48.68	69.38	0.00	3189.54	3216.56	24182.00	12992.90
25.	त्रिपुरा	1741.85	1546.01	41227.48	269.12	3031.63	4143.44	303.98	175.20	0.00	0.00	158.38	2563.00	3177.22
26.	उत्तर प्रदेश	36359.30	31684.69	307785.35	2374.50	95197.59	61160.04	920.16	1141.59	0.00	3542.74	6546.66	48135.68	39300.26
27.	उत्तरांचल	1914.26	1826.54	7247.18	100.18	4182.20	2580.72	86.66	82.69	0.00	586.51	2072.65	5379.00	1793.83
28.	पश्चिम बंगाल	13494.48	10240.48	65216.72	535.66	44867.28	28035.03	396.33	358.21	0.00	363.46	563.85	38939.00	10521.98

उपयोग की गई राशि कुल उपलब्ध निधियों में से है जिसमें केंद्रीय रिलीज + राज्य रिलीज + 1.4.2008 की स्थिति के अनुसार अथशेष तथा विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

विवरण II

वर्ष 2008-09 के दौरान (जनवरी, 2009 तक) प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	एनआरईजीए सृजित रोजगार श्रम दिवस (लाख श्रम दिवस)	एसजीएसवाई सहायता प्रदत्त स्वरोजगारी	आईएवाई पूरे किए गए आवास	पीएमजीएसवाई पूरी की गई सड़कें (कि.मी. में)	एआरडब्ल्यूएसपी	
						कवर की गई बसावटें	कवर किए गए ग्रामीण स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1899.50	138006	119934	1366.00	8209	5573
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.93	251	1942	126.54	905	428
3.	असम	508.12	78518	58031	1232.70	3102	1317
4.	बिहार	735.61	77989	309011	748.39	18785	6480
5.	छत्तीसगढ़	948.57	27842	2251	1782.79	8178	467
6.	गोवा	0.00	388	568	0.00	2	0
7.	गुजरात	123.07	27015	54962	758.04	2374	924
8.	हरियाणा	34.02	10512	5526	749.92	475	89

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	132.33	6034	1746	882.38	4835	4
10.	जम्मू-कश्मीर	22.40	2656	4948	138.82	174	15
11.	झारखण्ड	574.84	62661	35502	110.39	6550	795
12.	कर्नाटक	169.15	61072	45802	984.90	6586	2916
13.	केरल	80.25	27368	27481	27.57	6819	181
14.	मध्य प्रदेश	2076.79	59880	38435	3347.62	5302	3855
15.	महाराष्ट्र	282.68	84291	48403	1472.65	11120	867
16.	मणिपुर	142.99	556	152	21.44	43	0
17.	मेघालय	52.77	2401	1883	25.80	335	667
18.	मिजोरम	85.72	2954	1387	143.65	46	0
19.	नागालैंड	77.76	2020	13630	75.00	73	0
20.	उड़ीसा	272.00	38476	22110	1338.43	13507	427
21.	पंजाब	29.02	8524	5916	515.76	1533	53
22.	राजस्थान	3694.31	28826	19737	6813.90	3848	2863
23.	सिक्किम	10.14	1269	1090	230.00	27	0
24.	तमिलनाडु	931.18	58778	59878	469.15	5817	934
25.	त्रिपुरा	222.00	7854	9087	90.98	327	0
26.	उत्तर प्रदेश	1589.14	243722	131156	3119.75	440	22
27.	उत्तरांचल	54.67	9953.00	6581.00	368.76	1060	430
28.	पश्चिम बंगाल	458.98	24024.00	76693.00	678.55	340	27

विवरण III

वर्ष 2008-09 के दौरान (जनवरी, 2009 तक) एसजीएसवाई, आईएवाई तथा एनआरईजीए के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त लाभ

क्र.सं.	राज्य	एसजीएसवाई (स्वरोजगारियों की संख्या)		आईएवाई (स्वीकृत आवास की संख्या)		(एनआरईजीए (सृजित रोजगार लाख श्रम दिवस में)	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	59683	13494	103529	48655	503.20	245.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	453	0	3627	0.00	3.76

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	10322	16022	32658	39488	50.05	166.07
4.	बिहार	38296	2432	297120	17833	363.83	26.43
5.	छत्तीसगढ़	4732	13167	6267	13323	160.11	372.10
6.	गोवा	23	153	47	257	0.00	0.00
7.	गुजरात	4205	9680	15110	44356	14.56	67.41
8.	हरियाणा	6482	0	7724	0	20.64	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2846	406	2289	485	42.99	9.77
10.	जम्मू-कश्मीर	301	252	391	4653	1.56	8.19
11.	झारखण्ड	11709	25805	14174	21955	109.75	232.25
12.	कर्नाटक	20570	8577	26339	12448	47.32	24.41
13.	केरल	10726	1045	32010	3297	15.99	8.63
14.	मध्य प्रदेश	19186	21513	13912	16476	359.09	976.04
15.	महाराष्ट्र	22717	21868	33599	32814	53.15	125.07
16.	मणिपुर	7	590	50	1429	1.99	107.99
17.	मेघालय	36	1964	0	1687	0.10	49.23
18.	मिजोरम	0	2858	0	1554	0.00	85.68
19.	नागालैंड	0	2020	0	15022	0.00	77.76
20.	उड़ीसा	12821	17584	19407	13089	61.52	91.60
21.	पंजाब	6270	0	8491	0	25.86	0.00
22.	राजस्थान	12150	9298	20051	9041	1068.70	896.91
23.	सिक्किम	78	651	203	501	0.54	3.60
24.	तमिलनाडु	26727	1800	59612	4155	546.70	16.22
25.	त्रिपुरा	1664	2663	2788	5903	54.96	98.31
26.	उत्तर प्रदेश	127449	1304	98324	524	823.56	35.21
27.	उत्तरांचल	4978	625	3150	947	15.07	2.69
28.	पश्चिम बंगाल	9620	1782	52835	13499	179.85	67.00

शहरों और कस्बों का मास्टर प्लान

488. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य रूप से संपूर्ण देश में शहरों और नगरों के मास्टर प्लान में अनियमित शहरी अर्थव्यवस्था के विकास तथा शहरों में रहने वाले गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) देश में नगरों व कस्बों के मास्टर प्लान आबादी की अनुमानित वृद्धि के आधार पर स्थानिक आयोजना ढांचे पर केन्द्रित होते हैं और ये हमेशा परियोजना प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों के अनुरूप नहीं होते। पिछले कुछ समय के दौरान परामर्श देने, शहरी विकास प्लानों का प्रतिपादन व दिशानिर्देशों, आदर्श भवन निर्माण उपनियमों, का कार्यान्वयन आदि के माध्यम से अन्य के साथ-साथ शहरी निर्धनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समग्र आयोजना, आर्थिक आयोजना, आपदा प्रबंधन और भू-उपयोग व परिवहन के बीच अधिक एकीकरण द्वारा शहरी आयोजना को सुदृढ़ करने के उपाय किए गए हैं।

सड़कों का मुख्य नेटवर्क

489. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सहित राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों के मुख्य नेटवर्क में कतिपय मार्गों को शामिल किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) राज्यों को आवश्यकता के अनुसार, 2005 के अंत तक, 2003 में तैयार की गई बुनियादी कोर नेटवर्क की समीक्षा करने का अवसर देने के बाद, सभी राज्यों के कोर नेटवर्क को अंतिम रूप दिया गया है। तथापि, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने कोर नेटवर्क की समीक्षा करने/बसावटों की सड़क-संपर्क स्थिति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है। इन राज्यों को पूर्ण सर्वेक्षण और/अथवा तीसरे पक्ष द्वारा शत-प्रतिशत जांच के पश्चात् अपने कोर नेटवर्क और सड़क-संपर्क स्थिति में संशोधन करने की अनुमति दी गई है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित वित्तीय मामले

490. श्री विजय कृष्ण: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में वित्तीय मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जनवरी, 2009 के अंत तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) मामलों के एक प्रवर्ग के रूप में लंबित वित्तीय मामलों की संख्या को केंद्रीकृत रूप में नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

महानगरीय शहरों में जलापूर्ति के लिए योजना

491. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महानगरों में जल की कमी के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महानगरों में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए एक समेकित व्यापक योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जल के विविध उपयोग के औसत राष्ट्रीय

परिप्रेक्ष्य के संबंध में जल की आयोजना एवं समन्वय की जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्रालय की है। जल संसाधन मंत्रालय (नोडल मंत्रालय) के राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट 1999 के अनुसार घरेलू एवं म्यूनिसिपल उपयोग की भावी जल की मांग निम्नवत आंकलित की गयी है:-

घरेलू एवं म्यूनिसिपल उपयोग की राष्ट्रीय जल आवश्यकता (मात्रा क्यूबिक किलोमीटर में)

परिदृश्य	वर्ष 2010	वर्ष 2025	वर्ष 2050
कम मांग-कुल	42	55	90
उच्च मांग-कुल	43	62	111
कुल उपयोग योग्य जल स्रोत (सतह जल + भू-जल)	1086	1086	1086

राष्ट्रीय जल नीति 2002 में उपलब्ध जल संसाधनों से पेय जलापूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इसमें कहा गया है कि मानव एवं पशुओं की पेय जल की आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध जल से होनी चाहिए।

इसके अलावा, जल संसाधन मंत्रालय ने देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 35 महानगरों हेतु राज्य सरकार के विभागों से जल की मांग एवं उपलब्धता संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए हैं। यह आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

तथापि, चूंकि देश में 35 महानगर व्यापक और विधि भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हैं इसलिए पर्याप्त अवस्थापना के सृजन हेतु धनराशि की कमी एवं जल के रिसाव के कारण महानगरों में जलापूर्ति की कमी हो सकती है।

(ग) और (घ) जलापूर्ति राज्य का विषय है और राज्य की योजना निधि से राज्य पीएचईई/शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से जलापूर्ति की आयोजना एवं डिजाइन, कार्यान्वयन एवं संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की है। तथापि, शहरी विकास मंत्रालय, मेट्रोपोलिटन शहरों समेत सभी शहरों में पर्याप्त जल की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 35 मेट्रोपोलिटन शहरों के लिए 101 जलापूर्ति परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जो कि स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या का 24% है।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

क्र.सं.	शहरी समूह	जल की मांग		जल उपलब्धता/आपूर्ति		जलापूर्ति का वर्तमान स्रोत	भविष्य की मांग को पूरा करने के संसाधन
1	2	3		4		5	6
1.	लुधियाना (पंजाब)	242 (एमएलडी) (घरेलू) + 125 (एमएलडी) (औद्योगिक)	580 (एमएलडी) (घरेलू) + 160 (एमएलडी) (औद्योगिक)	375 (एमएलडी)	भविष्य में कोई कमी नहीं होगी।	ट्यूबवैल के माध्यम से भूजल। उद्योग अपना स्वयं का प्रबंध कर रहा है।	50% कैनाल (सिधावन कैनाल) के माध्यम से एवं 50% ट्यूबवैल द्वारा। अनुमान है कि उद्योग अपना प्रबंध स्वयं करेगी।
2.	अमृतसर (पंजाब)	175 (एमएलडी) (घरेलू) + 42.11 (एमएलडी) (औद्योगिक)	267 (एमएलडी) (घरेलू) + 52.64 (एमएलडी) (औद्योगिक)	232.56 (एमएलडी)	भविष्य में कोई कमी नहीं होगी।	ट्यूबवैल के माध्यम से भूजल। उद्योग अपना स्वयं का प्रबंध कर रहा है।	50% कैनाल (यूबीडीसी प्रणाली) के माध्यम से एवं 50% ट्यूबवैल द्वारा। अनुमान है कि उद्योग अपना प्रबंध स्वयं करेगी।
3.	फरीदाबाद (हरियाणा)	औद्योगिक प्रयोग के लिए 29.5 एमजीडी (133 एमएमलडी) सहित 89.5 एमजीडी (406 एमएलडी) एवं शेष अन्य उपयोगों के लिए	160.77 एमजीडी (730 एमएलडी) सहित 41.8 एमजीडी (189 एमएलडी) औद्योगिक और अन्य उपयोगों के लिए शेष	40 एमजीडी (182 एमएलडी) वर्तमान कमी 49.5 एमजीडी (225 एमएलडी) है	प्रक्षेपित जल आपूर्ति मांग को कैनाल प्रणाली द्वारा पूरा किया जायेगा। एक ट्यूबवैल एवं रैनी वैल्स	ट्यूबवैल द्वारा	कैनाल जल (मेवात कैनाल) एवं भूजल

1	2	3		4		5	6
4.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	255 (एमएलडी) (घरेलू) + 80 (एमएलडी) (औद्योगिक)	482 (एमएलडी) (घरेलू) + 80 (एमएलडी) (औद्योगिक)	कुल आपूर्ति 265 (एमएलडी) है। कमी 70(एमएलडी) है	पहचाने गये स्रोत से 630 (एमएलडी)	कोलार नदी, ऊपरी झील, ट्यूबैल एवं डगवैल	कोलार नदी, ऊपरी झील, भूजल नर्मदा नदी
5.	इन्दौर (मध्य प्रदेश)	318.20 (एमएलडी) (घरेलू) कोई मुख्य उद्योग नहीं	671 (एमएलडी) (घरेलू) किसी उद्योग का उल्लेख नहीं	कुल आपूर्ति 183.5 एमएलडी है। कमी 134.70 एमएलडी है	487.5 (एमएलडी) की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसे नर्मदा नदी पर परियोजना निर्माण करके दूर किया जायेगा।	नर्मदा नदी यशवंत सागर जलाशय एवं भूजल	नर्मदा नदी पर अतिरिक्त जल परियोजना। नर्मदा नदी पर एक मुख्य परियोजना की भी आवश्यकता है।
6.	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	214.312 (एमएलडी) (घरेलू) + 25 (एमएलडी) (औद्योगिक)	327 (एमएलडी) (घरेलू) + 25 (एमएलडी) (औद्योगिक) जो कि केवल वर्तमान मांग है	कुल आपूर्ति 145 एमएलडी है। कमी 94.51 एमएलडी है।	2021 के लिए अपेक्षित अनुमान निर्धारित स्रोतों से प्राप्त किया जायेगा।	खंडरी बांध एवं गौर नदी। परियात बांध एवं फगुआ घाट नर्मदा नदी एवं भूजल	तिलवाड़ा घाट के नजदीक नर्मदा नदी पर इनटेक हेतु स्थान पहचाना जा चुका है जिससे जल एवं भूजल की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
7.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	956 (एमएलडी) (210 एमजीडी)	817 (एमएलडी) (400 एमजीडी)	कुल आपूर्ति 770 एमएलडी (170 एमजीडी) है। कमी 186 एमएलडी (40 एमजीडी) है।	निर्धारित किये गये स्रोत से 2000 एमएलडी (400 एमजीडी)	ओसमान सागर इमायत सागर, मंजीरा फेज-1 एवं 2 तथा मंजीरा फेज-3 एवं 4। बोरवैल से भूजल	भविष्य में पानी की मांग को पूरा करने के लिये एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव में तीन चरणों में नागार्जुन सागर के आगे के किनारे से कच्चा पानी खींचने की व्यवस्था करती है।
8.	विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)	314 (एमएलडी) (69 एमजीडी) + 264 (एमएलडी) (58 एमजीडी) औद्योगिक आवश्यकता	521 (एमएलडी) (115 एमजीडी) + 592 (एमएलडी) (130 एमजीडी) औद्योगिक आवश्यकता	जीएमसी क्षेत्र के लिए कुल जलापूर्ति 168 एमएलडी (37 एमजीडी) है। कमी 146 एमएमलडी (32 एमजीडी) है।	जीएमसी क्षेत्र के लिए कुल जलापूर्ति 168 एमएलडी (37 एमजीडी) है। कमी 353 एमएलडी (78 एमजीडी) की होगी।	मुदासरलोवा, येलेरू, रेवादा, मेघाद्रीगेदा, थाटीपुडी, जलाशय स्कीम एवं गोस्थानी नदी।	येलेरू के बांये तरफ के मुख्य कैनाल एवं थाटीपुडी जलाशय से वर्तमान जल निकासी बढ़ाना। झंझावती जलाशय से पानी निकालना एवं गोदावरी नदी से अतिरिक्त पानी निकालना।
9.	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	150 (एमएलडी) (33 एमजीडी)	270 (एमएलडी) (60 एमजीडी)	कुल आपूर्ति 155 एमएलडी (34 एमजीडी) है।	निर्धारित स्रोतों से 270 एमएलडी (60 एमजीडी) है।	कृष्णा नदी (सतह स्रोत) एवं भूजल से (कृष्णा नदी में इनफिलट्रेशन गैलरी सहित)	कृष्णा नदी (सतह स्रोत) एवं भूजल से (कृष्णा नदी में इनफिलट्रेशन गैलरी सहित)
10.	बंगलौर (कर्नाटक)	1176 एमएलडी एलडीआर 1680 एमएलडी एचडीआर	2232 एमएलडी (एचडीआर एवं एलडीआर) 1910 एमएलडी (एलडीआर एवं एलडीआर) 3189 एमएलडी (एलजीआर एवं एचडीआर) 2729 एमएलडी (एलजीआर एवं एचडीआर)	705.5 एमएलडी	2575 एमएलडी	1. अर्कवती 2. कावेरी (i) चरण-1 (ii) चरण-2 (iii) चरण-3	कावेरी चरण-4 फेज-1 फेज-2 कावेरी चरण-5 2025 तक जल की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त। 2025 के बाद मांग को पूरा करने के लिए बीडब्ल्यू एसएसबी को नये संसाधनों को खोजना पड़ेगा।
11.	नागपुर (महाराष्ट्र)	361 एमएलडी	600 एमएलडी (155.25 एलपीसीडी की खपत दर हेतु) 670 एमएलडी (172.50 एलपीसीडी की खपत दर हेतु)	430 एमएलडी	2670 एमएलडी	गोरेवाड़ा टैंक कान्हन नदी एवं पेंच सिंचाई परियोजना	कान्हन नदी पर रहारी बैरेज (350 एमएलडी) जमघट एर्ई परियोजना 1827 एमएलडी। 450 एमएलडी की अतिरिक्त भूजल

1	2	3		4		5	6
12.	ग्रेटर मुंबई (महाराष्ट्र)	3878 एमएलडी (जीएमएमसी मानक के आधार पर कुल आवश्यकता) 2056 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर घरेलू आवश्यकता)	5081 एमएलडी (जीएमएमसी मानक के आधार पर कुल आवश्यकता) 2741 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर घरेलू आवश्यकता)	2906 एमएलडी (सतह जल) 60 एमएलडी (भूजल)	5293 एमएलडी (सतह जल) 288 एमएलडी (भूजल)	तुलसी झील, वेहड़ झील, तनसा बांध, वैतरणा बांध, अपर वैतरणा बांध, भदसा बांध एवं भूजल	मीडिल वैतरणा, गरगई, पिंजल, कालू परियोजना एवं भूजल
13.	नासिक	199 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर) 179 एमएलडी (135 एलपीसीडी के साथ एनएमसी के अनुसार)	345 एमएमलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर)	7 एमएलडी गैर घरेलू मांग सहित कुल जलापूर्ति 185 एमएलडी है	325 एमएलडी सतह स्रोत से तथा 16 एमएलडी भूजल स्रोत से	गंगापुर डैम एवं दरना डैम	गंगापुर डैम एवं दरना डैम तथा गौतमी एवं कश्यपी डैम के साथ निर्माण
14.	पुणे (महाराष्ट्र)	635 एमएलडी (जीएमएमसी मानक के आधार पर कुल आवश्यकता) 468 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर घरेलू आवश्यकता)	777 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर)	वर्तमान में पीएमसी एरिया को 750 एमएलडी जल आपूर्ति की जाती है	खड़क वासला परियोजना से 892.20 एमएलडी तथा भूजल से 29.64 एमएलडी अतिरिक्त	खड़क वासला परियोजना एवं तेमगढ़ डैम	पीएमसी को नए स्रोत निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि खड़क वासला परियोजना से जल लेने की स्वीकृति 2002 तक वैध है।
15.	कोलकाता (प. बंगाल)	2258.4 एमएलडी	3124 एमएलडी	3207.7 एमएलडी	भविष्य की आवश्यकताएं सतह एवं भूजल स्रोत से प्राप्त की जा सकती है।	केयूए के लिए सतह जल का स्रोत केवल हुगली नदी है। जल शोधन यंत्र जल आपूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। गहरे ट्यूबवैल एवं हैंड ट्यूबवैल द्वारा भी भूजल उपयोग किया जाता है	भविष्य की मांग नए प्लांट लगाकर तथा मौजूदा शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर जैसे गार्डन रीच वाटर वर्क्स एवं पलटा वाटर वर्क्स के द्वारा दूर किया जाना प्रस्तावित है।
16.	आसनसोल (प. बंगाल)	136.35 एमएलडा	206 एमएलडी	165 एमएलडी	भविष्य में आपूर्ति की कमी 14 एमएलडी अनुमानित है।	दामोदर, अजय एवं बराकर नदी	आरसीएफए पार्ट-3 जलापूर्ति स्कीम की पूर्णतः भूजल संसाधन का पता लगाना
17.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	588.50 एमएलडी	1226.50 एमएलडी	310 एमएलडी	1600 एमएलडी	गंगा नदी, कैनाल एवं ट्यूबवैल	गंगा बैरेज कानपुर
18.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	270.97 एमएलडी	425.79 एमएलडी	आंकड़ा रिपोर्ट में नदी दर्शायी गई है।	गोकुल बैरेज एवं आगरा बैरेज से 345 क्यूसेक	यमुना नदी एवं ट्यूबवैल	गोकुल बैरेज एवं प्रस्तावित आगरा बैरेज
19.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	431 एमएलडी	776 एमएलडी	410 एमएलडी	भविष्य की आवश्यकता शारदा सहायक कैनाल प्रणाली से पूरी की जाएगी	गोमती नदी एवं ट्यूबवैल	शारदा सहायक कैनाल प्रणाली का तीसरा एवं चौथा जल कार्य
20.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	210 एमएलडी	330 एमएलडी	235 एमएलडी	भविष्य की आवश्यकता द्वितीय जल संबंधी कार्य से पूरी की जाएगी	गंगा नदी एवं ट्यूबवैल	
21.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	180 एमएलडी	300 एमएलडी	140 एमएलडी	भविष्य की आवश्यकता द्वितीय जल संबंधी कार्य से पूरी की जाएगी	यमुना नदी एवं ट्यूबवैल	भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए द्वितीय जल संबंधी कार्य प्रस्तावित की गई है।
22.	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	267.37 एमएलडी	400.20 एमएलडी	267.37 एमएलडी	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शायी गई है	ट्यूबवैल	

1	2	3	4	5	6	7
23.	पटना (बिहार)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है	628 एमएलडी (6.28 लाख कि.ली. प्रति दिन)	135 एमएलडी (1.35 लाख कि.ली. प्रति दिन) एवं 60000-80000 कि.ली. प्रति दिन	2021 एवं उसके बाद की भावी आवश्यकताओं को भूजल से दूर किया जा सकता है	72 उच्च क्षमता ट्यूबवैल	भूजल अधिक मात्रा में उपलब्ध है। 2021 एवं उसके बाद के समय के लिए भावी आवश्यकता पूरी की जा सकती है।
24.	जमशेदपुर (झारखण्ड)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है	601 एमएलडी (6.01 लाख कि.ली. प्रति दिन)	वर्तमान आवश्यकता सतही जल स्रोत से पूरी की जाती है	भावी उपलब्धता केवल सतही जल स्रोत से	डिमना लेक, सितारमपुर लेक, मैंगो ब्रिज के नजदीक लो हाइट वेयर द्वारा निर्मित स्वर्ण रेखा पर पौंडिंग से पंपिंग द्वारा	स्वर्ण रेखा पर चाडिल डैम तथा खरकई नदी पर इचाडैम
25.	धनबाद (झारखंड)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है	653 एमएलडी (6.53 लाख कि.ली. प्रति दिन)	वर्तमान आवश्यकता सतही जल स्रोत से पूरी की जाती है	भावी उपलब्धता केवल सतही जल स्रोत से	दामोदर नदी पर जमादोबा पर छोटा जलाशय	बोकारो बैराज एवं कोनार डैम
26.	चेन्नई (तमिलनाडु)	809 एमएलडी	1230 एमएलडी	299 एमएलडी	भावी उपलब्धता सतही जल, भूजल एवं समुद्री जल स्रोत से	पुंदी, चोलावरम एवं रेडहिल्स जलाशय प्रणाली एवं भू-जल	अंतराल कृष्णा जल आपूर्ति परियोजना द्वारा दूर की जायेगी। शेष आवश्यकता अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाए।
27.	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	249.441 एमएलडी	437.858 एमएलडी	153.284 एमएलडी 96.157 एमएलडी का अंतर	276.254 एमएलडी 161.604 एमएलडी का अंतर	सिरुवानी नदी स्रोत पिल्लूर जल आपूर्ति स्कीम	पिल्लूर नदी स्कीम-2, नेलीथुरई के नजदीक भवानी नदी से कोंडम पलायम एवं वादावल्ली टाउन पंचायत के लिए स्कीम तथा अलयार नदी स्कीम
28.	मदुरै (तमिलनाडु)	215.04 एमएलडी	264.53 एमएलडी	115 एमएलडी 99.96 एमएलडी का वर्तमान अंतर	भावी उपलब्धता प्रस्तावित जलापूर्ति स्कीम से बढ़ाने की संभावना है।	वैगेई जल आपूर्ति स्कीम के माध्यम से सतही जल/6 पिकप वेल्स से उप सतही जल। मिलाकत, थैटकामपट्टू, कलेक्टरवेल, कोचयेडी, मनालू एवं थिरुपुवनम	कल्लर नदी आपूर्ति स्कीम। कावेरी नदी स्रोत, मदुरै नगर निगम में तथा उसके आस-पास टैंकस एवं आपूर्ति चैनल का पुर्नरुद्धार तथा रिवरबेडस से पानी खींचने की अपेक्षा वैगेई डैम से सीधे अतिरिक्त जल लाने हेतु प्रस्ताव।
29.	कोच्ची (केरल)	274.2 एमएलडी	358.7 एमएलडी	250 एमएलडी	विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा मांग के लगभग समान उपलब्धता की जायेगी।	कोच्ची जलापूर्ति स्कीम और सात अन्य जलापूर्ति स्कीमें	वर्तमान संसाधनों से अलग, दो बढ़ाने की स्कीमें और चार नई जलापूर्ति स्कीमें।
30.	राजकोट (गुजरात)	135 (घरेलू मांग) 162 एमएलडी (कुल मांग)	315 एमएलडी	94 एमएलडी 69 एमएलडी की कमी	94 एमएलडी 221 एमएलडी की कमी	आजी-1 जलापूर्ति स्कीम, न्यारी-1 जलापूर्ति स्कीम, भदर जलापूर्ति स्कीम, न्यारी-2 जलापूति स्कीम, माही नहर से पेय जल	यह सुझाव दिया जाता है कि मिट्टी के बांध को ऊंचा करके न्यारी-1 बांध की क्षमता बढ़ाना और वाटर वियर को चौड़ा करना। वितरण नेटवर्क बढ़ाना प्रस्तावित भी किया जाता है।
31.	सूरत (गुजरात)	573 एमएलडी	1440 एमएलडी	स्थापित क्षमता (सतही + भू) 673 एमएलडी है। औसत जल आपूर्ति 540 एमएलडी है।	जलापूर्ति मास्टर प्लान में वर्ष 2021 में 24×7 जलापूर्ति की परिकल्पना की गई है	तापी नदी जल का मुख्य स्रोत है। जल कार्य वरच्छा, सारथाना कटरगाम और रांदर है।	वर्षा जल रिचार्जिंग और हारवेस्टिंग प्लान मौजूदा अवसंरचना का आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि।

1	2	3		4		5	6
32.	वडोदरा (गुजरात)	275.90 एमएलडी	460 एमएलडी	275.85 एमएलडी वर्तमान में कोई कमी नहीं है।	275.85 एमएलडी भविष्य में 184 एमएलडी की कमी दिखाई गई है।	श्री स्याजी सरोवर माही नदी फाजलपुर में फ्रेंचवल, पोएचा, राइक, डोडका ट्यूवैल	वडोदरा नगर निगम ने 2 मास्टर प्लान तैयार किए हैं। नर्मदा नदी बेसन की स्रोत वृद्धि और वितरण प्रणाली का उन्नयन।
33.	अहमदाबाद (गुजरात)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है	279 एमबीडी (1266 एमएलडी)	प्रतिदिन औसत जलापूर्ति 529.786 एमएलडी है।	भविष्य में 334 एमबीडी अनुमानित आपूर्ति (1516 एमएलडी)	डीडो डब्ल्यू पर फिल्टर प्लांट, फ्रेंचवल रासका परियोजना, इंटेक वेल-1, बोरवैल	डीडो डब्ल्यू पर फिल्टर प्लांट, फ्रेंचवल रासका परियोजना, इंटेक वेल-1, इंटेकवेल-2 और बोरवैल
34.	दिल्ली (दिल्ली)	क. 893 एमसीएम* (2445 एमएलडी) ख. 1326.56एमसीएम** (3632 एमएलडी)	क. 1574 एमसीएम (4310 एमएलडी) ख. 2288 एमसीएम (6265 एमएलडी)	1231.04 एमसीएम प्रति वर्ष (3369 एमएलडी)	4017.28 एमसीएम प्रतिवर्ष (11000 एमएलडी)	यमुना नदी, गंगा नदी, भाखड़ा स्टोरेज और भूजल	वर्तमान स्रोतों के अलावा, जल प्रस्तावित टेहरी रेणुका, किसाऊ और लखवरव्यासी बांध से उपलब्ध किया जाना भी प्रस्तावित किया जाता है।
35.	जयपुर (राजस्थान)	361.1 एमएलडी (बीआईएस मानक) 349 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक)	796.5 एमएलडी 885 एमएलडी	वर्तमान जलापूर्ति 313 एमएलडी की है।	प्रस्तावित सतही जल स्रोत से पानी की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है।	ट्यूबवैल, रामगढ़ लेख और शहरी क्षेत्र से बाहर ट्यूबवैल, हैंडपंप, कैविटी वैल	वर्तमान विशालपुर बांध से और प्रस्तावित इसरदहा बांध से

(क) *सीपीएचईईओ मानदण्ड @ 172 एलपीसीडी के अनुसार

(ख) ** दिल्ली जल बोर्ड प्रस्ताव @ 274 एलपीसीडी के अनुसार

नोट: यह ब्यौरा राज्य सरकारों से संबंधित विभागों द्वारा जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को दिए गए आंकड़ें/सूचना के आधार पर है।

[अनुवाद]

दिल्ली में संपत्तियों का अंतरण

492. श्री पी. करुणाकरन:
श्री पारसनाथ यादव:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि और विकास कार्यालय द्वारा दिल्ली में संपत्तियों के अंतरण हेतु दी जाने वाली विक्रय अनुमति को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों को अपनी संपत्तियों को फ्री-होल्ड कराने संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लीजहोल्ड अधिकार से फ्रीहोल्ड अधिकार में अंतरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर इस संबंध में सरकार की नीति, दिशानिर्देशों एवं अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसमें आवेदन पत्र भरना, अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना, संपत्ति का निरीक्षण करना, प्रभारों की गणना एवं उनको अंतिम रूप देना, आवेदक द्वारा प्रभारों का भुगतान इत्यादि शामिल है। इसमें शामिल प्रक्रिया लीजहोल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में अंतरण करने की प्रक्रिया भली भांति प्रलेखबद्ध है और एल एंड डी ओ के अधिकारी इस प्रक्रिया को बताते हैं तथा कठिनाई की स्थिति में आवेदकों की सहायता करते हैं।

सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को पोजेशन लैटर जारी करना

493. श्री तूफानी सरोज: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एईसीजीएचएस के सहित विभिन्न सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के सभी सदस्यों को पोजेशन लैटर जारी कर दिया गया है जिनका दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नवंबर/दिसंबर, 2008 में ड्रा निकाला गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सोसायटियों के सभी सदस्यों को कब तक पोजेशन लैटर जारी कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) डीडीए ने यह सूचित किया है कि संबंधित सहकारी समूह आवास सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों को कब्जा पत्र जारी किए जाते हैं। डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि नवम्बर/दिसंबर, 2008 में पांच सोसायटियों, जिनका ड्रा हुआ था, में से चार सोसायटियों के संबंध में डीडीए द्वारा ड्रा की अभिपुष्टि के पत्र जारी किए जा चुके हैं। शेष एक सोसायटी, अशोका एंक्लेव सीजीएचएस के मामले में डीडीए द्वारा ड्रा की अभिपुष्टि का पत्र जारी नहीं किया जा सका, क्योंकि ड्रा के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी। मामला सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार को भेजा गया है।

सरकारी क्वार्टरों का नवीकरण/सफेदी

494. श्री एम. शिवन्ना:
श्री बची सिंह रावत 'बचदा':

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली में विशेष रूप से लोदी कालोनी, किदवई नगर तथा लक्ष्मीबाई नगर में नए आवंटन के पूर्व टाइप-2 तथा टाइप-4 के सरकारी क्वार्टरों को नवीकृत/उन्नयन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नवीकरण हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ग) गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुल कितने क्वार्टर नवीकृत किए गए;

(घ) क्या लक्ष्मीबाई नगर टाइप-4 तथा टाइप-2 के सरकारी क्वार्टरों की बाहरी दीवारों पर सफेदी का कार्य अब तक नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक सफेदी का कार्य किया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों में हडको योजना

495. श्री महावीर भगोरा: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या उपबंध और मानदंड हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान हडको द्वारा कितनी योजनाओं का वित्तपोषण किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान हडको द्वारा वित्तपोषित कुछ योजनाओं को राज्य सरकारों ने अपनी मंजूरी नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हडको द्वारा वित्तपोषित योजनाओं को राज्यों के लिए और अधिक व्यवहार्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) में बीओटी आपरेटर/कन्शेसनर्ज और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों सहित आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण, शहर सुधार ट्रस्ट, नगर निगम, पुलिस आवास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान/निगम जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड, आवास और शहरी विकास हेतु राज्य संबंधी कार्य की एजेंसी, नई कस्बा विकास एजेंसी, क्षेत्रीय योजना बोर्ड, राज्य सरकार और अन्य संगठनों के लिए आवास एवं अवसंरचना स्कीम हेतु ऋण की व्यवस्था की गई है।

हडको ऋण के ब्याज की दर और वित्तपोषण के मानदण्ड मौजूदा वित्तीय पद्धति के अनुसार लागू है। अद्यतन वित्तीय पद्धति की प्रति (दिनांक 10.2.2009 से लागू) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले प्रत्येक पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हडको द्वारा वित्तपोषित स्कीमों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	आवास	शहरी अवस्थापना	कुल
2003-04	221	143	364
2004-05	191	126	317
2005-06	123	101	224
2006-07	152	135	287
2007-08	156	150	306
2008-09 (दिनांक 31.1.09 को स्थिति)	62	62	124

(ग) और (घ) राज्य सरकार की स्कीमों के मामले में हडको संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद ही स्कीमों की स्वीकृति प्रदान करता है।

(ङ) सामाजिक आवास और मुख्य अवस्थापना स्कीमों के मामले में हडको रियायती ब्याज दरों पर स्कीम का वित्तपोषण करता है।

विवरण

1.6. वित्तपोषण मानदण्ड (दिनांक 10.2.2009 से लागू)

1.6.1. आवास/अवसंरचना परियोजना ऋण और प्राप्त किया गया वित्त (हडको निवास मकान ऋण)

नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार वित्तपोषण मानदण्डों को बदलने का निर्णय लिया गया है:-

भाग क

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम वित्तपोषण (%)*तक	फ्लोटिंग आधार (बी आर = 13.50%) प्रति वर्ष**	***नियत दर (एफ आर) = (बी आर - 1%) प्रति वर्ष
1	2	3	4	5
ए.	सभी उधार लेने वालों द्वारा ईडब्ल्यूएस आवास	90		
क.	विधवाओं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग, 35 वर्ष से ऊपर की अकेली स्त्री और प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र		2.50% से कम बीआर (अर्थात् 11.00%)	2.50% से कम एफआर (अर्थात् 12.00%)
ख.	ईडब्ल्यूएस परिवारों को लाभ पहुंचाने की स्कीमों सहित अन्य और कार्य योजना परियोजनाएं		2.25% से कम बीआर (अर्थात् 11.25%)	2.25% से कम बीआर (अर्थात् 12.25%)
बी.	सभी उधार लेने वालों द्वारा एलआईजी आवास परियोजनाएं	दिशा-निर्देशों के अनुसार	1.50% से कम बीआर (अर्थात् 12.00%)	1.50% से कम एफआर (अर्थात् 13.00%)
सी.	अन्य दूसरी स्कीमें अर्थात् उपर्युक्त ए और बी के अनुसार दी गई स्कीमों के अलावा दूसरी स्कीमें			
(i)	पुलिस संगठन और सरकार/उधार लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र	90	0.75% से कम बीआर #अर्थात् (12.75%)	0.75% से कम एफआर #अर्थात् (12.75%)

1	2	3	4	5
(ii)	प्रत्यक्ष सरकारी उधार/रेटिड सरकारी एजेंसी (एए और इससे ऊपर या सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और एफआईटीसीएच) द्वारा इसके समकक्ष रेटिंग और नवरतन और मिनी रतन पीएसयू और अन्य विशेष परियोजन वाहन	90	बीआर से 1.00% कम #अर्थात् (12.50%)	एफआर 1.00% कम #अर्थात् (13.50%)
(iii)	**** अन्य उधार लेने वाले	70		
	(क) रेटिंग नहीं की गई		बीआर + 1% (अर्थात् 14.50%)	एफआर + 1% (अर्थात् 15.50%)
	(ख) रेटिंग निजी कंपनियां (एए और इससे ऊपर या सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, सीएआरआई और एफआईटीसीएच)		बीआर + 0.75% (अर्थात् 14.25%)	एफआर + 0.75% (अर्थात् 15.25%)
	सभी ऋणों के लिए उपलब्ध ब्याज दरों में छूट			
	केवल बैंक गारंटी द्वारा प्रत्याभूत ऋण			0.25%

@ स्थावर सम्पदा परियोजनाएं (अर्थात् माल मार्किट, कार्यालय परिसर, आईटी पार्क, होटल, रिसोर्ट, मनोरंजन, सेज, रुपा, हैल्थ क्लब, स्वास्थ्य सुधार केन्द्र) हेतु सी (iii) (क) के लिए बीआर/एफआर + 2.5%) की दर लागू होगी।

@@ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्थावर सम्पदा (आवास और वाणिज्यिक) मिश्रित परियोजना हेतु निजी क्षेत्र आवास और वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु लागू दर ब्याज की दर होगी।

निजी क्षेत्र को मिश्रित वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु (स्थावर सम्पदा से अलग-वाणिज्यिक और आवासीय), सरकारी क्षेत्र की स्कीम से 0.25% अधिक ब्याज दर या मिश्रित भागीदार की सामान्य ब्याज दर जो भी ज्यादा हो, ब्याज दर होगी।

* अधिकतम वित्त उपलब्ध है। तथापि, वास्तविक ऋण, ऋण इक्विटी अनुपात, डीपीआर के अनुसार वित्तपोषण के तरीके, सुरक्षा मांग, अधिकतम वित्त जो भी कम हो, के आधार पर होगा।

** हडको फ्लोटिंग 8 बेस रेट (बीआर) और यथा आवश्यक इसके विस्तार करने की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

*** नियत दर (एफआर) पर स्वीकृत ऋण/जारी ऋण स्वत: ही प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति पर पहली बार जारी करने की तिथि से उस समय की लागू नियत दरों पर पुन: निर्धारित किए जाएंगे। पुन: निर्धारण त्रैमासिक/मास के प्रथम दिन से (बिलिंग चक्र के अनुसार) प्रभावी होगा जिस महीने में पुन: निर्धारण देय हो। इस समझौते के आवश्यक प्रावधान आवश्यक रूप से यह बताएंगे कि "उधार लेने वाला" एक समय की नियत दरों (एफआर) पर ऋण के पुन: निर्धारण के मामले में एक अनुपूरक समझौते का निष्पादन होगा। तथापि, उधार लेने वालों को स्वत: पुनर्निर्धारण के विकल्प के रूप में 3 वर्ष बाद बिना पूर्व भुगतान किए ऋण का पूर्व भुगतान करने का एक विकल्प दिया जाता है।

**** उधार लेने वालों द्वारा ऋण की पूरी अवधि के दौरान एए रेटिंग या इससे ऊपर रेटिंग बनाए रखने के अध्यधीन, तथापि, विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार ब्याज दर में छूट, रेटिंग की वैधता के दौरान अर्थात् रेटिंग की तिथि से या ऋण जारी करने की तिथि जो भी बाद में हो और रेटिंग की वैधता अवधि तक उपलब्ध होगा। उधार देने वाला, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से पहले वार्षिक रेटिंग भी प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत से पहले एए रेटिंग से नीचे तदन्तर डाउनग्रेडिंग के मामले में 'बिना रेटिड' उधार लेने वालों को लागू ब्याज दर डाउनग्रेडिड/प्रस्तुत न की गई बाकी रेटिंग की अवधि हेतु अगले बिल के पहले दिन से प्रभावी होगी।

भाग क के लिए नोट

1. उधार लेने वाले ऋण आवेदन पत्र के साथ सेवाकर जोड़कर अदा न किये जाने वाला शुल्क जमा करेगा। इसके अलावा, सेवा कर जोड़कर अदा न किए जाने वाला शुरूआती शुल्क भी देय होगा जिसे स्वीकृति पत्र जारी करने के बाद प्रथम बार जारी करने (सरकार/सरकारी कर्जदार को लागू) से अग्रिम रूप में अदा किया जा सकता है अथवा समायोजन किया जा सकता है।

श्रेणी	ऋण की राशि का प्रतिशत (%)	
	आवेदन शुल्क # (सेवा कर को छोड़कर)	शुरूआती शुल्क* (सेवा कर को छोड़कर)
ईडब्ल्यूएस, कार्य योजना परियोजनाएं	0.10	0.25
अन्य. दूसरी परियोजनाएं	0.10	0.50

\# सेवा कर जोड़कर न्यूनतम 10,000 रु. और सेवाकर जोड़कर 10,000 रु. की नई सीमा तक पूर्ण राशि करने सहित अधिकतम 5 लाख रु. के अध्यधीन, इसके अलावा सरकार/सरकारी क्षेत्र कर्जदार को प्रस्ताव/नियोजन के साथ आवेदन शुल्क का 50 प्रतिशत अदा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत राशि स्वीकृति पत्र के जारी करने से पहले भी अदा की जा सकती है।

* ईडब्ल्यूएस/कार्य योजना परियोजना हेतु सेवा कर को जोड़कर अधिकतम 10 लाख रु. और अन्य दूसरी परियोजनाओं के लिए सेवा कर को जोड़कर 100 लाख रु. के अध्यधीन।

नोट: केवल सरकार/सार्वजनिक कर्जदार की सभी परियोजनाओं पर 0.25% की दर से आर और डी फ्लोर वापिस भुगतान कर के रूप में लगाया जाएगा (निजी क्षेत्र के कर्जदार से अलग) जिनको हडको द्वारा निर्धारित आर और डो के दिशानिर्देशों के अनुसार इस राशि का प्रयोग करने की अनुमति होगी। तथापि, उधार लेने वालों को पूरी दर पर वसूली या कम दर या कोई वसूली न करने का विकल्प दिया जाएगा।

2. उन सरकारी/सार्वजनिक उधार लेने वालों से सरकारी गारंटी की लंबित प्राप्ति पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में शामिल नहीं रही है, प्रथम किश्त या ऋण राशि का 25 प्रतिशत जो भी कम हो सरकारी गारंटी की प्राप्ति या एक वर्ष जो भी पहले हो, पर 1 प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज (जोखिम) लगाकर जारी की जा सकती है। तथापि सरकारी गारंटी की प्राप्ति 1 वर्ष समाप्त होने पर भी प्राप्त न होने के मामले में, जारी ऋण, गैर-प्रयुक्त ऋण माना जायेगा और गैर-प्रयुक्त ऋण से संबंधित अध्याय के भाग 'ख' में यथा निहित प्रावधान लागू होगा।

3. धनराशि का भुगतान समय पर न करने पर ऋण राशि का भुगतान वापिस करने की विलंबित अवधि हेतु प्रभार वसूला जाएगा और देय ब्याज का भुगतान करना होगा।

4. भविष्य में होने वाली स्वीकृति और जारी धनराशि और अन्य निबंधन एवं शर्तें, इन मानदण्डों द्वारा नियंत्रित होंगी।

5. लाभ प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी कारपोरेट के संबंध में आवेदन की स्वीकृति लेखों से लाभ पहुंचाने वाला पहलू का सत्यापन किया जाता है और उधार लेने वाले को पिछले वर्ष के दौरान कोई हानि/संचित हानि नहीं होती है। नये शामिल किए गये उधार लेने वाले/विशेष प्रयोजन वाहन के मामले में, परियोजना/प्रशासनिक व्यय या प्रारंभिक व्यय/आरंभ पूर्व प्रकृति के कारण हुई हानि, हानि पहुंचाने वाले उधार लेने वाला नहीं माना जाएगा और ऋण आवेदन की स्वीकृति हेतु इसके मुख्य रूप से प्रोत्साहन करने वाली कंपनी के बारे में विश्लेषण भी किया जा सकता है। पिछले वर्ष और/संचित हानि के दौरान प्रचालन हानि वाले ऋण गैर-सकरारी कारपोरेट से कोई आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाए। तथापि, इस शर्त पर सरकारों/सरकार के स्थानीय निकायों से ऋण प्रस्तावों के संबंध में जोर नहीं दिया जाएगा।

6. ब्याज दर का अर्थ वित्तीय पद्धति में उल्लिखित विभिन्न रियायतों, छूट, प्रोत्साहन के साथ समायोजन करना है।

7. उपर्युक्त यथा परिभाषित ब्याज दरों में प्रत्येक संशोधन की तिथि से फ्लोटिंग ब्याज दर के अंतर्गत शामिल एजेंसी के कुल देय राशि पर संशोधित ब्याज दर लागू होगी।

[अनुवाद]

एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

496. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बीच एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरआईएल ने इस समझौते के मानदण्डों का उल्लंघन किया है: और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):

(क) से (घ) एनटीपीसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत 17 वर्ष की अवधि के लिए कवास-2 एवं गांधार-2 विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस 132 की दर पर ट्रिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (टीबीटीयू) प्रति वर्ष की खरीद हेतु बोली आमंत्रित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को न्यूनतम तकनीकी वाणिज्यिकी स्वीकार्य बोलीकर्ता के रूप में आंका गया है और एनटीपीसी ने उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तद्नुसार, दिनांक 16.6.2004 को आरआईएल को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था और आरआईएल द्वारा इसकी विधिवत प्राप्ति तथा पुष्टि हो गई है।

आशय पत्र जारी होने के पश्चात्, आरआईएल ने गैस की बिक्री तथा क्रय करार (जीएसपीए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसने जीएसपीए के स्वीकृत मसौदे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की मांग की है। एनटीपीसी ने बोली प्रक्रिया के दौरान आरआईएल द्वारा स्वीकृत मसौदा के अनुसार विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न बैठकों में जीएसपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए आरआईएल के साथ संपर्क किया। यद्यपि, इन सभी प्रयासों के बावजूद आरआईएल ने बोली प्रक्रिया के दौरान स्वीकृत जीएसपीए पर हस्ताक्षर नहीं किए।

उपर्युक्त रवैये से निराश होकर, एनटीपीसी ने संविदा का विशिष्ट निष्पादन करने के लिए 20.12.2005 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया था। उक्त मामला वर्तमान में न्यायाधीन है।

मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 12.2.2007 को अपनी बैठक में प्राकृतिक गैस मूल्य आधार/सूत्र (फार्मूले) का अनुमोदन करते हुए उल्लेख किया था कि एनटीपीसी बनाम आरआईएल तथा आर एंड आर बनाम आरआईएल के मामलों में लिये गये निर्णय पूर्वाग्रह से रहित होंगे क्योंकि ये मामले पृथक् रूप से न्यायालय में विचाराधीन हैं।

अतिरिक्त/विस्तार कार्य का नियमन

497. श्री ई. दयाकर रावः
श्री पी. करुणाकरनः
श्री पारसनाथ यादवः
श्री गिरधारी लाल भार्गवः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को रिहायशी क्षेत्रों में पहले से किए गए अतिरिक्त/विस्तार कार्य जैसे बालकनी आदि का नियमन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पर इस दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) भूमि तथा विकास कार्यालय में सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड कराने के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिनांक 12.8.2008 की अधिसूचना के द्वारा यथा संशोधित दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों और निबंधन के अध्यधीन गैर-नियोजित क्षेत्रों (विशेष क्षेत्र, गांव आबादी और अनधिकृत नियमित कालोनियों सहित) और पुनर्स्थापित कालोनियों में, 1962 से पहले की कालोनियों में (ए और बी श्रेणी को छोड़कर) 24 मीटर मार्गाधिकार से कम चौड़ी सड़कों पर 175 वर्ग मीटर के प्लाटों हेतु भूमि स्तर से 3 मीटर की ऊंचाई से 1 मीटर से ऊपर तक दिनांक 7.2.2007 से पहले से मौजूद अधिनिर्माण, छज्जा/आच्छादित छज्जा, निर्मित भाग के नियमितीकरण की व्यवस्था की गई है। भू-स्वामी/कब्जा धारक द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र और आग संबंधी मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित है। यह नियमतीकरण दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद सर्वे और सूची को अन्तिम रूप दिए जाने के परिणाम के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) भूमि और विकास कार्यालय ने यह सूचना दी है कि दिनांक 16.2.2009 की स्थिति के अनुसार सम्पत्तियों का लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन हेतु 926 आवेदन पत्र लम्बित हैं। लीज होल्ड अधिकार से फ्री होल्ड अधिकार में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर सरकार द्वारा बनाई गई नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र जमा करना, अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति, सम्पत्ति का निरीक्षण, प्रभार की गणना और उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना और आवेदक द्वारा प्रभारों की अदायगी आदि शामिल है।

[हिन्दी]

अन्तरराज्यीय विद्युत व्यापार

498. श्री सूरज सिंहः
डा. चिन्ता मोहनः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उत्पादित बिजली का एक बड़ा हिस्सा कंपनियों द्वारा अन्तरराज्यीय विद्युत व्यापार के माध्यम से बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) क्या कई कंपनियां लाइसेंस जारी करने की विहित शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार से दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल विद्युत उत्पादन में अंतर्राज्यीय विद्युत व्यवसाय का हिस्सा 2006-07 में 2.41%, 2007-08 में 3.15% तथा 2008-09 (अप्रैल-अक्तूबर, 2008) में 2.97% था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राज्यीय व्यवसाय हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग पर अंतर्राज्यीय व्यवसाय से संबंधित विनियमों को जारी करने का दायित्व सौंपा गया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यावसायिक लाइसेंस प्रदान करने तथा संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया, शर्तें एवं निबंधन) विनियम, 2004 आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्राज्यीय व्यावसायिक लाइसेंसियों द्वारा लाइसेंस की शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए समुचित आयोग को सशक्त बनाता है। सीईआरसी ने सूचित किया है कि पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन (पीटीसी), डीएलएफ पावर लिमिटेड, वीजा पावर लि., कल्याणी पावर डेवलेपमेंट प्रा.लि., महालक्ष्मी एनर्जी ट्रेडिंग प्रा.लि. तथा महेश्वरी इस्पात लि. द्वारा विनियमों की आवश्यकता के गैर-अनुपालन के मामले उनके ध्यान में आए हैं। आयोग ने पीटीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 19.12.2008 के अपने आदेश में बताया कि अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस ने "ट्रेडिंग मार्जिन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है", भविष्य के लिए स्थिति के संशोधन का निर्देश दिया है। पीटीसी इंडिया ने विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण में इस आदेश के विरुद्ध अपील की है।

आयोग ने विनियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए शेष बिजली के व्यवसायियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय भी लिया है।

विवरण

2006, 2007 और 2008 के दौरान जारी किया गया लाइसेंस

क्र.सं.	याचिका सं.	आवेदक का नाम	लाइसेंस/स्थिति/श्रेणी जारी करने की तारीख
1	2	3	4
		वर्ष 2006	
1.	16/2005	सूर्यचक्र पावर कारपोरेशन लि., 3-6-725, प्रथम तल, गली नं. 11, हिमायत नगर, हैदराबाद-500 029	22.2.2006 "ए" श्रेणी
2.	161/2005	जेएसडब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लि., जिंदल मेंशनल, 5-ए, जी देशमुख मार्ग, मुंबई-400 026	25.4.2006 "एफ" श्रेणी
3.	98/2006	बीजीआर एनर्जी सिस्टम लि., इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट डिवीजन, 443, अन्ना सलाई, तेनमपेट, चेन्नई-600 018	7.12.2006 "एफ" श्रेणी
4.	76/2006	महालक्ष्मी एनर्जी ट्रेडिंग प्रा.लि., महालक्ष्मी हाऊस, 8-2-583/3, रोड नं. 9, बंजारा हिल्स, हैदराबाद दूरभाष: 040-23358953/54, फैक्स: 040-23358950	12.12.2006 "ए" श्रेणी
		वर्ष 2007	
1.	17/2007	वीजा पावर लिमिटेड, 9, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700 071	28.6.2007 "बी" श्रेणी

1	2	3	4
2.	60/2007	कल्याणी पावर डेवलेपमेंट प्रा.लि., कल्याणी स्टील लिमिटेड, मुंडवा, पुणे, महाराष्ट्र-411 036	21.8.2007 "एफ" श्रेणी
3.	74/2007	पटली प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड, 302-304, रीजेंट चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-21	23.8.2007 "सी" श्रेणी
4.	152/2006	इस्पात एनर्जी लिमिटेड, 7वां तल, निर्मल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-21	30.8.2007 "एफ" श्रेणी
		वर्ष 2008	
1.	61/2007	श्री बालाजी बायोमास पावर प्रा.लि., रोड नं. 44, जुबली हिल्स हैदराबाद-500 003	22.1.2008 "ए" श्रेणी
2.	124/2007	वंदना विद्युत लिमिटेड, "वंदना भवन" एमजी रोड, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़	20.3.2008 "सी" श्रेणी
3.	78/2007	वंदना विद्युत लिमिटेड, "वंदना भवन" एमजी रोड, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़	3.4.2008 "बी" श्रेणी
4.	112/2007	इन्द्रजीत पावर टेक्नोलाजी प्रा.लि., माडर्न सेंट, "बी" विंग, द्वितीय तल, साने गुरुजी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400 011	16.5.2008 "सी" श्रेणी
5.	29/2008	आधुनिक एलॉय एंड पावर लि., 14, नेताजी सुभाष रोड, 11वां तल, कोलकाता-700 001	26.6.2008 "एफ" श्रेणी
6.	13/2008	इंडियाबुल्स पावर ट्रेडिंग लि., ई-29, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110 001	12.9.2008 "ए" श्रेणी
7.	16/2008	इंडियाबुल्स पावर जेनरेशन लि., ई-29, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110 001	12.9.2008 "एफ" श्रेणी ("ए" श्रेणी 22.1.2009 से)
8.	14/2008	छत्तीसगढ़ एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी (प्रा.) लि., जिन्दल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066	16.9.2008 "सी" श्रेणी
9.	85/2008	आरपीजी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि., 6, चर्च लेन, प्रथम तल, कोलकाता-700 001	23.9.2008 "ई" श्रेणी
10.	5/2008	बेसिस प्वाइंट कामोडिटी प्रा.लि., चतुर्थ तल, मोगरा विलेज लेन, आफ ओल्ड नगरदास रोड अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400 069	7.10.2008 "ए" श्रेणी
11.	78/2008	जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड, आईबीसी नॉलेज पार्क नं. 4/1-560 029	14.10.2008 "एफ" श्रेणी
12.	3/2008	जैन एनर्जी लि., पंचम तल, "प्रेमलता" 39 शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700 017, पश्चिम बंगाल	14.10.2008 "बी" श्रेणी

1	2	3	4
13.	71/2008	रिंगहिल इलेक्ट्रिक लिमिटेड, 44-ए, इंदिरापुरी, भोपाल-462 021 मध्य प्रदेश	11.11.2008 "ए" श्रेणी
14.	86/2008	श्याम इंडस पावर साल्यूशन्स प्रा.लि., 129, ट्रांसपोर्ट सेंटर, रोहतक रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110 035	11.11.2008 "ए" श्रेणी
15.	31/2004	ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड, 22, राखी महल, दिनशा वाचा रोड, मुंबई-400 020	28.11.2008 "ए" श्रेणी ("एफ" श्रेणी 22.12.08 से)
16.	111/2008	नालेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम प्रा.लि., ए-2/22, सफदरजंग इंकलेव, नई दिल्ली-110 029	18.12.2008 "एफ" श्रेणी

डी.डी.ए. फ्लैटों का आबंटन

499. श्री पंकज चौधरी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भविष्य में डी.डी.ए. फ्लैट केवल दिल्ली के निवासियों को ही आबंटित करने संबंधी उपबंध बनाने पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) यद्यपि विभिन्न मदों पर मामला उठाया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिविल/दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

500. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं। इस समय सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सी.एफ.एल. का उपयोग

501. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैज्ञानिकों ने काम्पेक्ट फ्लोरेसेन्ट लैंपों के उपयोग के विरुद्ध चेताया है कि इनसे त्वचा और अन्य विकार पैदा हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) घरों एवं वाणिज्यिक भवनों दोनों में सीएफएल उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या है। उक्त रिपोर्ट में सीएफएल प्रयोग संबंधी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यद्यपि, उक्त रिपोर्ट माइग्रेन मरीजों से प्राप्त कुछ किस्सों पर आधारित है, किंतु इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सीएफएल का उपभोग करने वालों की बड़ी संख्या की प्रतिक्रिया संबंधी उक्त रिपोर्ट में कोई नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख नहीं है। इस पर अधिक अनुसंधान न होने की स्थिति में, उक्त दावों को प्रमाणित करना संभव नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10615/09]

(2) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10616/09]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10617/09]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या का.आ. 1(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्यरत अकुशल कर्मकारों को संदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसमें उल्लिखित मजदूरी की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10618/09]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं श्रीमती रेनुका चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10619/09]

(3) (एक) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10620/09]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10621/09]

(3) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2008 जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 880(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10622/09]

(4) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2008 जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10623/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2008 का संख्यांक पीए 19)-वैज्ञानिक विभाग-प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (फ्रंट-इंड आफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकल) के लिए ईंधन प्रबंधन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10624/09]

(दो) मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वर्ष 2007-2008 का संख्यांक सीए संख्या 13)-संघ सरकार के लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10625/09]

(2) संघ सरकार-वर्ष 2007-2008 के लिए वित्तीय लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10626/09]

(3) संघ सरकार-वर्ष 2007-2008 के लिए विनियोग लेखे (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10627/09]

(4) संघ सरकार-वर्ष 2007-2008 के लिए विनियोग लेखे (डाक सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10628/09]

(5) संघ सरकार–वर्ष 2007-2008 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10629/09]

(6) झारखण्ड सरकार–वर्ष 2007-2008 के लिए वित्तीय लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10630/09]

(7) झारखण्ड सरकार–वर्ष 2007-2008 के लिए विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10631/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (टर्म्स एण्ड कंडीशन आफ टैरिफ) रेगुलेशन्स, 2009 जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–7/145 (160)/2008–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 10632/09]

(2) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10633/09]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में पारित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में पारित धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 19 फरवरी, 2009 को राज्य सभा द्वारा यथापारित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009 और धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: मैं चौदहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2008 सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10634/09]

अपराह्न 12.03¾ बजे

लोक सभा समिति

(एक) 83वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): मैं ''भारतीय रेल में स्वच्छता और सफाई'' के बारे में लोक लेखा समिति (2008-2009) का 83वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सराहना करता हूं क्योंकि आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। आप नए सभापति हैं।

श्री संतोष गंगवार: धन्यवाद, महोदय।

(दो) विवरण

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) ''29 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय-संचार नेटवर्क'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 49वां प्रतिवेदन;

(2) ''भारतीय रेल विनियोग लेखे (1997-98)'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 56वां प्रतिवेदन;

(3) ''केन्द्रीय विद्यालय संगठन'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 46वां प्रतिवेदन;

(4) ''दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निजी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों के लिए भूमि आवंटन'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 35वां प्रतिवेदन;

(5) ''एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से गारन्टी शुल्क की वसूली न होने'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 56वां प्रतिवेदन;

(6) ''फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदे गए उपकरणों की खरीद में विलम्ब और उनकी उपयोगिता का महत्व न होने'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 59वां प्रतिवेदन;

(7) ''बड़े विनिर्माताओं द्वारा लघु उद्योगों को प्राप्त होने वाली रियायतों को प्राप्त करने'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 68वां प्रतिवेदन;

(8) ''निर्णय लेने में हुए विलंब के कारण परिहार्य व्यय-चेन्नई पत्तन न्यास'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 70वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

11वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान): मैं, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 11 नं. प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04¼ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

29वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के विधिक माप तौल विधेयक, 2008 के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

39वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): मैं, "श्रम और रोजगार मंत्रालय का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-कर्मचारियों की पेंशन स्कीम, 1995" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैं, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 713क के अनुसरण में श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से यह वक्तव्य देता हूं जिसका पाठ इस प्रकार है:-

> "संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा में छह महीनों में एक बार एक वक्तव्य देगा।"

मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह सूचित करता हूं कि 14वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन लोक सभा में 16 अप्रैल, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में 16 सिफारशें अंतर्विष्ट थीं। सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के सामने दर्शायी गई है। जुलाई, 2008 में यथाव्याप्त इन सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण 14 जुलाई, 2008 को शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजे गये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि सरकार द्वारा स्वीकृत 16 सिफारिशों के संबंध में, जहां कहीं भी आवश्यक होगा, अगली अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

इस विवरण का अनुबंध सभा पटल पर रखा गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10635/09]

अपराह्न 12.05 बजे

(दो) (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

एनआरईजीए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने और टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (जनवरी 2009 तक) 3.81 करोड़ परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है जो कि 2007-08 की उसी अवधि के दौरान मुहैया कराए गए रोजगार से 2.57% अधिक है। एसजीआरवाई के पूर्ववर्ती मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की तुलना में एनआरईजीए के अंतर्गत श्रमदिवसों की संख्या बढ़ी है। एसजीआरवाई के अंतर्गत पूरे देश में एक वर्ष में औसतन 81 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए थे, जबकि एनआरईजीए के अंतर्गत 2006-07 में 200 जिलों में 90.5 करोड़ श्रम दिवस, 2007-08 में 330 जिलों में 143.59 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए थे और जनवरी, 2009 के मध्य तक पूरे देश में 157.24 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए हैं जो कि पहले के मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की तुलना में 88% वृद्धि को दर्शाता है। सृजित रोजगार में महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित जातियों (30%), अनुसूचित जनजातियों (25%) और महिलाओं (48%) का है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 22 लाख कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें से 46% कार्य जल संरक्षण, 18% कार्य ग्रामीण सड़क संपर्क और 15% कार्य भूमि विकास से संबंधित हैं। सिंचाई सुविधा, भूमि विकास और पौधरोपण जैसे एनआरईजीए कार्यों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और आईएवाई के ऐसे 4.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं जिनके पास अपनी भूमि है।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 10636/09

चालू वित्त वर्ष के दौरान 30,000 करोड़ रु. के संशोधित बजट आवंटन की तुलना में 25,390 करोड़ रु. की राशि रिलीज कर दी गई है। राज्यों ने अब तक 19341 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की जानकारी दी है।

इस वक्तव्य के जरिए, मैं माननीय सदस्यों को एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों और साथ ही उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी अवगत कराना चाहूंगा:

एनआरईजीए के परिणामस्वरूप अत्यधिक वित्तीय समावेशन हुआ है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों के लिए बैंकों/डाकघरों में 6.15 करोड़ खाते खोले गए हैं। एनआरईजीए कर्मियों के लिए मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।

एक व्यापक वेब-आधारित प्रबंधन आसूचना प्रणाली बनाई गई है जिसमें वित्तीय और कार्यक्रम निष्पादन संकेतक संबंधी सभी आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। वेबसाइट पर 1.2 करोड़ मस्टर रोल और 6.1 करोड़ जाबकार्ड डाले गए हैं।

कड़ी सतर्कता एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य सामाजिक लेखा-परीक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक 2.20 लाख ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई गई है और 111 लाख मस्टर रोलों की जांच की गई है।

मंत्रालय ने एनआरईजीए के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की नियमित जांच निर्धारित की है। अब तक जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा 2.99 लाख कार्यों तथा ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा 17.38 लाख कार्यों की जांच की गई है।

एनआरईजीए ने कर्मियों की क्षमता का निर्माण करके, अत्यधिक श्रमशक्ति, आईसीटी सहायता देकर और पीआरआई के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारसंपन्न बनाया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 1.96 लाख ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई है और ब्लाक एवं जिला स्तर पर 23501 तकनीकी स्टाफ, 7079 डाटा एंट्री आपरेटर तथा 5574 लेखाकारों सहित तकनीकी स्टाफ का एक पूल तैनात किया गया है।

जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामस्तरीय निगरानी समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों के लगभग 7.41 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

मंत्रालय ने 21-22 जनवरी, 2009 को "ग्रामीण निर्धनता: सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने में प्रमुख पहलें और एनआरईजीए की भूमिका" पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से कुछ सीखने और कार्यक्रम का डिजाइन विकसित करने का प्रयास किया गया था। सेमिनार में 13 राष्ट्रों के शिष्टमंडलों ने हिस्सा लिया और एनआरईजीए की सराहना की।

मंत्रालय ने आईसीएआर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से समामेलन दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्थायी आजीविका सृजित करने की दृष्टि से एनआरईजीए और पीएमजीएसवाई के साथ समामेलन संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय के साथ समामेलन दिशानिर्देश जारी करने का कार्य चल रहा है।

सरकार ने एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उत्कृष्ट योगदानों की सराहना करने के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार, एनआरईजीए प्रशासन में उत्कृष्टता (जिला अवार्ड) और एनआरईजीए प्रशासन (वित्तीय समावेशन) में उत्कृष्टता की शुरूआत की है। पहली बार 2 फरवरी, 2009 को सम्पन्न एनआरईजीए सम्मेलन में 5 सिविल सोसायटी संगठनों, 22 जिला कार्यक्रम समन्वयकों और 12 डाक अधिकारियों को ये अवार्ड दिए गए थे जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा की गई थी। इस अवसर पर 3 दस्तावेजों अर्थात् लोगों के लिए रिपोर्ट, रोजगार सूत्र और सरपंच पुस्तिका का भी विमोचन किया गया था।

(ख) विधवाओं तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का विस्तार*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों को शामिल करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का विस्तार करने के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धताओं को जारी रखते हुए भारत सरकार ने 5 फरवरी, 2009 को "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)" तथा "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)" नामक दो नई पेंशन योजनाओं को शामिल करने के लिए एनएसएपी के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया, जो मौजूदा "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)" के अतिरिक्त हैं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 10637/09

इन नई पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

(1) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की विधवाएं, जो 40-64 वर्ष की आयु समूह की हैं।

(2) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के 18-64 वर्ष के आयु समूह के गंभीर अथवा विविध किस्म की अपंगताओं से ग्रसित व्यक्ति।

नई योजनाओं के अंतर्गत पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता प्रति लाभार्थी प्रति माह 200 रु. होगी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कम से कम समान राशि अंशदान करें ताकि लाभार्थियों को प्रति माह 400 रु. अथवा इससे अधिक जैसा कि आईजीएनओएपीएस के मामले में होता है, की दर से पेंशन मिल सके। साथ ही पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक अथवा डाकघर खाते में जमा की जाएगी।

नई योजनाओं से 4404289 विधवाओं और गंभीर अथवा विविध रूप से अपंग 1556004 व्यक्तियों को लाभ पहुंचने का अनुमान है। प्रति वर्ष अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता आईजीएनडब्ल्यूपीएस के लिए 1057.03 करोड़ रु. और आईजीएनडीपीएस के लिए 373.44 करोड़ रु. होगी।

ये दो नई योजनाएं 5 फरवरी, 2009 से लागू की गई हैं। राज्यों से निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है:

(1) पात्रता मानदण्ड के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों का निर्धारण करना।

(2) पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस को सार्वजनिक करना/वेबसाइट में डालना।

(3) लाभार्थियों द्वारा बैंकों या डाकघरों में खाता खोला जाना सुनिश्चित करना।

राज्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता आधार पर नई योजनाओं को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है ताकि यथाशीघ्र सभी पात्र बसावटों की कवरेज सुनिश्चित की जा सके।

यह भी बताया जाता है कि आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत, अब तक 1.47 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए हैं।

मैं माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव दिया।

अपराह्न 12.05 1/4 बजे

(तीन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): मैं, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के इकहत्तरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

समिति ने उपरोक्त प्रतिवेदन में कुल दस सिफारिशें की थीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी थी। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं इस अनुबंध की समस्त विषय-वस्तु को पढ़ने के लिये सभा का कीमती समय नहीं लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाये।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 10638/09]

अपराह्न 12.05 1/2 बजे

(चार) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित समेकित कम लागत स्वच्छता (आईएलसीएस) योजना के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं, जिसका पाठ निम्न प्रकार से है:-

"संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा में छह महीनों में एक बार एक वक्तव्य देगा।"

मैं सभा के माननीय सदस्यगणों को जानकारी देना चाहती हूं कि 14वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन 22 नवंबर, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में 10 सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। फरवरी, 2008 में यथाव्याप्त इन सिफारिशों से संबंधित की-गई-कार्रवाई टिप्पण आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 14 फरवरी 2008 को शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजे थे। सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई की अद्यतन स्थिति को संलग्न वक्तव्य में प्रत्येक सिफारिश के समक्ष दर्शाया गया है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यगणों को सूचित करती हूं कि जहां भी आवश्यक होगी, अगली अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

इस वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध सभा पटल पर रखा गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10639/09]

अपराह्न 12.05$^3/_4$ बजे

(पांच) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): अध्यक्ष महोदय, गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का पुनः बनाए जाने की आवश्यकता को बड़े पैमाने पर महसूस किया गया है। अब तक इसका कार्यान्वयन टुकड़ों में हुआ है तथा यह कार्यक्रम अधिकांशतः शहरी गंदगी पर केन्द्रित रहा है। समस्या इस कारण से और बढ़ गई है कि नदी में पानी का बहाव पर्याप्त रूप से नहीं हो रहा है। ऐसा महसूस किया गया कि गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुये एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में एक व्यापक कार्यवाही की आवश्यकता है, जिसमें पानी की गुणवत्ता और उसका बहाव, पानी की निरन्तर उपलब्धता, प्रदूषण से बचाव व उस पर नियंत्रण तथा साथ ही साथ और ऊर्जा की सुरक्षा को शामिल किया गया हो। सभी भारतीयों के दिलों-दिमाग में गंगा का खास स्थान है और इसे पहचानने की आवश्यकता है। ऐसा महसूस किया गया कि एक नयी संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से नदी स्वच्छता का एक मॉडल स्थापित किया जाये।

तद्नुसार, केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गंगा नदी को एक 'राष्ट्रीय नदी' का दर्जा दिया जाये तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गंगा नदी हेतु आयोजना, वित्तपोषण, निगरानी और समन्वय करने वाले एक शक्तिप्राप्त प्राधिकरण के रूप में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' की स्थापना की जाये। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री इसके सदस्य होंगे। प्राधिकरण के पास अपने कार्यों को करने के लिये उपयुक्त शक्तियां होंगी। सरकार इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर रही है।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एक संपूर्ण और विस्तृत ढंग से गंगा नदी में व्याप्त प्रदूषण की समस्या का समाधान करेगा। इसमें पानी की गुणवत्ता, न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव, पानी की निरन्तर उपलब्धता तथा नदी पारिस्थितिकी और प्रबन्धन से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हैं। नये दृष्टिकोण के तहत नदी बेसिन आयोजना की इकाई होगी।

यह प्राधिकरण राज्य सरकारों और इसके संस्थानों में निहित शक्तियों के दृष्टिगत, विनियामक एवं विकास संबंधी कृत्य करेगा। आशा है कि इससे केन्द्र और राज्यों के गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के सामूहिक प्रयासों में नवीनता आयेगी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 1985 में आरंभ किये गये इस मिशन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10640/09]

अपराह्न 12.08 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि सत्र की शेष अवधि में होने वाले सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होगा:-

1. आज की कार्यसूची में शेष सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार किया जाना।

2. निम्नलिखित विधेयकों को पुरःस्थापित करना, उन पर विचार करना और उन्हें पारित करना:-

   (क) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

   (ख) विनियोग विधेयक, 2009

3. वित्त विधेयक, 2009 पर विचार करना और उसे पारित करना।

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:-

 (क) दिल्ली मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009

 (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

 (ग) राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) विधेयक, 2007।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009।

6. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के निरनुमोदन के आशय वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार करना और उसे पारित करना।

7. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् श्रम कानून (कतिपय संस्थापनाओं को विवरणियां भरने और रजिस्टर रखने से छूट) संशोधन तथा विविध उपबंध विधेयक, 2005 पर विचार करना और उसे पारित करना।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सिविल पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008 राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार करना और उसे पारित करना।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10641/09]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:-

(1) कोटा से झालावाड़ मार्ग और आगे अकलेरा होते हुए भोपाल की ओर रा.रा. मार्ग-12 को बनाने तथा चौड़ा करने के संबंध में।

(2) राजस्थान में आईआईएम की स्थापना के संबंध में।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें-

1. अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी आई.आई.एम. (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) खोले जाने की घोषणा पर केंद्र के कायम रहने एवं अविलम्ब स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

2. राजस्थान के बहुमुखी विकास एवं विषम भौगोलिक स्थिति तथा पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राजस्थान को विशेष सहायता पैकेज दिए जाने की आवश्यकता।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें:-

1. राजस्थानी भाषा को मान्यता देकर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विधेयक अगले सप्ताह सदन में पारित हो।

2. राजस्थान में आई.आई.एम. की घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है। इस प्रकरण में उठ रही भ्रांतियों को दूर कर राजस्थान में आई.आई.एम. को खोलने की घोषणा पर चर्चा।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करें:-

(1) आंगनवाड़ी शिक्षकों तथा कामगारों की गंभीर दुर्दशा, इन लोगों का मानदेय पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) महिला प्रधान एजेंटों का कमीशन बढ़ाया जाए और उन्हें कार्य करने की बेहतर सुविधाएं दी जाएं।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा हेतु शामिल करें:-

1. कृषि भूमि से संबंधित किसानों से लिए जाने वाले टी.डी.एस. को समाप्त करने का कार्य।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में ओ.एन.जी.सी. के अन्वेषण कार्य से मेहसाना में जलस्तर 500 मीटर नीचे जाने एवं इसके उपाय के संबंध में ओ.एन.जी.सी. द्वारा किए जा रहे कार्य।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मामलों को चर्चा हेतु शामिल करें:-

1. चन्द्रपुर स्थित रामाला तालाब में इकोरनिया के आक्रमण को समाप्त कर, उसे प्रदूषणमुक्त बनाकर उसका पुनः सौंदर्यीकरण कराने के लिए जिला प्रशासन को संस्तुति

के साथ भेजी गई 61 करोड़ रुपए की परियोजना को सरोवर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी प्रदान करे।

2. सन् 1857 के शहीद स्व. बाबूराव शेडमाके के शहीद स्थल चन्द्रपुर जिला कारागार के क्षेत्र को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को देखते हुए, उसकी घोषणा कर उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप स्मारक निर्माण के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करें:-

1. सत्यम मामला वैयक्तिक लालच, लाभ कमाने का प्रदर्शन, बाजार पर भरोसे और विनियामक की असफलता का परिणाम है। जिस तरह से चालू जांच में से साक्ष्यों तथा अनुमान संबंधी विवरणों को चुन-चुन कर मीडिया को बताया जा रहा है। उससे स्पष्ट है कि सत्यम की कोई एक मात्र कहानी नहीं है। यह 7000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा घोटाला है जो मायताज से संबंधित है और मायताज इन्फ्रा सत्यम के चेयरमैन के पुत्र से संबंधित है।

2. महिला स्व-सहायता समूहों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण नहीं मिलता और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को स्व-सहायता समूहों को 5 प्रतिशत की दर पर ऋण प्रदान करना चाहिए। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति के लोक सभा में प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा गया है कि इलाहाबाद बैंक, पटियाला बैंक और आईडीबीआई ने महिला स्व-सहायता समूहों को क्रमश: 4.23%, 4.20% और 0.29% की दर से ऋण संस्वीकृत करने के स्थान पर 5% की दर से ऋण संस्वीकृत किया तो आर्थिक वृद्धि कैसे बढ़ेगी और कैसे भारत निर्माण संभव होगा?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसका उल्लेख नहीं किया जाना है, आप इसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करें:-

(1) देश में एनआरईजीए कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और सुधारने के लिए इसके कार्यकरण पर चर्चा।

(2) ग्रीष्म के आगमन तथा केरल जैसे कमी वाले राज्यों को केन्द्र के अनावंटित हिस्से में से और अधिक आवंटन की आवश्यकता के मद्देनजर देश में विद्युत की स्थिति पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय: कल मैंने थोड़ा क्षुब्ध होकर कुछ टिप्पणियां कीं। मैं चाहता हूं कि यदि जनता का समर्थन मिले तो आप सब जो यहां खड़े थे, पुन: यहां लौटें। मेरे अनुरोध पर श्री पोन्नुस्वामी की प्रतिक्रिया पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं शांत हूं क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं जानता हूं कि आप पीड़ित हैं, परन्तु मैं सभी के लिए शुभकामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): मान्यवर, निम्न विषय को लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने का कष्ट करें:

1. काटन कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा अमरेली में कपास की खरीद किये जाने का कार्य।

2. 2008-2009 में कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र के किसानों को उनके मुआवजे का भुगतान कार्य।

3. सौराष्ट्र क्षेत्र में खेती-बाड़ी कार्यों के लिए बिजली की आपूर्ति यहां की मांग के अनुसार किये जाने का कार्य।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में दो विषय सम्मिलित करने के निर्देश करें:

1. मध्य प्रदेश में अत्यधिक बिजली का संकट है। ताप बिजली घरों से उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले की आपूर्ति के अभाव में बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। साथ ही हाइडिल बिजली घरों से प्रदेश में कम वर्षा के कारण बिजली क्षमता प्रभावित हुई है। अतएव गहन बिजली संकट की स्थिति में केन्द्र सरकार पूरे कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करे तथा मध्य प्रदेश को सैण्ट्रल पूल से 350 मेगावाट बिजली की नियमित आपूर्ति तथा पीक आवर्स में मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति का प्रबन्ध करे।

2. पश्चिमी मध्य प्रदेश में सूखे के कारण पेयजल का संकट अत्यन्त ही गहन एवं चिन्ताजनक स्थिति में है। उज्जैन सहित इन्दौर, भोपाल, संभागों में पीने के पानी का प्रबंध करना आवश्यक है। अतएव, केन्द्र सरकार अपने संसाधनों से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबन्ध करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आने से पूर्व, मैं दो छोटी-छोटी मदें लूंगा।

मद संख्या 23, श्री वायालार रवि।

अपराह्न 12.16 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 53वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 19 फरवरी 2009 को सभा में प्रस्तुत 53वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 19 फरवरी 2009 को सभा में प्रस्तुत 53वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत खुशी है कि सदस्य इतने विधेयक पारित करने को इच्छुक हैं।

मद सं. 24, श्री अजय माकन।

अपराह्न 12.17 बजे

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और मेट्रो रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब विधेयक पुर:स्थापित करें।

श्री अजय माकन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.18 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में संगठित और असंगठित सेक्टरों में कर्मकारों की बड़े पैमाने पर छंटनी, काम बंदी, मजदूरी कटौती तथा सांविधिक प्रसुविधाओं के आहरण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मद संख्या 22, श्री गुरुदास दासगुप्त। यह एक बजने में दस मिनट पहले तक चलेगा। इसलिए इस अवधि के अंदर आप को इसे पूरा करना है।

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.2.2009 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल श्री गुरुदास दासगुप्त के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सब का टाइम है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। यह कालिंग अटैंशन का टाइम है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैंने शून्य काल के लिए सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां "शून्य काल" नामक कोई नियम नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं माननीय श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करता हूं:

"देश में संगठित और असंगठित सेक्टरों में कर्मकारों की बड़े पैमाने पर छंटनी, कामबंदी, मजदूरी कटौती तथा सांविधिक प्रसुविधाओं के आहरण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गये कदम।"

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैश्विक आर्थिक संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सरकार श्रमिकों पर इस संकट के दुष्प्रभाव को लेकर चिंतित है क्योंकि इसके कारण विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों में छंटनी, जबरी छुट्टी और वेतन में कटौती हुई है। श्रम ब्यूरो द्वारा कुछेक क्षेत्रों में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि अक्तूबर से दिसम्बर, 2008 के दौरान 5 लाख श्रमिकों को नौकरी गंवानी पड़ी। सरकार ने अर्थव्यवस्था में भरोसा पैदा करने, विकास को गति देने और रोजगार बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रोत्साहन पैकेज के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत मुख्यत: अतिरिक्त खर्च, ब्याज दरों और उत्पाद शुल्क में कमी लाना शामिल है। अनुमान है कि इन उपायों से, बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म होने पर रोक लगेगी।

संगठित क्षेत्र में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1.4.2005 से कार्यान्वित की जा रही 'राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना' का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजनांतर्गत, 5 या इससे अधिक वर्षों तक बीमित रहे कर्मचारी छंटनी, कारखानों या प्रतिष्ठानों की बंदी अथवा रोजगारेतर चोट के कारण हुई स्थायी अशक्तता के कारण रोजगार छिन जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के पात्र हैं जो उनके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान 6 माह तक उनके वेतन के 50% के बराबर नकद रूप में होगा। यह भत्ता एकबारगी ही अथवा एक या एकाधिक महीनों में अलग-अलग किस्तों में लिया जा सकता है। इसके अलावा, श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य भी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों, औषधालयों और पैनलबद्ध क्लीनिकों से इलाज करवाने के पात्र हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि अब, बेरोजगारी भत्ता लेने की अवधि बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गयी है।

असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा कवर देना गरीबों के संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत कार्ययोजना है। हाल के समय में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। भूमिहीन ग्रामीण निर्धन परिवारों को जीवन-सह-अशक्ता कवर देने के लिए आम आदमी बीमा योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी विस्तार किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू की है। अब तक 26 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और गरीबी रेखा से नीचे के एक करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी अन्य योजनाओं में उस प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त राहत की व्यवस्था है जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 जिसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए समुचित कल्याण योजनाएं बनाने में सरकार को सक्षम बनाएगा।

यह निर्णय लिया गया है कि भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत एकत्र किए गए उपकर का उपयोग निर्माण कामगारों को बेरोजगारी बीमा मुहैया कराने के प्रयोजन हेतु किया जाएगा। तद्नुसार, हम राज्य सरकारों को सलाह दे रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

पुनर्प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ श्रम बल के कौशल स्तर में वृद्धि लगातार रोजगार बनाए रखने एवं इनके संरक्षण हेतु कार्य करेगी और रोजगार परकता को बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए, सूरत में विस्थापित हीरा कामगारों के लिए पुनर्प्रशिक्षण सुविधाओं और वैकल्पिक रोजगार के अवसर के बारे में विभिन्न सुग्राहीकरण कार्यशालाएं आयोजन की गई हैं। उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में आईटीआई के उन्नयन और स्कूल छोड़ने वालों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चलायी गयी कौशल विकास पहल से मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार द्वारा 31.01.2009 को मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को आबंटित निधियों के कारगर उपयोग में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा गया है जिससे न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा अपितु युवकों को कुशल बनाने के लिए विश्व स्तर की आधुनिक बुनियादी सुविधा भी सृजित होगी।

भावी कार्रवाई के लिए एक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से मैंने 17.2.2009 को श्रमिक संघ प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। भारतीय श्रम सम्मेलन आज और कल आयोजित होने जा रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा होने जा रही है। हमारे द्वारा अब तक उठाए गए कदमों से कामगारों की पीड़ाएं कुछ हद तक दूर होंगी फिर भी, सरकार और सामाजिक भागीदारों द्वारा बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इस चुनौती से निपटने के लिए हम माननीय संसद सदस्यों से बहुमूल्य सुझावों और समर्थन की आशा रखते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः अध्यक्ष महोदय, मैं उस तरीके से अत्यन्त आश्चर्यचकित हूं जिस तरीके से सरकार के माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया है। वह इतने भी अबोध नहीं हैं कि मौजूदा स्थिति को बता न सकें और क्षमा भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि छंटनी को लेकर इसमें कोई आशापूर्ण बात है ही नहीं।

महोदय, मुझे उनकी पहली ही पंक्ति पर आपत्ति है कि "वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है।" नहीं, सरकार रोजगार सृजन किए जाने के मामले में अपनी विफलता को वैश्विक आर्थिक मंदी की आड़ में छुपा नहीं सकती है। आर्थिक मंदी आने के पहले से भी कामगारों की छंटनी की जा रही थी। सरकार वैश्विक आर्थिक मंदी की आड़ में बचने की कोशिश कर रही है।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि छंटनी किए गये कामगारों को एक वर्ष के लिए बेरोजगारी संबंधी लाभ प्रदान किए हैं। लेकिन वे हैं कौन? वे संगठित क्षेत्र में हैं जो देश के कुल कामगारों के तीन प्रतिशत हैं। 97 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र के हैं।

महोदय, यदि वे यह स्वीकार कर लेते कि रोजगार का समाप्त होना एक राष्ट्रीय आपदा है, तो राष्ट्रपति अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किए जाने की नौबत ही नहीं आती। यदि कामगारों की व्यापक पैमाने पर छंटनी एक कड़वा सच है, तो बजट भाषण में इस पर चिंता व्यक्त क्यों नहीं की गई? सरकार ने चालू सत्र के दौरान अब तक उस बुनियादी मानवीय समस्या पर चिंता व्यक्त नहीं की है जिसका हमारा देश सामना कर रहा है।

महोदय, यदि कॉर्पोरेट जगत के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिया जाता है, तो छंटनी किए गये लाखों कामगारों को सामाजिक सहायता देने के लिए पुनरुद्धार पैकेज क्यों नहीं दिया जाता? उनके लिए कोई पुनरुद्धार पैकेज नहीं है। यह एक ऐसी मानवीय समस्या के प्रति अत्यंत उदासीन रवैये की अभिव्यक्ति है जो विकराल रूप ले रही है। यह लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होता है; लोकतंत्र का अर्थ केवल मत देने का अधिकार नहीं होता है; बल्कि लोकतंत्र का अर्थ सामाजिक लोकतंत्र होता है; जीने का अधिकार होता है।

महोदब, दागी लोगों ने परेशान लोगों के लिए सामाजिक पैकेज के बारे में कोई प्रयास नहीं किया है और दागी लोगों को मानव श्रमिकों के भारी विस्थापन के कारण असमान सामाजिक विकास की उपेक्षा करने का दोषी माना जा सकता है।

महोदय, जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक प्रेस रिपोर्ट का संबंध है, इस विषय पर कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं हुई है। हो सकता है एनआरईजीपी पर कैबिनेट की कोई बैठक हुई हो परन्तु इस विषय पर कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है। इस विषय पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है। परन्तु आपके उदार हस्तक्षेप के कारण, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कामकाजी लोगों का मित्र होने के कारण भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि आपने मुझे दिन के आखिर में सभा में इस विषय को उठाने के लिए मौका दिया।

महोदय, इस विषय पर मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक नहीं हुई है; इस विषय पर श्रम मंत्रियों की कोई बैठक नहीं हुई है; और यहां तक कि इस विषय पर श्रम सचिवों की भी कोई बैठक नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदयः पिछली पंक्ति में बैठे माननीय सदस्य कृपया व्यवधान न डालें। काफी चर्चा चल रही है। आप बाहर जाकर अपने निजी मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। व्यवधान उत्पन्न न करें। यह कानाफूसी करने का स्थान नहीं है। हां जी, श्री दासगुप्त, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, इस परिस्थिति से निपटने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। इसे वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ जोड़ा जा रहा है।

सरकार को अपनी नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाजार स्वयं ही इसमें सुधार कर लेगा। ऐसा बाजार के गिरने के कारण हुआ है और यदि बाजार में सुधार होता है तो नौकरी की स्थितियां भी सुधरेगीं। सरकार को ऐसे स्वचालित बाजार तंत्र पर अभी भी पूरा भरोसा है जिसकी वजह से यह गिरावट की स्थिति पैदा हुई।

मुद्दा यह है कि जब इस देश में सुनामी आई थी- जी हां, मैं इसकी तुलना सुनामी से कर रहा हूं, तब सरकार ने नुकसान नियंत्रण तंत्र, नियंत्रण कक्ष बनाया था ताकि प्रभावित लोगों की देखभाल की जा सके। लेकिन जब देश में आर्थिक सुनामी आई है तो कोई सुगबुगाहट नहीं है और अभी तक सरकार ने इस विपत्ति से परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किसी तंत्र की शुरूआत नहीं की है।

प्रश्न यह है कि इस संकट के लिए जो जिम्मेदार नहीं है उन्हें इस संकट को झेलना पड़ रहा है। इस संकट के लिए कारपोरेट्स ही उत्तरदायी हैं। कामकाजी लोगों को कारपोरेट्स द्वारा उत्पन्न इस संकद को झेलना पड़ रहा है। इस संकट को किसने पैदा किया? इसका उत्कृष्ट उदाहरण सत्यम है। सरकार के सामने ही 7,000 करोड़ रुपए की हानि हुई और लोगों की नौकरी जाने वाली है। इस संकट को कारपोरेट्स द्वारा पैदा किया गया है और कामकाजी लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।

सरकार ने करों में कटौती की है जो सही है। सरकार ने बैंक ऋण के ब्याज दर में कमी करने को कहा है। इसमें मुझे तकलीफ नहीं है। बैंकों से कारपोरेट्स को यहां तक कि चूक कर्ताओं को भी भारी ऋण देने के लिए कहा गया है। यह कितना गलत कदम है। परन्तु, क्या सरकार ने इसके लिए कोई पूर्व-शर्त रखी है? कृपया इस पर ध्यान दें। क्या सरकार ने उन पर कोई पूर्व शर्त रखी है जो सामाजिक लाभ का फायदा लेते हैं? वे बैंकों से किसका पैसा ले रहे हैं? करों में कटौती लोगों की कीमत पर की गई है। इस तरह से सामाजिक लाभ दिया जा रहा है। ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई है कि यदि आप ऋण का फायदा लेते हैं और घटी हुई करों का लाभ प्राप्त करते हैं तो आप छंटनी नहीं कर सकते हैं।

सरकार इतनी कमजोर है कि कारपोरेट्स से कड़ी भाषा में यह नहीं कह सकती कि उन्हें कामगारों की छंटनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उनको आसान शर्तों पर ऋण दे रहे है, करों में कटौती का लाभ दे रहे हैं। सरकार उनके प्रति बहुत नरम है। इसलिए, प्रश्न यह है कि सरकार युद्धोपरांत भारत में उत्पन्न मानव को वंचित करने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या के प्रति पूरी तरह से निष्क्रिय है।

कानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है और मंदी की आड़ में कामगारों को बिना कोई लाभ दिए नौकरी से निकाला जा रहा है। प्रश्न यह है कि ऑस्कर जी, लगभग 1.5 करोड़ लोग इस मानव सुनामी से प्रभावित हुए हैं और उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है, और मुझे खेद है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में देश की इस मूलभूत मानवीय समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है तथा लोगों को मंझधार में ही छोड़ दिया गया है।

महोदय, अब मैं संख्या के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। श्रम ब्यूरो के अनुसार, पांच लाख लोगों की छंटनी की गई है। मंत्री जी यह कह रहे थे। यह संख्या पूरी तरह से कम करके बताई गई है। यह सही नहीं है। यह अवैज्ञानिक है। यह संख्या कम करके बताई गई है। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह असत्य है। परन्तु, प्रश्न यह है कि श्रम ब्यूरो ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि इसने केवल उन्हीं उद्यमों को शामिल किया है जहां 10 लोगों से अधिक लोग कार्यरत हैं। भारत में सबसे बड़ी संख्या में ऐसे उद्यम ही प्रभावित हैं जहां 10 लोगों से कम ही लोग कार्यरत हैं। वे ब्यूरो द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं। श्रम ब्यूरो ने यह स्वीकार किया है कि उसने 11 राज्यों में केवल 20 केंद्रों को ही शामिल किया है। हमारे यहां कितने राज्य हैं? हमारे देश की जनसंख्या 110 करोड़ है। मंत्री महोदया, यदि सत्ता पक्ष के उपस्थित सदस्य बातचीत न करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी?

अध्यक्ष महोदयः उन्हें कम से कम दूसरों की बात सुननी चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः उन्हें दूसरों की बात सुननी चाहिए और उनका मनन करना चाहिए। दूसरों की केवल बात ही नहीं सुननी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः और उपाय भी।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, यदि इच्छा शक्ति हो तो उपाय ढूंढे जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप अपना भाषण जारी रखिए। आप अच्छा बोल रहे हैं। आपके पास चार मिनट और हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, लघु इकाइयां अत्यन्त बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी, लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की गई इस तथाकथित रिपोर्ट में इसे शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में न केवल इस अवधि के दौरान पांच लाख लोगों को नौकरी से निकाले जाने की बात को स्वीकारा गया है बल्कि इस बात को भी स्वीकारा गया है कि कामगारों की आय भी इस अवधि के दौरान कम हुई है। मंत्री महोदय इस बात का जिक्र नहीं करते।

यह परेशानी कितनी बड़ी है? मेरी जानकारी के अनुसार, हाल ही में लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है। देश को यह बात जान लेने दो कि यह रिपोर्ट सत्य नहीं है- लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है तथा 10 लाख और लोगों की नौकरी भी जाने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार, 20 मिलियन नौकरियां खत्म होने वाली हैं। यह संख्या बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, समूचे विश्व में पांच करोड़ नौकरियां खत्म होने वाली हैं और इसका अधिक खामियाजा विकासशील देशों के लोग भुगतेंगे और भारत भी एक विकासशील देश है।

महोदय, रीयल एस्टेट कारोबार के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने हाल ही में एक वक्तव्य में कहा है कि आने वाली अवधि में 10 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा देंगे। वस्त्र उद्योग ने सात लाख कामगारों की नौकरियां कम कर दी हैं। मुझे आशा है कि मैं जो कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय उस पर ध्यान दे रहे हैं। निर्यात कारोबार से जुड़े अग्रणी लोगों ने कहा है कि आने वाली अवधि में और 10 मिलियन नौकरियों की कटौती की जायेगी। एसोचैम ने नौकरियों में और अधिक कटौती की आशंका व्यक्त की है। टाइम्स न्यूज के अनुसार, इन सबसे बढ़कर यह बात है कि फेडरेशन आफ एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन्स ने एक आकलन किया है तथा वह इस बात की आशंका व्यक्त कर रहा है कि भारत में एक करोड़ नौकरियां खत्म हो जायेंगी। ये उद्योग जगत का संचालन कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

महोदय, मुझे यहां दो बातें कहनी हैं। पहली यह है कि सरकार सस्ता ऋण और करों में कटौती का लाभ लेने वाले कारपोरेट्स को स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कह सकती कि वे हानि का वहन करें? जब लाभ हुये तो उन्हें व्यक्तिगत बना दिया गया, किंतु जब हानि हो रही है तो उन्हें सामाजिक बनाया जा रहा है। मेरे माननीय मित्र श्री प्रणब मुखर्जी जी सभा में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का विरोध किया था। उनको दिये जाने वाले अपने उत्तर में मैं यह कह रहा हूं कि कारपोरेट्स को लगातार हानियां होने पर कामगार अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। किंतु 50 प्रतिशत लाभ अर्जन होने पर लाभ को कारपोरेट हड़प रहे हैं। कृपया कारपोरेट्स को बोल दीजिये 'अपनी हानियों को वहन कीजिये, आपके पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व निधि है और यदि आपको बैंक ऋण एवं करों में कटौती का लाभ लेना है तो जनशक्ति में कटौती मत करें।'

दूसरी बात यह कि आप इस बात की घोषणा क्यों नहीं कर सकते कि उन लोगों को कम से कम एक वर्ष तक वित्तीय लाभ दिया जायेगा जिनकी हाल ही में छंटनी की गई है। आप ऐसे लोगों की सूची बनाएं। उनकी पहचान करें और उन्हें एक कार्ड दें। अपनी नौकरी गंवा चुके सभी लोगों की पहचान की जाये तथा उन्हें एक सीमित अवधि के लिये वित्तीय लाभ दिया जाये।

मेरी आखिरी मांग यह है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि तथाकथित मंदी की आड़ में होने वाले कानून के उल्लंघन को न होने दिया जाये। माननीय श्रम मंत्री जी, आप केवल कुछ ही दिनों के लिए मंत्री हैं किंतु क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप साहस जुटाकर कारपोरेट्स को यह कहें कि वे श्रम कानूनों का उल्लंघन न करें और यदि वे श्रम कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो आप उन्हें जेल भेज देंगे। क्या आप ऐसा करना सुनिश्चित कर सकते हैं?

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि क्या आप दिल्ली में श्रम मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे और श्रम कानूनों का यथासंभव सीमा तक पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात काफी हद तक उचित है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): इस संबंध में कम भी का जाये तो भी मंत्री महोदय का वक्तव्य पूर्णतः निराशाजनक है। यह वक्तव्य न केवल अधूरा है, बल्कि सरकार विकास के संबंध में पहले की गई बड़ी-बड़ी बातों से ही गौरवान्वित हो रही है और वह केवल उन नियोक्ताओं को बचाने का प्रयास कर रही है जो कामगारों को मिले इस उत्प्रेरक पैकेज की वजह से होने वाले लाभ उन तक कभी नहीं पहुंचने देती।

यदि आप इस संबंध में हुये अध्ययन पर नजर डालें तो पायेंगे कि वह एक बहुत सीमित पैमाने पर आधारित है। क्योंकि जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि अन्य अध्ययन तथा महत्वपूर्ण वैश्विक

एवं राष्ट्रीय एजेंसियां से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इसका असर पहले ही हो गया है। बड़े पैमाने पर नौकरियां समाप्त हो रही हैं तथा सरकार समस्या की गंभीरता को पहचानने में असफल रही है और इसकी झलक वक्तव्य में भी मिलती है। इससे पता चलता है कि यह सरकार कामगारों के कल्याण के प्रति कितनी असंवेदनशील है। उन्होंने कुछ पारंपरिक वक्तव्यों का सहारा लिया है कि यह उत्प्रेरक पैकेज दे दिया गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक उपाय कर रहा है। किंतु कामगार लोगों के साथ यह हो रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में अधोगामी वृद्धि है और निर्यात क्षेत्र में भी ऐसा ही है। छंटनी, उद्योग-धंधों का बंद होना, हड़ताल, तालाबंदी तो है कि साथ ही 'कार्य निलंबन' नामक एक अन्य अभिव्यक्ति भी है। वे कानून की अनदेखी कर रहे हैं। हमारे लाखों कामगार कार्य निलंबन के दायरे में हैं। ऐसी स्थिति में, सरकार की असंवेदनशीलता से हमें आघात ही लग रहा है।

क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नौकरियों के सृजन के बारे में विचार कर रही है। सरकार को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का अन्य क्षेत्रों में भी अविलंब विस्तार करना चाहिये क्योंकि असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकता है। ठेके पर लगाये जाने वाले कामगार तथा सहायक और लघु उद्योगों में कार्यरत कामगार बड़ी इकाइयों के बन्द होने से शिकार हुये हैं।

जहां तक सुरक्षा के दायरे की बात है, आपने राजीव गांधी सेफ्टी नेट, राष्ट्रीय बीमा योजना, रोजगार भत्ता और अन्य चीजों के बारे में बोला है। मंत्री जी ने ठोस मामलों का सुझाव दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल प्रश्न पूछने हैं?

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैंने सवाल पूछ लिये और अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

बन्द हो गये उद्योगों अथवा इकाइयों में कार्यरत कामगारों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाये। शुल्क माफ किया जाये, उनके द्वारा लिये गये ऋण को माफ किया जाये, और उन्हें न्यूनतम पोषण दिया जाये। ऐसा केवल मिड-डे मील का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के मामले में ही न हो। बल्कि उन्हें भी यथाप्रस्तावित राशन कार्ड और नि:शुल्क राशन एवं एक वर्ष का रोजगार भत्ता दिया जाये। किंतु उन्हें ये सब नहीं दिया जा रहा है।

मेरा अनुभव यह है कि डनलप इंडिया लिमिटेड नामक एक उद्योग है जिसने बिना किसी कारण के कार्य निलंबन को अपनाया है। उन्हें वर्तमान संकट से कोई लेना-देना नहीं है और वे अपनी देय राशि को अदा नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार, क्या मैं श्रम मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे ऐसे को बुलाएंगे, प्रबंधन और नियोक्ताओं, जो कामगारों को निश्चित देनदारियों, सांविधिक देनदारियों से वंचित रख रहे हैं, और उनसे यह कहेंगे कि यदि उन्होंने संशोधन के अनुसार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया तो उन्हें देश के कानूनों के अनुसार दंड दिया जायेगा।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में गंभीर आत्मसंतोष है। स्थिति अत्यंत गंभीर है और संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार की ओर से तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अधिक विवरण न देते हुए मैं अपने सहयोगियों श्री गुरुदास दासगुप्त और श्री रूपचंद पाल द्वारा उठाए गए प्रश्न का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार स्थिति के प्रति सचेत होकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन्स और राज्य सरकारों को विश्वास में लेगी ताकि हम इस समस्या से निजात पा सकें।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मेरा केवल एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब बातों को शामिल कर लिया है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: मुझे केवल एक वाक्य में अपनी बात कहनी है। भारतीय दूरभाष उद्योग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित उपक्रम है। उस कम्पनी में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से बिना किसी कारण के वेतन नहीं मिला है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है और उनसे अनुरोध करूंगा कि कर्मचारियों के वेतन शीघ्रातिशीघ्र संवितरित किए जाएं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: अध्यक्ष महोदय, मैं यह महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए माननीय सदस्यगण श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री रूपचंद पाल और श्री सांताश्री चटर्जी का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार इस विषय में बहुत चिन्तित है। आज भी, जब मैं यहां खड़ा हूं दिल्ली में एक दो दिवसीय श्रम सम्मेलन हो रहा है, जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हम इस संकट के बारे में बात कर रहे हैं और आप सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप सम्मेलन की मांग कर रहे थे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसमें बिना किसी कार्यवाही के हर बात पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदयः यह सुविचारित कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, यह विलम्बित कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः महोदय, देर आए, दुरुस्त आए।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि हम श्रम मंत्रियों की बैठक आयोजित करें। आज श्रम मंत्रियों की बैठक है जिसमें हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः उनके श्रम राज्य मंत्री ने उन्हें सूचित नहीं किया है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः मैं आंकड़े में दी गई पांच लाख की संख्या से केवल इस हद तक सहमत हूं कि यह नमूना सर्वेक्षण है। यह देश की पूरी स्थिति का पूरा सर्वेक्षण नहीं है; उन्होंने कुछ क्षेत्रों को चुना है और देखा है कि इसने कितना प्रभावित किया है। अतएव, यह देश में कुल नौकरियों के सम्पूर्ण रूप से समाप्त होने का प्रश्न नहीं है, और यह केवल नमूना सर्वेक्षण है।

हमने भारत सरकार में अनेक उपाय किए हैं। इस संकट पर चर्चा आरंभ होने से भी पहले प्रधानमंत्री ने मंत्री परिषद् और विभागों, दोनों में ही अग्रिम कार्यवाही कर ली थी। इसी से भारतीय रिजर्व बैंक ने पैकेज प्रस्तुत किया, इसी कारण रोजगार और उत्पादन में शामिल या उससे संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एकत्रित किया गया तथा पैकेज की घोषणा की गई।

देश द्वारा इस विषय को समझने या उस पर चर्चा करने से भी पहले सरकार ने अग्रिम कार्यवाही कर ली है और यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने कार्यवाही नहीं की है।

जब संपूर्ण विश्व मंदी से हिल गया है, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां वृद्धि दर ने सर्वाधिक दूसरा स्थान पाया है।

श्री गुरुदास दासगुप्तः परन्तु आपकी रिपोर्ट कहती है कि 77 प्रतिशत को छोड़ दिया जाए तो अन्य लोग केवल 20 रुपए प्रति दिन ही व्यय कर पाते हैं। यह आपके मंत्रालय की रिपोर्ट है। अतएव, आप वृद्धि के संबंध में बढ़ा-चढ़ा कर मत बताएं, कृपया गरीबी और अभाव के बारे में बोलें।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः चूंकि माननीय सदस्य ने 20 रुपए के आंकड़े को उद्धृत किया है, अतः मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है या अल्प रोजगार प्राप्त है, तो उसे 100 दिन का रोजगार गारंटी पूर्वक मिले जिससे उसे 80 रुपए प्रतिदिन, 100 रुपए प्रतिदिन, 135 रुपए प्रतिदिन प्राप्त हो, जबकि आप 20 रुपए प्रतिदिन की मामूली राशि की बात बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप चाहते थे कि एनआरईजीए का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी हो। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूर्णतया लागू होने दीजिए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः माननीय सदस्यों ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि क्या हम इसे अन्य क्षेत्रों तक विस्तार कर सकते हैं। निश्चित रूप से चर्चा जारी है और मुझे आशा है कि इसका कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा। सबसे बुरी तरह विनिर्माण कामगार प्रभावित हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः व्यवधान न करें। आखिरकार यह एक गंभीर मामला है और माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः महोदय, अधिकांश कृषि कामगार अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात् विनिर्माण कामगारों के रूप में कार्य करने के लिए आते हैं। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। हमने एक अध्ययन किया है और हमने पाया है कि अधिकांश कामगार अधिक गरीबी वाले राज्यों से हरियाणा, गुजरात या पंजाब में जाते हैं। प्रवास का प्रवाह अब काफी कम हुआ है क्योंकि कामगारों को अब अपने ही गांवों में जाब मिल रहा है चाहे यह बिहार हो, पश्चिम बंगाल या कोई अन्य राज्य। प्रवासन का स्तर कम हुआ है इसका अर्थ है कि लोगों को उनके अपने गांवों में जाब उपलब्ध है और सदस्यगणों को यह स्वीकार करना होगा।

बुनियादी रूप से कर्मकारों की ज्यादा संख्या गांवों में है क्योंकि 65 प्रतिशत लोग गांवों में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र, जिसमें वृद्धि दर मुश्किल से आधा प्रतिशत थी, आज बढ़कर साढ़े चार प्रतिशत हो गई है। इसका आशय यह हुआ कि हमारे किसानों को अपने गांवों में ही काम मिल रहा है। उत्प्रवास की दर में गिरावट आने के मुख्य कारणों में से यह एक प्रमुख कारण है। घरेलू खपत में अभी भी वृद्धि हो रही है। वस्त्र क्षेत्र और परिधान क्षेत्र में भी जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि निर्यात के प्रभावित होने के बावजूद हमारी घरेलू खपत में वृद्धि हुई है। फुटवेयर उद्योग में भी हमारी घरेलू खपत में वृद्धि हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः फिर वस्त्र क्षेत्र में 7 लाख कर्मकारों की छंटनी क्यों की गई? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री गुरुदास दासगुप्त, यह ठीक नहीं है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि और कोई प्रश्न होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। दो क्षेत्र हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यदि आप बैठे हुए भी इस प्रकार की टिप्पणी करते हो तो मैं चर्चा रोक दूंगा।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः महोदय, निर्यात क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र जैसे दो क्षेत्र हैं। घरेलू क्षेत्र में धन की आवक हो रही है। ऋण माफ किए जाने के कारण लगभग 65000 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में चले गये हैं। इसका आशय यह हुआ कि किसान नया ऋण लेने में सफल रहे हैं। इससे पूर्व 85,000 करोड़ रुपये कृषकों के पास ऋण स्वरूप थे और अब यह राशि 2,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रय शक्ति चाहे यह बीज, उर्वरक अथवा कृषि संबंधी उपकरणों के लिए हो, में वृद्धि हुई है और अंततः खपत में भी वृद्धि हुई है। गांवों में धन की आवक में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गांवों में धन की अत्यधिक आवक हो रही है लेकिन यह सत्य है कि गांवों में धन मौजूद है। देश के अंदर खपत और उत्पादन में वृद्धि हुई है और साथ ही साथ निर्यात व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। हमें हर संभव प्रयास करना होगा। हम उद्योग चलाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। पैकेज देने का यह प्रमुख उद्देश्य है।

जब हम यह कहते हैं कि उद्योग चलने चाहिए, तो यह कर्मकारों के बिना नहीं चल सकते हैं। अतः उद्योग को दिया गया कोई सहयोग कर्मकारों को दिए गए सहयोग जैसा है। इस प्रकार का गलत तर्क कभी नहीं देना चाहिए कि हम उद्योग को सहयोग दे रहे हैं लेकिन कर्मकारों को नहीं। उद्योग को सहायता देकर हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाए और कर्मकार अपने जीविकोपार्जन के साथ उद्योग में कार्य करते रहें।

माननीय सदस्यों द्वारा कई सुझाव दिए गए हैं। जहां तक बेरोजगारी भत्ता का प्रश्न है, हम ईएसआई निगम के अंतर्गत उन कर्मकारों को, जिनकी नौकरी चली गई हो, छः महीने का भत्ता— तीन महीने का वेतन छः किस्तों में दे रहे हैं। इस संकट के पश्चात् हमने इस राशि को दोगुना कर दिया है और अब हम छः महीनों का वेतन 12 किस्तों में दे रहे हैं। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, हो सकता है कि यह केवल संगठित क्षेत्र के लिए हो। ठीक है, यह संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए है। एक माननीय सदस्य ने संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के संबंध में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। यह 4 प्रतिशत नहीं, बल्कि 6 प्रतिशत है।

महोदय, हमने अपने मंत्रालय में एक आपदा प्रबंधन दल गठित किया है और इसमें सभी विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। सूरत के मामले में भी, जहां कई व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं, हमने कर्मकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया है ताकि वे कोई अन्य रोजगार प्राप्त कर सकें। पूरा मंत्रालय सक्षमतापूर्वक कार्य कर रहा है और हम अन्य मंत्रालयों के संपर्क में भी हैं। हम यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि देश के कर्मकारों को सहायता मिल सके।

श्री गुरुदास दासगुप्तः सूरत में कई कर्मकारों ने आत्महत्या की है। आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। हम इस प्रकार चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके प्रश्न की अनुमति दे दी है। मैंने इसे अब तक अस्वीकृत नहीं किया है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः इसीलिए हमारे मंत्रालय के सचिव स्थिति का विशेष अध्ययन करने हेतु सूरत, गुजरात गए थे। हम उनके लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः हीरे का कोई निर्यात नहीं हो रहा है। यह वास्तविक समस्या है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः महोदय, किसी उद्योग में केवल उत्पादन का ही प्रश्न नहीं है, इसका विपणन भी होना चाहिए। हम उद्योग को कतिपय स्तर तक उत्पादन बहाल रखने हेतु सहयोग कर सकते हैं लेकिन यदि किसी विशेष सीमा के पश्चात् क्रयादेश प्राप्त नहीं हो, तब उद्योग द्वारा इस प्रकार की वृद्धि को निरंतर जारी नहीं रखा जा सकता है। इसे समझना होगा। हम पूरी तरह से कर्मकारों का समर्थन करते हैं और हम उनकी सहायता करेंगे। मैं माननीय सदस्यों का यह मुद्दा उठाने हेतु धन्यवाद करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.58 बजे

(इस समय श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदयः अब मैं अन्य महत्वपूर्ण मामले लेता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री ऑस्कर फर्नांडीसः महोदय, माननीय सदस्य ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के बारे में पूछा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10642/09]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः किसी अन्य प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई है। माननीय सदस्यगण, क्या आप मध्याह्न भोजनावकाश चाहते हैं?

अनेक माननीय सदस्यः जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदयः अतः मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। मैं अभी छह अथवा सात मामलों को उठाने की अनुमति दूंगा और दिन की समाप्ति पर अन्य मामले उठाने की अनुमति दी जाएगी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मई 2000 में पारादीप में एक तेल शोधक-सह-पेट्रोरसायन परियोजना स्थापित करने हेतु इसका शिलान्यास किया गया था। 3347 एकड़ भूमि अधिग्रहित करके विकास पूर्व का कार्य पूरा किया जा चुका है। उड़ीसा सरकार द्वारा बिक्री कर को आस्थिगत करने सहित सभी रियायतें दे दी गई हैं। आईओसी लिमिटेड ने उड़ीसा सरकार के साथ वर्ष 2009-2010 तक 9 एमएमपीटीए तेलशोधक संयंत्र स्थापित करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और अभी हम वर्ष 2009 में हैं, इस परियोजना का बाद में उन्नयन करके इसे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 15 एमएमपीटीए वाला तेलशोधक-सह-पेट्रोरसायन परियोजना बनाया गया है। पारादीप को देश के पांच स्थलों में से पीसीपीआईआर परियोजना की स्थापना करने की क्षमता वाले एक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पास आवेदन किया जा चुका है। इस समय केवल हल्दिया पारादीप पाइपलाइन परियोजना से संबंधित कार्य शुरू किया गया है और तेलशोधक-सह-पेट्रोरसायन परियोजना के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

महोदय, अब तक नौ वर्ष बीत चुके हैं। इस यूपीए सरकार के शासन काल के दौरान देश और राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण इन दो परियोजनाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। सरकार इस पेट्रोरसायन परियोजना को जारी रखने हेतु कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाये और परियोजना कार्य में तेजी लायी जाये। ताकि इससे पूरे देश को और उड़ीसा राज्य को लाभ प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, अमलगमेशन के बाद पूरे देश में जो 83 ग्रामीण बैंक्स कार्यरत हैं, उन बैंकों में कार्यरत हजारों की संख्या में कर्मचारी और वर्कर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संसद के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें प्रायोजक बैंकों के समतुल्य पेंशन सुविधाएं दी जाएं, प्रायोजक बैंकों के समान पी.एफ. कटौती की जाए और अन्य भत्ते तथा सुविधाएं भी प्रायोजक बैंकों के समान दी जाएं। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय सारे बैंक्स फायदे में हैं और इनका फिछला फायदा लगभग 2325 करोड़ रुपये का है। ये सब काफी समय से चल रहा है और ये सारे बैंक्स प्रायोजक बैंकों से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2003 में घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जायेगी। मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय वित्त मंत्री उस ओर ध्यान दें और जिस प्रकार से ग्रामीण बैंकों के कर्मी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वे आम आदमी की सेवा कर रहे हैं। सरकार जिस बात के लिए कहती है कि सारी सुविधायें गरीब से गरीब आदमी को मिले, बैंकों में उनका खाता खुले, नरेगा में खाता खुले और उन्हें पैसा मिले लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो दूसरे बैंक कर्मियों को सुविधायें मिल रही हैं, इन्हें नहीं मिल रही हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी खाता खोलने में परेशानी पैदा कर रहे हैं परंतु ग्रामीण बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहकर रात को देर से बैठकर काम कर रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है। मैं चाहूंगा कि तत्काल भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये और उन कर्मियों द्वारा जो सुविधायें मांगी जा रही हैं, उन्हें तत्काल लागू किया जाये। मैं सरकार को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि पी.एफ. में यह सुविधा देने से 62 करोड़ रुपये की राशि की कटौती का भार पड़ेगा जबकि बैंक 2000 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे और उचित कदम उठाये जायें।

अध्यक्ष महोदयः डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री राम स्वरूप कोली, श्री राम सिंह कस्वां के नाम श्री गंगवार ने जो मुद्दा उठाया है, उसके साथ एसोसिएट किये जायें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज-उपस्थित नहीं

सॉरी तो बोल दिया लेकिन अब वेट करना होगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के सारे कामकाज आज ठप पड़े हुए हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक सभी वर्गों के कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर चले गये हैं। उनकी शिकायत यह है कि सरकार कर्मचारियों के लिए 1.11.2002 से बैंकों द्वारा शुरू की गई पेंशन अपडेशन स्कीम को स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसा वित्त मंत्रालय के इशारे पर किया गया है जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक के एकता मंच, जिसमें रिजर्व बैंक के सभी वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं, ने सामूहिक आकस्मिक छुट्टी का रास्ता अपनाया है।

महोदय, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और बैंकों द्वारा शुरू की गई पेंशन अपडेशन स्कीम के कार्यान्वयन में बाधा न डाली जाये।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुनील खां स्वयं को इस विचार से संबद्ध करेंगे।

श्री हंसराज गं. अहीर-उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। गत वर्ष 2008 में कोसी में बाढ़ आयी थी, उसमें 33 लाख लोग बेघर हुये थे, तीन लाख घर उसमें खत्म हुये थे, दस लाख लोगों को बिहार सरकार ने बाहर निकाला। 362 कैम्प चलाये और 14 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और उसका मामला बनाकर बिहार सरकार ने केन्द्र को भेजा। वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अकेले ही बहुत ही मेहनत की और पूरी लड़ाई अकेले लड़ी है। एक बार केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को एक हजार करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी लेकिन आज बिहार में पूरी तरह से तबाही हो गई है। जब बिहार में बाढ़ आयी थी तो उस समय उसकी तुलना सुनामी से कर रहे थे लेकिन केंद्र सरकार उसके बाद से कोई मदद नहीं कर रही है। आज हाऊसिंग सैक्टर में 525 करोड़, बिल्डिंग में 400 करोड़, एग्रीकल्चर में 1762 करोड़ रुपये और रोड्स में 1581 करोड़, ईरिगेशन में 50 करोड़, एजुकेशन में 74 करोड़ रुपये का मामला बिहार की सरकार ने बनाकर 14800 करोड़ रुपये भारत सरकार से मांगा है और उसे केन्द्र सरकार को अविलम्ब देना चाहिये लेकिन सरकार इग्नोर कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार बिना भेदभाव किये बिहार सरकार की मदद करे। श्री नीतीश कुमार, मुख्य मंत्री बिहार सरकार बहुत मेहनत कर रहे है और उन्होंने अकेले ही बहुत काम किया है। उसमें बिना केन्द्र की मदद के यह सब संभव नहीं है। बिहार के लोग इस इंतजार में हैं। बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। ...*(व्यवधान)* कोसी के दर्द को आप भी समझते हैं। इसमें कोई राजनैतिक भेदभाव नहीं करना चाहिये। ...*(व्यवधान)* महोदय, बिहार सरकार ने जो 14 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, वह पैसा केंद्र सरकार को अविलम्ब देना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): भारत सरकार केरल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले पाम आयल के लिए राजसहायता प्रदान कर रही है। लेकिन इससे उस राज्य में नारियल के तेल की कीमत गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि पाम आयल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसा कि इस सभा में वाणिज्य मंत्री द्वारा पहले भी आश्वासन दिया गया, देश के दक्षिणी भाग में पाम आयल का आयात नहीं किया जाना चाहिये। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि उस राज्य में उत्पादित नारियल तेल के लिए भी राजसहायता प्रदान की जाए। इससे उस राज्य के नारियल उत्पादकों को लाभ होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री रामजीलाल सुमन। यह कोई अविलम्बनीय मामला नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया था कि वे 103वां संविधान संशोधन विधेयक लाएंगे। महोदय, वर्ष 1948 से जैन समुदाय के लोग बराबर सरकार से संपर्क कर रहे हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित किया जाए। सरदार पटेल जी

ने वर्ष 1948 में इसका अलग से सर्वेक्षण कराया था और यह पाया था कि जैन समुदाय के लोग 0.4 प्रतिशत हैं। वर्ष 1950 में जैन समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से भी मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसे स्वीकार किया था और इसका जिक्र उनकी किताब भारत एक खोज में भी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि देश के 10 सूबों में जैन समुदाय के लोग अल्पसंख्यक समुदाय में हैं। मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और क्रिश्चियन को तो उस सूची में शामिल किया गया है, लेकिन उसमें जैन समुदाय रह गया था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने वर्ष 2004 में संसद में बजट पेश किया था, लेकिन संसद भंग होने की वजह से ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्कालीन ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): केरल राज्य गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती पी. सतीदेवी, आपने जिस मामले का उल्लेख किया है, वह राज्य सूची का विषय है। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: केरल में इस वर्ष खराब मानसून के कारण जलाशयों में जल का स्तर बहुत ही कम है और इसलिए चालू वर्ष में 4000 मिलियन यूनिट विद्युत का कम उत्पादन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आने वाली ग्रीष्म ऋतु के दौरान पीक लोड आवश्यकता में वृद्धि हो जाएगी और इसलिए पीक लोड समय के दौरान 400 मेगावाट की कमी होगी। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि केरल राज्य के हिस्से का आवंटन केन्द्रीय विद्युत उत्पादन योजना से किया जाए जो 1041 मेगावाट है। लेकिन इन स्टेशनों के उत्पादन में कटौती किए जाने की वजह से केरल को इस समय केवल 600 से 700 मेगावाट विद्युत मिल रही है। अत: मौजूदा स्थिति के अनुसार 1000 मिलियन यूनिट की कमी है।

महोदय इस राज्य में पहले से ही विद्युत की खराब स्थिति के कारण आधे घंटे के लिये विद्युत की आपूर्ति रोकी जाती है और लोड शेडिंग रहती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विद्युत संकट से निपटने के लिए केरल के न्यायोचित हिस्से का आवंटन और केन्द्रीय अनावंटित हिस्से से 300 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। यह केवल अविलम्बनीय मामले उठाने का समय है। मैंने केवल पांच सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने की अनुमति प्रदान की है। इन दिनों और कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लिए जो खतरा हुआ है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता ने कहा है कि परमाणु हथियार कंटेनरों से आ सकते हैं। महोदय, कंटेनरों की 100 परसेंट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मुंबई में जो हमला हुआ था, उसमें भी ये हथियार समुद्र मार्ग से आये थे। इसके पहले जब हमला हुआ था तो हमारे रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने कहा था कि समुद्र मार्ग से हमला हो सकता है। इसके लिए कोस्ट गार्ड और नेवी, होम मिनिस्ट्री, श्री विलासराव देशमुख, श्री शिवराज पाटिल जी की मीटिंग मुंबई में हुई थी। महोदय, तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका मामला यहां नहीं उठाया जा सकता है। यह राज्य का मामला है। किसी राज्य की कानून और व्यवस्था का मामला यहां कैसे उठाया जा सकता है? यह यहां नहीं उठाया जा सकता है। आपने जिस मामले के लिए नोटिस दिया है, वह राज्य से संबंधित है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आगे कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: शेष मामलों पर दिन के आखिर में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महोदय, मुंबई हमले के बाद बुश प्रशासन ने यह कहा था कि पाकिस्तान सीमा पर परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है। क्या सरकार इसके लिए सीरियस है? यह देश के लिए खतरा पैदा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: सरकार इस पर विचार करेगी। मामले उठाना आपका अधिकार है। अब हम मद संख्या 25 पर विचार करेंगे।

अपराह्न 1.09 बजे

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोग निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं:

"कि पशुओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे रोगों के प्रादुर्भाव या फैलाने का निवारण करने के लिए और पशुओं तथा पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि पशुओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे रोगों के प्रादुर्भाव या फैलाने का निवारण करने के लिए और पशुओं तथा पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 1.10 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, वास्तव में माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, वह बहुत आवश्यक है। यह भी सही है कि इसे पहले लागू हो जाना चाहिए था। जो उस क्षेत्र से परिचित हैं, उन्हें मालूम है कि 1924 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत जो ओआईई का गठन हुआ था, भारत उसका सदस्य देश है। ओआईई के प्रमाणीकरण के बिना पशु और पशु उत्पादों का कोई निर्यात एवं आयात नहीं हो सकता है, यह आब्लीगेटरी भी है। इसके तहत सरकार को कदम उठा कर कार्यवाही करनी चाहिए थी। सब को मालूम है कि पिछले समय में दुनिया में एक बीमारी लोगों की चर्चा में और उस चर्चा के दौरान लोगों की समझ में आया कि जानवरों के अंदर जो बीमारी होती है, उसका उपचार और उसकी दशा को ध्यान में रखना चाहिए। फूट एंड माउथ डिसीस, यह एक ऐसी डिसीस थी, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इसका इलाज मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली के अंदर एक इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें इसकी शुरुआत हुई और दुनिया में उसे मान्यता मिली।

सभापति महोदय, हम यह भी देख रहे हैं कि जब कभी भी अखबार में बर्ड फ्लू की चर्चा सुनने को मिलती है तो लाखों की तादाद में हत्याएं की जाती हैं। जो गरीब किसान होता है, जो इनका पालन करता है, उसकी आर्थिक स्थिति निरंतर खराब हो जाती है। उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यह बिल आवश्यक था, इसे आना चाहिए था। हम यह इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ किसान है और अगर किसान को हमने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया तो हम वास्तव में देश की जो दशा और दिशा होनी चाहिए, उसमें दिक्कत होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि धान और गेहूं से जितना हम अर्थ पैदा करते हैं, जितनी हम इससे व्यवस्था करते हैं, दूध, मांस और जो गोश्त है, उससे भी हम जो अर्थ प्राप्त करते हैं, उससे कम नहीं है, उसके बराबर ही है। जहां तक मेरी जानकारी है एक लाख 75 हजार करोड़ रुपए की पशुधन से सरकार को आय होती है। मतलब, देश की व्यवस्था में यह धन लगता है। इसके बाद भी दुर्भाग्य यह है कि जो पशुपालन अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था में है, इसका जो प्लान आउटले है, वह निरंतर कम हो रहा है। अगर हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि नौंवे फाइव ईयर प्लान में 0.48 प्रतिशत था और दसवें प्लान में वह 0.28 प्रतिशत रह गया तथा आगे 11वें प्लान में भी इसमें कोई बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई है, उतना ही रखा गया है। जब कि हमारा देश दुनिया के दुग्ध उत्पादन देशों में एक प्रमुख स्थान रखता है, पहला या दूसरा स्थान रखता है। इस बात से सभी परिचित हैं।

[श्री संतोष गंगवार]

सभापति महोदय, अगर सरकार अब इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो कब देगी? मैंने जैसे पहले कहा, मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं कि मैं बरेली का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां दुनिया का माना हुआ एक इंस्टीट्यूट है-आईवीआरआई। काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है कि वहां आईसीएआर, जो इंडियन काउंसिल फार एग्रीकल्चर रिसर्च है, उससे इस वेटरनरी रिसर्च को अलग किया जाए। अभी कुछ दिन पहले हमारे वेटरनरी रिसर्च के वैज्ञानिकों और छात्रों ने आमरण-अनशन किया। मैं वहां गया था और मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझता हूं कि वास्तव में अगर हम देश की तरक्की करना चाहते हैं तो इंडियन काउंसिल फोर एग्रीकल्चर रिसर्च से इंडियन काउंसिल फार वेटरनरी रिसर्च को अलग करना चाहिए। अगर आप वेटरनरी रिसर्च अलग करेंगे तो पशु और पशुओं के उत्पाद के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं तथा उसके हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, वास्तव में यह जो बिल है, इसमें बहुत सी बातें हैं, परन्तु जमीन पर अगर आप देखें तो शायद उसका आज के समय में क्या प्रयोग होता है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मुझे इस बिल में थोड़ी सी आपत्ति जरूर है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बारे में निश्चित रूप से बताएं। इसमें जो अध्याय-एक है, उसमें दो नम्बर जो परिभाषाएं लिखी हैं, उसमें पशु से अभिप्रेत है-ढोर, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन और उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, कुक्कुट और मधुमक्खी लिखा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि "ढोर" शब्द का क्या अर्थ है। हम तुलसीदास के कथन का उल्लेख करते हैं, लेकिन मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। वास्तव में इस शब्द को लिखते समय सोचना चाहिए था कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गाय या गौवंश को इसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि हम मानते हैं कि गाय और गौवंश जानवर नहीं है। हम उन्हें पूजते हैं और गाय को माता के समान मानते हैं। वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में हम जानते हैं कि गाय का क्या महत्व है। दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ी संख्या भैंस की है। उसके बाद गाय और गौवंश का नंबर आता है। हम यह जरूर चाहेंगे कि इसमें गाय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस संबंध में कैसे वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इसके बारे में जानकारी दी जाए कि इस बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है?

माननीय मंत्री जी, मैं जिस सूबे से आता हूं, वहां आदमी का इलाज तो हो नहीं पाता है, जानवर का इलाज कैसे होगा और वह भी तब, जब कि निरीह जानवर है। अस्पतालों में दवाएं नहीं, डाक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं। आप जानवर को लेकर जाइए, जिस गरीब के पास खाने तक को नहीं है, वह गरीब कैसे अपने जानवर का इलाज कराएगा और फिर जानवर जिस स्थिति में आता है, वह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। उत्तर प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी डिस्पैंसरी को देख लीजिए यही स्थिति है। वहां एक ब्लाक में केवल एक ही डिस्पैंसरी होती है और उसमें पूरे ब्लाक के 100 या 200 गांवों के जानवर लेकर जाएं, तो देखना और न देखना बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो व्यवस्था कर रहे हैं, वह कहीं आर्थिक व्यय जोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं प्लान आउटले बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए कोशिश करें कि इसे एक सही दिशा में लेकर जा सकें। यदि ऐसा नहीं होगा, तो यह कोई बहुत बढ़िया बात नहीं होगी।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज खेती लाभकर जोत नहीं है। सीलिंग के बाद खेती निरन्तर कम होती जा रही है और अगर आप ध्यान दें और देखें, तो पाएंगे कि गांव के अंदर जो किसान रहता है, वही तरक्की कर रहा है, वही प्रगति कर रहा है, जिसके घर पर जानवर है, जिसके घर पर दूध देने वाला जानवर है। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है, एन.डी.ए. की सरकार के समय माननीय अटल जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने के साधन बनाने हेतु 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' की बात की थी और आज जब हर गांव में सड़क पहुंच गई है, तो आदमी अपनी साईकल और मोटरसाईकल पर रखकर दूध लाकर शहरों में बेचता है और इससे अपनी आय पैदा करता है तथा अपने बच्चों का पठन-पाठन कराता है और अपने परिवार की प्रगति करता है। आज अगर किसी के पास जानवर है, तो तरक्की की होगी और अगर जानवर नहीं है, तो तरक्की नहीं होगी। जानवर की आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, इसमें मुझे जरूर संकोच और संशय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में आज स्लाटरिंग बहुत हो गई है। हर जिले में, हर शहर में, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से, जानवरों को काटा जा रहा है और उसमें गौवंश को ज्यादा काटा जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर आप कुछ सख्ती बरतें। राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण वे इसमें कोई सख्ती नहीं कर पा रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा जानवरों का आदान-प्रदान होता है। अगर आप ध्यान दें, तो जिन ग्रामीण क्षेत्र

के गांवों में जानवर बिकते हैं। उनका वहां पर कोई टैस्ट नहीं होता है कि वे बिक्री के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, या उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। मुझे मालूम है कि जहां स्लाटरिंग होती है, वहां पर डाक्टर होते हैं; वहां पशु-चिकित्सक होते हैं और केवल उनकी सेवा कर दीजिए, तो वे बिना देखे-भाले परमिट कर देते हैं कि ये जानवर कटने लायक है, फिर भले ही वह कटने लायक हो या न हो।

महोदय, इसके साथ मेरा मंत्री जी को एक सुझाव है कि देश के अंदर जो गौ-शालाएं काम कर रही हैं, जो इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें भी मजबूत करने की जरूरत है। मैं अपने क्षेत्र में देखता हूं कि कहीं से भी अगर जानवर पकड़े जाते हैं और ऐसी गाय पकड़ी जाती हैं, तो उन्हें रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री संतोष गंगवारः महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पकड़ी गई गायों को रखने का कोई इंतजाम नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक सही दिशा में ले जाने का काम होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, अगर यह तय नहीं किया गया कि वास्तव में जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, उसकी मंशापूर्ण होती है या नहीं, तो कोई प्रगति नहीं होगी। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जानवर जाएंगे, तो बिना परीक्षण के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से राज्यों में ट्रैफिकिंग होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जानवर जाते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 10 वर्ष पहले मैं इस मंत्रालय की यानि ऐग्रीकल्चर स्थाई कमेटी का अध्यक्ष था। इसलिए मुझे सारी बातें मालूम हैं और मुझे सारी बातों की जानकारी है। कि अगर वास्तव में हमने गौ और गौवंश की चिन्ता नहीं की तो हमारा देश सही प्रगति नहीं कर सकता है और हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का काम नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वास्तव में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो जानवर का इलाज, एक जानवर की बिक्री, दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में जानवर का जाना, तीसरे क्योंकि स्थानीय आधार पर स्थानीय पुलिस और स्थानीय डाक्टर देख नहीं पाते हैं, आदमियों के डाक्टर तो कम हैं और पशु चिकित्सक निरन्तर और कम होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और राज्य सरकारें जो अस्पतालों को चलाती हैं, उनको नियंत्रित करने, उनको देखने की कि उनके अन्दर सही व्यवस्था हो रही है कि नहीं और एक ब्लाक में एक अस्पताल न होकर इसके सैंटर्स बढ़ाये जायें।

मैं यहां एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं, मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज अगर कुत्ता काट ले और रैबीज की बात होती है तो उसका इलाज तक लोग नहीं करवा पाते हैं तो फिर क्या कोई ऐसा इन्तजाम नहीं हो सकता कि जैसे अब हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि पूरे देश के अन्दर हमने पल्स पोलियो की एक मुहिम चलाई तो क्या जानवरों के लिए देश में हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि बीमारी का कोई प्रिवेंटिव एक्शन उठा लें। पल्स पोलियो की तरह जितने कुत्ते हैं, उन सब को इंजैक्शन लगा दें, जिससे कि उस हिसाब से काम न हो और उसको नियमित अपने हिसाब से चलाने का काम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सी बातों में हमें लाभ भी मिलेगा और हम सही ढंग से आगे दिशा में चल पाएंगे, तभी वास्तव में इस बिल का जो बिल हम ला रहे हैं, इसका सही उपयोग कर पाएंगे और वास्तव में इस दिशा में काम कर पाएंगे। हम जो विधेयक लेकर आये हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही हो रहा है और उसका लाभ भी हमको मिल रहा है, यह देश की अर्थव्यवस्था में जुड़ाव करने का एक मुख्य रास्ता और तरीका है, ऐसा मैं मानता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आदरणीय सभापति महोदय, हम पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोग निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2005 पर चर्चा कर रहे हैं। इस विधेयक को दूसरे सदन ने पहले ही पारित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि अब सरकार ने बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श का पालन कर लिया होगा।

इस विधेयक का आशय पशुओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण, नियंत्रण और उनके उन्मूलन का प्रावधान करना है ताकि ऐसे रोगों को एक से दूसरे राज्य में फैलने से रोका जा सके तथा पशुओं और पशु उत्पादों के आयात-निर्यात को सुगम बनाने के भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति हो सके और इससे संसक्त अथवा इसके आनुषंगिक मामलों पर सुगमता से कार्रवाई की जा सके।

इस विधेयक का आशय यह भी है कि पशुधन मालिक पशुपालन की बेहतर प्रक्रियाओं को अपनायें जिसमें प्रभावित पशुओं का समय पर टीकाकरण एवं उपचार और किसी संक्रमित क्षेत्र से

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

अन्य क्षेत्रों में रोग के कीटाणुओं (पैथोजेन) के फैलाव की प्रभावी रोकथाम शामिल हो। इससे संक्रामक रोगों के प्रकोप को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

हमें पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिये पशु और पशुधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा यह विचार है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी बनता है और इस बात की आवश्यकता भी है कि देश में एक समरूप विधान हो तथा इसी विचार ने सरकार को यह विधेयक लाने के लिये प्रेरित किया।

आवश्यकता इस बात की है कि पशुओं के प्रमुख संक्रामक एवं सांसर्गिक रोगों पर नियंत्रण किया जाये। मुंहखुर (फुट एण्ड माउथ) रोग तथा एंथ्रैक्स प्रमुख रोग हैं। पर्याप्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में कानून भी विद्यमान होना चाहिये।

यद्यपि, पशु रोगों पर नियंत्रण एवं उनके निवारण हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय से ही कदम उठाये गये हैं, फिर भी, ये रोग पशुधन क्षेत्र के लिये अब भी गंभीर खतरा बने हुए हैं।

भारत पेरिस स्थित आफिस इन्टरनेशनल डेस एथिजूटीज (ओआईई) का सदस्य है। दुग्ध, अंडे, मांस और अन्य उत्पादों एवं सह-उत्पादों समेत पशुओं और पशु उत्पादों के आयात-निर्यात हेतु देश में विशिष्ट रोग अथवा रोगों से मुक्ति के संबंध में ओआईई से मान्यता आवश्यक है। पशुओं और पशु उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनार्थ ओआईई का इन्टरनेशनल एनिमल हेल्थ कोड उपबन्ध सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। ओआईई के आईएएचसी के इन उपबंधों को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा एलिमेन्टालियस भी मान्यता देते हैं। अतः, हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम इसके दायित्वों की पूर्ति हेतु आवश्यक विधायी उपाय आरंभ करें ताकि इन्टरनेशनल एनिमल हेल्थ कोड के अंतर्गत मिलने वाले लाभ हासिल किये जा सकें। इसलिए यह विधान अत्यधिक आवश्यक है।

वर्तमान में पशुओं की देश के एक भाग से दूसरे भाग में ढुलाई तेजी से होती है। अतः, सांसर्गिक रोग भी आसानी से फैलने लगे हैं। इसीलिये, पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत उपयुक्त विधान की आवश्यकता है जिससे समूचे देश में एकसमान कानून बनेगा।

जिनेटिक रोगों समेत पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने एवं उनकी रोकथाम करने की आवश्यकता है और इस प्रकार ऐसे रोगों को फैलने से रोके जाने की जरूरत है।

20वीं शताब्दी के आरंभ में एक समय ऐसा था जब आनुवांशिक विशेषताओं अथवा अन्य विशिष्टताओं के कारण कोई व्यक्ति कभी किसी रोग की चपेट में आये बिना ही किसी रोग का संवाहक बन सकता था। मैरी मार्टन नामक आयरलैंड का एक रसोईया "टाइफाईड मैरी" के नाम से भलीभांति प्रसिद्ध था। ऐसी ही संवाहक पशुओं में भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस "टाइफाईड मैरी" से भी कहीं अधिक अप्रिय है वे आतंकी और नियमों की अवहेलना करने वाले राइट हैं, जो जैविक युद्ध का आरम्भ कर सकते हैं। इसके कारण, जानवरों, मांस और मांस उत्पादों के माध्यम से पशु रोगों के फैलने से जैविक युद्ध हो सकता है।

डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड और पेंटागन पर हुए 9/11 के आतंकी हमले के पश्चात्, एंथ्रैक्स स्पोर्स वाले कई पत्र संयुक्त राज्य अमरीका में चारों ओर दिखाई दिये और इस बीमारी की चपेट में आने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। अतः, अब यह बहुत ही गंभीर मामला हो गया है। सरकार ने यह ठीक ही किया है कि वह इस विधान को लेकर आई। निस्संदेह, इसे विलंब से लाया गया है किंतु यह अत्यंत आवश्यक है।

हमें ज्ञात है कि पशु और पशुधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था, ग्राम्य जीवन और कृषि कार्यों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान अपने कृषि कार्यों हेतु पशुधन पर निर्भर है। हम डेरी उत्पादों और अपने बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिये इस पशुधन पर पर्याप्त रूप से निर्भर हैं। किंतु कई बार इस रोग तथा इस रोग के फैलने से विकास में रुकावट आई है। इससे आर्थिक विकास बाधित होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे पशुओं की दवाईयों की कीमत पर विचार करें, खासकर पशुधन के लिये। यह हमारे पशुओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत जरूरी है। वर्तमान में दवाइयों की कीमतें बहुत अधिक हैं। पशुओं की जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अतः, निर्धन किसानों के लिये अपने आजीविका को बनाये रखना संभव नहीं है। वे पशुओं पर निर्भर हैं। उनके लिये पशुओं इत्यादि को रखना भी संभव नहीं है। उनके लिये यह भी संभव नहीं है कि वे पशुओं की बीमारियों की रोकथाम करने हेतु दवाइयां खरीद सकें। अतः, सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिये। सरकार ने इन दवाइयों पर राजसहायता देने के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है।

हम यह देख रहे हैं कि ये दवाइयां पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं और राज्य सरकारें भी इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रही हैं। अतः, यदि सरकार अन्य समस्त पहलुओं पर ध्यान नहीं देती तो मात्र इस विधेयक को पारित करना पर्याप्त

नहीं है। अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण किया जाये और इस बात की ओर ध्यान दिया जाये कि ये दवाइयां खरीद हेतु लोगों के लिये उपलब्ध हों। अथवा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।

अतः, माननीय मंत्री जी को इन पहलुओं पर विचार करना चाहिये और सरकार को इन दवाइयों पर राजसहायता देनी चाहिये ताकि पशुओं में होने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि संतोष गंगवार साहब और बृज किशोर त्रिपाठी साहब ने एकमत से इस बिल को सपोर्ट किया है। दोनों सम्मानित सदस्यों ने इस बिल की उपयोगिता के बारे में बात की है। यह बिल पहले आना चाहिए, इसे मैं मानता हूं और सरकार भी मानती रही है। सन् 1990 से इस बात की चर्चा चल रही थी कि यह बिल पास होना चाहिये। यूपीए सरकार के गठन के बाद सन् 2005 में यह बिल राज्य सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और जो परम्परा है, उस परम्परा के अनुसार इसे स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द किया गया और उसमें लगभग तीन साल लगे। स्टैंडिंग कमेटी का जो सुविचारित मत था, उसके अनुसार माननीय सदस्यों ने इस बिल के संदर्भ में 18 रिकमैंडेशन्स कीं। सरकार ने 10 रिकमैंडेशन्स मान लीं, 8 रिकमैंडेशन्स जिन्हें हमने नहीं माना, उनके बारे में मैं साफ करना चाहता हूं कि उन पर रूल बनाते समय हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। संतोष गंगवार साहब ने ढोर के संदर्भ में यहां एक प्रश्न उठाया। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि शायद उन्होंने इंग्लिश वर्जन नहीं देखा होगा। उसमें जो डैफिनेशन है, जिसमें इंग्लिश में कैटल लिखा है, कैटल मे गाय, सांड और बैल शामिल हैं, बिल के हिन्दी वर्जन में कैटल का रूपांतर ढोर किया गया है क्योंकि कैटल के अंतर्गत गाय भी आती है। इसलिए हमने उसे नहीं लिखा। हम लोग गाय को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। इस बिल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कनटेजिअस में इनफैक्शियस रोगों को प्रकोप के देश के एक भाग से दूसरे भाग में फैलने से रोकना है। पशुधन से संबंधित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कनटेजिअस एवं इनफैक्शियस रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से देश और देश के किसानों को उस नुकसान से कम करके देश के भीतर कंट्रोल्ड और इरैडिकेटेड माहौल स्थापित करना है।

इस बिल का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोक स्वास्थ्य के तहत महत्व वाले पशु रोगों को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करना तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करके पशुओं तथा पशु उत्पादों का आयात करना। यह इस बिल का उद्देश्य है। एक बात मैं और साफ करना चाहता हूं, संतोष गंगवार जी अभी सदन से चले गये हैं, उन्होंने कहा कि लाइव स्टाक सैक्टर से एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है। वर्ष 2006-07 में हमारे देश को लाइव स्टाक सैक्टर से उससे ज्यादा यानी 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। यूपीए सरकार के आने के बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर सैक्टर में, लाइव स्टाक सैक्टर में कई करैक्टिव मेजर्स लिये हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह सही है कि हम चार परसेंट का ग्रोथ रेट एचीव नहीं कर पाये। हम सिर्फ 2.4 परसेंट ही ग्रोथ रेट एचीव कर पाये। लेकिन वर्ष 2007-08 और 2008-09 में हमारे देश के किसानों को और यूपीए सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उसमें हम आज बढ़ोत्तरी करके इस स्थिति में पहुंचे हैं कि न केवल बफर नार्म्स से ज्यादा बल्कि हमारा भंडार भरा हुआ है। इसी सदन में पिछले साल या उससे पहले हम लोगों पर आरोप लगता था कि हम गेहूं दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसी स्थिति में हैं, आज हमारे पास इतना गेहूं और चावल है कि न केवल बीपीएल, एएवाई में हम सारे स्टेट्स को गेहूं दे रहे हैं, बल्कि एपीएल की भी जो डिमांड आ रही है, उसे भी हम पूरा करने में सक्षम हैं।

मैं यहां बताना चाहता हूं कि लाइव स्टाक सैक्टर में दूध की चर्चा संतोष गंगवार और त्रिपाठी साहब ने की। पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में भारत नम्बर वन है। जितनी आमदनी हमारे देश के किसान धान और गेहूं से प्राप्त करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आमदनी दूध से इस देश को होती है। लाइव सैक्टर से हमारे गरीब भाइयों-बहनों को जो रोजगार मुहैया होता है, उसकी संख्या भी काफी बढ़ी है। फिर अंडे और ब्रायलर के उत्पादन में भी हमारा देश दुनिया में तीसरे या चौथे नम्बर पर आता है। उससे भी बड़ी आमदनी होती है। पिछले दिनों हम लोगों ने बर्ड फ्लू के दंश को झेला है। पहले गुजरात, महाराष्ट्र, असम, बंगाल और दूसरे प्रदेशों में भी बर्ड फ्लू फैला। बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाने के लिए पांच लाख से ज्यादा मुर्गियों को खत्म किया गया। इससे कितना नुकसान हुआ, निश्चित तौर पर मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जितना भी नुकसान हुआ, खासकर रूरल इकोनामी के लिए, वह सरकार के लिए चिंता का विषय था। इसलिए सरकार यह समझती है कि इस बिल को लाना बहुत ही आवश्यक है। इसी के तहत हमने राज्य सभा में यह बिल रखा था। वहां पर माननीय सदस्यों ने एकमत से इस बिल की उपादेयता और उपयोगिता के बारे में चर्चा की और इस बिल पर मुहर लगाने का काम किया है। मैं यहां भी यही अपेक्षा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: दवाओं के मूल्य बहुत अधिक हैं। आज उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां भी सभी माननीय सदस्य इस बिल को एकमत से पारित करेंगे। त्रिपाठी साहब ने जिन बातों की चर्चा की है, मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने इसके लिए मुख्य रूप से दो प्रोग्राम्स-एफएमडी कंट्रोल प्रोग्राम और एएससीएडी प्रोग्राम-के रूप में सभी स्टेट्स को भेजा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं है। जब रूरल फार्मूलेट होंगे, इसमें दण्ड का प्रावधान किया गया है। आजकल वैक्सीनेशन के लिए कहीं भी पूरी तरह छूट है, लेकिन जब यह बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो नीम हकीम खतरे जान वाली प्रवृत्ति हटेगी। इसलिए मैं इस सदन से अपील करता हूं कि इस बिल को एकमत से पारित करें जिससे लाइव स्टाक सैक्टर में एक नई क्रांति आए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष गंगवार: मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि बिल के हिन्दी वर्जन को आथेंटिक माना जाए या फिर इंगलिश वर्जन को? आपने ढोर शब्द की परिभाषा अंग्रेजी में तो कर दी, लेकिन हिन्दी में नहीं की? ढोर शब्द को हिन्दी में किस रूप में लिया जाता है, मैंने केवल इतना ही कहा है। आपका धन्यवाद कि आपने कहा कि पशु से आय बढ़ रही है। यह बात बिल्कुल सही है और यह भी सही है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी। यह राज्य का विषय है, यह बात भी समझ में आती है, लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे? मैंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पशु जाते हैं, जो स्लाटर हाउसेज में अवैध रूप से कटने के लिए जाते हैं, खासतौर से गौवंश के पशु जो काटे जाते हैं और जिनकी निरंतरता बढ़ती जा रही है। यह स्थिति तब है जब हमें यह लग रहा है कि देश की प्रगति के लिए दूध एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में काम कर रहा है। ब्रायलर वगैरह के बारे में आपने बताया है। मैंने जानबूझकर भारत का पहला स्थान नहीं कहा है क्योंकि पहला और दूसरा स्थान तो काफी समय से रहा है। फिर भी हमारे देश में आम आदमी के लिए दूध की व्यवस्था आबादी के हिसाब से नाकाफी है। हम इसको बढ़ाएं नहीं, इसको दुरुस्त न करें और बाद में हम यह कानून लगाएं। कानून बहुत अच्छा है, इसे लागू होना चाहिए, हमें यह बात समझ में आती है। इससे किसी का विरोध नहीं है। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि यह राज्य का विषय है और केवल राज्य ही इसके विषय में जानें। नीम हकीम जानवरों का इलाज कम करते हैं, आदमियों का ज्यादा करते हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ऐसा ही होता है। आप छोड़ दें तो यह अलग बात है, लेकिन जानवर एक निरीह प्राणी है, उसका उपचार सही हो, उसकी देखभाल सही हो, इसके लिए कोई न कोई तरीका अपनाकर इसे सुनिश्चित करने का काम करें।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): सभापति महोदय, यह एक बहुत अच्छा बिल है और मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

मैं केवल एक प्रश्न त्रुटिपूर्ण वैक्सिन की परिभाषा के संबंध में करूंगा। कृपया खंड 2(च) देखें-इसमें कहा गया है "त्रुटियुक्त टीका" से ऐसा कोई टीका अभिप्रेत है जो अवसित, खंडित सील, संदूषित, अनुपयुक्त रूप से भंडारित, लेबल रहित या विकृत लेबल के साथ है।

[हिन्दी]

इतनी सी बात है, मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पशुधन है। वहां पर जो वैक्सीन की सप्लाई होती है, वह स्पूरियस कम्पनीज द्वारा होती है। उसे रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

कृपया खंड 3 देखें, यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, जितना उचित समझे उतनी संख्या में पशुचिकित्सक नियुक्त कर सकती है।

[हिन्दी]

आप जो वेटरेननेरियन देंगे, उसकी बहुत शार्टेज है इसलिए उसे दूर करने का प्रावधान करें।

श्री संतोष गंगवार: वेटरनरी की जो नेशनल कौंसिल बनाने की बात है, उसके बारे में आपकी क्या राय है?

सभापति महोदय: आप अब बैठ जाएं, मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, राज्य सभा में भी आईसीएआर से इसे अलग करने का सवाल उठा था। इसके बारे में कृषि मंत्री शरद पवार जी ने आश्वासन दिया था कि हम

तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन करेंगे। मुझे खुशी है कि डा. अलख की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है और इस पर अध्ययन कर रही है। माननीय सदस्य ने पूछा है तो उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने इसमें दंड का प्रावधान किया है। जो भी इस तरह का काम करेगा उसके लिए 2,000 रुपए का जुर्माना और कुछ महीनों की सजा का प्रावधान है। आगे जब इस रूल को फार्मूलेट किया जाएगा, तब आपके सुझावों पर विचार किया जाएगा।

प्रो रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि मूक प्राणियों की ओर सरकार का ध्यान गया है। राजस्थान में ऊंट बहुतायत में पाए जाते हैं। उन्हें कई किस्म की बीमारियां भी होती हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऊंटों की नस्ल सुधारने के लिए सरकार क्या प्रयास रही है, विशेषकर राजस्थान के प्रसंग में मैं पूछना चाहता हूं? इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पाए जाने वाले थारपारकर और गिरकर जो बैल आदि हैं, उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। इसलिए पशुधन की रक्षा करने के लिए और उनकी नस्ल सुधारने का सरकार क्या प्रयास कर रही है?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: इसका सवाल तो गंगवार जी के सवाल के उत्तर में ही दे दिया गया था कि इसके लिए सरकार स्टडी कर रही है।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): सभापति महोदय, मंत्री जी ने सदन में एक बहुत अच्छा बिल पेश किया है। पशुधन की सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन जो पशुओं का वध हो रहा है, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज गाय और भैंस की कीमत उनके मीट से भी कम रह गई है। पशुओं के मीट का जो निर्यात हो रहा है, उस बारे में सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, तब जाकर अवैध रूप से पशुओं का वंध बंद होगा। क्या सरकार इस बारे में कोई नीति बनाएगी?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: मैंने पहले भी कहा है कि जब फार्मूलेट किया जाएगा तब सभी माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि पशुओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे रोगों के प्रादुर्भाव या फैलने का निवारण करने के लिए और पशुओं तथा पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 45 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1—विधेयक का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, लाइन 22

''2008'' के स्थान पर ''2009'' प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(डा. अखिलेश प्रसाद सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 17

''उनसठवें'' के स्थान पर ''साठवें'' प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(डा. अखिलेश प्रसाद सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय प्रस्ताव करें:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.53 बजे

अंतरिम बजट (सामान्य)-2009-2010-सामान्य चर्चा
*लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)-2009-2010
और
*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2008-2009

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा, वर्ष 2009-2010 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान, वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान करेंगे।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के लेखानुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें। जिनमें संबंधित मंत्रालय का नाम तथा उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-2010 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	3965,97,00,000	28,17,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1104,92,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	456,19,00,000	6,18,00,000

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3	4
परमाणु ऊर्जा विभाग			
4.	परमाणु ऊर्जा	1307,25,00,000	698,90,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	787,97,00,000	425,40,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
6.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	36,63,00,000	18,42,00,000
7.	उर्वरक विभाग	24144,87,00,000	65,35,00,000
8.	भेषज विभाग	53,42,00,000	10,02,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9.	नागर विमानन मंत्रालय	239,26,00,000	55,42,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	116,33,00,000	10,00,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	999,61,00,000	220,41,00,000
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	374,68,00,000	18,33,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
13.	डाक विभाग	4018,53,00,000	302,77,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	2041,33,00,000	18,00,00,000
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	792,00,00,000	18,67,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	150,25,00,000	10,05,00,000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	28814,08,00,000	249,85,00,000
कारपोरेट कार्य मंत्रालय			
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	61,00,00,000	13,33,00,000
संस्कृति मंत्रालय			
19.	संस्कृति मंत्रालय	396,63,00,000	12,03,00,000
रक्षा मंत्रालय			
20.	रक्षा मंत्रालय	3298,64,00,000	491,28,00,000

1	2	3	4
21.	रक्षा पेंशन	7263,25,00,000	...
22.	रक्षा सेवा-थल सेना	20084,18,00,000	
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	2800,79,00,000	
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	4969,95,00,000	
25.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	2495,45,00,000	
26.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	1595,68,00,000	
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		18259,87,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	443,99,00,000	47,83,00,000
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	278,80,00,000	75,60,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	571,83,00,000	11,17,00,000
विदेश मंत्रालय			
31.	विदेश मंत्रालय	1834,53,00,000	182,46,00,000
वित्त मंत्रालय			
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1833,85,00,000	358,04,00,000
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	11198,51,00,000	1089,01,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	22444,02,00,000	
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		120,00,00,000
38.	व्यय विभाग	19,87,00,000	2,13,00,000
39.	पेंशन	3744,14,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	762,64,00,000	90,00,000
41.	राजस्व विभाग	3081,85,00,000	77,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	961,33,00,000	206,00,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	1031,27,00,000	96,67,00,000
44.	विनिवेश विभाग	6,62,00,000	746,67,00,000

1	2	3	4
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	178,49,00,000	35,00,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	6030,29,00,000	331,75,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	239,92,00,000	75,00,000
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	202,00,00,000	
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
49.	भारी उद्योग विभाग	91,85,00,000	178,81,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	5,73,00,000	
गृह मंत्रालय			
51.	गृह मंत्रालय	518,18,00,000	37,34,00,000
52.	मंत्रिमंडल	126,02,00,000	26,68,00,000
53.	पुलिस	8792,47,00,000	2162,51,00,000
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	371,66,00,000	4,00,00,000
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	1108,85,00,000	24,00,00,000
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
56.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	285,99,00,000	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	13039,30,00,000	250,00,00,000
58.	उच्च शिक्षा विभाग	4392,63,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	706,51,00,000	116,17,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय			
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	867,52,00,000	3,41,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
61.	निर्वाचन आयोग	7,00,00,000	
62.	विधि और न्याय	739,04,00,000	13,63,00,000
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय			
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	665,86,00,000	3,48,00,000

1	2	3	4
खान मंत्रालय			
65.	खान मंत्रालय	183,82,00,000	12,80,00,000
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय			
66.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	311,83,00,000	25,00,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	202,73,00,000	6,60,00,000
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय			
68.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	19,67,00,000	7,00,00,000
पंचायती राज मंत्रालय			
69.	पंचायती राज मंत्रालय	1593,57,00,000	
संसदीय कार्य मंत्रालय			
70.	संसदीय कार्य मंत्रालय	2,78,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	162,93,00,000	17,67,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1056,33,00,000	
योजना मंत्रालय			
73.	योजना मंत्रालय	132,48,00,000	4,00,00,000
विद्युत मंत्रालय			
74.	विद्युत मंत्रालय	2205,91,00,000	629,67,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
76.	लोक सभा	128,00,00,000	
77.	राज्य सभा	51,64,00,000	
79.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	79,00,000	
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
80.	ग्रामीण विकास विभाग	34363,62,00,000	62,00,000
81.	भूमि संसाधन विभाग	801,88,00,000	
82.	पेय जलापूर्ति विभाग	2867,61,00,000	...

1	2	3	4
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	609,41,00,000	22,47,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	845,50,00,000	1,50,00,000
85.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	304,70,00,000	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
86.	पोत परिवहन विभाग	374,00,00,000	167,70,00,000
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	5069,33,00,000	4829,02,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	780,33,00,000	46,33,00,000
अंतरिक्ष विभाग			
89.	अंतरिक्ष विभाग	955,79,00,000	530,25,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	670,09,00,000	1,33,00,000
इस्पात मंत्रालय			
91.	इस्पात मंत्रालय	38,34,00,000	2,67,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
92.	कपड़ा मंत्रालय	1068,33,00,000	61,33,00,000
पर्यटन मंत्रालय			
93.	पर्यटन मंत्रालय	351,33,00,000	2,00,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय			
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	91,71,00,000	16,67,00,000
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
95.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	598,91,00,000	366,50,00,000
96.	चंडीगढ़	548,33,00,000	145,67,00,000
97.	दादरा और नगर हवेली	659,97,00,000	18,91,00,000
98.	दमन और दीव	260,60,00,000	27,49,00,000
99.	लक्षद्वीप	181,41,00,000	64,46,00,000

1	2	3	4
शहरी विकास मंत्रालय			
100.	शहरी विकास विभाग	362,60,00,000	901,55,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	372,42,00,000	159,43,00,000
102.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	97,47,00,000	4,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
103.	जल संसाधन मंत्रालय	313,85,00,000	28,00,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय			
104.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2426,00,00,000	
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1192,36,00,000	65,66,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	261209,43,00,000	35219,21,00,000

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1 से 3, 6, 8, 10 से 19, 21, 23 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 43, 46 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67 से 69, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 83 से 88, 90 से 101 और 103 से 105 के मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	3,00,000	
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	89,21,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	3,00,000	
6.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	1,00,000	
8.	नागर विमानन मंत्रालय	206,99,00,000	...

1	2	3	4
10.	वाणिज्य विभाग	194,42,00,000	
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	2,00,000	
12.	डाक विभाग	784,61,00,000	
13.	दूरसंचार विभाग		507,92,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	20,00,000	
15.	उपभोक्ता मामले विभाग	148,43,00,000	
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3,00,000	160,51,00,000
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1,00,000	
18.	संस्कृति मंत्रालय	11,94,00,000	1,00,000
19.	रक्षा मंत्रालय	251,86,00,000	3,00,000
21.	रक्षा सेवा-थल सेना	5895,75,00,000	
23.	रक्षा सेवा-वायु सेना	224,60,00,000	
24.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	1615,76,00,000	
25.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	201,64,00,000	
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,00,000	60,00,00,000
28.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	26,75,00,000	
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	6,00,000	
30.	विदेश मंत्रालय	342,39,00,000	794,92,00,000
31.	आर्थिक कार्य विभाग	149,62,00,000	376,61,00,000
32.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	3143,09,00,000	656,90,00,000
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	8,41,00,000	
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2917,10,00,000	
38.	व्यय विभाग	9,92,00,000	
39.	पेंशन	585,17,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	265,28,00,000	29,00,000
41.	राजस्व विभाग	483,48,00,000	
42.	प्रत्यक्ष कर	251,58,00,000	

1	2	3	4
43.	अप्रत्यक्ष कर	506,91,00,000	...
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8,79,00,000	1,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	2,00,000	
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	35,19,00,000	
49.	भारी उद्योग विभाग	864,07,00,000	56,51,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	1,21,00,000	
51.	गृह मंत्रालय	2,00,000	
53.	पुलिस	74,10,00,000	
54.	गृह मंत्रालय में अन्य व्यय	354,20,00,000	
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	1,00,000	
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	11,58,00,000	
58.	उच्च शिक्षा विभाग	8,00,000	
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	3,00,000	
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	148,62,00,000	2,50,00,000
61.	निर्वाचन आयोग	1,96,00,000	...
62.	विधि और न्याय	2,00,000	
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2,00,000	
65.	खान मंत्रालय	26,61,00,000	
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	3,00,000	
68.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	2,00,000	
69.	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		1,00,000
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10000,00,00,000	242,47,00,000
74.	विद्युत मंत्रालय	2,05,00,000	1,00,000
77.	राज्य सभा	7,58,00,000	
79.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	6,00,000	

1	2	3	4
80.	ग्रामीण विकास विभाग	4,00,000	...
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	1,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	114,91,00,000	
85.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	
86.	नौवहन विभाग	4,00,000	2,00,000
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	454,28,00,000	49,50,00,000
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3,30,00,000	9,00,00,000
89.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	
91.	इस्पात मंत्रालय	400,20,00,000	252,05,00,000
92.	कपड़ा मंत्रालय	955,24,00,000	107,43,00,000
93.	पर्यटन मंत्रालय	1,00,000	12,00,00,000
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	1,00,000	
95.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	243,98,00,000	183,95,00,000
96.	चंडीगढ़	130,42,00,000	165,51,00,000
97.	दादरा और नगर हवेली	361,06,00,000	4,00,00,000
98.	दमन और दीव	141,72,00,000	8,20,00,000
99.	लक्षद्वीप	103,01,00,000	57,00,000
100.	शहरी विकास विभाग	1,00,000	49,12,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	8,41,00,000	
103.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	
104.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2,00,000	
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	3,00,000	36,50,00,000
	जोड़	32768,15,00,000	3736,56,00,000

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु प्रस्तुत किए गए अंतरिम आम बजट से संबंधित चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं।

अंतरिम बजट की विशेषताओं की चर्चा करने से पहले, मैं महसूस करता हूं कि श्री प्रणब मुखर्जी जैसे बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रशासक, जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व कुछ बजट प्रस्तुत किए हैं, की पुन: वापसी हुई है और पूरा देश यह आशा कर रहा था कि

[श्री अनंत कुमार]

वे कुछ समाधान लेकर आएंगे क्योंकि गत पांच वर्षों से देश आर्थिक संकट, कृषि संबंधी संकट, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, महंगाई का सामना कर रहा है और पिछले कुछ महीनों से हम आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। इसलिए देश यह आशा कर रहा था कि श्री प्रणब मुखर्जी जैसे अनुभवी व्यक्ति इन चुनौतियों का कुछ न कुछ समाधान लाएंगे। हर ओर अंधकार और निराशा है। जहां भी अंधकार और निराशा होती है, वहां आशा की किरण होती है, परंतु दुर्भाग्यवश वे विफल रहे। उनका अंतरिम बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी की गहराइयों से बाहर लाने में विफल रहा है।

यदि मैं, क्रिकेट की शब्दावली का प्रयोग करूं तो मैं क्रिकेट से समानता करते हुए कह सकता हूं कि प्रणब जी एक लड़खड़ाती टीम की लड़खड़ाती पारी के लिए रात्रि प्रहरी (नाइट वाचमैन) की तरह अवतरित हुए हैं। यहां उन्होंने माननीय वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने माननीय विदेश मंत्री के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी की अस्वस्थता के कारण केन्द्र सरकार के प्रभारी मंत्री होने का दायित्व निभाते हुए बजट प्रस्तुत किया है। परंतु हमने यह भी सोचा था कि उनके लिए यह एक अवसर है। उनके लिए यह अवसर था कि गत पांच वर्षों में डा. मनमोहन सिंह, श्री चिदम्बरम और श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा जो कुछ भी गलत हुआ है उसे ठीक कर सकें।

वास्तव में, यूपीए ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए से बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पाई। उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है। जुलाई, 2004 में जब श्री पी. चिदम्बरम ने प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने निम्नानुसार कहा:

''विकास, मुद्रास्फीति और भुगतान के बकाया के संदर्भ में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने वाली अवस्था में प्रतीत हो रही है, यह एक ऐसा संयोग है जो कि अनवरत स्थूल आर्थिक स्थायित्व के साथ विकास की गति के समेकन के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा करता है।''

परंतु अभी क्या हुआ? यूपीए सरकार के पांच वर्षों के कुशासन और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के पश्चात् क्या हुआ? यह केवल श्री मनमोहन सिंह जी और श्री चिदम्बरम की यूनाइटेड फ्रंट सरकार के समय के पिछले कार्यनिष्पादन की पुनरावृत्ति है। वस्तुत:, जब हमने श्री नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह जी के पांच वर्ष और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में श्री चिदम्बरम जी के दो वर्षों के कार्यकाल की विरासत प्राप्त की थी, तो एनडीए ने उनसे जो भी आर्थिक स्थिति प्राप्त की थी वह बहुत खराब थी।

वर्ष 1998 में आर्थिक विकास धीमा होकर पांच प्रतिशत हो गया था, कृषि विकास नकारात्मक था, खाद्यान्न उत्पादन 199 मिलियन टन से कम होकर 194 मिलियन टन हो गया था, औद्योगिक उत्पादन 4.2 प्रतिशत था, निर्यात तीन प्रतिशत से कम था और राजकोषीय घाटा 6.1 प्रतिशत था। वर्ष 1998 में स्थिति यह थी।

अपराह्न 2.00 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इस स्थिति से, वष 2004 में, जब उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए से सुदृढ़ लोचदार अर्थव्यवस्था प्राप्त की, तब अर्थव्यवस्था में 8.52 प्रतिशत की गति से विकास हो रहा था, गत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 1998 से 2004 में सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई थी, विदेशी मुद्रा भंडार 100 अरब अमेरिकी डालर के साथ ऐतिहासिक ऊंचाई पर था और मुद्रास्फीति लगभग चार प्रतिशत थी। ये सब पोखरण-II, कारगिल युद्ध और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद हुआ था। हमने उन्हें बहुत लोचदार, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था दी थी। दुर्भाग्यवश डा. मनमोहन सिंह और श्री चिदम्बरम ने वर्ष 1991 से 1996 और 1996 से 1998 के अपने विगत कार्य कलापों को दोहराया है।

मूल्यों में वृद्धि हुई है,

[हिन्दी]

महंगाई कांग्रेस पार्टी का स्लोगन था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। लेकिन आम आदमी को धोखा दिया, किसान को धोखा दिया, छठे पे कमीशन में जवान को धोखा दिया और नौजवान को धोखा दिया। किसान, जवान और नौजवान कांग्रेस के मिसरूल में बेहाल हो रहे हैं।

[अनुवाद]

हम गत पांच वर्षों में हुई मुद्रास्फीति, महंगाई को देखते हैं। वर्ष 2004 में लोगों को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिल रहे थे, अब इसकी कीमत 36 रुपए हैं। दाल 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेची जाती थी, अब इसकी कीमत 52 रुपए है। उन्हें कोई भी खाद्य तेल 50 रुपए लिटर पर मिल जाता था, अब इसकी कीमत 70 रुपए है। गेहूं के संबंध में भी यही हुआ है। दाल-रोटी के दाम डबल हो गए हैं।

इस बजट में इस महंगाई का क्या जवाब है? सरकार कह रही है कि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से भी कम हो रही है। थोक मूल्य

सूचकांक के अनुसार यह 3.7 प्रतिशत है। मैं सदन के नेता से सीधे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। खाद्यान्न की कीमतों में मुद्रास्फीति के संबंध में क्या किया गया है? यह अभी भी 11.7 प्रतिशत के आस-पास मंडरा रही है। यह 11.7 प्रतिशत पर क्यों मंडरा रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार ने गत पांच वर्षों में कीमतों के प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, जो आम आदमी की राहत है, के संबंध में क्यों कुछ नहीं किया? आम आदमी के साथ क्या हुआ?

देश में विशाल कृषि संबंधी संकट है। जब मैं कृषि संबंधी संकट कह रहा हूं तो मैं रिकार्ड की सहायता से यह कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में कृषक आत्महत्या कर रहे हैं। गत 12 वर्षों में देश में 1,90,753 कृषकों ने आत्महत्या की है। वर्ष 2004 के बाद से, वर्ष दर वर्ष 18,241; 17,131 और 17,060 किसानों ने आत्महत्या की है। ये आत्महत्याएं कहां हुई हैं? ये आत्महत्या महाराष्ट्र राज्य में हुई हैं जो कांग्रेस दल के नेतृत्व में हैं। गत 50 दिनों में केवल विदर्भ में 47 लोगों ने आत्महत्या की हैं। ये आत्महत्याएं आंध्र प्रदेश राज्य में हुई हैं जो कांग्रेस दल के नेतृत्व में है। ये आत्महत्याएं उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में हुई हैं।

गत वर्ष इस सरकार ने ऋण माफी पैकेज दिया था। हमें इसका परिणाम पता है। इससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डा. स्वामीनाथन ने बहुत स्पष्ट सिफारिश की है। सदन के माननीय नेता इस संबंध में जानते हैं। डा. स्वामीनाथन ने कहा था कि ऋण सुविधाएं, वहनीय ऋण, कृषि उत्पाद का लाभप्रद मूल्य, रियायती दरों पर बिजली और सिंचाई तथा कृषि आदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अनुरोध करते रहे हैं। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि कृषि ऋण की ब्याज दर में चार प्रतिशत की कटौती की जाए। डा. स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन में यही सिफारिश की गई थी। इस सरकार ने कृषि संबंधी संकट के कारणों का पता लगाने के लिए उस समिति की नियुक्ति की थी। उस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से यह एक थी। परंतु, आज भी राष्ट्रीयकृत बैंक सात प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री बी.एस. येदुयरप्पा के नेतृत्व में हमारी कर्नाटक सरकार ने इसे कम करके तीन प्रतिशत कर दिया है। मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी एक अन्य सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज दर को कम करके चार प्रतिशत कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि कृषकों की दुर्दशा के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा हमारी सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार जो आज आम आदमी के बारे में बात करती है, जिसने वर्षों पहले 'गरीबी हटाओ' के बारे में कहा था, इस बारे में क्या कर रही है।

मंदी के इस समय में बढ़ती हुई बेरोजगारी के संबंध में आप क्या कर रहे हैं? एक वर्ष पहले, वर्ष 2008 में जब हमने इस माननीय सदन में यह विषय उठाया था, माननीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि "चिंता न करें। विश्व अर्थव्यवस्था विशेष रूप से अमेरिका के सब प्राइम संकट की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था अलग है।" उन्होंने माननीय सदन को भी आश्वस्त किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था आवरणयुक्त है, कि हमारे आधारभूत घटक सुदृढ़ हैं और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बताया गया था कि सब कुछ ठीक है। परंतु अब क्या हुआ, महोदय? गत तीन वर्षों में, गारमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, बीटी, निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों, कपड़ा, विनिर्माण, आटोमोबाइल हर क्षेत्र में काम ठप्प हुआ, कर्मचारियों को हटा लिया गया है और ये अपनी 10 से 20 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। एक औसत अनुमान के अनुसार, गत तीन महीनों में पचास लाख से अधिक लोगों ने रोजगार गंवाएं हैं और दो करोड़ लोगों का रोजगार समाप्त होने की संभावना है। केवल कपड़ा क्षेत्र में सात लाख लोगों ने रोजगार खोया है।

इस अंतरिम बजट में क्या समाधान है? माननीय मंत्री और सभा के नेता, श्री प्रणब दा ने कहा था कि यह केवल लेखानुदान है, कुछ अपेक्षाएं मत कीजिए। फिर भी हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, हम सरकार को माफ नहीं करेंगे, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। परन्तु उन्हें समझना होगा। परन्तु उन्होंने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जो लेखानुदान से कहीं अधिक है। उन्होंने क्या दिया है?

मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। यदि यूपीए सरकार डा. मनमोहन सिंह और श्री चिदम्बरम के नेतृत्व में 1991 से 1998 तक की अस्त-व्यस्त पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाई है और अचानक भारतीय अर्थव्यवस्था फलने और फूलने लगी, तो इसके तीन महत्वपूर्ण कारण थे। प्रथम, अवसंरचना में निवेश-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, आवास, 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण, संचार क्रान्ति, सर्व शिक्षा अभियान में उपयोगी निवेश किया गया था और यह उपयोगी व्यय था जिसका लाभ न केवल समाज परन्तु उद्योग को भी मिला है। परन्तु गत पांच वर्षों में वास्तव में सरकार के व्यय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो अनुत्पादक व्यय है, राजस्व में 10 प्रतिशत की गिरावट आयी है। प्रायः कांग्रेस पार्टी और यूपीए अध्यक्षा नरेगा कार्यक्रम के बारे में काफी कुछ बोलते हैं। आज सुबह ही संबंधित मंत्री जी ने बताया है कि नरेगा कार्यक्रम कितना सफल रहा है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नरेगा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आवंटन कितना है? वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय आवंटन 11,300 करोड़ रु. थे जिसमें 200 जिले शामिल

[श्री अनंत कुमार]

थे और प्रति जिला 56.5 करोड़ रु. का आवंटन था। वर्ष 2007-09 के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय आवंटन 12000 करोड़ रु. का था और नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 330 जिले शामिल थे और प्रति जिला यह आवंटन कम होकर 36.4 करोड़ रु. रह गया। वर्ष 2008-09 में केन्द्रीय आवंटन 16000 करोड़ रु. का था और प्रति जिला 26.8 करोड़ रु. का आवंटन था, अर्थात् वर्ष 2006-07 में यह राशि 56.5 करोड़ रु. से कम होकर 26.8 करोड़ रु. रह गयी है। नरेगा कार्यक्रम में ऐसा हुआ है। यह भारत निर्माण का प्रमुख कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक घोषणा पत्र है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोग नहीं की गई निधियों के संबंध में हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण रोजगार संबंधी पांच कार्यक्रम हैं—एसजीएसवाई, एसजीआरवाई, आईएवाई, नरेगा, पीएमजीएस। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं—मैं कोई बेबुनियाद आरोप लगाना नहीं चाहता और यह अपेक्षा करता हूं कि आपके माध्यम से सरकार पूरे देश को इन प्रश्नों के उत्तर देगी। एसजीएसवाई हेतु वर्ष 2006-07 में संशोधित अनुमानों के अंतर्गत आवंटन 1200 करोड़ रु. था और 31 दिसम्बर, 2006 तक शेष व्यय न की गई राशि 558 करोड़ रु. थी। वर्ष 2006-07 के दौरान एसजीआरवाई हेतु संशोधित अनुमान 3000 करोड़ रु. और 31 दिसम्बर 2006 तक शेष व्यय न की गई राशि 1352 करोड़ थी।

वर्ष 2006-07 के दौरान, इंदिरा आवास योजना हेतु 2920 करोड़ रु. का आवंटन था और शेष व्यय न की गई राशि 1334 करोड़ है। नरेगा हेतु 11300 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे और शेष व्यय न की गई राशि 4479 करोड़ थी। वर्ष 2006-07 के दौरान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का संशोधित अनुमान आवंटन 5476 करोड़ रु. था और शेष व्यय न की गई राशि 2556 करोड़ रु. थी। इस प्रकार, कुल 23896 करोड़ के आवंटन में से 10278 करोड़ रु. की राशि व्यय नहीं की गई। इसका उल्लेख वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में किया गया है।

प्रमुख कार्यक्रमों की क्या स्थिति है। अवसंरचना में कितना निवेश हुआ और पूंजी संपत्ति निर्माण की क्या स्थिति है? इसमें कमी क्यों है? ये किनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं?

वास्तव में बजट और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह एक घोषणा की गई थी और मैं इसे श्री प्रणब मुखर्जी की सहायता के लिए पढ़ देता हूं। इसके अनुसार:

"सभी को बेहतर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना।"

इसके लिए उन्होंने कितना आबंटन किया? स्वास्थ्य के लिए 4 प्रतिशत उपलब्ध कराने के बजाय जैसा कि उनकी योजना थी अथवा अनुमान था, इन्होंने घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार के व्यय का 0.26 प्रतिशत उपलब्ध करवाया। इन्होंने स्वयं ही रिकार्ड स्थापित किए। ऐसा हमारे दबाव अथवा मांग के कारण नहीं है। निस्संदेह हम मांग करते रहेंगे। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा, माननीय पूर्व वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने प्रत्येक बजट में बार-बार यह कहा कि वे स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत खर्च करेंगे। उन्होंने कितना खर्च किया? उन्होंने वर्ष 2004-05 में 0.26 प्रतिशत, वर्ष 2005-06 में 0.27 प्रतिशत, वर्ष 2006-07 में 0.29 प्रतिशत खर्च किया। वर्ष 2007-08 में संशोधित अनुमानों में यह 0.32 प्रतिशत था। कितना निराशाजनक प्रदर्शन है यह। यह भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बजटीय आवंटन के बारे में है। शिक्षा संबंधी आवंटन की भी यही स्थिति है। इस संबंध में भी उन्होंने आवंटन कुल सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत से अधिक नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और सुधारों में तेजी लायेंगे। हमें जांच करने दें कि कितना राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हुआ है? यह महत्वपूर्ण कारक है।

महोदय, प्रभारी वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में कहा है कि राजकोषीय घाटा वास्तव में उनके आंकलन के अनुसार 2.5 प्रतिशत था परन्तु अब मंदी और मुद्रास्फीति के कारण यह लगभग 6 प्रतिशत होगा। मैं बड़ी विनम्रता से उन्हें मेरे मित्र ने दूसरी सभा में जो बात कही थी उसका स्मरण कराना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि माननीय प्रणब मुखर्जी का अंतरिम बजट वक्तव्य सत्यम का तुलन पत्र की तरह है जिसमें आंकड़ों में हेरा-फेरी की गई है जो वास्तविकता से परे हैं।

महोदय, कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद् ने मंत्री के समक्ष बजट प्रस्तुत किया, जिसे वेब पर भी रखा गया है और कहा है कि राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत रहेगा। महोदय, हम सभी जानते हैं कि यदि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत रहता है, तो राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा लगभग 3.5 से 4 प्रतिशत के लगभग रहेगा। कुल मिलाकर यह राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 11.5 से 12 प्रतिशत होता है। महोदय मैं आपको और इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों तथा साथ ही श्री प्रणब मुखर्जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि वर्ष 1991 में भी ऐसा ही हुआ था। दुर्भाग्यवश, देश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत से अधिक हो गया था। यह सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत हो गया था इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थानों में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। यह दयनीय स्थिति थी। एक बार पुनः यह यूपीए सरकार,

श्रीमती सोनिया गांधी के बेहतरीन मार्गदर्शन में और श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश को उसी स्थिति में ले जा रहे हैं। महोदय, मुझे प्रतीत होता है कि राजकोषीय घाटा 11.5-12 प्रतिशत से कम नहीं रहेगा।

महोदय, वे जानते हैं कि श्री मनमोहन सिंह और साथ ही श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया के मार्गदर्शन में श्री चिदम्बरम के पिछले पांच वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रशासन अथवा कुप्रशासन में भारत सरकार की गैर-बजटीय देयताएं हैं। तेल पूल खाता, तेल बांड के बारे में सरकार का क्या कहना है? छठे वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों को 40 प्रतिशत बकाये का भुगतान किया जा चुका है जबकि सरकार वेतन आयोग संबंधी भुगतान पर शत-प्रतिशत आयकर वसूल रही है तथा 60 प्रतिशत बकाया राशि वे बाद में देंगे। सरकार अभी उसका भुगतान नहीं कर रही है। यह सब बातें हुई हैं। इसलिए राजकोषीय घाटा एक बड़ी समस्या बनने जा रहा है। मुझे नहीं पता वे इस स्थिति को किस प्रकार सम्भालेंगे क्योंकि वे इस ओर चिंतित नहीं हैं। खैर वे इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी से 15 सदस्य बोलने वाले और हैं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इन्हें 10-15 मिनट और बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: लोग उन्हें पुनः जनादेश नहीं देंगे। इसलिए वे चिंतित नहीं हैं।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार संवेदनहीन और आधार रहित है। मैं उन्हें याद दिलाता हूं, चेतावनी देता हूं और बताना चाहता हूं कि वैश्विक संकट आ रहा है। आप मुद्रास्फीति से निपटने में असफल रहे हैं। श्री वाजपेयी सरकार द्वारा जो भी कदम अथवा जिन परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया था आप उन्हें पूर्णतः नष्ट कर रहे हैं। आप संपूर्ण राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को नष्ट कर रहे हैं। इन्होंने पिछले पांच साल में कुछ भी नहीं किया।

हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को क्या हुआ है? फिलहाल 280 बिलियन अमरीकी डालर राशि का विदेशी मुद्रा भंडार है, परंतु जब संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1998 में हमें सत्ता सौंपी यह 30 बिलियन अमरीकी डालर था। यह हमारे श्रम और कठिन परिश्रम हमारे दृष्टिकोण और हमारे सुदृढ़ीकरण से 280 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। सभा के नेता फिलहाल जानते हैं कि प्रतिदिन हमारे भंडार से एक बिलियन डालर कम हो रहा है। इतना ही नहीं पश्चिमी देशों और अमरीका में आर्थिक मंदी के कारण लाखों अनिवासी भारतीय भारत में वापस आ रहे हैं। चूंकि अनिवासी भारतीय स्वदेश वापस आ रहे हैं, इसलिए अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में कमी आ रही है। यही नहीं हम सभी जानते हैं कि व्यापार घाटा भी हो रहा है।

[अनुवाद]

आयात निर्यात से अधिक होता जा रहा है। जब व्यापार घाटा हो रहा हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, निर्यात तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, अनिवासी भारतीय भी वापस आ रहे हैं, उनका प्रेषण भी घट रहा है, हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार प्रतिदिन 1 बिलियन डालर कम हो रहा है, यह स्थिति है संप्रग सरकार के राजपाठ में।

कर राजस्व के बारे में क्या कहें? माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब दा, जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, ने कहा था कि इस वर्ष इसमें 60,000 करोड़ रुपए की गिरावट आएगी, मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि यदि यही बदस्तूर जारी रहा तो यह गिरावट 60,000 करोड़ रुपए की नहीं बल्कि 100,000 करोड़ रुपये की होगी, यह एक लाख करोड़ रुपये की कमी होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में भारी गिरावट आ रही है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री श्री प्रणब दा ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कैसे कहा कि अगले वर्ष का राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत होगा। यह वास्तव में हास्यास्पद है। मैं नहीं जानता कि उन्हें उनके अधिकारियों द्वारा किस तरह से भ्रमित किया गया, मैं समझता हूं कि इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी उन्हीं की है। लेकिन इसी समय, यह राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत कैसे होगा जबकि अगले वर्ष अर्थव्यवस्था में 11 प्रतिशत की दर से दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति होगी। वह यह भी जानते हैं, जब अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की गिरावट आ रही हो तो अगले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 5 प्रतिशत के आस-पास रह सकती है तो वह यह कैसे आशा करते हैं कि राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत रहेगा? हमारा पूरा देश भारी संकट की ओर जा रहा है, डा. मनमोहन सिंह, श्री पी. चिदम्बरम और श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया त्रिमूर्ति के चार या पांच साल के समग्र कुप्रबंधन के पश्चात् अब बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ, जो संप्रग के संकटमोचन भी हैं आए हैं। उन्होंने घोषणा की कि यह

[श्री अनंत कुमार]

अन्तरिम बजट है, देश को आशा थी कि वह कुछ उपाय लेकर आएंगे, लोगों को इसमें आशा की किरण दिखाई दी थी।

उन्होंने स्वयं यह अवसर गंवा दिया: उन्होंने सरकार का अवसर तथा कुल मिलाकर देश का अवसर भी गंवा दिया। यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

महोदय, सत्यम कारपोरेट धोखाधड़ी बहुत गम्भीर मामला बन गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह कारपोरेट धोखाधड़ी थी अथवा श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन द्वारा की गई धोखाधड़ी थी। इसके कई प्रमाण मिले हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार सत्यम प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन से क्यों हिचकिचा रही है सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? वह आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को उनके कदाचार और भ्रष्टाचार के लिए क्यों बचाना चाहती है? सत्यम कारपोरेट धोखाधड़ी नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के प्रति कांग्रेस की धोखाधड़ी है। इसका नाम तो सत्यम है लेकिन उन्होंने जो किया है वह असत्यम है। मैं सरकार पर इस पहलू का प्रत्यक्ष आरोप लगाता हूं। कई चीजें हैं। राज्य सरकार ने 121 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मै. मैतास इन्फ्रास्ट्रक्चर को नामनिर्देशन के आधार पर बिना निविदाएं आमंत्रित किए सड़क कार्य आवंटित किया है। कडप्पा में सड़क कार्य को विशेषज्ञों की राय को दरकिनार करके हुए नामनिर्देशन के आधार पर दिया गया। मै. मैतास इन्फ्रा ने गन्दिकोटा कार्य आरम्भ कर दिया है, जब इस परियोजना का कार्य पूरा होगा तो 30 किलोमीटर लम्बी सड़क डूब जाएगी। इसलिए एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: नियम क्या है?

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, माननीय सदस्य मेरी पार्टी और अन्य लोगों के प्रति गंभीर आरोप लगा रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको नियम उद्‌धृत करना होगा अथवा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं इसलिए सभा के माननीय नेता से अनुरोध करता हूं कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय देश को आश्वस्त करें कि पूरी सत्यम धोखाधड़ी की जांच करने के लिए वह संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे और यही नहीं वह देश को इस संबंध में भी आश्वस्त करें कि सरकार आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री सहित दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। यह जांच पारदर्शी होनी चाहिए।

महोदय, सरकार की वर्तमान संकट से उभरने की क्या योजना है। सरकार का तरीका पहला ब्याज दरें बढ़ाने का है। सरकार चाहती थी कि नकदी कम हो, वह नकदी को हटाना चाहते थे। वह नकदी को वापस लेना चाहते थे और उन्होंने 3,50,000 करोड़ रुपये की नकदी को भारतीय अर्थव्यवस्था से वापस ले लिया था। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी तो हमने अवसंरचना में निवेश किया था। हमने ब्याज दरों को 14.5 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत कर दिया था। हमने ब्याज दरों में कमी की थी। इसी कारण बाजार में ऋण 6 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध था।

मैं इसे नहीं समझ पाया हूं। उन्होंने सारी चीजें उलट दी, उन्होंने नकदी वापस लेकर, ब्याज दरें बढ़ाकर आम आदमी के हितों को ठेस पहुंचाई है तथा टेलीविजन, दुपहिया वाहन, मकान बनाने वाले तथा छोटे घरों को किस्तों में लेने वाले आम आदमी की किस्तें दुगुनी कर दी। उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस गलत अवधारणा के कारण देश इस स्थिति में है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि अन्ततोगत्वा कांग्रेस पार्टी की अगुवाई डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन वाली संप्रग सरकार के आर्थिक कुशासन के चलते भारत से कोई आशा नहीं है, हम एक मजबूत नेता चाहते हैं जो कि मजबूत और निर्धारित नेतृत्व और निर्णायक सरकार दे सके। राजग महसूस करता है और देश की जनता से यह आग्रह करता है कि वह आने वाले लोक सभा चुनाव में श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाले राजग को जनादेश दे जिन्हें हमेशा ही अभिनव सरदार वल्लभभाई पटेल के रूप में देखा जाता है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने पर, मैं समझता हूं हम पूरे देश को आर्थिक संकट से वापस ला सकते हैं। हम वही सब करेंगे जो हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया था। हम ऐसा ही लोगों के सेवार्थ श्री एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में भी करेंगे। संप्रग सरकार बुरी तरह से असफल रही है।

आपसे पहले जब माननीय अध्यक्ष महोदय कल पीठासीन थे तो उन्होंने गुस्से में कुछ माननीय सदस्यों को श्राप दे दिया था कि आप इस सम्मानित सभा में नहीं आएंगे और निर्वाचित नहीं होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह श्राप संप्रग के सदस्यों पर लगे। *...(व्यवधान)*, स्वाभाविक रूप से इस कुशासन के लिए लोगों को आपको श्राप देना चाहिए *...(व्यवधान)*, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार: यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम जनता में जा रहे हैं उन्हें आग्रह करेंगे कि गत पांच वर्ष हत्या, आत्महत्या, विश्वासघात के वर्ष रहे हैं; आतंकवाद के कारण हत्याएं हुई हैं और

[हिन्दी]

किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और विश्वासघात, आम आदमी से विश्वासघात, जवानों, नौजवानों, किसानों सबको धोखा दिया।

[अनुवाद]

इसलिए, मैं एक बार फिर इस देश के लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि पहले वे इस सरकार को केंद्र से हटायें और श्री एल.के. आडवाणी के नेतृत्व वाले राजग को वापस लाएं।

श्री आर. प्रभु (नीलगिरि): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस सदन में श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के शब्दों में भारत के सबसे वरिष्ठ संसदविद् हैं और यूपीए सरकार के सबसे सक्षम मंत्रियों में से भी एक हैं। पूर्व वक्ता श्री अनंत कुमार की अवांछित टिप्पणियों को सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात आरंभ की कि श्री प्रणब मुखर्जी क्रिकेट के रात्रि वाचमैन के समान हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने क्रिकेट मैच देखे हैं। परंतु मैं उनसे कह सकता हूं कि बहुत से नाइट वाचमैनों ने अगले दिन शतक बनाए हैं और मैच जीते हैं। इस बजट पर भी यही बात लागू होती है। जब आप अंतरिम बजट बनाते हैं, तो पूर्वोद्धारण, परम्परा और औचित्य के मुद्दों से जुड़ी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप कर की दरों को तोड़-मरोड़ नहीं सकते और आप ऐसा बजट नहीं दे सकते जो लोक लुभावन हो या जिसकी जनता अपेक्षा कर रही हो।

श्री अनंत कुमार ने कहा कि यह बजट सत्यम के तुलन-पत्र के समान है। मैं केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वे नहीं जानते कि किसी कंपनी के तुलन-पत्र को कैसे पढ़ा जाता है न ही वे ये जानते हैं कि बजट दस्तावेजों को कैसे पढ़ा जाता है। मैं ऐसा कहने की जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मेरे कहने का जो तात्पर्य है मैं उसे स्पष्ट कर रहा हूं। इस अंतरिम बजट की समाचार पत्रों और हर जगह बहुत आलोचना हुई है। जब कभी भी वित्त मंत्री इस सम्मानित सदन में बजट प्रस्तुत करते हैं तो तुरंत लोग कर छूट में थोड़ी छूट आयकर की उच्चतम सीमा को थोड़ा और बढ़ाने या बड़े उद्योगों के लिए कुछ रियायत की आशा करने लगते हैं। जनता इन बातों पर नजर रखती है। प्रेस इन बातों को उछालती है। ये प्रेस की नहीं, बल्कि जनता की राय है जो प्रेस को अपनी राय देती है। इसलिए, मैं इसके लिए प्रेस को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जनता ने इस बजट के महत्व को नहीं समझा।

हमें उस पृष्ठभूमि पर जाना होगा जिसके आधार पर यह बजट बनाया गया है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय मंदी है। चाहे हम इससे प्रभावित हुए हों अथवा नहीं, मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यूरोपीय अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। अधिकांश अन्य देशों में, लोगों का अपनी बैंकिंग प्रणाली से भरोसा उठ गया है क्योंकि लेमैन ब्रदर्श जैसी कंपनी, जो बहुत बड़ा निवेश बैंकर थी और जो अरबों डालर का कारोबार कर रही थी। अंततः बंद ही हो गई। इसलिए लोग अपना पैसा बैंकों में रखने से डर रहे हैं। परंतु हमारे देश में ऐसी समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चार दशक पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ताकि इस देश की गरीब जनता को बैंकों से सामाजिक न्याय मिले और उनका ध्यान रखा जाए।

हमने अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को देखा है। उन्होंने भी पुनरुद्धार के लिए आर्थिक पैकेज तैयार किया है। निस्संदेह, मैं इस बात की तुलना बजट से नहीं कर रहा हूं। परंतु जब आपको अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करना हो तो, इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? सरकार को अधिक धन खर्च करना होगा। सरकार को गरीब जनता के हाथ में और धन देना होगा। यदि आप गरीब जनता के हाथ में और धन देंगे, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इससे खपत आरंभ होगी। जब आप गरीब आदमी को पैसा देते हैं तो वह तुरंत अपने परिवार के लिए भोजन सामग्री खरीदने जाता है। यदि आप मध्यम वर्ग या धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति को पैसा देते हैं, तो वो उस पैसे की बचत करता है, जो कि एक अच्छा विचार है। यदि आप किसी बहुत धनी व्यक्ति को पैसा देते हैं, तो वह उसे कर से बचने के उपायों में लगा देगा या द्वीप, नौका या क्रिकेट क्लब या ऐसी ही अन्य कोई वस्तु खरीद लेगा।

इस बजट में ग्रामीण भारत के लिए काफी बड़ी धनराशि आबंटित की गई है। किसी भी सरकार द्वारा आम आदमी के लिए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री आर. प्रभु]

बनाया गया यह आज तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है। मैं स्पष्ट करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। मैं कुछ मिनटों में आबंटन के मुद्दे पर आता हूं। इस बजट में फार्चून 500 की तरह करोड़पति बनाने पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया है। इस बजट में 'स्लमडाग' को करोड़पति बनाने पर ध्यान दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

दुर्भाग्यवश, श्री अनंत कुमार यह सुनने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत विशाल है। इसकी आबादी 1.15 बिलियन है। हम गत पांच वर्षों से 8.9 प्रतिशत की औसत दर से विकास कर रहे हैं। इस वर्ष विकास दर कम होकर सात प्रतिशत पर आ गई है। उन्होंने काफी आंकड़े भी दिए थे। मैं उन आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए मुझे पुन: बजट दस्तावेजों को पढ़ना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि उनके अधिकांश आंकड़े गड़बड़ हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनके आंकड़े झूठे हैं। परंतु उन्होंने इनकी गलत व्याख्या की है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद 47 लाख करोड़ रुपए था; 2008-09 में यह 54,26,277 करोड़ रुपए था; 2009-10 में इसके 60,21,426 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसकी विकास दर 10.95 होगी। अत: इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। उन्होंने कहा था कि ''राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत था और उन्होंने कहा है कि यह अतर्कसंगत है; हमारी अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए इन्हें हासिल नहीं किया जा सकता है और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।'' मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

महोदय, इस बजट ने क्या किया है? मैं कुछ दशक पहले की बात कर रहा हूं जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। वे भारत दर्शन पर गए। वे भारत के हर भाग के गांवों में गए। वे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा उन सभी जगहों पर गए जहां अन्य कोई भारतीय नेता नहीं गया था और वे अपने साथ अपनी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी को लेकर गए थे। मेरे इस बात का उल्लेख करने के पीछे एक कारण है क्योंकि उन्होंने इन यात्राओं से काफी कुछ सीखा है, उन्होंने देखा है कि ग्रामीण भारत का जीवन कैसे व्यतीत होता है और ग्रामीण भारत की जनता की जरूरत क्या है। इसलिए, मुझे विश्वास है कि श्री प्रणब मुखर्जी ने उनसे और डा. मनमोहन सिंह से कुछ विचार लिए हैं और 'आम आदमी' के लिए बजट बनाया है, एक ऐसा बजट जो संपूर्ण ग्रामीण भारत में उन्नति लाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन तथा तेज गति भी देगा।

महोदय, मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि जब श्री अनंत कुमार ने बहुत से आंकड़ों का उद्धरण दिया तब उन्होंने काफी वाकपटुता दिखाई। इस बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत निर्माण के लिए 40,900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। भारत निर्माण में ग्रामीण भारत के लिए बहुत से कार्यक्रम हैं। एनआरईजीए, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के लिए 30,100 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है और कृषकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की उर्वरक राजसहायता दी गई है। महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 12,070 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वे कह रहे थे कि यह 0.25 या 1 प्रतिशत है। मैं नहीं जानता कि वे कौन से आंकड़ों का उल्लेख कर रहे थे क्योंकि यदि आप चार प्रतिशत का औसत लेते हैं तो यह पांच वर्षों के लिए है और ऐसा नहीं है कि हमें हर वर्ष चार प्रतिशत देना होगा। अत:, कुल आंकड़ा संभवत: चार प्रतिशत तक आएगा।

अब मैं मिड-डे मिल योजना पर बात करूंगा। ये योजना हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री माननीय श्री कामराज नाडार द्वारा आरंभ की गई थी जो चाहते थे कि हमारे यहां बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ एक साथ मिले। अब, डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने मिड-डे मील योजना का भारत के समस्त स्कूलों के लिए विस्तार कर दिया है और इसके लिए उन्होंने इस बजट में 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं।

अब मैं कृषकों की ऋण माफी योजना पर आता हूं। वे कह रहे थे कि यह बहुत छोटी योजना है। इस योजना से कुल साढ़े तीन करोड़ के लगभग कृषक लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष 30,100 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। जब से यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है गत दो वर्षों में कुल 60,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। मेरे विचार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषकों के लिए यह जबरदस्त प्रोत्साहन है।

अब, मैं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर आता हूं। वे इस बारे में बहुत गलत बात कर रहे थे। महोदय, इस देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा देने से लोग केवल उपभोग तक सीमित न रहकर निष्पादन में भी हिस्सेदार बनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में क्रिकेट सहित बहुत से क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अविश्वसनीय कार्य किया है और महेंद्र सिंह धोनी के कारण हमने बहुत से मैच जीते हैं।

वे यह भी कह रहे थे मध्यम वर्ग और भारत के शहरी लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। मेरे विचार से कुछ समय पहले, माननीय श्रम मंत्री श्री आस्कर फर्नांडीस ध्यानाकर्षण के समय इस संबंध में चर्चा कर रहे थे जिसमें रूपचंद पाल व अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन नामक एक क्रांतिकारी योजना भारत को दी गई है और इस वर्ष इसके लिए 11,840 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है।

महोदय, मेरा गृहनगर कोयंबटूर है, गत तीन या चार वर्षों में शहरी कोयंबटूर जिले की प्रगति के लिए 3,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मेरे विचार से यह अभूतपूर्व है। आपके पास शहरी क्षेत्रों के लिए इससे बेहतर योजना नहीं हो सकती।

अब, मैं वन अधिकार अधिनियम पर चर्चा करना चाहता हूं जो श्रीमती सोनिया गांधी की सूझ-बूझ है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह कहकर एक संकल्प पारित किया है कि ये बहुत अनूठा अधिनियम है और अन्य देशों को भी इस प्रकार के अधिनियम का अनुसरण करना चाहिए। यह बात रिकार्ड में है। इससे बेहतर योजनाएं और कहां हो सकती हैं? स्व-सहायता समूह योजना का क्या हुआ? आप हजारों, लाखों स्व-रोजगारी महिलाओं से मिल सकते हैं। वे केवल घर बैठी डरपोक गृहणियों से परिवर्तित होकर अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करने वाली महिलाएं बन गई हैं। इससे महिलाओं को सम्मान और सशक्तीकरण मिलता है। आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि श्री अनंत कुमार, जो वित्त संबंधी स्थायी समिति के सभापति हैं, बहुत तुच्छतापूर्ण ढंग से बात करते हैं, मेरे विचार से यह सही नहीं है क्योंकि पूरा देश इसे देख रहा है। हम राजनैतिक मतभेदों के लिए और अधिक राजनैतिक मुद्दों का तर्क नहीं दे सकते। मैं उनकी इस बात के लिए निंदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष ने कल कुछ कहा था। वे नहीं जानते कि माननीय अध्यक्ष ने आज क्षमायाचना की है और जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसे वापस ले लिया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी श्री अनंत कुमार चाहते हैं भारत की जनता ऐसा नहीं करेगी।

फिर, वे कह रहे थे कि हम ऋण जाल में फंसने जा रहे हैं। उन्होंने हर प्रकार के आंकड़े दिए हैं। मैं अभी उन आंकड़ों का उल्लेख नहीं करूंगा परंतु मैं कुछ बताना चाहता हूं। बहुत सरल ढंग से इनको देखने पर हम पाते हैं कि हमारे पास सरकार द्वारा सृजित की गई परिसंपत्तियां हैं। सरकार ने वर्षों में यह परिसंपत्तियां बनाई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सृजित परिसंपत्तियों जैसे रेलमार्ग, विमानपत्तन, विमान निर्माण कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों आदि पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई। अन्य बड़ी कंपनियां बनाई गईं। परंतु यदि आप परिसंपत्तियों को लेते हैं और गत दो वर्षों की देयता देखते हैं, तो आप एक बड़ी बात देखेंगे। यदि श्री अनंत कुमार जैसा कोई व्यक्ति कहता है कि भारत तबाह होने जा रहा है, तो यह इस तरह तबाह नहीं होगा। वर्ष 2007-08 के लिए परिसंपत्ति और देयता में 12,65,000 करोड़ रुपए का अंतर है। परिसंपत्ति की तुलना में देयताएं अधिक हैं। वर्ष 2008-09 के लिए यह अंतर 15,54,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2009-10 में यह अंतर 17,67,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, मैं मानता हूं कि प्रथम दृष्टया यह स्थिति चिंताजनक है। परंतु फिर आपको समझना होगा कि इन सबके साथ क्या हुआ, ये सारा धन कहां खर्च किया गया कैसे खर्च किया गया और कब खर्च किया गया।

यहां, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज इन परिसंपत्तियों की ऐतिहासिक कीमत आंकी गई है। जब इन परिसंपत्तियों का निवेश किया गया था। मान लीजिए पांच वर्ष पहले 100 रुपए का निवेश किया गया था। आज, हमारे बजट दस्तावेज में इस परिसंपत्ति की कीमत केवल 100 रुपए आंकी गई है। इस प्रकार का तुलन-पत्र देखने पर, हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत की स्थिति चरमरा रही है और भारत की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस शासन अच्छा नहीं है और उन्हें सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए। मैं इसके बारे में नहीं जानता जब वे सत्ता में थे, जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। इसी कारण, कांग्रेस यहां बैठी है। कल चुनाव होंगे और जनता को निर्णय लेना होगा।

परिसंपत्तियों में से देयताओं को घटा देने का प्रयास करना एक अंगूर में से पूरे सेब को घटा देने के समान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप परिसंपत्तियों का ऐतिहासिक मूल्य लेंगे और देयताओं का वर्तमान मूल्य, तो दोनों का मिलान कैसे हो सकता है? आप इनका मिलान कर ही नहीं सकते। मैं आपको समझाने के लिए एक बहुत सरल सा उदाहरण दूंगा। जब भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया था, तो इसे 5 करोड़ की पूंजी के साथ गठित किया गया था। आज, हम इसकी पूंजी को 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री रूपचंद पाल ने भी किसी अन्य समिति में यह आपत्ति की थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। परंतु महोदय, इसका कारोबार आठ लाख करोड़ रुपए है। इसलिए यदि, आप कहते हैं कि एलआईसी की कीमत 5 करोड़ रुपए लगाई गई है, तो यह हास्यास्पद है। अतः. मैं इस समय सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे बजट दस्तावेज में एक अन्य कॉलम होना चाहिए जिसमें हम अपनी परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन करें और वास्तविक मूल्य दें। मैं जानता हूं कि सांविधिक रूप से यह सही नहीं हो सकता क्योंकि किसी कंपनी के तुलन-पत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता। परंतु

[श्री आर. प्रभु]

अंततः कंपनी के तुलन पत्र के मामले में, आप पांच वर्ष बाद ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार, देश के संबंध में अनिवार्य रूप से ऐसा किया जाना चाहिए। मैं देश की 'सावरिन रेटिंग' के कारण ऐसा कह रहा हूं। परिसंपत्तियों और देयताओं को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया कुछ लोग कहते हैं कि देश में प्रगति नहीं होगी। इससे हमारी 'सावरिन रेटिंग' कम हो जाती है। यदि हमें 'सावरिन रेटिंग' बढ़ानी है तो हमें पुनः मूल्यांकित परिसंपत्तियों का एक अन्य कॉलम बनाना चाहिए और फिर ऐसी देयता बेमानी होगी। जब देश 9 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है, तो ऐसी कोई देयता नहीं होगी। ये ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं हैं जो सृजित की गई हैं। परंतु इसमें ऐसा भी कुछ है जो बाहरी है।

आज हम समाज कल्याण और सामाजिक योजनाओं पर बहुत अधिक धन खर्च कर रहे हैं। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये केवल देयता के रूप में जा रहा है, उन्होंने कौन सी परिसंपत्तियां सृजित की हैं। हम ग्रामीण भारत में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हम काम की तलाश में ग्रामीण भारत से शहरी भारत की ओर पलायन रोक रहे हैं क्योंकि हम उन्हें गांव में ही रोजगार दे रहे हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को शिक्षित बनाते हैं तो उसके पीछे उसके पूरे परिवार को शिक्षा मिलती है। यह भारत, ग्रामीण भारत का विकास है। इसलिए ये सारा पैसा जो इन योजनाओं में लगाया जाने वाला है इसका गुणक प्रभाव होगा और इससे चौगुना विकास होगा तथा आने वाले वर्षों में हमें इसका लाभ मिलेगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, तो उसे बेहतर रोजगार मिलता है और जब उसे बेहतर रोजगार मिलता है तो वो धन अर्जित करता है और उस धन को खर्च करता है, आयकर और सेवा कर का भुगतान करता है। इसलिए, सरकार को भी धीरे-धीरे इसका लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सारा व्यय व्यर्थ जा रहा है। इससे मानव संसाधन का सृजन हो रहा है और ऐसा करने से मानव संसाधन भारत के तुलन-पत्र के देयता के कॉलम से परिसंपत्ति के कॉलम में आ जाएगा। अतः यही इस बजट का उद्देश्य है और यह पूर्ण रूप से 'आम आदमी' का बजट है।

श्री अनंत कुमार भी आलोचना कर रहे थे कि कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। मैं मानता हूं कि विगत में मूल्यों में वृद्धि हुई है। परंतु मुद्रास्फीति की दर जो 13.5 प्रतिशत थी उसे कम करके 3.7 प्रतिशत पर लाया गया है। यह स्वतः नहीं हुआ। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय उपायों, दिए गए प्रोत्साहन पैकेज और सरकार द्वारा की गई निगरानी के कारण ये सब हुआ।

महोदय, धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व स्तर पर वृद्धि की गई है और मुझे विश्वास है महोदय, पंजाब से संबंधित होने के कारण आप अन्य किसी भी व्यक्ति की तुलना में इस बात को ज्यादा समझेंगे और दिसंबर तथा जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए दो प्रोत्साहन पैकेजों के कारण स्टील, सीमेंट, आटोमोबाइल्स, द्रुतगति वाणिज्यिक वस्तुएं, खाद्य और पेय पदार्थ जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा हुआ है, पिछली बार मैंने वैश्विक मंदी पर चर्चा की थी। उस समय, मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख किया था। सरकार, समय-समय पर प्रोत्साहन पैकेज देती है, भारतीय रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति की निगरानी करता है, अधिसूचनाएं निकालता है, इन विषयों पर बैंकों को स्पष्टीकरण देता है और मैंने देखा है कि बैंक सरकार की अधिसूचनाओं, सरकार के प्रोत्साहन पैकेजों और आरबीआई के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि जैसे ही प्रणब दा वित्त मंत्री बने, उन्होंने समस्त बैंकों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और उनसे कहा कि सरकार द्वारा जो भी प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए गए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी मौद्रिक नीति में जिन परिवर्तनों की घोषणा की गई है, आप लोग उनका अक्षरशः अनुपालन करें। मुझे कहना है कि कुछ बैंक इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कर रहे हैं, परंतु अभी भी कुछ बैंक ब्याज की ऊंची दरें प्रभारित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है, इसने एसएलआर आदि में कटौती की है और इसलिए ब्याज दर स्वतः ही कम हो जानी चाहिए। परंतु अभी भी कुछ बैंकों ने 13.5 प्रतिशत या 14 प्रतिशत की ब्याज दर रखी है। आज ब्याज की आदर्श दर 9.5 प्रतिशत होनी चाहिए जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रभारित की जा रही है।

मैं विशेष रूप से उद्योग के लिए यह कह रहा हूं क्योंकि लोग रोजगार समाप्त होने के संबंध में चर्चा कर रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ? वैश्विक मंदी के कारण भारत में क्या हुआ? हमारा निर्यात कम हो गया। आईटी क्षेत्र, जिसमें भारी प्रगति हुई थी, इसमें निर्यात कम हो गया। परंतु स्थानीय उद्योग और स्थानीय खपत के संबंध में क्या हुआ? इसमें गिरावट नहीं आई। निर्यातोन्मुखी रोजगार समाप्त हो गए। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी है क्योंकि मैं तिरूपुर के पास से हूं। कोयंबटूर से तिरूपुर केवल 40 किलोमीटर दूर है। तिरूपुर से 6,000 करोड़ रुपए का गारमेंट निर्यात होता था। आज यह निर्यात इसका आधे से भी कम है, परंतु यह निर्यात का एक विशिष्ट क्षेत्र है। इसके लिए भारत क्या कर सकता है और यूपीए सरकार क्या कर सकती है? अमरीका और यूरोपीय देशों में मंदी है और इसी कारण से आर्डर रुक गए हैं। सरकार उन्हें कुछ पैकेज, कुछ प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है और काम मिलने में कुछ समय लगेगा।

महोदय, मैं मुद्दों की बात करूंगा। अपने परम्परागत उद्योग के बारे में मैंने इस सभा में अनेक बार कहा है। प्रणब दा को हमारे परम्परागत उद्योगों जैसे वस्त्र, बागान उद्योग, चीनी उद्योग पर नज़र रखनी चाहिए और इन पर निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं ऐसे उद्योगों का बैंकों द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को इन लोगों की सहायता करनी चाहिए और इन लोगों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें थोड़ा उभारने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि लम्बे अनुभवों और ज्ञान के आधार पर ऐसा करना उनके लिए आसान होगा। अंतरिम बजट में मैंने एक पैरा देखा कि बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) काफी कम हो गई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बैंकों के पास अपार धनराशि उपलब्ध रहेगी। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वे बैंकों को सुदृढ़ करेंगे, बैंकों को और पूंजी देंगे जैसा कि राष्ट्रपति ओबामा ने किया है। अत: सरकार से राहत पैकेज प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित करनी चाहिएं मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा और बैंकों को भी स्पष्ट करें कि बैंकों को सरकार से प्रोत्साहन पैकेज मिल रहा है और वे सरकार से पूंजी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उन्हें उन उद्योगों की भी सहायता करनी चाहिए जो संकट में हैं। विशेष रूप से रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों की मदद करनी चाहिए और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को भी कम करना चाहिए और दुर्भावना से कोई भी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

[**श्री गिरिधर गमांग** *पीठासीन* हुए]

महोदय, बैंक जब अपना एन.पी.ए. कम करने के लिए सभी प्रकार की हास्यास्पद बात करते हैं। वे आस्ति पुनर्गठन कम्पनियों, जिन्होंने पिछले दो-तीन वर्षों से अपना कार्य करना आरम्भ किया है, को अपनी आस्तियां और गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बेच रहे हैं। मुझे एक विशेष मामले की जानकारी है जिसके बारे में मैंने माननीय वित्त मंत्री को भी बताया था। इस मामले में एनपीए 1500 करोड़ रुपए था और कंपनी ने बातचीत के माध्यम से आस्ति पुर्नगठन कंपनी को 180 करोड़ की दर से एनपीए बेच दिया।

महोदय, यह मेरा कर्त्तव्य है क्योंकि अंतिम बार मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं क्योंकि परिसीमन के बाद यह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जो कि पूरे दक्षिण का गौरव है। यह पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में सरकारी क्षेत्र की एक मात्र कंपनी है। यह कंपनी एक्स-रे फिल्म, कैट-स्कैन फिल्म और एमआरआई फिल्मों तथा साथ ही श्याम-श्वेत फोटोग्राफ फिल्मों का उत्पादन भी करती है।

दुर्भाग्यवश ऐसे कारण जो इसके नियंत्रण से बाहर हैं, की वजह से यह रुग्ण हो गई है। अब सरकार इसके पुनरुद्धार की योजना बना रही है और पुनरुद्धार के लिए वह अगले सप्ताह बोर्ड के साथ बैठक कर रही है। पुनरुद्धार की कुल लागत 300 करोड़ रुपए है और 150 करोड़ रुपए की नकदी का उत्प्रवाह होगा। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस प्रस्ताव पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दें।

भाषण समाप्त करने से पूर्व माननीय वित्त मंत्री से मुझे कुछ अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे दूसरा प्रोत्साहन पैकेज देंगे। परन्तु मैं चाहता हूं कि वे रसोई गैस के दाम 25 रुपए और कम करने पर विचार करें और सेवा कर 12 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत करने का प्रयास करें जिससे कि मूल्यों में गिरावट आएगी।

धन्यवाद महोदय। मैं इस बजट का हार्दिक रूप से समर्थन करता हूं और मैं इसे आम आदमी का बजट कहता हूं और इस प्रकार का बजट प्रणब दा जैसा अनुभवी और ज्ञानवान वित्त मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, लोगों को माननीय वित्त मंत्री से यथोचित अपेक्षाएं थीं जिन्हें पुन: यह विशेष कार्य सौंपा गया है। सरकार द्वारा उठाया गया यह एक स्वागत योग्य कदम है और वे देश के लाखों लोगों की ज्वलंत समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होंगे।

हम जानते हैं कि उन्हें संवैधानिक ढांचे, विशेष रूप से परम्पराओं की सीमा में रह कर कार्य करना है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह लेखानुदान है। परन्तु इसी सरकार के रेल बजट में रेल मंत्री जी ने जो कुछ प्रस्तुत किया वह लेखानुदान से अधिक है। परन्तु वित्त मंत्री ने ऐसा बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जैसे कि वे और अधिक नहीं कर सकते थे। क्योंकि यह मात्र लेखानुदान है। परन्तु उन्होंने यह उल्लेख किया है कि यह असाधारण समय है और असाधारण समय में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कुछ उचित कार्य किए हैं जो सीमा में रह कर सम्भव नहीं थे। यद्यपि वे राजस्व और व्यय के मामले में बड़ा बदलाव नहीं कर सकते थे फिर भी उन्हें संकेत देना चाहिए था क्योंकि संकट अपने आप फैल रहा है। उन्होंने स्वयं ही ऐसा स्वीकार किया है।

हमें नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। आम आदमी की आजीविका पर कितना आघात और प्रभाव पड़ने वाला है। परन्तु हम निराश हैं। क्योंकि इन परिस्थितियों में उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी किया जा रहा है और विगत में उन्होंने जो कुछ भी किया हम उससे निराश हैं। ऐसा कहा गया है कि पूरा विश्व विकल्प तलाश कर रहा है।

[श्री रूपचंद पाल]

लैटिन अमेरीकी देश कुछ हद तक ही नहीं बल्कि काफी हद तक वैश्विक वित्तीय मंदी और इसके प्रभावों से अपने आप को बचाने में सफल रहे हैं। ऐसा वैकल्पिक कारणों से सम्भव हो सका है। भारत जैसे देश के लिए गलत माडल अपना रहे हैं जहां एक अरब से अधिक की जनसंख्या है, जहां 78 प्रतिशत से अधिक लोगों की आय 20 रुपए प्रति दिन से कम है और ऐसा सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। एक अनुमान के अनुसार आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कुछ मामलों में हम अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बंग्लादेश से भी पीछे हैं। प्रतिदिन ऐसी रिपोर्ट आती है कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के बावजूद न केवल किसानों द्वारा आत्महत्याएं जारी हैं बल्कि गैर-संगठित क्षेत्रों और यहां तक की संगठित क्षेत्रों में, निर्यातोन्मुखी इकाइयों में कार्य करने वाले कामगार भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। हीरा उद्योग से जुड़े 71 कामगारों द्वारा की गई आत्महत्या पर हम चर्चा कर रहे थे। यह तो एक बड़ी घटना का छोटा रूप है। हमें नहीं मालूम कि औद्योगिक कामगार, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में क्या हो रहा है। मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है कि सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। कुछ घंटे पूर्व ही हमने यह पूछा था कि श्रम मंत्री द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। आप राहत पैकेज-1, राहत पैकेज-2, नकदी की कमी, मौद्रिक उपायों, ऋण दरों में कटौती आदि के बारे में सोच रहे हैं। परन्तु आप श्रमिकों के लिए क्या कर रहे हैं? नियोक्ता सरकार से प्राप्त लाभ श्रमिकों को नहीं दे रहे हैं। यह वास्तविकता है। यहां तक कि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि नमूना अध्ययन में जो कुछ भी कहा गया है उससे स्थिति की सही तस्वीर पता नहीं चलती। कोई नहीं जानता कि अगले वर्ष क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई आशंकित है कि अगले वर्ष स्थिति और भी खराब हो सकती है। इस स्थिति में हम सरकार से यह आशा कर रहे थे कि सरकार रोजगार सृजन के लिए सुदृढ़ कदम उठाएगी।

सरकार के पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नामक एक महत्वपूर्ण योजना है। हम बहुत उत्सुक थे, इस विधेयक को पारित करने के लिए जब हम इस सरकार का समर्थन कर रहे थे और ऐसा हुआ भी। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। यह सरकार अच्छा काम कर रही है। कार्यान्वयन प्रणाली में यहां-वहां कुछ खामियां हो सकती हैं इसमें अनेक अन्य बाधाएं भी हैं। कभी-कभार निधि उपलब्ध नहीं होती। परन्तु भाषण में फिर भी इसका उल्लेख किया गया है कि इस योजना के परिणामस्वरूप करोड़ों नौकरियों का सृजन किया गया है। हमने मांग की थी। हमने आज भी यह मांग की है कि इस योजना का लाभ शहरी गरीबों को भी दिया जाना चाहिए। आप यह कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। यद्यपि आपने कोई भी धन उपलब्ध नहीं कराया है जिसकी मांग की जा रही है जिसके लिए यहां मतदान भी हुआ। हमने इसका विरोध किया था। आपने स्थायी समिति की पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने संबंधी महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

लोगों के कष्टों को दूर करने हेतु कुछ कदम उठाने की बजाय आपने कृषि, वस्तुतः ग्रामीण विकास के लिए, आवंटन में कमी कर दी है। यदि आप रक्षा क्षेत्र के लिए और अधिक धनराशि देते हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम यह जानते हैं कि 1,41,000 करोड़ रुपये की इस धनराशि में से अधिकांश 126 वायुयानों की खरीद के कारण आवंटित की गई है।

जब हम अमरीकी नाभिकीय सौदे संबंधी करार 123 पर चर्चा की मांग कर रहे थे तो हमने यह टिप्पणी की थी कि इसका ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है। यह तो एक सामरिक गठबंधन था तथा 126 मल्टी मोड विमानों के लिए आपने 10 बिलियन डालर की वचनबद्धता व्यक्त की थी। जहां तक इजरायल का संबंध है, सबसे बड़ा खरीददार है—भारत, और भारत को ये हथियार बेचने से हुई आय का उपयोग इजरायल फिलस्तीनी लोगों की न्यायपूर्ण आकांक्षाओं का दमन करने में करता है। समूचा विश्व हमारी ओर देख रहा है और हैरान है कि भारत को क्या हो रहा है जो शोषितों, स्वतंत्रता संघर्ष और फिलस्तीन का पक्ष लेता रहा है, अब वह 9 बिलियन डालर मूल्य के हथियारों की खरीद करके इजरायल की वस्तुतः सहायता कर रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अपना बुनियादी ढांचा है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि मेरे राज्य में 'डनलप इंडिया लि.' नामक एक उद्योग है यह भारत के रक्षा नियमों से बंधा हुआ था। ये हवाई जहाज के टायरों से रक्षा उद्योग के लिए नितान्त महत्वपूर्ण वस्तु की आपूर्ति करता था। कारगिल युद्ध के दौरान इस इकाई में कामकाज ठप्प पड़ा हुआ था अर्थात् यह बन्द पड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन मुख्य मंत्री ज्योति बाबू से अनुरोध किया था और कहा था कि हमें अपनी वायुसेना के लिए टायरों की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद हमने भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके मजदूरों से अनुरोध किया था कि वे कंपनी को खुल जाने दें और उनसे सहायता और सहयोग का अनुरोध किया था ताकि रक्षा कर्मी और वायु सेना को टायर मिल सकें जो कि कारगिल युद्ध के लिए बहुत आवश्यक हैं। भूखे मजदूरों जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, ने सहयोग किया और उन्होंने वायुसेना के उन अधिकारियों, जो उन टायरों को लेने के लिए वहां गए थे, का स्वागत किया था।

हमने सरकार को इन भूखे मजदूरों के लिए कुछ करने के लिए पत्र लिखा था। डनलप इंडिया लि. में बहुत बढ़िया बुनियादी संरचना थी जिसमें कई वस्तुएं बनाई जाती थीं। न केवल टायर अपितु रक्षा जरूरतों के लिए भी कई चीजें इसमें तैयार की जाती थीं। हुआ क्या? अब तक इस कंपनी में कामकाज ठप्प पड़ा है। एक नया संवर्धक आया है। वह मजदूरों को उनके बकाया का भुगतान भी नहीं कर रहा है और मजदूर भूखे मर रहे हैं। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार कई तरीकों से रोजगार का सृजन किया जा सकता है।

सरकार को बुनियादी ढांचा तैयार करने और सामाजिक क्षेत्र पर भी धन खर्च करना चाहिए। यह सच है कि बुनियादी संरचना स्थापित करने की 37 परियोजनाएं ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): हमने 70,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: मैं आप से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन और भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। हमारा देश यूरोप का छोटा सा देश नहीं है। उदाहरण के लिए आईसलैण्ड को ही लीजिए जो एक झटके में विश्व के मानचित्र से लुप्त हो जाता है। हम भारतवासी हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: 20 लाख हजार करोड़ रुपये की योजना है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: मुझे पता है लेकिन आप पी.पी.पी. माडल पर बल दे रहे हो। पी.पी.पी. माडल क्या है? यह कैसे आया? इसका क्या इतिहास है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? निजी क्षेत्र के लोग दिन रात यही राग अलापते रहते हैं कि उनके लिए और अधिक नकदी, और अधिक ऋण और ब्याज दर में और अधिक कमी किए जाने की आवश्यकता है। वे मिलीभगत कर लेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। सीधा सपाट कीनेशियन दर्शन जिसने महान विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के बाद के युग में विश्व को बचाया था, सरकार का प्रचलित खर्चीला दर्शन ही था। राजकोषीय घाटे की चिन्ता मत करो। यह राजकोषीय कट्टरता का समय नहीं है। अमेरीका, जिसके माडल का अनुकरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं, में भी जार्ज बुश ने अगली सरकार के लिए एक ट्रिलीयन डालर का राजकोषीय घाटा छोड़ा है। मैंने अपने पूर्व वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछा था। ऐसी स्थिति में जब राजकोषीय घाटा अर्थहीन लक्ष्य बन कर रह जाए तो आप एफ.आर.बी.एम. एक्ट की समीक्षा और उसमें संशोधन क्यों नहीं करते जो अपने लोगों के लिए कुछ करने के मार्ग में राज्यों के लिए अड़चन बना हुआ है?

उन्होंने कहा: ''ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। अब सकल घरेलू उत्पाद की दर 6 प्रतिशत है। अगले वर्ष स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी। स्थिति अब से भी बदतर हो जाएगी। अब वे कहते हैं कि अगले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद 5.6 प्रतिशत रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि खर्च कम होगा।

इस स्थिति में उनका प्रोत्साहन पैकेज क्या है? यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से भी कम है। चीन को देखिए जो कि लगभग भारत के समान आकार का है। लगातार दो वर्षों से उनका सकल घरेलू उत्पाद सात प्रतिशत बना रहा है और उन्होंने 586 बिलीयन डालर के प्रोत्साहन पैकेज/बेल आउट पैकेज दिए हैं। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है?

हमारे लोग कष्ट उठा रहे हैं। हमारा कृषि क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है और हमारे सामाजिक क्षेत्र को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी लेखानुदान और उसकी परंपराओं इत्यादि के बारे में बोल रहे हैं जबकि लेखानुदान की उन्हीं परंपराओं का उनके स्वयं के रेल मंत्री द्वारा निर्वाह नहीं किया जा रहा है। रेल मंत्री जी केवल आम चुनावों को ध्यान में रखकर नई रेल लाइनें बिछाने, नई गाड़ियां शुरू करने और बहुत सी बातों की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन उसी सं.प्र.ग. सरकार के वही वित्त मंत्री जी कह रहे हैं: ''नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते; हम राजस्व व्यय, सन्तुलन आदि के कारण कुछ नहीं कर सकते।''

महोदय, एक ही सरकार में दो चेहरे हैं, दो दर्शन काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से भ्रम की स्थिति को दर्शाता है। सरकार को यह पता ही नहीं कि उसे क्या करना है। यह पूरी तरह से दिशाहीन है। जब तक हम उनका समर्थन कर रहे थे, हमने उनको यह सलाह देकर सही रास्ते पर चलाने का प्रयास किया: ''विनियन्त्रणमुक्तता के मार्ग पर आंख मूंद कर आगे मत बढ़ो, बैंककारी विनियंत्रणमुक्ति अधिनियम को पारित मत करो, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मत बढ़ाओ, लोगों की पेंशन निधि में से बहुमूल्य बचतों को पूंजी बाजार में मत लगाओ और रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय मत बनाओ।'' इसका असर भी पड़ा।

वाशिंगटन में बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने बिना यह उल्लेख किए कि यह वाम दलों की मांग है, उद्धृत किया। हम जानते हैं कि हमारा क्या काम है। हमारा काम है सरकार को सही रास्ते पर लाना। अभी भी हम वही काम कर रहे हैं यद्यपि अब हम विपक्ष की तरफ हैं। हम उनसे सहमत नहीं हैं।

उनके सर पर सुधार, सुधार और सुधारों का ही भूत सवार है। उन्होंने इन सभी खराब उपायों की शुरुआत की थी और हम किसी विकल्प की खोज करने की बजाय उनके नक्शेकदम पर चल रहे हैं।

[श्री रूपचंद पाल]

अब रोजगार सृजन, सुरक्षा जाल, सरकारी खर्च के बारे में कोई जिद नहीं है। एफ.आर.बी.एम. के दिशानिर्देश जो हैं। हमने कहा था कि सरकार पुनर्विचार करे। फ्लैगशिप प्रोजेक्शन में नाममात्र की वृद्धि हुई है यद्यपि कृषि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, ग्रामीण विकास और कई अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के मामले में वे कम हुए हैं।

ऐसी स्थिति में, यदि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च करती है तो इससे पूरे देश को बहुत सहायता मिलेगी। ज्ञान आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि हमें बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बनाना है तो हमें इस पर खर्च करने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। इस संबंध में एक और समिति भी गठित की गई थी। मुझे लगता है कि यह कपिल सिब्बल समिति पर इसी तरह की कोई समिति थी। उस समिति ने भी शिक्षा पर 1,51,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी सं.प्र.ग. ने राष्ट्र को वचन दिया था कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च किया जाएगा। किन्तु यह एक प्रतिशत भी नहीं है। इसी प्रकार सं.प्र.ग. ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का दो से तीन प्रतिशत खर्च किए जाने की वचनबद्धता व्यक्त की थी। लेकिन अभी तक बहुत ही नगण्य धनराशि खर्च की गई है। हमारे देश में आधे बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। सत्तर प्रतिशत ग्रामीण माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम इस बात से लज्जित नहीं हैं। हमें शर्म नहीं आती। ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है?

उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही लीजिए। कृषि उत्पाद, खाद्यान्नों के विषय में सरकार कह रही है कि खाद्यान्न के भण्डार ठीक हैं।

यह तो सही है कि खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। फिर आपकी जन वितरण प्रणाली को क्या हुआ? एपीएल में 73 प्रतिशत की कटौती की गई है। हमने सरकार और योजना आयोग को बता दिया है। आपके गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने संबंधी मानदंडों का क्या हुआ? यह अजीब-सी परिभाषा है कि अधिकांश गरीब लोग इस बीपीएल मानदंड के तहत कवर नहीं किये गये हैं। परंतु हमने एक अन्य समिति गठित की है, हमने एक के बाद एक कई समितियां गठित की हैं, परंतु गरीब लोगों की पहचान नहीं की जा सकी। वह कहती है, नहीं, कीमतों में कमी हो रही है। मुद्रास्फीति की दर घट गई है। अब यह 3.93 प्रतिशत है। उन्होंने कितना बढ़िया कार्य किया है? ये थोक मूल्य सूचकांक-संबंधित मुद्रास्फीति है। इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई से कोई लेना-देना नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं का मूल्य केवल 22 प्रतिशत है और खाद्य वस्तुओं का मूल्य केवल 15 प्रतिशत है। वह भी इसलिए क्योंकि ईंधन मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आई है। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक में कमी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक गणना में सेवा क्षेत्र की गणना नहीं की गई है।

मैंने कई बार सरकार को इन सबके संबंध में बताया है। आप बाजार जाइये। मुद्रास्फीति कम हुई है। दिल्ली में एक किलो चावल का क्या भाव है? इसका भाव 21 रुपए किलो है जो किसी व्यक्ति की आठ या दस घंटे के काम के बाद की कमाई है। दिल्ली में एक किलो चावल का भाव 21 रुपए किलो है। वह कहती हैं कि इसे यह महसूस नहीं होता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आपकी सरकार के अर्थशास्त्री, मुख्य सांख्यिकीविद्, डा. प्रणव सेन ने इस बारे में टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि ''भारतीय स्थिति में अवस्फीति के संकेत बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं'', अवस्फीति क्या है? मुद्रास्फीति कम होगी। यह कम होकर शून्य पर आ जाएगी। निवेश में कमी हो रही है। मांग में कमी हो रही है। जापान में यही हो रहा है। अमेरिका में यही हो रहा है। ब्रिटेन में यही सब हो रहा है। इसमें गर्व महसूस करने की बात नहीं है कि मुद्रास्फीति में कमी हुई है। इसके कारण अवस्फीति की स्थिति आ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें मांग के सृजन को सरल बनाने की आवश्यकता है।

कीनीज के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कीनीज ने कहा था: ''यदि लोगों के पास कोई काम नहीं है तो लोगों से कहो कि वे भूमि खोदें और खोदकर उसे आंटे।'' यह हुआ रोजगार सृजन। हमारे पास अवसंरचना है। यदि आपके पास आवास की कमी है तो आप आवास बनाएं। आप रोज यह उपदेश देते हैं कि बैंक को ब्याज दर कम करनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण और इस जैसी अन्य चीजों पर ब्याज दर को कम करके आठ प्रतिशत कर दिया है। आप गरीबों के लिए ज्यादा आवासों का निर्माण क्यों नहीं करते? आपको क्या करना चाहिए? जहां भी देखो, वहीं भ्रष्टाचार है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को ही लीजिये, वहां भी भ्रष्टाचार है। फिर आप कहां जाएंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार 'सत्यम' मामले को कैसे बचाएगी। जब उसमें उनका मुख्यमंत्री ही फंसा हुआ है। हमने इस पर चर्चा की मांग की है। इसकी अभी अनुमति दी जानी है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। परंतु वास्तविक रूप से सामाजिक और अवसंरचना के क्षेत्र में सरकारी व्यय की आवश्यकता है।

अब मैं राज्यों पर आ रहा हूं। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) को लेकर राज्यों ने 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। मैं किसी एक राज्य विशेष

की बात नहीं कर रहा हूं। राज्यों को वस्तुतः गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एफआरबीएम को लेकर वित्त आयोग ने कतिपय सिफारिशें की हैं और वे इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते न ही उनके पास संसाधन है। इस प्रकार की स्थिति में, सरकार को आगे आना चाहिए था।

अब बड़ी दिलचस्प स्थिति यह है कि सरकार परमाणु समझौते पर वाक् जाल फैला रही है। पहले एनडीए के शासनकाल में और अब इनके शासनकाल में भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और अन्य कार्यों के लिए आबंटन बहुत कम है। कितनी दिलचस्प कहानी है यह। सरकार की परमाणु ऊर्जा में बड़ी दिलचस्पी है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसे तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर सकते हैं। यह एक अलग कहानी है। यूरेनियम कारपोरेशन के लिए कितनी निधियों का आबंटन किया गया है? वस्तुतः, हुआ यह है कि सरकार आज जनता द्वारा झेली जा रही गंभीर स्थिति का समाधान करने में विफल रही है।

ऐसी स्थिति में सरकार को उपाय करने चाहिए थे। मैं आपको आईसीडीएस का उदाहरण दे रहा हूं जो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का निदेश है कि आईसीडीएस का सार्वजनीकीकरण किया जाना चाहिए। परंतु सरकार 6000 करोड़ रुपए या इसके लगभग धनराशि की बात कर रही है, कुछ मामलों में इसने कटौती की है और कुछ मामलों में इसने उतनी ही धनराशि रखी है। वह इस गंभीर, चिंताजनक स्थिति से कैसे उबरेंगे? कामगारों को राहत चाहिए। कपड़ा उद्योग के सात लाख कामगार हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं और वे न केवल तिरूपुर में हैं बल्कि बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी हैं। कपड़ा, गारमेंट, जवाहरात और आभूषण, चमड़ा तथा निर्माण के क्षेत्र में भी कामगार प्रभावित हुए हैं। कपास, रबड़ और काफी उत्पाद के मूल्यों में तेजी से गिरावट हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार ने किसानों को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। शूरमाओं की मृत्यु हो रही है। हमारे किसान शूरमा हैं और ये शूरमा मर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं। इस सरकार को इन शूरमाओं की कोई चिंता नहीं है।

योजना व्यय वस्तुतः सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से कम है। मैंने पीपीपी माडल के बारे में अपनी बात रखी थी। राजस्व में 60,000 करोड़ रुपए की कमी हो सकती है। मैं जानता हूं कि अंतरिम बजट और लेखानुदान जैसे उपायों के साथ नए राजस्व संबंधी कदम उठाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। परंतु इस देश को क्या हो रहा है? दूसरे दिन उस ओर से किसी ने यह मुद्दा उठाया था कि समाचारों में यह बात आई है कि भारतीयों ने 1,400 बिलियन डालर से भी अधिक की धनराशि स्विस बैंक में जमाकर रखी है। क्या पूंजी की कोई कमी है जो आपको पूंजी अंतर्प्रवाह और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता पड़ रही है। क्या इस पर कोई नियंत्रण है? गुप्त रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है। भारतीयों ने 1,400 बिलियन डालर की धनराशि जमा कर रखी है।

आज भी समाचारों में यह बात आई है कि अमेरिकी दबाव में स्विस बैंक, यूबीएस उन अमेरिकी ठगों के नाम और ब्यौरे प्रकट करने को सहमत हो गया है जिन्होंने धन छिपाया था और उसे यूबीएस बैंक में रखा था। कुछ माह पहले जर्मनी ने भी यही बात प्रकट की थी कि भारतीय दुनिया के सर्वाधिक धनी लोगों में से हैं। डालर-अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और इस देश में ऐसे लोगों की संख्या में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

लक्षित उपयोग को क्या हो रहा है? इसके यहां विनियमन नहीं है। सीडीआर तो इसके पास है। यह बाहरी वाणिज्यिक ऋण ले रही है। इसका लक्षित उपयोग क्या है? धन शेयर बाजार, पूंजी बाजार में लगाया गया था और वहां इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी। दूसरे दिन राज्य सभा में बड़े-बड़े नाम आए थे, जो न केवल सत्यम में बल्कि इनसाइडर ट्रेडिंग में भी संलिप्त हैं। आज एक खबर यह आई कि आईपीओ घोटाले में, 40 लाख डीमैट खातों में से छह लाख खातों का पता नहीं चल सका। सरकार दैवयोग से प्राप्त 9,000 करोड़ रुपए का उपयोग करने जा रही है। ये पैसा किसका है? इसका कुछ पता नहीं चला। केवल एक आईपीओ घोटाले में 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि अंतर्ग्रस्त है। तो फिर बैंकों ने क्या किया है? केवाईसी मानदंडों का क्या हुआ? राजू और अन्य बड़े लोगों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है।

ब्रिटेन के नोबल अनुसंधान समूह ने कहा है कि 500 से अधिक भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें झूठे लेखा बनाने, धन निकालने, इनसाइडर ट्रेडिंग और इस देश के समस्त कानूनों के उल्लंघन में संलिप्त पाया गया है।

सीपीआई (एम) या किसी भी वामदल के निरीक्षक, जो हर्षद मेहता मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने क्या टिप्पणी की है, श्री पॉल ने टिप्पणी की है कि भारतीय कारपोरेट क्षेत्र ने लाभ का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा आईटी क्षेत्र को दर्शाया है। हुआ यह कि वे आपके बारे में बहुत सी टिप्पणियां कर रहे हैं।

सत्यम मामले के संबंध में वर्ष 2002 में सुश्री पद्मजा ने धन का अन्यत्र उपयोग किये जाने तथा आयकर अपवंचन किये जाने का पता लगाया था और उनका स्थानांतरण कर दिया गया था। यह सत्यम मामले पर चर्चा कैसे होने दे सकती है? ऐसा इसलिए है

[श्री रूपचन्द पाल]

क्योंकि इनके मुख्यमंत्री इसमें संलिप्त हैं? इनकी अपनी समस्याएं हैं। इसके पास 2002 की घटना है और उन दोनों की समस्या है। इसलिए हमें सत्यम मामले, जो इस देश की सबसे बड़ी कारपोरेट धोखाधड़ी है, पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही। यह एक बहु-आयामी धोखाधड़ी है, जिसमें सभी विनियामक अभिकरण और समस्त सरकारी अभिकरण किसी न किसी रूप में संलिप्त हैं। मेरे विचार से ऐसी स्थिति में सरकार इसे देश की देनदारी मानती है। यह बड़े-बड़े दावे कर सकती हैं, परंतु वास्तविक उपलब्धियों से इसका कोई सरोकार नहीं, चाहे वह कृषकों के संबंध में हो; चाहे आम आदमी से संबंधित हो; चाहे औद्योगिक कामगारों से संबंधित हो तथा चाहे यह असंगठित क्षेत्र से संबंधित हो।

हमें हाल ही में रक्षा क्षेत्र में नौसेना प्रमुख द्वारा किए गए खुलासे का पता चला है। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि पत्तन और कंटेनर सेवा के लिए कितना आबंटन किया गया था। मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें ऐसा सार्वजनिक वक्तव्य देना चाहिये या नहीं, परंतु एक अलग कहानी है। मैं इस पर टिप्पणी केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब यह जानकारी सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने यह कहा था कि "अमेरिकी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें हमारे कंटेनरों की जांच करने की जिम्मेदारी दी जाएगी" इससे न केवल व्यापार के संबंध में बल्कि हमारी स्वयं की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, यदि हम शीघ्र ही पर्याप्त उपाय नहीं करेंगे तो वहां रखे खराब कंटेनरों के माध्यम से परमाणु हथियारों की तस्करी भी की जा सकती है।

मैं यह कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि सरकार का राष्ट्र के प्रति यह दायित्व बनता है। उन्हें चार माह के पश्चात् आने वाली नई सरकार को संकेत देना चाहिए था। लोग हर पल कष्ट सह रहे हैं। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सरकार को राजकोषीय घाटे की परवाह किए बिना रोजगार सृजन के लिए और प्रावधान करना चाहिए था; ग्रामीण विकास, समेकित बाल विकास योजना, सामाजिक क्षेत्र, लघु और मझौले उद्योगों के लिए अधिक आवंटन करना चाहिए था और कामगारों को और राहत देनी चाहिए थी। यह प्रोत्साहन (स्टिमुलस) केवल उन नियोजकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए था जिन्होंने अच्छे दिनों के दौरान अथवा अनुकूल आर्थिक स्थिति के दौरान सभी प्रकार का लाभार्जन किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में उल्लेख है कि जब वैश्विक विकास दर 4 प्रतिशत थी तो मजदूरी में 1.7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। भारत में तो वह इससे भी बहुत कम था। विकास का तात्पर्य क्या होता है? लोगों को इसमे क्या मिला? एक कैबिनेट मंत्री ने एक बार टिप्पणी की थी और उन्होंने यह कहने का साहस जुटाया था कि "विकास का लाभ आम आदमी तक कभी नहीं पहुंचता है है", इसलिए, तथाकथित विकास अथवा विकास की अतिशयोक्ति में चिपके रहने के बजाय आपको हमारे लाखों लोगों और आम आदमी के लिए कुछ ठोस काम करना चाहिए, वे भारत उदय का ही राग अलापते रहे। याद कीजिए, उन्हें उचित सबक सिखा दिया गया था। यदि आप सात से आठ प्रतिशत की विकास दर का राग अलापते रहे तो आप भी दुबारा वापस सत्ता में नहीं आओगे। वे दुबारा सत्ता में नहीं आ रहे हैं, आपके कुछ सहयोगियों के समर्थन के साथ तीसरी ताकत सत्ता में आ रही है और वही देश का नेतृत्व करेगी, तीसरी ताकत ही कष्ट झेल रही जनता को राहत देगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मुझे आशा है कि साम्प्रदायिक शक्तियों को सत्ता से अलग रखने के नाम पर आप दुबारा कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आपकी पार्टी हमारा समर्थन नहीं करेगी। इसका अर्थ है कि आप फिर से उनके पास जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आपस में बात न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यादव जी, आप शुरू करिये।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति जी, आज जो सदन में 2009-2010 के अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: दूसरे जो माननीय सदस्य अपनी रिटिन स्पीच ले करना चाहते हैं, वे ले कर सकते हैं। आप बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव: यू.पी.ए. सरकार का यह पांचवें वर्ष का अन्तिम बजट है और मैं समझता हूं कि विगत पांच वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में देश में विकास के लिए, देश के आम लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किये गये हैं और जो देश की बेसिक समस्या है, मूलभूत समस्या

है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसकी तरफ ज्यादा राशि भी आबंटित की गई है। बेसिक समस्या हमारी है, भारत जैसा गरीब देश है, मगर यहां बेरोजगारी भी है, यहां पर अशिक्षा भी है, कई ऐसी समस्याएं आती हैं, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, इन समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है और उसका प्रतिफल नजर आ रहा है। बेसिक समस्याओं में घर की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, किसानों की समस्या है, इन तमाम समस्याओं पर यू.पी.ए. सरकार ने बहुत ध्यान देने का काम किया और बहुत सारा आबंटन करके उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश की है, ऐतिहासिक सफलता इस सरकार ने प्राप्त की है और लोगों की आशा के अनुकूल काम किया है।

मुझे भरोसा है कि आने वाले चुनाव के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं तो इस चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद, मैंडेट हमें मिलेगा और पुन: यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आयेगी, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग कितने भी मुंगेरी लाल का सपना देखें, उनका सपना कभी पूरा होने वाली नहीं है। पूरे जोर से मैं यह कहता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाली सरकार यू.पी.ए. की ही होगी और मजबूती के साथ हम लोग वापस आएंगे। यह हमारा विश्वास है, क्योंकि, हमने जनता के लिए काम किया है, अवाम के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, इसलिए कि उनके दुख और दर्द को हमने समझा है। हिन्दुस्तान की आजादी को 60 वर्ष हो गये, इस दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सपने दिखाये। आजादी के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले पांच वर्षों का जो कार्यकाल था, वह निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए था और उनके लिए हम लोगों ने काम किया है, इसलिए मुझे भरोसा है। हिन्दुस्तान की आजादी के 61 वर्ष हो चुके हैं, पहली बार यूपीए सरकार का संकल्प था—भारत निर्माण। भारत निर्माण के लिए इस अंतरिम बजट में 40,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह राशि इस सरकार की दिशा और दशा तय करती है क्योंकि इतनी बड़ी राशि हम भारत निर्माण के लिए आवंटित कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा भी है, बिजली भी है, पानी भी है, शौचालय भी है, किसानों के हित की बात की है, तो निश्चित तौर पर यह दशा, दिशा और दृष्टि भी तय कर रही है। हमारा कमिटमेंट इस देश के आवाम के लिए, गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए है और उसी कमिटमेंट के अनुसार हमने पिछले वर्षों में काम किया। आज भी हम अंतरिम बजट के माध्यम से उनके लिए बाकी के जो बचे हुए कार्य हैं, उनको करना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण झलक रहा है। यूपीए सरकार का जो कामन मिनिमम प्रोग्राम था, उसके अनुसार जो कमिटमेंट था, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं।

महोदय, एक बहुत बड़ा उपहार मिला। 70 हजार करोड़ रुपए एकमुश्त किसानों की राहत के लिए यूपीए सरकार ने माफ किए। उसके परिणाम सामने आए हैं। सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर थे, परेशानी में थे, उनको राहत देने का काम किया। हम यह नहीं कहते कि 70 हजार करोड़ रुपए देकर, ऋण माफ करके हमने उनकी सारी समस्याओं का निदान कर दिया। मैं इस बात को नहीं मानता। आज भी उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने किसानों को राहत देने के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। इसके परिणाम सामने आए हैं, इससे बहुत सारे किसानों को राहत मिली है।

महोदय, इस देश की जो 75 फीसदी आबादी है, उस आबादी के प्रति, आजादी के बाद हम उस हद तक नहीं जा सके हैं, जितना जाना चाहिए। हमारा देश किसानों का देश है। हमारी जो इकानामी है, जो आर्थिक मजबूती है, वह किसानों पर निर्भर करती है। यूपीए सरकार ने उनकी तरफ ध्यान देते हुए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जैसा कि मैंने कहा कि 70 हजार करोड़ रुपए ऋण की माफी हुई। जो ब्याज की दर थी, उसमें भी हमने कटौती की है। हमने ब्याज की दर 7 प्रतिशत कर दी है, मगर वह नाकाफी है। पहले के जमाने में कार लेने के लिए, मकान बनाने के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों के ऋण की दर और गरीबों व किसानों के लिए ऋण की दर आप देख लीजिए। हमारी सरकार ने एहसास किया और सचमुच में गरीबों और किसानों के प्रति हमारी जो फीलिंग है, इस स्टेप को उठाकर हमने उसे दर्शाया है, इसलिए हमने उनकी ब्याज दर को कम किया। यह कदम स्वागतयोग्य है। मैं समझता हूं कि इसमें और भी कमी करने की जरूरत है।

महोदय, राष्ट्रीय कृषि आयोग के माननीय अध्यक्ष जी ने अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि इसे चार प्रतिशत करना होगा, तब हम आम किसानों को राहत दे सकते हैं। मगर हम उसे चार प्रतिशत नहीं कर सके। मुझे ऐसा भरोसा था और विगत दिनों में देश का आवाम और सदन भी एहसास कर रही थी, हम लोगों ने विचार रखा था, खास तौर पर मैं और मेरी पार्टी हमेशा सदन में मामले को उठाती रही है कि ब्याज की दर में कटौती करिए तभी आप किसानों को पूरी तौर पर राहत दे सकते हैं। मुझे भरोसा था कि इस बार कुछ होगा मगर नहीं हो पाया। यदि किसानों के लिए ब्याज की दर 4 प्रतिशत उपलब्ध हो जाती, तो मैं समझता हूं कि बड़ी राहत मिलती। आज किसानों का उत्साह घट रहा है, खेत के प्रति किसानों का उतना रुझान नहीं रहा है। राष्ट्रीय

[श्री राम कृपाल यादव]

उत्पादन पर असर पड़ रहा है। यदि हम किसानों को राहत नहीं देंगे, उनकी लागत पूंजी भी वापिस नहीं आएगी तो किसान काम क्यों करेंगे। उन्हें अपनी पूंजी लगाकर, अपना श्रम लगाकर, खून-पसीना लगाकर दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। इस देश में गरीब किसानों की संख्या अधिक है। उनमें उत्साह नहीं है, उनके उत्साह को बढ़ाना पड़ेगा और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। यहां इतनी ज्यादा आबादी है, हमारे पास भूभाग भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो उत्पादन कर रहे हैं, उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ रहा है। यह शुभ संकेत नहीं है। आज लोग गांवों से पलायन करके शहरों में जाने का काम कर रहे हैं। आप विगत दस-बीस साल के आंकड़े देख लीजिए। आप बहुत पुराने राजनेता हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री रहे हैं और आज माननीय सदस्य हैं। आपको बहुत अनुभव है। आप खुद अहसास करेंगे कि शहरीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। गांवों की बेसिक समस्याओं की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। यदि गांवों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा हैल्थ सैंटर नहीं मिलेगा, अच्छा अस्पताल नहीं मिलेगा, पानी के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान गांवों से हटकर शहरों की ओर जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं, यदि हमें उसकी कीमत नहीं मिलेगी तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। इसलिए किसानों के प्रति विशेष तौर पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हालांकि यूपीए सरकार ने इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया है। इस इंटरिम बजट में भी प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा के लिए राशि बढ़ाई गई है। जनता कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। हमारी आबादी एक अरब से अधिक है। हमने उनकी तरफ ध्यान देने का काम किया है, लेकिन वह नाकाफी है। इसलिए गांवों के प्रति आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा, हजारों, करोड़ों हाथों को काम देना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार निश्चित तौर पर इस बारे में गौर करे। उन्हें कम से कम उनकी लागत पूंजी ही मिल जाए। जब तक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। माननीय मंत्री जी, आप भी पुराने अनुभवी हैं। आपको इस पर गौर करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी।

महोदय, मैं आपको पूरे देश की बाढ़ की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं, खास तौर पर हमारा प्रदेश बाढ़ की समस्या से न जाने कितने वर्षों से जूझ रहा है। इस बार बाढ़ से जो त्रासदी हुई, कोसी का इलाका, जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुए हैं, वे पूरी तरह ध्वस्त हो गए, इसे पूरा देश और दुनिया जानती है। देश की जनता ने मदद भी की। हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, हर प्रदेश के व्यापारियों आदि सबने मदद की है, यहां तक कि केंद्र सरकार ने लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये देने का काम किया। मैं नहीं मानता कि डेढ़ हजार करोड़ रुपये में सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा, लेकिन एकमुश्त पैसा दिया गया और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का काम भी किया गया। मुझे लग रहा था कि इस बार के बजट में राष्ट्रीय आपदा के नाम पर बिहार को कुछ और राशि भी आवंटित की जाएगी, मगर निराशा हाथ लगी। वहां के हालात में थोड़ी-बहुत राहत देने के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये का जो आवंटन किया गया है, उस पैसे की मानीटरिंग भी नहीं हो रही है। वैसे राज्य सरकार अपनी डफली बजा रही है, गाल बजा रही है और केन्द्र सरकार पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है। मैंने आज एक अन्स्टार्ड क्वैश्चन किया था, जिसके जवाब में आया है कि वहां की सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए किस-किस स्तर पर, कहां-कहां और कितनी राशि देनी है, उसके लिए जो डीपीआर बननी चाहिए, वह नहीं बनायी। यह जवाब मुझे अपने अनस्टार्ड क्वैश्चन से मिला है। वहां जो पैसा दिया गया है, उसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं है। अभी लोक सभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है। अपना माइलेज देने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए भारत सरकार की सभी योजनाओं पर वहां के मुख्यमंत्री अपना नाम टिका रहे हैं। सब जगह उनका नाम है। यहां तक की भारत सरकार ने जो पैसा दिया है, उससे वह विज्ञापन भी छपवा रहे हैं। वह एक अलग बात है।

सभापति महोदय, कोसी के इलाके में अभूतपूर्व नुकसान हुआ है, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। सुनामी से ज्यादा वहां की स्थिति खराब रही है। हम खुद वहां गये थे। लगभग सब डिस्ट्रिक्ट्स में अपने नेता लालू प्रसाद जी, जो माननीय रेल मंत्री हैं, उनके साथ मुझे घूमने का मौका मिला है। वैसे भी हम वहां गये थे। वहां बहुत बुरी स्थिति है। आज भी हजारों ऐसे परिवार हैं, जो बाढ़ से घिरे हुए हैं। सरकार दावा कर रही है कि वहां बांध बन गया, सब कुछ ठीक हो गया और न जाने क्या-क्या कर रही है। टैन्टों में जो लोग बसे हुए थे, उनको उन्होंने भगा दिया और कहा कि हम राहत पैकेज चला रहे हैं। पता नहीं वे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं। इंदिरा आवास के तहत भारत सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पेशल पैकेज दिया, लेकिन उस पैसे का भी उपयोग नहीं हुआ। आज भी लोग खुले आकाश के नीचे ठिठुरते हुए, अब कुछ गर्मी आ गयी है, लेकिन पूरी सर्दियों में उन्होंने अपने बच्चों के साथ कैसे जीवन बिताया, उसकी वेदना मैं यहां बयान नहीं कर सकता। आप खुद उसका अहसास कर सकते हैं। वहां आज यह हालत है। वहां विकास की रट लगायी जा रही है, एक नारा दिया जा रहा है,

ढोल बजाया जा रहा है। वहां की सरकार अपनी वाह-वाही लूटने का काम कर रही है। विज्ञापनों का दौर चल रहा है, शिलान्यास का दौर चल रहा है। माल महाराज का, मिर्जा खेले होली, यानी भारत सरकार की राशि और राज्य सरकार अपना बोर्ड लगा रही है। वह अलग बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ से बिहार के लगभग 21 जिले प्रभावित हुए हैं। वे बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किये गये। हमें ऐसा लगता है कि यदि सरकार वहां 21 जिलों के बाढ़ पीड़ितों के लिए, लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए, वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए स्थायी समाधान करती, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम होता। वहां बिजली का उत्पादन हो सकता है, इसके लिए नेपाल से ट्रीट्री करने की आवश्यकता है। कुछ स्टेट्स में कदम उठाये गये हैं। वहां सिंचाई विभाग ने कुछ राशि आवंटित की है और दफ्तर भी खोल दिये गये हैं। डीपीआर बनाने की बात भी कही जा रही है, मगर उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पिछले दिनों माननीय विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जी की पहल पर नेपाल सरकार से कुछ बातें हुई हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, मगर उसके ठोस नतीजे अभी तक सामने नहीं आये हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वहां की दशा को देखिये और उसे सुधारिए। बाढ़ के लिए कोई स्थायी समाधान निकालिये। ये समाधान सिर्फ कोसी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए निकालने का काम करिये, तो आपका बहुत उपकार होगा, क्योंकि वहां हालत बहुत खराब है। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, आप घंटी बजा रहे हैं। मैं अपनी पार्टी से बोलने वाला पहला वक्ता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, आप हमारी भावनाओं को सुनिए। ...*(व्यवधान)*

वैसे भी बजट पर यह हमारा अंतिम भाषण है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सब लोगों का अंतिम भाषण है। आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आप मुझे बोलने का थोड़ा समय देंगे। बाढ़ से फसल की भी बर्बादी होती है। अभी निर्णय हुआ कि फसल की बर्बादी के बाद फसल बीमा योजना लागू होगी, लेकिन एक जगह भी फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला। अगर एक जगह भी उसका पैसा मिला होता, तो मैं समझता कि गरीबों को कुछ राहत मिली। वहां लोगों की सब फसलें नष्ट हो गयी हैं। फसल बीमा योजना के तहत भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, लेकिन उसकी मानीटरिंग नहीं करती। हमारा कहना है कि उसकी मानीटरिंग करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आप पैसा देकर निश्चिंत हो जाते हैं और कहते हैं कि संघीय व्यवस्था है इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह सब मानता हूं, मगर आप आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो पैसा दे रहे हैं, उस पर आप कुछ नियंत्रण रखिए, मानीटरिंग करने का काम कीजिए कि जिस मंशा से आपने पैसा दिया, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। मैं मांग करता हूं कि अविलंब जिन किसानों की फसल बाढ़ के इस घोर संकट में नष्ट हो गयी है, उन्हें आप राहत देने के लिए तुरंत फसल बीमा योजना के तहत राशि आवंटित कराइये।

महोदय, इसके स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस उपाय निकालिए। आजादी के 60 वर्ष बीत गए, आज भी गांवों में शुद्ध पेयजल नहीं मिला है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बड़ी योजना-राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना-चालू की है, जिसके अंतर्गत राशि भी बढ़ी है। आज भी बिहार जैसे प्रदेश हैं जहां अशुद्ध पेयजल मिल रहा है। आजादी किस बात की? महात्मा गांधी जी और न जाने कितने लोगों ने आजादी के लिए शहादत दी, उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि हम तो शहादत दे रहे हैं, लेकिन लोगों को आजादी के 60 वर्षों में शुद्ध पेयजल भी नहीं मिलेगा। आज गांवों में बड़े पैमाने पर अशुद्ध जल मिल रहा है। 7400 करोड़ रुपए की राशि इस अंतरिम बजट में इसके लिए आवंटित की गयी है, लेकिन वह नाकाफी है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कीजिए। सारी बीमारियों की जड़ तो अशुद्ध जल है। शहरों की बात अलग है, लेकिन गांवों में भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा कि हमें निश्चित रूप से इसके लिए पहल करनी चाहिए क्योंकि यह हमारा बेसिक दायित्व बनता है। हम सरकार में है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम कम से कम इन लोगों को शुद्ध पेयजल तो मुहैया कराएं। आज भी वही कुएं का सड़ा हुआ पानी लोगों को पीना पड़ता है। मैं समझता हूं कि बिहार जैसी खराब हालत आपके गृह प्रदेश उड़ीसा

[श्री राम कृपाल यादव]

की भी है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। अब तो आप और भी नहीं बोल पाएंगे। हम समझते हैं कि हमारी पीड़ा से कम पीड़ा आपको नहीं होगी, सदन इसका एहसास करता है। आम आदमी जिसके बल पर हम चुनकर यहां आते हैं, उसको अगर पीने के लिए शुद्ध पानी भी हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार ने स्पेशल इकोनामिक जोन बनाया है। स्पेशल इकोनामिक जोन बनने चाहिए, माल बनने चाहिएं, मगर उद्योग भी लगने चाहिएं। मगर आप उसमें दस से पंद्रह प्रतिशत उस जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं जिसमें उपज होती है, सोना पैदा होता है। क्या किसी लेबोरेटरी में गेहूं उपजाया जा सकता है?

अपराह्न 3.58 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

क्या आप किसी लेबोरेटरी में चावल उपजा सकते हैं, सब्जी उपजा सकते हैं। यह केवल लोगों की भूख ही नहीं मिटाती है, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर आता है। स्पेशल इकोनामिक जोन के माध्यम से आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता घट रही है। ...*(व्यवधान)* लक्ष्मण सिंह जी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। आप तो मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्पेशल इकोनामिक जोन के लिए ऐसी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण न करें जिससे अर्थव्यवस्था पर और किसानों के पेट पर लात पड़े। करना है तो कीजिए, हजारों हेक्टेयर बंजर जमीन है, उस पर आप स्पेशल इकोनामिक जोन बनाइए, आपको कौन रोक रहा है। उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करके बड़े-बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों को दे देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी जो राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता है, उसको प्रभावित न करें। इसके लिए आप बंजर जमीन का उपयोग करें, सिंचित जमीन का उपयोग न करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

अगर उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो हमें आयातित अनाज पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि देश की कृषि व्यवस्था को ध्यान में रखकर सेज पर फिर से विचार करें, क्योंकि इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में, हरियाणा आदि राज्यों में काफी आंदोलन हुए हैं। लोगों ने इसके विरोध में गोलियां भी खाई हैं। जब लोगों की रोजी-रोटी चली जाएगी तो वे फिर मजबूर होकर सड़क पर उतरेंगे ही। यह ठीक है कि इससे बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन उससे ज्यादा किसानों में बेरोजगारी हो जाएगी, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है। इसलिए इस नीति में थोड़ी-बहुत कटौती करनी चाहिए।

अब मैं एफडीआई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल रिटेल क्षेत्र में बड़ी-बड़ी कम्पनीज जैसे रिलायंस है, वे आ रही हैं। वे अपनी दुकानें खोलकर आलू, प्याज और हरी सब्जियां आकर्षक पैकिंग में बेच रही हैं। इससे यह हो रहा है कि दो रुपए की चीज दस रुपए में मिल रही है। इन बड़े-बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों के कारण छोटे-छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और उनका शोषण हो रहा है। आज इस वजह से गांव और शहरों के छोटे व्यापारी बेकार हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को भी ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, क्योंकि वे भी इन छोटे व्यापारियों पर निर्भर थे, जिनकी दुकानदारी अब बंद हो रही है। ठीक है नई आर्थिक नीति बनाई गई है, लेकिन आप ऐसी नीति न बनाएं जिससे आम जनता का और छोटे व्यापारियों का शोषण हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप विदेशी कम्पनीज और निजी कम्पनीज को इस सेक्टर में काम करने की इजाजत न दें, क्योंकि यह देश के लिए हितकर नहीं है। आप गांव में जाएं, जो बेकार नहीं हैं, वे लोग इसी छोटे-मोटे काम में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी कम्पनीज के इस क्षेत्र में आने से वे लोग बेकार हो रहे हैं। इसलिए एफडीआई पालिसी में संशोधन करके ऐसे लोगों को बचाया जाए, वरना देश के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की चर्चा मैं करना चाहूंगा। इसके तहत आपने काफी पैसा दिया है, लगभग 12,500 करोड़ रुपए इस अंतरिम बजट में आपने रखे हैं। लेकिन क्या स्वास्थ्य क्षेत्र की दशा सुधरी है, यह भी देखना चाहिए। ठीक बात है कि आप हर क्षेत्र में पर्याप्त पैसा दे रहे हैं। लेकिन गांवों में स्वास्थ्य की हालत काफी खराब है। वहां के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डाक्टर्स नहीं हैं, कोई जाना नहीं चाहता इसलिए इस चीज को आप इंश्योर कराएं कि डाक्टर्स की टीम वहां जाए। गांवों के बच्चों के स्वास्थ्य पर ही हमारे देश का भविष्य है, लेकिन आज गांवों में छोटे-छोटे बच्चे विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं। उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। आपने जो इस मद में धनराशि आबंटित की है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए वह नाकाफी है। देश आजाद हुए 60 साल हो गए हैं, लेकिन गांवों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। यह भी ठीक बात है कि आपने बहुत काम किया है। केन्द्र सरकार ने गांवों में एक्सरे और एम्बुलेंस देने की व्यवस्था की है, लेकिन यह आज भी नाकाफी है। जब तक गांव के किसानों को, मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, देश का विकास कैसे हो सकता है इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को लागू करना देश में एक ड्रास्टिक चेंज है। इस योजना को संवैधानिक अधिकार भी दिया गया है और इस सरकार ने यह एक बहुत बड़ा काम किया है। हम भी काम के अधिकार का नारा लगाया करते थे और वह लोगों को मिल गया है। सरकार की मंशा है कि गरीबों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार दें और काम नहीं तो पैसा दें। इस बारे में मैं अपने राज्य बिहार की बात करना चाहूंगा। केन्द्र से भेजे गए पैसे का इस योजना के तहत बिहार में दुरुपयोग हो रहा है। आम आदमी के नाम पर ठेकेदार मशीनों से काम ले रहे हैं। इसलिए वहां इस चीज की आप मानीटरिंग कराएं, क्योंकि आपका पैसा बिचौलियों के पास जा रहा है, वास्तविक जनता के पास नहीं पहुंच रहा है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी राशि विभिन्न मदों के लिए आबंटित की है। जैसे शिक्षा के लिए काफी पैसा दिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश में शिक्षा क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है। हर जगह स्कूल आपने बनवा दिये। आपने देश की जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जब तक गांव समुचित ढंग से सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनका समुचित विकास नहीं होगा, तब तक पूरे देश का विकास नहीं हो सकता है।

यूपीए सरकार का मैं पुन: आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में यह सब काम हुआ। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने नेता रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी का, जिन्होंने रेल के कार्यों में ड्रास्टिक चेंज किया, बहुत बड़ा परिवर्तन किया और वे देश के लिए पथ-प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। यह मेरा विश्वास है कि जनता यूपीए सरकार को अपना समर्थन देगी और ये जो इंडिया शाइनिंग वाले लोग हैं इन्हें जनता दुबारा यहां नहीं आने देगी क्योंकि इन लोगों ने जनता की भावनाओं के विपरीत काम किया था। ये राम के नाम पर सत्ता में आना चाहते हैं, इन्हें जनता राम के नाम पर सत्ता में आने नहीं देगी।

अंतरिम बजट का समर्थन करते हुए, सभापति जी, हम आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने पिछले पांच सालों में सभापति पद की गरिमा को बढ़ाया है। माननीय स्पीकर साहब ने तो देश और दुनिया में गरिमा बढ़ाई ही है और उनकी एक अहम भूमिका रही है। आपने इतना समय दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं तथा विश्वास करते हैं कि माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर, हमारे विचारों के अनुरूप, इस देश को आगे बढ़ाने में सहायक भूमिका अदा करेंगे। जिन चीजों में पैसा कम गया है, निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

***श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगतसिंहपुर): वर्ष 2009-10 के केन्द्रीय अन्तरिम बजट पर अपने विचार व्यक्त करना मेरा सौभाग्य है।

माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 के बजट के माध्यम से सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में उच्च आवंटन के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में अब और गिरावट न आने पाये क्योंकि भारत वर्तमान में वैश्विक आर्थिक मंदी से उत्पन्न हुई कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। निस्संदेह, यह प्रशंसनीय उपलब्धि है लेकिन चिंता की बात यह है कि यह विकास शहरी परिदृश्य का विकास सिद्ध हुआ है जिसका शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव पड़ा जहां कथित उच्च वर्ग के लोगों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष 2007-08 की 4.9 प्रतिशत विकास की तुलना में वर्ष 2008-09 में कृषि, वानिकी तथा मात्स्यिकी क्षेत्र में विकास की दर घटकर 2.6 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

हम सभी जानते है कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र देश की कुल जनशक्ति के 64 प्रतिशत भाग को रोजगार प्रदान करता है। सभी माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे जैसे देश के लिए ग्रामीण समृद्धि 'अति आवश्यक' है। तथापि, सं.प्र.ग. शासन के आरम्भ से ही विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों पर किसी न किसी तरह से बल दिया जाता रहा है जबकि प्राथमिक क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई है, देश भर में कई खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि में अधोगामी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। गांवों से शहर की ओर होने वाले तीव्र पलायन को देखते हुए, कोई भी कह सकता है कि यह सब ग्रामीण विकास और कृषि आधारित अवसंरचना में कमी के कारण हो रहा है और यही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच चल रही सामाजिक आर्थिक दरार का मुख्य कारण है।

भारतीय कृषि के लिए बजट 2009-10 में कोई नया अथवा नवोन्मेषी प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि केन्द्रीय बजट 2008-09 में सुनिश्चित की गई न्यूनतम राहत के बावजूद कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं आया। कृषि क्षेत्र

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

में निवेश की परिपक्वता अवधि को देखते हुए भारतीय कृषि को नियोजित विकास दर बढ़ाने हेतु संचित और आपूर्तिगत बड़ी अड़चनों के कारण वांछित बढ़ावा नहीं मिल सकता।

यहां मैं अपने राज्य, भगवान जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा का उल्लेख कर रहा हूं। राज्य विशाल खनिज भण्डारों, वन, उपजाऊ भूमि, प्रचुर सतही और भूमिगत जल संसाधन, लम्बी समुद्री सीमा, रमणीक स्थानों और पर्यटन की विपुल संभावनाओं वाले तीर्थ स्थलों के रूप में समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। तथापि, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि इन संसाधनों के कारगर, पर्याप्त और सफल दोहन के लिए राज्य को अपने सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण गरीबी और निर्धनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए आय के सन्तोषजनक अवसर उत्पन्न करने का मौका नहीं मिला। इसकी आधी से भी ज्यादा आबादी के गरीबी के जाल में जकड़े होने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश लोगों की रहन-सहन की स्थिति बहुत ही खराब है। हाल ही में उड़ीसा के लगभग 35 लाख लोग बाढ़ की विकराल स्थिति के कारण बेघर हो गए थे और वे गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। 18 जिलों के लगभग 4000 गांवों को इस विभीषिका का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में, राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते थे।

महोदय, उड़ीसा न केवल अपनी समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करता है अपितु उसको अपने लाखों बुनकरों जो एक औसत लम्बाई की साड़ी, जिसे एक छोटी सी बांस की छड़ी में भी रखा जा सकता है, को बुनने की क्षमता रखते हैं, के कौशल और ज्ञान पर भी गर्व है। मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि राज्य के ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों की कला दिनोंदिन मरती जा रही है; आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं; बड़े स्तर पर उत्पादों की काफी कम दामों पर बिक्री की जा रही है और ऋण की उपलब्धता, जो कारीगरों के पेशे को सुचारु रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, की उपलब्धता भी बहुत सीमित हो गई है। कई बार पहले भी मैंने इस सम्मानित सदन में हमारे ग्रामीण कारीगरों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में अपनी चिन्ताओं को व्यक्त किया है। चूंकि यह बजट इन गरीब बुनकरों और कारीगरों के उत्थान हेतु किसी पैकेज का खाका तैयार करने में विफल रहा है, अत: मैं इसे 'आम आदमी' का बजट नहीं मानता।

''भारत निर्माण'' जिसके छह अति महत्वपूर्ण घटक अर्थात् सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार संयोजकता है, से अभी तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया रूप नहीं मिला है क्योंकि उड़ीसा जैसे अवसंरचनात्मक रूप से पिछड़े विभिन्न राज्यों में मौजूदा ग्रामीण अवसंरचना का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने का लक्ष्य पारदर्शी ढंग से प्राप्त नहीं हुआ है। मीडिया में प्रचार के अलावा यह कार्यक्रम विभिन्न अन्य विकासोन्मुखी कार्यक्रमों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही चल रहे हैं, जैसे गरीबी उपशमन, लाभप्रद रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, निर्मलता और शिक्षा के मानकों को बढ़ाने के कार्यक्रमों के साथ इस अवसंरचना निर्माण पहल के लाभों को अभिसारित करने के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सफल नहीं हो सका। इसके कारण संसाधनों का अल्प उपयोग हुआ और भ्रष्टाचार हुआ। इस मिश्रित कार्यक्रम के अधीन आवंटन को बढ़ाने की बजाय यह बजट कार्यान्वयन में आई अड़चनों को दूर कर सकता था और कारगर तथा वांछित निष्पादन के लिए कठोर उपायों का खाका तैयार कर सकता था।

मुझे सभा के समक्ष यह कहते हुए दुख हो रहा है कि स्वाधीनता प्राप्ति के छह दशकों बाद भी लाखों गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं और नीतियों का वांछित परिणाम नहीं मिला है। उड़ीसा जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा चलाए गये विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण उड़ीसा में गरीबी अधिक होने के मुख्य कारण जटिल प्रशासन, उच्च प्रशासनिक लागत, संसाधनों का दुरुपयोग, कुपरिभाषित बहुउद्देश्य, गुणवत्ता और जवाबदेही का अभाव तथा अपर्याप्त निगरानी जैसी कुछ समस्याएं हैं। उड़ीसा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों का प्रतिशत बहुत अधिक पाया गया है। राज्य ग्रामीण अवसंरचना में भारी अभाव है। राज्यों में औद्योगिकीकरण अपर्याप्त है जिसका सेवा क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गहन रुचि दिखाए जाने के बावजूद संयोजकता का अभाव, बिजली की कमी से बहुत से भावी वैश्विक उद्यमी उड़ीसा आकर निवेश करने के प्रति हतोत्साहित हुए हैं। उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने भी आप से और माननीय प्रधानमंत्री जी से राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए एक विशेष पैकेज प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया है। यही कारण है जिनकी वजह से मैं उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का अनुरोध करता रहा हूं और यह केन्द्र की ओर से विशेष ध्यान दिए जाने और विशेष पैकेज का हकदार है।

यद्यपि उड़ीसा में अपार खनिज संसाधन हैं, किन्तु इन संसाधनों पर रायल्टी के निर्धारण की केन्द्र सरकार की नीति से राज्य को बहुत ही कम राजस्व की प्राप्ति होती है। उड़ीसा में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये के कोयले, लौह अयस्क, बाक्साइट और क्रोमाइट का खनन होता है। राज्य में दोहन किए जाने वाले संसाधनों के मूल्य

और रायल्टी के रूप में अल्प आय को ध्यान में रखते हुए राज्य केन्द्र से रायल्टी की दरों में बढ़ोत्तरी करने का अनुरोध करता रहा है। तथापि, अन्तरिम बजट में न तो रायल्टी की दरों में वृद्धि करने अथवा रायल्टी दरें न बढ़ाने पर उड़ीसा जैसे खनिज सम्पदा वाले राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के पर्याप्त प्रावधान करने के लिए ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

मेरे विचार में वर्तमान बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। बजट अल्प विकसित क्षेत्रों और राज्यों की तरफ निवेश का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है और यह लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने के मामले में कमजोर है। अधिक बजट वाली प्रमुख योजनाओं के अलावा, इस बजट में उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में गरीबी उपशमन हेतु किसी विशेष पहल का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं महसूस करता हूं कि मेरे राज्य उड़ीसा पर विशेष ध्यान दिए जाने और विशेष पैकेजों के माध्यम से इसके लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके।

बजट देश में फल-फूल रहे निगमित क्षेत्र के लिए कोई उल्लेखनीय उपाय करने में पूरी तरह से विफल रहा है। केन्द्रीय बजट में, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सरकार सुचारु आर्थिक सुधार की अपनी बहुत पुरानी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। इस बजट में कृषि विकास की धीमी गति, सिंचाई और अवसंरचना का अभाव, सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों का न्यून स्तर और खाद्य बाजार में मुद्रास्फीति की उच्च दर की समस्याओं का कुशलतापूर्वक और उपयुक्त रूप से समाधान नहीं हुआ है। आवंटन में वृद्धि करना अच्छी बात है, लेकिन हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर हुए व्यय की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करने के बारे में सोचना चाहिए। केन्द्रीय बजट में बहुप्रचारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन में वृद्धि किए जाने के बावजूद केंद्रीय बजट 2009-10 ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास खो दिया है, यह गरीबी उपशमन के बहुप्रचारित उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है और इसमें कृषि क्षेत्र में जनजीवन का संचार करने का कोई नया नुस्खा नहीं दिया गया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, हम सभी जानते हैं कि बजट बीते हुए वर्षों की अपेक्षा आगामी वर्ष के बारे में अधिक होता है। अन्तरिम बजट 2009-10 में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के विगत चार वर्षों के कामकाज की प्रशंसा के पुल बांधे गए हैं। इसमें इस अवधि के दौरान की विफलताओं की अनदेखी की गई है। इसमें काफी बड़ी विफलताओं को छिपाया गया है जिन पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता थी।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है और दुर्भाग्य से सभापति तालिका में से भी कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि सभा की सहमति हो तो मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन से सभापति पीठ पर आसीन होने का अनुरोध करता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 4.08 बजे

[**श्री सी.के. चन्द्रप्पन** *पीठासीन हुए*]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, ऐसा लगता है कि मानो बजटीय आवंटनों में बहुत भारी वृद्धि की गई हो, लेकिन पहले यानि पिछले वर्ष की गई बड़ी बढ़ोत्तरियों को केवल बरकरार रखा गया है। अन्तरिम वित्त मंत्री जी ने कर कटौतियों अथवा किन्हीं अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा नहीं की है जिसकी अपेक्षा व्यापार और उद्योग जगत के कुछ वर्गों द्वारा की जा रही थी। जब यह सरकार जाने वाली है और आम चुनावों की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है, तब श्री प्रणब मुखर्जी ने सस्ती लोकप्रियता की बजाय औचित्यपूर्ण रास्ता चुना।

अन्तरिम बजट में 9,53,231 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें से योजनागत व्यय 2,85,149 करोड़ रुपये और गैर-योजनागत व्यय 6,68,082 करोड़ रुपये है। श्री प्रणब बाबू ने नियमित बजट तैयार करने और संसाधन जुटाने की चुनौती आने वाली सरकार के लिए छोड़ दी है। मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए इस पहलू पर दोबारा आऊंगा। लेकिन सरकार ने एक सीधा सपाट लेखानुदान क्यों प्रस्तुत किया? क्या यह शुचिता है, आशंका है या अपने सहयात्रियों को अनुचित दबाव डालने का मौका न देने का दृढ़ संकल्प?

मुझे पता नहीं। यह ''एक'' या ''सारे'' भी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रभारी वित्त मंत्री ने ''यथार्थ कारणों'' से अपने सहयोगियों को प्रभावित किया है। यह श्री प्रणब मुखर्जी का चौथा बजट है। ऐसा कहा जा सकता है। वर्ष 1982-83 का बजट उनका पहला बजट था। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। अर्थव्यवस्था में कई गुणा बढ़ोत्तरी हो चुकी है और यह बढ़कर दो खरब डालर की हो गई है तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी नाटकीय परिवर्तन आया है। फिर भी ''सुधारों की निरन्तरता'' की याद दिला दें। अस्सी के दशक की शुरुआत में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करने का प्रस्ताव पहली बार किया गया था। जब वर्ष 1982-83 के बजट में विदेशी निवेश को मुक्त किया गया तो इससे अप्रवासी भारतीयों को कंपनियों में 40 प्रतिशत तक शेयरधारिता

[श्री भर्तृहरि महताब]

ग्रहण करने की अनुमति मिल गई। उनके सहयोगी, वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नाटकीय ढंग से इसे अग्रेषित करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के समीकरण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन की घोषणा की। मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति कहां तक जा सकता है। परन्तु जब श्री मुखर्जी ने यह कहा कि नियमित बजट में सकल घरेलू उत्पाद को 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक के अतिरिक्त योजनागत व्यय पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। भले ही कोई व्यक्ति यह आरोप लगाये कि इसे आने वाली सरकार को एक कष्टकारी बपौती हासिल करने का भार डालने के लिए धमकाया गया है।

केन्द्र के उन सकल ऋणों का लेखा-जोखा, जिसमें वित्तीय घाटा भी शामिल है, सरकार के आर्थिक सलाहकार बोर्ड द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने प्रारंभ में रिफाइनरियों को चलाने के लिए ईंधन को लागत से कम दाम पर बेचने हेतु लक्षित तेल बांडों तथा अन्य तथाकथित आफ-बैलेंसशीट मदों को छोड़कर इसे 2.5 प्रतिशत किया था। इसके परिणामस्वरूप अगली सरकार जो आम चुनावों के बाद प्रभार संभालेगी के पास अर्थव्यवस्था को ढांचागत नुकसान पहुंचाये बिना व्यय को बढ़ाने की सीमित सी गुंजाइश होगी।

कर संकल्न में पिछले बारह महीनों के दौरान अक्तूबर में 13 प्रतिशत; नवम्बर में 15 प्रतिशत तथा दिसम्बर में 25 प्रतिशत कमी हुई है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों (डाटा) के अनुसार दिसम्बर में समाप्त हुई तीसरी तिमाही में शुद्ध कर राजस्व में वर्ष 2007-2008 की उसी अवधि की तुलना में 1/5 से तनिक अधिक अर्थात् 1.07 ट्रिलियन रुपये तक कमी हुई थी।

आज भारत की संघ सरकार का वित्तीय घाटा कितना है? वर्ष 2006-2007 में आफ-बैलेंसशीट मदों जैसे कि आयल बांड सहित वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 4.4 प्रतिशत था। इसने वित्तीय वर्ष 2009 के घाटे को 1.33 ट्रिलियन कर दिया है। आप बजट में उर्वरकों तथा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को दी गई राजसहायता को नहीं दर्शाते हैं। तथापि, विशेषज्ञों का यह मत है कि इन आफ-बैलेंसशीट मदों को "वित्तीय घाटे" की परिभाषा में शामिल किये जाने की आवश्यकता है ताकि सरकार की वित्त संबंधी सही तस्वीर पेश की जा सके।

सरकार के अपने कुछ व्यय आपत्तिजनक होने के बावजूद राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से रूपरेखा (रोडमैप) निर्धारित करके सरकार की बैलेंसशीट को स्थिरता प्रदान करने की दिशा में वर्ष 2003 में राजनैतिक दलों में एक आम सहमति बनी। तो दिनांक 29 फरवरी, 2008 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि यू.पी.ए. सरकार "स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज क्षेत्र के पक्ष में व्यय में अभिन्न विस्थापन" के कारण दिनांक 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के एफ.आर.बी.एम. रोडमैप के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेगी।

पूंजीगत व्यय के कम होने के कारण सरकारी खर्चों में कटौतियां हुई हैं यह एक अच्छा संकेत नहीं है। आज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत राजस्व तथा वित्तीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। क्या हम यह मान लें कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम दफन हो गया है? चालू वर्ष में औद्योगिक वृद्धि के 4.5 प्रतिशत के आसपास होने की संभावना है। उच्च वृद्धि दर बनाये रखने तथा रोजगार प्रदान करने हेतु इसे 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक होना चाहिये। परन्तु ऐसी बात नहीं है। सरकार को यह जानकारी है कि अक्तूबर तथा दिसम्बर के बीच तीन माह में पांच लाख नौकरियां खत्म हुई हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था वाले भारत वैसे देश में बेरोजगार व्यक्तियों तथा रोजगार छूटने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आर्थिक स्थितियां कहीं भी अच्छी नहीं हैं। चीन ने 20 मिलियन पर ग्रामीण प्रवासियों में तीन गुणा ज्यादा बेरोजगारी रिकार्ड की है। परन्तु इससे हमारे लोगों को कोई तसल्ली नहीं मिलेगी। सरकार कार्य में तेजी लाने में विफल हुई है।

वर्ष 2008-2009 में सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिये या तो ऋणों के माध्यम से या फिर मुद्रा (नोटों) को छापकर 3,26,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने थे। वर्ष 2009-10 में यह आंकड़ा 3,32,000 करोड़ रुपये हो गया है। चूंकि जब रुपये की कीमत गिरती है अथवा ऋण भार बढ़ता है तो आम आदमी इससे बुरी तरह प्रभावित होता है।

यू.पी.ए. सरकार ने 'लाभप्रद रोजगार' का वायदा किया था। आज हमारे पास क्या है? फर्मों तथा फैक्ट्रियों को चालू रहने के लिये अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ रहा है। ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार एक भद्दा मजाक बन गया है। इससे न तो पलायन रुका है और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में साधनगत रोजगार मिला है। नौकरियों का सृजन करने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की उपेक्षा की गई है। जब हरेक को यह पता था कि तथाकथित फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर किये जाने वाला सार्वजनिक व्यय कम है तो फिर डिलीवरी तंत्र में सुधार हेतु प्रयास क्यों नहीं किये गये? हमें इन बातों के उत्तर चाहिएं।

मेरा यह विचार है कि कई बार असाधारण परिस्थितियों में साधारण प्रतिक्रियायें होती हैं। साधारण आदमी के बारे में जरा

सोचिये जैसा कि दादी मां कहती है, 'अपनी शान बचाने के लिए आपको पहले अपने परिवार को बचाना होगा। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यदि यू.पी.ए. सत्ता में पुनः आया तो अंतरिम बजट से ये संकेत नहीं मिलते हैं कि वह इन चुनौतियों से निपटेगा। वित्तीय दूरदर्शिता समय की जरूरत है। परन्तु अंतरिम बजट में इस संबंध में यह कमी है।

मैं राज्य वित्त की वर्तमान स्थिति के संबंध में इस सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं। परन्तु शांति के लगभग 7 विषम वर्षों के पश्चात् राज्य को घाटा होना निश्चित है। राज्य के कर राजस्व तथा संसाधनों में वृद्धि कम हो रही है। संघ सरकार राज्यों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। खर्चों के जारी रहने की उम्मीद है।

एक अनुमान के हिसाब से तो वर्ष 2008-2009 के सरकार के बजटीय राजस्व में 4 प्रतिशत की कमी से राज्यों द्वारा एकत्र किये गये सरप्लस राजस्व के खत्म होने की संभावना है। वर्ष 2007-2008 में 28 राज्यों के पास 22,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व था लेकिन मात्र चार वर्ष पहले वर्ष 2003-2004 में इन्हें 63,400 करोड़ रुपये के घाटे से अच्छा-खासा लाभ हुआ। परन्तु ये वर्ष रुझान से तुलना करने पर असामान्य से हैं। वर्ष 1987-88 से वर्ष 2006-2007 ही एक ऐसा पहला वर्ष था जिसमें राज्यों में अतिरिक्त राजस्व देखा गया था। आज राजस्व के संबंध में समस्या यह है कि धीमी आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप वैट योगदान कम होने जा रहा है। वैट का योगदान राज्यों के करों में 42 प्रतिशत के आसपास है। राज्यों के उत्पाद, स्टैम्प तथा पंजीकरण समग्र शुल्क राजस्व का लगभग 17 प्रतिशत है। यह भी बहुत अच्छा कदम होगा।

व्यय के संबंध में छठे वेतन आयोग से सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत वित्तीय घाटे के आंकड़ों में जुड़ेगा। पांचवें वेतन आयोग को जब कार्यान्वित किया गया था उस समय की स्थिति से तुलना की जाये तो यह बहुत ही कम है। परन्तु इन सभी को जो पेचीदा बनाती है वह केन्द्र ने अत्यधिक व्यय को इसके साथ मिलाया। धीमी आर्थिक वृद्धि तथा अत्यधिक वेतन सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के आंकड़ों को छू जायेंगे जिसमें समूचा राजकोषीय घाटा भी शामिल होगा। यह बड़ी भयावह स्थिति होगी। इसलिये, भारत की वृद्धि संबंधी परिचित परिपाटी का अनुसरण करने से अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं।

पहली बात तो यह है कि अच्छे वर्षों में वित्तीय समेंद्रीकरण क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अधिक वृद्धि सस्ती पूंजी के परिणामस्वरूप हुई। सितम्बर 2008 से पहले एक बार ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की गई थी तथा वृद्धि कम हुई थी। 5 से 10 मिलियन नौकरियां छूटने के निराशाजनक आंकड़ों की प्रतीक्षा करने की बजाए नौकरी छूटने संबंधी समस्या से निपटने हेतु सुरक्षा उपाय (निरोधक उपाय) क्यों नहीं किये गये?

तीसरी बात यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने हेतु प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? योजना आयोग लोगों को रियायती दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु यूनिक आईडेन्टिफिकेशन अथारिटी की स्थापना करेगा। यह कब आयेगी?

मतों के कारण लेखानुदान एन.आर.ई.जी.ए., एस.एस.ए., एम.डी.एम.एस., जे.एन.यू.आर.आर.एम., भारत निर्माण तथा किसानों के ऋणों में राहत की उपयोगिता को मान्यता मिलती है। ये छह नारे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास विकल्प नहीं बचे हैं तथा इसने 'प्रोपराइटी' तथा परम्परा के बारे में उल्लेख किया है, फिर भी मैं यह कहूंगा कि अर्थव्यवस्था संकट में है तथा जिसके लिये अत्यधिक प्रयासों की आवश्यकता है तथा इस भावना की उपेक्षा करना अत्यधिक कठिन है। की गई अंतरिम कवायद व्यर्थ का अवसर बन गया है।

अतः हमने पूर्व के एक बुद्धिमान व्यक्ति से बजट भाषण के दौरान बहुत कुछ सुना है। उन्होंने वर्ष 1984 में आखिरी बजट रखा था। यह अंतरिम बजट नहीं रखा था। हमारे यहां चुनाव हुये थे। देश में दिसम्बर, 1984 में चुनाव हुए थे। फिर श्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया था। यद्यपि यह चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट है। परन्तु इसमें और उसमें बड़ा फर्क है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि पूर्व के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस देश को दलदल से बाहर खींचने, इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने तथा इस देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के अवसर को गवा दिया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं यह महसूस करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट हमारे लिए बहुत ही निराशापूर्ण है। यह सबसे अधिक घाटे का बजट है। इसमें 3,30,000 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है। मेरे विचार से भारत के बजट इतिहास में इतना अधिक घाटा कभी नहीं दिखाया गया है। इस वर्ष यह छह प्रतिशत होने जा रहा है।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

मेरे सहयोगी जो पहले बोल चुके हैं वे इस अवधि के दौरान सरकार की कुछेक विफलताओं के बारे में विस्तार से बोले हैं। सरकार ने यह दावा किया है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अधिकांश वायदों को पूरा किया जा चुका है। यह सत्य नहीं है। यू.पी.ए. सरकार अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार से श्री प्रणब मुखर्जी जी ने न केवल बजट प्रस्तुत करते समय, बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते समय भी, यूपीए सरकार के पिछले साढ़े चार सालों को उपलब्धियों को स्पष्ट किया था।

सरकार यह दावा करती है कि 62 लाख मकानों का निर्माण किया गया है, पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी की गई है, किसानों की लंबित पड़ी समस्याओं को हल किया गया है, ऋण माफ किया गया है। सूचना का अधिकार पारित किया गया है आदि आदि। यह सत्य है कि इस सरकार के द्वारा कुछ उत्कृष्ट योजनाएं और परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। परन्तु वाम दलों की लगातार मांग के चलते इसको इनमें से कुछ कार्यक्रमों को स्वीकार करना पड़ा और इन्हें कार्यान्वित करवाना पड़ा। ...*(व्यवधान)* हम इसका श्रेय तो लेते हैं परन्तु साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इनमें से अधिकांश योजनाएं सफल नहीं रही हैं। यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। यहां तक की ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश के ग्रामीण श्रमिकों को केवल 95 दिन का ही काम दिया जा सका है। यदि निवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका, तो आधा पारिश्रमिक दिया जाएगा यह वायदा भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित अधिकांश स्थानों पर पूरा नहीं किया गया है। यद्यपि रोजगार के लिए निवेदन किया गया है। फिर भी रोजगार प्रदान नहीं किया गया है और भत्ता अर्थात् पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत, जो उपलब्ध कराया जाना चाहिए था वह भी नहीं दिया गया है।

महोदय पांच वर्ष पूर्व एनडीए सरकार ने भी दावा किया था कि भारत उदय हो रहा है। यद्यपि श्री प्रणब मुखर्जी के बजट भाषण में ज्यों के त्यों शब्द तो नहीं थे परन्तु श्री प्रणब मुखर्जी के बजट भाषण को सुनते समय मैं एनडीए के भारत उदय नारे को याद कर रहा था जिसे लोगों ने नकार दिया है और इसी के कारण उनकी पराजय हुई है और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा है। यह उसी प्रकार का दावा है जो यूपीए सरकार इस बजट में कर रही है।

मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहूंगा कि वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने में असफल रही है। इसने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ विश्वासघात किया है और सबसे बड़ा विश्वासघात इसने इस देश के किसानों, कृषि श्रमिकों तथा महिलाओं के साथ किया है। महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में एक पाई भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। गत कई वर्षों से यह विधेयक लंबित पड़ा हुआ है और अब इसे राज्य सभा में पुरः स्थापित किया गया है। परन्तु मुझे आशा है कि यह लोक सभा में नहीं आएगा। चुनावों से पूर्व इस प्रकार के वायदे किए जाते हैं। अन्य योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं, परन्तु उन्हें सफलता पूर्वक लागू नहीं किया गया है।

महोदय, यद्यपि सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि देश में वैश्विक मंदी का कुछ असर है पर वे इसके प्रभाव को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। पहले ही 12000 से 15000 श्रमिक और कर्मचारी अपनी नौकरियां खो चुके हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और प्रस्तावित योजनाओं से रोजगार सृजन में सहायता नहीं मिलेगी। जो भी सुरक्षोपाय किए गए हैं वे वाम दलों के द्वारा पारिश्रमिक के लिए लगातार सभा तथा सभा के बाहर संघर्ष करने तथा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश का विरोध करने के कारण किये गये हैं। परन्तु इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव है। हम वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों को इस लिए बचा पाये क्योंकि हम देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को रोक सके। अन्यथा अमरीकी और यूरोपीय बैंकों की तरह हमारे बैंक भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए होते।

हमारी अर्थव्यवस्था अधिकांशतः इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि हमारे निर्यात में कमोवेश ठहराव-सा आ गया है। दुर्भाग्यवश हमारा अधिकांश निर्यात, हमारी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका से जुड़ी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परन्तु मैं समझता हूं कि किसी एक देश पर निर्भर होना अच्छी बात नहीं है। हमें अपना निर्यात विभिन्न देशों विशेषकर विकासशील देशों में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हमारा अमरीका के साथ गठबंधन है और अमरीकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है जिसके कारण हम कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अब अंतिम क्षणों में हमें विकासशील देशों में निर्यात हेतु विकल्प तलाश करने के प्रयास करने चाहिए।

हमारे देश में अनेक उद्यमों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में भारी संकट है। परन्तु इस प्रकार की आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के प्रभाव से लड़ने के लिए हमारे पास ज्यादा प्रस्ताव नहीं है। आज सुबह देश के कामकाजी वर्ग की बेरोजगारी के संबंध में दिलचस्प चर्चा हुई। माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम स्पष्ट करने के लिए यहां उपस्थित थे। परन्तु ये कुछ नियमित योजनाएं हैं जिन्हें इस देश में लागू किया गया है। उन्होंने

सभी बातें कहीं और यह भी कहा कि हम मंदी की समस्या को हल करने के जा रहे हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और शब्दों का हेर-फेर है और देश में बेरोजगारों की संख्या कम होने वाली नहीं है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट में भी यह स्पष्ट था कि सरकार समृद्ध व्यक्तियों पर कर लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सरकार की योजनाएं उन्हें लाभ पहुंचा रही हैं। धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं। विश्व के शीर्ष दस धनी व्यक्तियों में चार भारतीय हैं। परन्तु 30 करोड़ भारतीय गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस संबंध में हम क्या कर रहे हैं। घाटे के बजट से मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी।

सभापति महोदय, मैं सभी संसद सदस्यों चाहे वे सत्तापक्ष के हों अथवा विपक्ष के सबको एक बाद याद दिलाना चाहूंगा। मुझे आशा है कि आपको स्विस बैंकों में तथाकथित जमा भारतीय काले धन के बारे में अनेक पत्र मिले होंगे। यह राशि लगभग 1,456 बिलियन डालर है। मुझे आनलाइन यह जानकारी नहीं मिल सकी कि स्विट्जरलैंड के बैंकिंग संघ की तथाकथित रिपोर्ट में यह ब्यौरा दिया गया है कि किस देश का कितना धन जमा है। यह देश का धन नहीं है यह व्यक्तिगत जमा है जो लोगों ने जमा किया है। यह लगभग 72,00,000 करोड़ रुपये है।

यदि यह सत्य है तो यह जमा राशि स्विट्जरलैंड में जमा सभी देशों की कुल जमा राशि से अधिक है। यदि यह सत्य नहीं है तो मुझे प्रसन्नता होगी। वित्त मंत्री इससे इन्कार करें। यदि यह सत्य है तो काला धन वापस लाया जाए। यह भारतीयों का पैसा है। यह उन लोगों का पैसा है जो कर अपवंचन करते हैं, जो काला धन कमाते हैं, वे स्विस बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं ...*(व्यवधान)* जी हां बोफोर्स सौदे का धन भी कथित रूप से स्विस बैंक में जमा होने का अंदेशा है। परंतु यह कभी सिद्ध नहीं हो सका।

मुझे बताया गया कि स्विस बैंक केवल देश का ब्यौरा देने को सहमत होते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार यदि भारत सरकार किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जमा करायी गयी राशि का ब्यौरा मांगती है तो उन्हें ब्यौरा देना होगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उसे इस धन को वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध है। विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का क्या हो रहा है? देश के सबसे बड़े उद्योग हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड में पिछले दस महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। मुझे बताया गया कि मंत्रिमंडल ने पिछले चार महीने का वेतन देने की स्वीकृति दे दी है इसके बावजूद पिछले कुछ महीने से वेतन नहीं दिया गया है। उन्हें पिछले दस महीने से वेतन नहीं दिया गया है। हैदराबाद स्थित एचएमटी बेयरिंग जो पहले इंडो निप्पोन नाम से जानी जाती थी और जो काफी पुरानी कंपनी है में भी पिछले अनेक महीनों से वेतन नहीं मिला है। एचएमटी जिसे भारतीय उद्योगों की जननी के रूप में भी जाना जाता है उसके पुनरुद्धार का पैकेज भी असफल रहा। यह विफलता है। यह बंद होने के कगार पर है। मुझे लगता है कि इसे निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के लिए षडयंत्र स्वरूप बंद किया जा रहा है। एचएमटी सहित सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योगों में पिछले 15 वर्षों से पारिश्रमिक संशोधन नहीं हुआ है। अनेक कुशल लोग नौकरियों की तलाश में बाहर चले गए हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को नौकरियां नहीं मिल सकतीं, इसलिए वे देश में कम वेतन पर ही नौकरियां कर रहे हैं। क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रति यही प्रतिबद्धता है?

विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र के कामगार लम्बा सफर तय कर दिल्ली आते हैं। उन्होंने संसद के समक्ष धरना दिया। वे वेतन वृद्धि के लिए नहीं आ रहे हैं। वे वेतन संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं। वे 14 रक्षित लौह अयस्क खानों की मांग कर रहे हैं। पिछले अनेक दशकों से विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र बार-बार यही मांग कर रहा है। परन्तु इसे कोई भी रक्षित खान नहीं दी गई है। परन्तु वे उद्योग जो पिछले वर्ष ही आरम्भ हुए हैं मैं कहूंगा कि जो पिछले छ महीनों में ही आरम्भ हुए हैं आंध्र प्रदेश में एक इस्पात संयंत्र जिसके बारे में माना जाता है कि वह मुख्य मंत्री के बेटे का है को कोयला खान जेनको से वापस लेकर इन्हें दे दी गई। जेनको से कहा गया कि वे एक पत्र दे कि उन्हें इन कोयला खानों की आवश्यकता नहीं है। वे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए किस प्रकार प्रतिबद्ध है। क्या इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रक्षा की जाती है?

हमारे देश में बीड़ी, कयर, जूट, वस्त्र, हथकरघा, मात्स्यिकी जैसे परम्परागत उद्योग संकट में हैं। इन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कितना आवंटन किया गया है? वे रुग्ण होते जा रहे हैं। ये रोजगारोन्मुखी, श्रमोन्मुखी उद्योग हैं। वे गम्भीर संकट में हैं। कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब उद्योगों को धन दिया जा रहा है। उदाहरण के रूप में रबड़ उद्योग गम्भीर संकट में है क्योंकि सरकार दूसरे देशों से सस्ता रबड़ आयात करने पर राजसहायता देती है। भारतीय रबड़ विनिर्माता गम्भीर संकट में हैं। क्या भारत के इन उद्योगों को बचाया जा सकता है?

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

आज ही मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनूवल मिशन ने 16 शहरों में बसें खरीदने के लिए 1400 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। हमारे देश में अनेक शहरों में पेयजल तथा समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। सड़कें भी नहीं हैं। अब मोटर उद्योग की सहायता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनूवल मिशन के नाम पर आरामदेय बसें खरीदने के लिए आप 1400 करोड़ रु. दे रहे हैं? क्या इस प्रकार आप भारतीय उद्योगों को बचाएंगे? इतनी राशि आप गैर संगठित क्षेत्र के लिए उपलब्ध करा सकते थे।

गत वर्ष दिसंबर में हमने इस संसद में असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक नामक एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया था। परंतु 40 करोड़ जनता की सामाजिक सुरक्षा के लिए कायिक निधि के रूप में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। पैसा कहां से आता है, आप केवल विधेयक लाकर ही इसका अनुपालन करना चाहते हैं। यह केवल एक वक्तव्य मात्र है। यह एक सद्‌भावना पूर्ण वक्तव्य है, परंतु उचित धनराशि दिए बिना यह एक विधेयक नहीं बन सकता।

मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को तथाकथित ऋण सुविधा का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। हालांकि यह ऋण माफी बहुत अच्छी बात है, फिर भी इससे किसानों को बहुत अधिक सहायता नहीं मिली। महोदय, मैं आंध्र प्रदेश राज्य से हूं जहां कृषि की बड़ी खराब स्थिति बनी हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने यह कहकर कृषि क्षेत्र की अनदेखी की है कि गत चार वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है और देश में 20 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है जो पहले की तुलना में अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन उत्कृष्ट स्तर पर है, परंतु माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अन्य ब्यौरों को देखें। भारतीयों की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है। यदि हमारे पास इतनी अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं, तो खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट क्यों आ रही है। वितरण प्रणाली में कुछ गड़बड़ी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है। खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है। बहुत से लोग खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ हैं। भारत में, हमारी कृषि का केवल एक तिहाई भाग सिंचित है। कृषि की प्रमुख अवसंरचना सिंचाई है। इसके लिए अधिक धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

यदि हम कृषि क्षेत्र के केवल एक तिहाई क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा देश काफी अधिक उपलब्धि हासिल कर सकता है। यदि हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाए और उन्हें उनके खाद्यान्न के लिए लाभप्रद मूल्य दिए जाएं, तो भारत खाद्यान्न में और अधिक उपलब्धि हासिल करके प्रत्येक भारतीय को खाद्यान्न देकर विश्व शक्ति बन सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का रणनीतिक भागीदार बने बिना भारत खाद्यान्न का निर्यात भी कर सकता है। इस मुद्दे पर श्री प्रणब बाबू कह रहे थे कि भारत ने अपनी गुट-निरपेक्ष नीति से समझौता नहीं किया था, उसमें परिवर्तन नहीं किया है। ईरानी गैस पाइपलाइन का क्या हुआ? कोंडोलीजा राइस जब भारत आई, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि यह पाइपलाइन अफगानिस्तान के रास्ते आए, हम ईरान के साथ भी कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, इसलिए आप इस कार्य को रोक दें। महोदय, बजट भाषण में इस गैस पाइपलाइन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यदि हमें ईरान से गैस उपलब्ध कराई गई होती, तो निश्चित रूप से हम बिजली संकट से उबर गए होते। ऐसा माना गया था कि यह सबसे सस्ती है।

भारत-अमेरिका परमाणु संधि पर हस्ताक्षर होने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक भागीदारी आरंभ हो गई है। वे निर्णय लेते हैं कि भारतीय मंत्रिमंडल में मंत्री कौन होना चाहिए। आप दावा कर सकते हैं कि हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र है। श्री मणि शंकर अय्यर को पेट्रोलियम मंत्री के पद से हटा दिया गया क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका को उनकी कार्यशैली और गैस पाइपलाइन के लिए ईरानी पेट्रोलियम कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हेतु किए गए उनके प्रयास पसंद नहीं आए। हमने यही आरोप लगाया था और अभी भी हम यही आरोप लगा रहे हैं। इससे भारत की मदद नहीं होगी; इससे हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में या गुट-निरपेक्ष विदेश नीति का अनुपालन करने में सहायता नहीं मिलेगी।

महोदय, दो और महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में चर्चा करके मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि रक्षा बजट के लिए आबंटन बढ़ा दिया गया है। श्री प्रणब मुखर्जी बता रहे थे कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हमें और अधिक आबंटन की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हमें अधिक आबंटन की आवश्यकता है, परंतु भारत सरकार देश के बाहर से और देश के भीतर हो रहे आतंकवाद का नियंत्रण करने में बुरी तरह विफल रही है। यहां मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को ''सल्वा जुडुम'' के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखना चाहिए। मैं 'सल्वा जुडुम' का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह संविधानेत्तर प्राधिकरण हैं, एक नागरिक वर्ग है जिसे भारत द्वारा हथियारों, निधियों से वित्त पोषित किया जा रहा है। सरकार एक जनजातीय समूह की दूसरे जनजातीय समूह से लड़ाई के नाम पर उन्हें नक्सलवादियों के विरुद्ध खड़ा करने का

प्रयास कर रही है। क्या हम निजी सेना जैसी कोई सेना बनाने की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या सरकार ऐसे तरीकों से आतंकवाद को रोकना चाहती है? नक्सलवाद एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है। देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को गरीबी की समस्या का समाधान करना होगा। परंतु, सरकार इस समस्या को कानून और व्यवस्था से जुड़ी समस्या मान रही है, जिससे हमें सहायता नहीं मिलेगी।

महोदय, शिक्षा का अधिकार विधेयक काफी समय से लंबित है। कल ही हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया है। राज्य सभा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में एक विधेयक पारित किया है। वस्तुतः, यह विधेयक आरक्षण से नहीं, बल्कि 48 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण समाप्त करने से संबंधित है। यह शर्म की बात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इन तथाकथित उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा विधेयक लाना सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को लाने का विचार त्याग देना चाहिए और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

महोदय, कारपोरेट क्षेत्र के संबंध में, विनियामकों की यह बहुत बड़ी विफलता है। सत्यम कंप्यूटर घोटाला पूरे देश के लिए शर्म की बात है। आज, विदेशी संस्थागत निवेशक इस देश में आने से डर रहे हैं।

महोदय, हमारे मित्र श्री अनंत कुमार जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, परंतु मुझे बताया गया था कि अपना भाषण देते समय, उन्होंने कहा था ''क्योंकि यूपीए सरकार विफल रही है, इसलिए एनडीए के रूप में इसका विकल्प आ रहा है।'' वे कह रहे थे कि एक अच्छा नेता, मजबूत मोर्चा और एक सशक्त दल देश की मदद करने के लिए आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हां, कांग्रेस की ओर से विफलता मिली है, और मुझे विश्वास है कि इस अवधि के लिए कांग्रेस जो बजट प्रस्तावित कर रही है यह उसका अंतिम बजट है। परंतु इसके साथ ही, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं आने वाली। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में श्री आडवाणी जी का नाम लिया। परंतु उन्हें सदा प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे विश्वास है कि वे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। परंतु मैं एनडीए के अन्य भागीदारों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर के बीजेपी के नए प्रस्ताव से सहमत हैं। जब तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता रहे, तब तक इस नारे को छोड़ दिया गया था। अब, पुनः वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं है कि वे अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, सामाजिक विषयों पर राजनीति की लड़ाई लड़ सकते हैं। एक बार फिर वे देश को सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वे सत्ता में आने के लिए व्यग्र हैं *...(व्यवधान)*

श्री सत्पथी जी, यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, तो आपको यह कहना पड़ेगा कि आप इस गलत मंदिर नीति का समर्थन नहीं करते जो उनके द्वारा लाई जा रही है *...(व्यवधान)*

महोदय, आज पाकिस्तान में यह खबर आई है कि नार्थ-वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, परंतु हमारे देश में ही, मंगलोर में हमने हिंदु तालिबानीकरण देखा है जब कुछ गुंडों ने कानून और व्यवस्था की डोर अपने हाथों में ले ली थी। उनका कहना है कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, परंतु वहां उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इस तरह की तालिबानीकरण की घटना नहीं होने देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की बातों से अलग हो जाना चाहिए, इस तरह के संगठनों को भंग कर देना चाहिए। उन्हें सांप्रदायिक राजनीति से बाहर आना चाहिए। केवल तभी, वे भारतीय राजनीति में उचित भूमिका निभा सकते हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं कहना चाहता हूं कि अंतरिम बजट निराशाजनक है। इस बजट से केवल धनाढ्य लोगों को सहायता मिलने जा रही है और इससे किसी भी रूप में भारत के गरीबों को मदद नहीं मिलेगी जिनका जीवन वैश्विकरण और अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण दयनीय होता जा रहा है।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, पट्टाली मक्कल काची और इसके संस्थापक अध्यक्ष, डा. अय्यर की ओर से मैं इस सम्मानित सदन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस अंतरिम बजट पर टिप्पणी करते समय, एक पूर्ण बजट के स्वरूप और एंक अंतरिम बजट के स्वरूप को समझना चाहिए। यूपीए सरकार अपने शासन के पांच वर्ष पूरे करने जा रही है और यह दूरगामी प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी नीति नहीं बना सकती जिससे कि इनको इस अंतरिम बजट में शामिल किया जा सके।

मूल रूप से अंतरिम बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आगामी चार माह के लिए निश्चित धनराशि खर्च करने हेतु संसद का अनुमोदन लेने का अनुरोध किया जाता है। जब अगली सरकार आएगी, तो उसे बहुत से स्थायी कार्यक्रम कार्यान्वित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इसलिए, हमें यह अंतर समझना होगा। अब इस

[प्रो. एम. रामदास]

अंतर को ध्यान में रखते हुए, मैं महसूस करता हूं कि यूपीए सरकार को इस अंतरिम बजट में सभी अनिवार्य विशेषताएं या अंतरिम बजट के प्रमुख आधारभूत घटक निहित हैं और सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अंतरिम बजट के समर्थन में मैं अन्य सदस्यों के साथ हूं।

परंतु, साथ ही इस बजट को देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में किए गए कार्य की समीक्षा की गई है और इस संदर्भ में यह अंतरिम बजट यूपीए सरकार का छठा बजट बन जाता है। इसका श्रेय सरकार को जाता है कि ये लगातार और सफलतापूर्वक संसद में छठा बजट प्रस्तुत कर सकती है। अनिवार्य रूप से काफी हद तक इसका श्रेय यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी, माननीय डा. मनमोहन सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री हैं, श्री पी. चिदम्बरम, जिन्होंने लगातार पांच बजट प्रस्तुत किए हैं और वर्तमान वित्त मंत्री को जाता है। इसलिए, सफलतापूर्वक छह बजट प्रस्तुत करने के लिए ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं।

अब, जब मैं पूर्ववर्ती बजटों और साथ ही इस अंतरिम बजट को देखता हूं तो मैं इन बजटों द्वारा आरंभ किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। मैं यूपीए सरकार का कार्य निष्पादन देखता हूं, जिसका व्यावसायिक दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो जवाबदेही, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था करता है, इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। यहां तक कि सरकार के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करने वाला व्यक्ति भी यह स्वीकार करेगा कि यह यूपीए सरकार ही थी जो आर्थिक विकास और जनता के लिए सामाजिक न्याय दोनों के लिए मूलभूत व्यवस्था करने में सफल रही है।

अब इन 5-6 बजटों के माध्यम से सं.प्र.ग. सरकार के काम-काज को देखिए। केवल यही ऐसी सरकार थी जिसने परिणामी बजट, जो ऐसा बजट होता है कि जिसमें न केवल सरकार के व्यय और राजस्व का ब्यौरा होता है अपितु इसमें यह भी दर्शाया जाता है कि वास्तविक परिणाम में उपलब्धियों के मामले में हुए व्यय के प्रभाव का क्या हुआ, पेश करने की परंपरा का सूत्रपात किया। इसलिए परिणामी बजट की प्रस्तुती किया जाना सं.प्र.ग. सरकार की प्रमुख और स्वागत योग्य विशेषता रही है और यह इतनी जवाबदेह है कि इसने प्रत्येक वर्ष की गई कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट पेश की। ये वे घोषणाएं हैं जो पहले बजट में की गई थी। जब अगला बजट आता है तो इसमें यह कहा जाता है कि हमने ये जो घोषणाएं की थी, ये जो नीतिगत घोषणाएं की थी उन पर ये कार्यवाही की गईं। यह केवल बजटीय प्रस्तावों के संबंध में सरकार के कामकाज का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए है।

यही नहीं इस सरकार ने जेंडर बजट प्रस्तुत किया, जिसमें हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने प्रत्येक विभाग में जेंडर बजट प्रस्तुत किया। आप कितनी धनराशि खर्च कर रहे हैं? मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूं। इन 100 रुपयों में से इतना महिलाओं के विकास और इतना बाल विकास के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए सरकार ने जेंडर बजट भी प्रस्तुत किए हैं। यह एक और नई और महत्वपूर्ण चीज इस सरकार ने शुरू की है।

यही सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और व्यवसाय प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) लेकर आई थी और इसने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ईमानदारी से प्रयास किया।

अपराह्न 4.54 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं*]

यही कारण है कि विगत चार-पांच वर्षों से यह राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में भी काफी कमी लाने में सफल रही। लेकिन केवल इसी वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष सरकार ने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया और सरकार राजस्व घाटे को तकरीबन जड़ से समाप्त करने और इसे शून्य के स्तर पर लाने वाली ही थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हालिया उथल-पुथल न होती तो शायद सरकार इन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेती। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यह सरकार बजट-निर्माण और लोगों के प्रति जवाबदेही के मामले में एक नई सोच उत्पन्न करने में भी सफल रही है।

महोदया, आज के दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ बहुत ही मजबूत हैं, जैसा कि पूर्व वित्त मंत्री जी कहा करते थे कि 'आज, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है।' पिछले चार-पांच वर्षों में हमारी विकास दर 8.5 प्रतिशत से लेकर 9.5 प्रतिशत के बीच बनी रही है। वर्तमान में विश्वव्यापी मन्दी के कारण और देश के बाहर की उथल-पुथल के कारण हम इसमें गत्यावरोध देख रहे हैं। विकास की गति मन्द पड़ रही है, लेकिन यहां पर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ मजबूत नहीं होते, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ नहीं होती तो शायद भारत की विकास दर और अधिक लुढ़क कर 3 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत तक आ सकती थी। जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 4 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत के बीच की दर से बढ़ रही है तो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी मंदी के बावजूद 7.2 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखने में समर्थ है।

इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम एक उत्तम बैंकिंग प्रणाली, जो विश्व में दूसरी जगहों पर हुई उथल-पुथल के साथ ध्वस्त नहीं हुई, विकसित करने में समर्थ रहे हैं। ईसका कारण यह था कि हमने सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली सृजित की है न कि निजी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली जिसमें लोगों को सभी प्रकार के ऋण और अग्रिम प्रदान करने की अनुमति थी जिसके परिणामस्वरूप यह गिरावट आई।

हमें वैश्विक स्थिति तथा विश्व मंदी ने दो तरह से प्रभावित किया। एक यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण लेने अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निधियों के आने में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप, देश के भीतर निवेश करने योग्य संसाधनों में कमी आई है। इसलिये, हम निवेश करने में सक्षम नहीं है तथा अन्य देशों से कम होते संसाधनों के कारण निवेश क्षमता में गिरावट आ रही है।

दूसरे, बैंकिंग प्रणाली देश के लिये वित्त अथवा निवेश निधियों हेतु इस बढ़ती हुई मांग के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं है, परंतु हमारी आर्थिक नीति का उपयोग करके भारतीय रिजर्व बैंक ने सांविधिक मौद्रिक तरलता अनुपात संबंधी अपने साधनों का उपयोग किया है और नकद आरक्षित अनुपात संबंधी स्थिति को संभालने में काफी सक्षम थी। यह बजट भी अपने वित्तीय साधनों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर खर्च करके अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में सक्षम है।

यह कोई नई बात नहीं है जिसके बारे में लोग जिक्र कर रहे थे। वर्ष 1929 में भी जब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही थी तब जान लार्ड मेनार किंस जो विश्व में 20वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्री थे ने 'पम्प प्राइमिंग' की अवधारणा का प्रतिपादन किया। जब लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं थी तथा अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था, फालतू भण्डार उपलब्ध था तथा लोग फालतू भण्डार को समुद्र में डाल रहे थे क्योंकि लोगों में क्रय शक्ति नहीं थी। इसलिये, उन्होंने उन दिनों की सरकारों से वित्तीय नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में और ज्यादा धन डालने हेतु अनुरोध किया। उस समय से ही सारे विश्व में सभी सरकारों ने अंधाधुंध खर्च करना शुरू कर दिया तथा सार्वजनिक खर्च संबंधी योजना को अपनाया। यही कार्य बराक ओबामा ने गत सप्ताह किया है तथा हमने इसे अंतरिम बजट में किया है।

हम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा रहे हैं तथा बैंकिंग प्रणाली से अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने हेतु कहा गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था में इस समय नकदी का संकट नहीं होना चाहिये। कृषि में अब विकास हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र समस्या का सामना कर रहा है तथा वृद्धि संबंधी प्रक्रिया सात प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। इसलिये, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में वृद्धि करना किसी भी चुनी हुई सरकार का कर्त्तव्य है। संक्षेप में, भारत सरकार ने अपनी उपयुक्त आर्थिक नीति और वित्तीय नीति के माध्यम से इस काम को किया है।

अंतरिम बजट केवल उस काल्पनिक वित्तीय नीति का विस्तार है तथा इसीलिये इसमें विभिन्न योजनाओं हेतु प्रावधान है जिसके अंतर्गत काफी धन भारतीय अर्थव्यवस्था में डाला गया है। शायद जब यही सरकार मई चुनावों के पश्चात् अगली बार आयेगी तो अर्थव्यवस्था में और ज्यादा वृद्धि लाने में सक्षम होगी।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिये, अंतरिम बजट को आज गत्यावरोध तथा वृद्धि की असाधारण स्थिति के परिदृश्य में तैयार किया गया है तथा माननीय प्रधानमंत्री, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं तथा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की वास्तविकता को समझा है- जो तत्काल उसी समय कार्यवाही करने में समक्ष हैं तथा अर्थव्यवस्था को एक स्थिर मार्ग पर लाने में सक्षम हैं, के प्रयासों हेतु धन्यवाद। इसका श्रेय इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को जाता है।

विगत पांच वर्षों में इस सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इस सरकार ने केवल आर्थिक वृद्धि के सिद्धान्त में विश्वास व्यक्त नहीं किया है। केवल आर्थिक वृद्धि से निम्न स्तर पर लोगों को लाभ नहीं मिलने जा रहा है। भारत काफी विभिन्नताओं वाला एक बहुत बड़ा देश है तथा तरह-तरह के लोगों में अमीर लोग, मध्यम-वर्ग के लोग, निम्न-वर्ग के लोग, गरीब लोग शामिल हैं तथा जब आप वृद्धि तथा पूंजीवादी ढांचे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तब कोई गारंटी नहीं है कि वेतन, ब्याज, लाभ तथा आय के अन्य संसाधनों जैसे घटकों के माध्यम से अर्जित की गई आय सामान्यत: गरीब लोगों को जायेगी। इसीलिये, आय के वितरण में असमानतायें किसी लोकतांत्रिक पूंजीवादी समाज की अनिवार्यता है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में भी यही हुआ है। परन्तु इस यू.पी.ए. सरकार ने यह महसूस किया कि इस प्रकार का ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): यह एक समाजवादी अर्थव्यवस्था ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदासः नहीं, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां हमने विकास के लिए निजीकरण का रास्ता भी अपनाया है। केवल

[प्रो. एम. रामदास]

निजीकरण, और निजी क्षेत्र के विकास से ही अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होगी बल्कि इसके साथ-साथ हमें लोगों के सामाजिक ताने-बाने के पहलू पर भी विचार करना होगा। समाज का विकास करना होगा और समाज के छोटे तबके के लोगों का भी विकास करना होगा। इस परियोजनार्थ सरकार वह लोकोक्ति चरितार्थ कर बैठी है कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास होता है और आज के विकास का भी यही तकाजा है और प्रधानमंत्री तथा श्रीमती सोनिया गांधी ने भी पूर्णतः इस बात को महसूस किया है। अतः, उन्होंने कई उपाय किए हैं। यह बात सच भी हो सकती है कि यहां-वहां कुछ उपाय नहीं किए गए हों और वहां अभी भी समस्याएं हों। मैं इस बात से सहमत तो हूं कि उद्योग जगत में कुछ समस्याएं हैं और कृषि क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन देश की सभी समस्याएं जादू की छड़ी से खत्म नहीं हो सकती हैं। बजट जादू की छड़ी नहीं है यह तो विकास ही है जिससे अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा।

जब हम सामाजिक न्याय के पहलू पर चर्चा करते हैं तो क्या कोई यह कह सकता है कि इस सरकार ने लोगों की सामाजिक दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया? हमें अल्पसंख्यकों का उदाहरण लेना चाहिए, यह वही सरकार है जिसने अल्पसंख्यक विकास निगम का गठन किया। इसी सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए। यह वही सरकार है जिसने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से मंत्री नियुक्त किया। क्या इससे इन लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा?

हम अन्य उन अन्य पिछड़े वर्गों का उदाहरण लें जो जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत है, अब तक किसी भी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई। मंडल आयोग ने यह कहा था कि "शिक्षा और नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का क्रियान्वयन करो"। यद्यपि यह नौकरियों के मामले में तो क्रियान्वयन किया गया है लेकिन शिक्षा के मामले में अभी किया जाना है। आज, संप्रग सरकार ही अन्य पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद में विधेयक लाई है। अब यह देखा जाना है कि अगले 10 वर्षों में इससे किस प्रकार का सामाजिक बदलाव आएगा और श्री चन्द्रप्पन जैसे माननीय सदस्यों को यह देखने को मिलेगा कि देश के अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सीधे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

हमें हंसना नहीं चाहिए। हमने तमिलनाडु में इसके लाभ का अनुभव किया है। आज तमिलनाडु में कई लोग चिकित्सक बन गए। कई लोग वकील बन गए। कई लोग इस आरक्षण के कारण समाजरूपी सीढ़ी पर चढ़ गए। ...*(व्यवधान)*

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): वे कुशल चिकित्सक और कुशल वकील बन गये हैं।

प्रो. एम. रामदास: हां, वे कुशल चिकित्सक हैं जिन्हें आज विश्व में सर्वोत्तम डाक्टर होने का दर्जा प्राप्त है।

इस देश की एक उपलब्धि है कि भारत ने विश्व में तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति की एक तिहाई जनशक्ति पैदा की है। हर तीन वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक भारतीय है और हर तीन भारतीयों में एक अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग ने सर्वोत्तम मेधावी जन लोक विश्व के लिए उत्पन्न किए हैं। इसका कारण राज्य स्तर पर आरक्षण नीतियों का अपनाया जाना है। आज केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के इस तरह के प्रयासों में शामिल हो रही है।

आप आदिवासियों का ही उदाहरण लीजिये। आदिवासी जिनकी उपेक्षा की गयी और जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसी सरकार ने इन लोगों को वन में उन्हें सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक विधान पास करवाया था। क्या इससे समाज का ताना-बाना बदलने नहीं जा रहा है? यदि हम ऐसा नहीं करते तो वे आजीविका के साधन बिना ही पड़े रहते। इसलिए आदिवासियों का ध्यान रखा गया है।

आप अ.जा./अ.ज.जा. का ही उदाहरण लीजिए। आज उन्हें अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में आरक्षण प्राप्त है। यह बात नहीं थी। संप्रग सरकार ने ही यह कदम उठाया है। खासकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा कालेजों में आरक्षण नीति में अजा और अजजा को शामिल करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। क्या इससे सामाजिक आन्दोलन का लाभ नहीं मिलेगा और क्या लोग शिक्षा रूपी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पायेंगे? यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का सवाल है।

नरेगा का ही उदाहरण लीजिए, कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की है, लेकिन हम अपने राज्य में इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जादुई परिणाम देख रहे हैं प्रत्येक परिवार को अब 8000 रुपये प्रतिवर्ष का आश्वासन प्राप्त है। 8000 रुपये सीधे-सीधे लोगों को मिल रहे हैं। सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू ही नहीं किया बल्कि इसने बड़ी संख्या में सुरक्षोपाय किए हैं। इतने सुरक्षोपाय हैं कि अन्य कार्यक्रमों के विपरीत इसमें कोई भी आसानी से धनराशि का दुरुपयोग नहीं कर सकता।

विश्व के विचारक और समाजशास्त्री कहते हैं कि विश्व में किसी भी देश द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला यह सबसे बड़ा

कार्यक्रम है। क्या इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ नहीं रही है? यह लोगों के उत्थान का कार्य है। यह सामाजिक न्याय का एक उदाहरण है। आप देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभार्थ लाए गए विधेयक को ही ले लीजिए। संप्रग सरकार द्वारा उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए विधेयक लाया गया है। आज अर्थव्यवस्था में ऐसे 92 प्रतिशत लोग हैं...

सभापति महोदया: प्रो. रामदास, कृपया अब समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: महोदया, मैं केवल पांच मिनट और लूंगा, शायद संसद में मेरा यह अंतिम भाषण है। आप इसे सुन पाओगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आपको चौदहवीं लोक सभा कहना चाहिए।

प्रो. एम. रामदास: हां, चौदहवीं लोक सभा।

सभापति महोदया: आप अंतिम क्यों कह रहे हैं?

प्रो. एम. रामदास: हां, महोदया, मैं सोचता हूं कि आपको मेरे प्रति कुछ उदार होना चाहिए।

सभापति महोदया: दो मिनट में समाप्त करें। आप अपने सभी मुद्दे बतायें।

श्री पवन कुमार बंसल: वह अच्छा भाषण दे रहे हैं।

सभापति महोदया: वह संप्रग सरकार को बधाई दे रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: अन्यथा, वह अच्छे कारण बता रहे हैं।

प्रो. एम. रामदास: जो सरकार ने किया है, मैं उसका आकलन कर रहा हूं। यदि कोई कहे कि जो मैं कह रहा हूं वह सही नहीं है तो मैं बाहर वाद-विवाद के लिए तैयार हूं। कोई भी आ सकता है और हम वाद-विवाद कर सकते हैं।

श्री तथागत सत्पथी: लोग इसका निर्णय लेंगे।

सभापति महोदया: कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो. एम. रामदास: लोग पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि किसको धूल में मिलाना है, किसे संसद से बाहर रखना है और किसका सम्मान संसद में करना चाहिए। लोगों ने इसका निर्णय पहले ही ले लिया है। संप्रग 300 सीटों के साथ फिर से सत्ता में आ रहा है। यदि आपके पास डायरी है तो आज ही इसे नोट कर लीजिए। यह फिर से आ रहा है ...*(व्यवधान)* महोदया, मैं चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं।

सभापति महोदया: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

प्रो. एम. रामदास: जी हां, महोदया, असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत 92 प्रतिशत लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण योजना है। ऋण माफी योजना, शिक्षा योजना आदि इन सभी योजनाओं को सामाजिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। मैं जिस बात को दोहराना चाहता हूं वह है कि सरकार आर्थिक विकास के प्रश्न पर ही व्यस्त नहीं रही है। इसने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी उतना ही सुधार किया है। यह संप्रग सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यहां कई लोगों, कई मातम के मसीहों ने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है; मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं लग रहा है; यहां पर मैं दो अंकीय या तीन अंकीय मुद्रास्फीति होगी आदि-आदि। लेकिन क्या हुआ? इसके 13.2 प्रतिशत के चरम पर पहुंचने के पश्चात् यह सरकार अपनी विवेकपूर्ण मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से इसे 5.2 प्रतिशत तक ले आई, यह आगे और कम होगी और मूल्य स्थायित्व इसकी प्रमुख विशेषता है, इसके तीन या चार प्रतिशत के आस-पास रहने की सम्भावना है। इसलिये इन लोगों के सभी पूर्वानुमान झूठे तथा निष्फल सिद्ध हो गये हैं।

आज सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात हुई। मैं यह महसूस करता हूं कि आज भारत का सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र का गौरव/शान है और आज सरकारी क्षेत्र के अनेक घाटा उठाने वाले उपक्रम लाभ कमाने वाले उद्यम हो गये हैं। शुक्रिया सरकार की नीतियों का। इस प्रकार से अंतरिम बजट के बारे में बहुत सी बातें होंगी। परन्तु इसी के साथ ही मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें मंदी के कारण लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। हमें इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि हमारे बहुत से लड़के तथा लड़कियां जो अमेरीका तथा अन्य देशों में गये थे, वापिस भारत आ रहे हैं तथा उन्हें यहां नौकरी पाने में कठिनाई तो होगी ही। इसलिए हमें इस पर अलग से ध्यान देना होगा।

लोग गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता तथा स्वास्थ्य आदि के ठीक न रहने के बारे में बात कर रहे थे जो सभी मौलिक मुद्दे हैं तथा

[प्रो. एम. रामदास]

उनका अभी हल नहीं निकाला जा सकता है। एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जो सरकार को अपनाना होगा वह है इन मौलिक मुद्दों से संबंधित इन सभी योजनाओं को राज्यों तथा स्थानीय निकायों को सौंपना। इन क्षेत्रों में सफलता पाने के केवल ये ही सर्वोत्तम साधन हैं। यदि हम यह कर पायेंगे तो हम केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध भी सुधार पायेंगे। यह वह क्षेत्र है जहां सरकार जब अगले वर्ष सत्ता में वापिस आयेगी तो अपने कार्य निष्पादन के संबंध में अपने विचार रखेगी।

सरकार को केंद्र-राज्य संबंधों के मामले में दो अथवा तीन चीजें करनी होंगी। आज वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से कुल राजस्व का 30 प्रतिशत राज्यों को जाता है। यह पर्याप्त नहीं है। तमिलनाडु जैसे राज्य को भी जो कई जनकल्याणकारी योजनायें कार्यान्वित करता है, कुल कोष का केवल 5.038 प्रतिशत ही मिल रहा है जो सभी विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक व्यय करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इसलिये यहां सभी संसाधनों को रखने की बजाए संसाधनों को किसी को सौंप दीजिये। मैं यह महसूस करता हूं कि कम से कम 13वां वित्त आयोग, जो संसाधनों को सौंपने के संबंध में कार्य कर रहा है, को अवश्य ही सरकार द्वारा यह सलाह दी जानी चाहिये कि केंद्रीय सरकार के संयुक्त कुल राजस्व का 40 प्रतिशत राज्यों को दिया जाये।

दूसरी चीज है सेवा कर। मेरे विचार से संसद सेवा कर के माध्यम से सृजित किये गये संसाधनों को हस्तांतरित करने हेतु 88वां संशोधन लायी है। भारत सरकार 101 सेवाओं पर कर लगा रही है तथा वे सभी प्रत्यक्ष रूप से राज्यों से आते हैं। मेरा विचार तो यह है कि 88वें संशोधन के माध्यम से ये राजस्व राज्यों के पास वापिस जाने चाहियें, परन्तु यह नहीं हो रहा है। इसलिये मैं भारत सरकार से यह अपील करूंगा कि सेवा करों के संपूर्ण राजस्व को ही संबंधित राज्यों को सौंपा जाये।

उसके बाद जहां तक केंद्रीय-प्रायोजित योजनाओं का संबंध है, सरकार व्यय का केवल 50 प्रतिशत ही दे रही है तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यों से आता है जो अत्यधिक वित्तीय भार डाल रहा है। इसीलिये मैं यह महसूस करता हूं कि केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं हेतु सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहायता दी जानी चाहिए।

अंत में जहां तक मेरे संघ क्षेत्र का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री वहीं पर हैं तथा मैं यह कहूंगा कि पांडिचेरी संघीय क्षेत्र अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है क्योंकि यह इस आधार पर कि यह केवल संघीय क्षेत्र है वित्त आयोग से संसाधनों संबंधी कोई हस्तांतरण करने का पात्र नहीं है। हम स्थानीय निकायों हेतु अनुदान पाने के लिये भी पात्र नहीं हैं क्योंकि पांडिचेरी संघीय क्षेत्र को न तो संविधान के अंतर्गत गठित वित्त आयोग द्वारा अथवा न ही संघ गृह मंत्रालय द्वारा गठित वित्त आयोग द्वारा कवर किया गया है। हम न तो यहां पर हैं और न ही वहां पर तथा इसके परिणामस्वरूप हमें भारत सरकार से स्थानीय निकायों हेतु कोई धन नहीं मिलता है। इसलिये, मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह 13वें वित्त आयोग हेतु इसे विचारार्थ विषय के रूप में ले तथा पांडिचेरी संघीय क्षेत्र को इसमें शामिल करे तथा एक राज्य के रूप में इसे माने क्योंकि हमारे यहां निर्वाचित सरकार है तथा उस सरकार का नेतृत्व कांग्रेस मुख्यमंत्री करते हैं। उन्हें इसमें कठिनाई हो रही है तथा इसलिये भारत सरकार को इसे करने में सक्षम होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अंतरिम बजट की यू.पी.ए. सरकार को एक सर्वोत्तम प्रयास के रूप में सराहना करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि यू.पी.ए. सरकार लोगों को अपनी सभी उपलब्धियों के बारे में बताकर अत्यधिक सफलता के साथ सत्ता में वापिस आयेगी। किसी व्यक्ति ने यह कहा था कि तीसरा मोर्चा आयेगा। मैं यह कहता हूं कि तीसरा मोर्चा नान स्टार्टर है। भारत में तीसरे मोर्चे जैसा कुछ नहीं है। जहां कहीं भी उन्होंने इसके बारे में बात की वही यह नान स्टार्टर बन गया।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मैं अन्तरिम बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट में गृहस्थों को कोई राहत नहीं दी गई है, उद्योगों के लिए कोई कर रियायत नहीं दी गई है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिलेगा। मैं इसमें उनके लिए कुछ नहीं देखता हूं। संप्रग सरकार ने पिछले चार वर्षों में आम आदमी के रहन-सहन के स्तर में सुधार हेतु जो कुछ भी किया यह सभी जानते हैं।

सभी वस्तुओं के दाम राजग शासन के दौरान के दामों की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। सरकार करों में राहत कैसे दे सकती है? वे इस बात को जानते हैं कि वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत है और सरकार बच रही है और वैश्विक मंदी को दोष दे रही है।

इसलिए, विपक्ष के माननीय नेता ने सही कहा है कि वास्तव में यह विदाई बजट है और इसमें लोगों को काफी औचित्य बताया गया है; यह कांग्रेस पार्टी को विदा कर देगा।

राजकोषीय घाटे के आंकड़े यथार्थवादी नहीं है और बहुत अधिक होगा, सरकार ने यह दावा किया है कि उसने विभिन्न क्षेत्रों में काफी अधिक आवंटन किया है—मुम्बई आतंकी हमले को देखते हुए प्रतिरक्षा क्षेत्र के लिए 1,41,703 करोड़ रुपये रखे गए हैं किन्तु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों

पैदा हुई? यह संप्रग सरकार की असफलता को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। माननीय वित्त मंत्री ने भारत निर्माण के लिए 40,900 करोड़ नरेगा और एस.एस.ए.आई.सी.डी. आदि जैसी सामाजिक क्षेत्रों की अन्य योजनाओं के लिए 30,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इन योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। संप्रग सरकार की गलत नीतियों के कारण, विकास में तेजी से कमी आई है और रोजगार क्षेत्र विशेषकर श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्षत: कमी आई है।

किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। कई जगह हमने देखा है कि कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की भोजन और आवास आदि की दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। उसकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए, किसानों को एक तरफ लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ आम आदमी को दैनिक उपभोग की वस्तुएं वहनीय मूल्यों पर नहीं मिल रही हैं।

गांव में एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि "अन्तरिम बजट क्या होता है?" दूसरे ने उत्तर दिया "यह अन्तरिम सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट होता है।" तब पहले व्यक्ति ने पूछा "अन्तरिम सरकार क्या होती है?" दूसरे ने उत्तर दिया "अन्तरिम सरकार का तात्पर्य उस सरकार से होता है जिसे यह पता न हो कि वह अगले चुनाव के बाद वापस सत्ता में आएगी या नहीं?

सभापति महोदया: ये लोग कौन हैं?

श्री पी.एस. गढ़वी: यह अन्तरिम बजट है और इसलिए 'यह अन्तरिम सरकार है' और इसे यह पता नहीं है कि यह दुबारा सत्ता में वापस आएगी भी या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैं आशा करता हूं कि लम्बे समय से संसद में रहने के नाते वह जान गए होंगे कि अन्तरिम बजट क्या होता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वह केवल अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदया, यद्यपि संप्रग सरकार आम आदमी की बात करती है, लेकिन वास्तव में इसे आम आदमी की चिंता नहीं है इसलिए अगले चुनाव की नियति स्पष्ट है।

हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन आज वैश्विक मंदी के और सत्यम घोटाले के कारण इसे अधिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तकनीकिविदों को नौकरी से छंटनी का भय है। सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में गिरावट के संबंध में सरकार क्या उपाय करने जा रही है? सरकार को इस संबंध में किए जा रहे उपचारात्मक उपायों को स्पष्ट करनी चाहिए।

महोदया, भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी का प्रभाव संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के दौरान लगभग पांच लाख कामगारों की नौकरियां चली गईं। रत्न और आभूषण, परिवहन और आटोमोबाइल क्षेत्रों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जहां रोजगार अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 अवधि में यानि इस सरकार के शासन के दौरान रोजगार में 8.58 प्रतिशत से क्रमश: 4.03 प्रतिशत तथा 2.42 प्रतिशत तक की कमी आई है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार ने यह दावा किया है कि इस बजट में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजसहायता में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या गरीब आदमी को इस राजसहायता से लाभ हुआ है या नहीं? क्या उसको भोजन, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं या नहीं? इसका उत्तर नकारात्मक मिलता है क्योंकि हमारे देश की 27 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लक्षित लाभार्थियों तक राजसहायता पहुंचाने के कोई उपाय किए हैं क्योंकि राजसहायताएं पश्चगामी हैं और वे प्रगतिशील नहीं हैं। पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों पर राजसहायता अधिकांशत: विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास चली गई है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे सभा को यह बताएं कि जब औद्योगिक मन्दी और बेतहाशा खर्च और बजट में गलत लेखांकन के कारण राजस्व संग्रह में कमी आ रही है तो यह सरकार राजकोषीय घाटे, यदि राज्यों के घाटे को भी केन्द्रीय बजट के घाटे में जोड़ लिया जाए, को कैसे पूरा करेगी जो 13 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया है। अत:, महोदया, घाटे के बारे में सच्चाई यह है कि यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है न कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यह घाटा संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन व्यय को दोगुना कर देना अच्छी बात है। मेरे मित्रों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन व्यय को दोगुना करने की बात कही है, लेकिन इससे उद्योग के और अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों की

[श्री पी.एस. गढ़वी]

स्थिति कैसे सुधर सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह स्पष्ट करें कि हमारे उद्योग के संकटग्रस्त क्षेत्रों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप मंत्री जी से ही पूछते आ रहे हैं। अपने सुझाव भी तो दें।

श्री पी.एस. गढ़वी: मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान गुजरात सरकार को दिए जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया प्रतिपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वे हर बात मंत्री जी से पूछ रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वे अपने सुझाव भी दें।

श्री पी.एस. गढ़वी: मैं मंत्री जी का ध्यान गुजरात सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय बिक्री कर के बकाया प्रतिपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, जहां तक भारत सरकार से मिलने वाली बकाया केन्द्रीय प्रतिपूर्ति का संबंध है, वर्ष 2007-08 में भारत सरकार से गुजरात सरकार द्वारा किया गया प्रतिपूर्ति का कुल दावा 764.06 करोड़ रुपये का था जिस प्रतिपूर्ति में से भारत सरकार ने 338.14 करोड़ रुपये दिए हैं और वर्ष 2007-08 हेतु भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की राशि जो अभी तक नहीं मिली है, वह 425.92 करोड़ रुपये है और वर्ष 2008-09 हेतु 31 मई 2008 तक भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की कुल राशि जो अभी तक नहीं मिली है, वह 571.15 करोड़ रुपये है। इस प्रकार वह गुजरात सरकार को ये सभी देय नहीं दे रहे हैं और वह राज्य से इन सभी योजनाओं को चलाने की अपेक्षा कर रहे हैं। इन देयों को चरणबद्ध ढंग से दिया जाना था। यह धनराशि गुजरात सरकार को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जानी थी। वह विगत दो वर्षों से इतने सारे देयों को नहीं दे रहे हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इसकी जांच करने का अनुरोध करता हूं। मैं इस अन्तरिम बजट का विरोध करता हूं।

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): महोदया, वर्ष 2009-10 के अंतरिम बजट के संबंध में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

संप्रग के पिछले 5 वर्षों के शासन के दौरान देश में अभूतपूर्व आर्थिक विकास और खुशहाली आयी है। माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल नेतृत्व में सभी कार्यक्रमों और नीतियों का लक्ष्य आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठाना था। मैं सरकार को बहुत ही स्वस्थ संसदीय परम्परा और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाने की परम्परा का अनुपालन करने के लिए बधाई देता हूं। यह आने वाली नई सरकार जो अगले कुछ महीनों में गठित होगी, का विशेषाधिकार होगा।

महोदया, संक्षेप में आर्थिक विकास का मुख्य आकर्षण यह रहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद हमने 7 प्रतिशत विकास दर को बरकरार रखा। किसानों के 65,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए। वसूले जाने वाली ब्याज दर 7 प्रतिशत है और गेहूं तथा धान का लेवी मूल्य लगभग दो गुना किया गया है।

शिक्षा के संबंध में, उच्च शिक्षा का परिव्यय लगभग 300 प्रतिशत बढ़ाया गया है। क्वालिटी शिक्षा और साक्षरता सुधारने पर ध्यान दिया गया है, 15 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय और छह नए आई.आई.टी. स्थापित किए गए हैं। अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु निधियां उपलब्ध करायी गई हैं।

कुशल राजस्व सुधार और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति दर 13 प्रतिशत से कम होकर चार प्रतिशत हो गयी है। व्यापक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना और पिछले तीन दशकों में परमाणु क्षेत्र में अलगाव को समाप्त कर परमाणु समझौता इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

महोदया, विकास और खुशहाली के लिए अमन-चैन और एकता परमावश्यक है। साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद हमारी आजादी के आन्दोलनों और मूल संविधान के खिलाफ है। यह दुःखद है कि लोग तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए लोगों में साम्प्रदायिकता की नफरत फैला रहे हैं। संप्रग ऐसे तत्वों का सफाया करने में सफल रही है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई उम्मीदवार धर्म के आधार पर भ्रष्ट प्रक्रियाओं का आचरण करता है तो इस अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत वह उम्मीदवार निर्रह हो जाता है। अब समय आ गया है यदि हमें अपने लोकतंत्र को बचाना और बढ़ावा देना है तो हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए कि वे राजनीतिक दल जो नफरत फैलाते हैं और जाति और धार्मिक आधार का अनुसरण करते हैं, को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

महोदया, मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि देश के सीमवार्ती जिलों में रहने वाले लोगों के आर्थिक उद्धार के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जेएनयूआरएम जैसी योजनाओं को

पर्वतीय जिलों और सीमावर्ती जिलों में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र इन क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को प्रयोग कर देश में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। मैं सरकार से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र के समन्वयी और योजनागत विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हिमालय विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि हिमालय के दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक विकास और खुशहाली का लाभ मिल सके।

महोदया, इस बजट में हमने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और देश को आगे ले जाने का प्रयास किया है। यदि कोई डाक्टर अच्छी दवाई देता है तो कोई भी समझदार व्यक्ति डाक्टर नहीं बदलेगा। यदि कोई वकील अच्छा प्रदर्शन करता है तो कोई भी समझदार व्यक्ति वकील नहीं बदलेगा। श्रीमती सोनिया गांधी वह व्यक्तित्व है जो दबे-कुचले लोगों और आम आदमी, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की वकालत करती रही हैं और डा. मनमोहन सिंह वे डाक्टर है जो देश के लोगों को ठीक परामर्श देने के लिए जाने जाते हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में इस देश के लोग समझदारी वाला निर्णय लेंगे और श्रीमती सोनिया गांधी और उत्कृष्ट डा. मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था में गुणकारी परिवर्तन लाने और देश के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है, के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदया, आज अंतरिम बजट पर चर्चा हो रही है। मेरा सुझाव है कि कोई भी सरकार हो, उसे पूरा बजट पेश करना चाहिये क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिये अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस तरह पिछली बार भी अंतरिम बजट पेश किया गया था।

सभापति महोदया, मैं डा. मनमोहन सिंह का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में कई मुद्दों पर विरोध होते हुये भी देश की प्रगति और उसकी इकोनोमी की डेवलपमेंट करने के लिये जो भी काम करना था, उन्होंने किया। अभी उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उनके शीघ्र अच्छा होने की कामना करता हूं। अगले चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं और यह सरकार दुबारा आयेगी। एन.डी.ए. कितनी कोशिश कर ले, श्री आडवाणी जी का प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा. वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। पिछली बार हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों का एग्रीमेंट था और समर्थन देते रहे हैं, चाहे कुछ बातों पर विरोध था। इस बार भी हमारे कम्युनिस्ट भाई—सीपीएम, सीपीआई आरएसपी, फारवर्ड ब्लाक जो सैकुलर विचारधारा के लोग हैं, हमारा साथ देंगे। वैसे ऐसा मौका आयेगा कि उनकी सपोर्ट के बिना हम सरकार बनायेंगे, लेकिन ऐसा वक्त आया तो वे हमें सपोर्ट करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अंतरिम बजट में भी वे हमारे साथ हैं।

श्री रामदास आठवले: इसलिये मैं बता रहा था कि 14वीं लोक सभा का यह अंतिम सत्र है लेकिन हमारे लिये नहीं है क्योंकि मैं इस बार फिर से चुनकर आऊंगा। जब इन्दिरा जी प्रधानमंत्री थीं, उस समय एस.सी.एस.टी. के लिए स्पेशल कंपोनैंट प्लान लेकर आयी थीं और उनके विकास के लिये प्लान बनाया गया था। पोपुलेशन के हिसाब से बजट एलोकेशन करने का काम सरकार का है, लेकिन प्राब्लम यह है कि प्लान और नान-प्लान में 25 प्रतिशत बजट बीपीएल के लिये करना है। मेरी सूचना है कि अगर बीपीएल के लोगों को ऊपर उठाना है तो देहात में रहने वाले बीपीएल लोगों के लिये बजट का प्लान और नान-प्लान का 25 प्रतिशत पैसा एलोकेट होना चाहिये, यह मेरी मांग है। इसके लिये बीपीएल लोगों का री-सर्वे करना चाहिये क्योंकि सही मायने में जो बीपीएल के लोग हैं, उनका ही री-सर्वे कराने की आवश्यकता है।

शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने के लिए आपने भी बहुत बार मांग की है और हमने भी बहुत बार मांग की है। सरकार के कामन मिनिमम प्रोग्राम में यह मुद्दा होने के बावजूद भी अभी तक प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी को आरक्षण देने का निर्णय नहीं हुआ है और वह भी करने की आवश्यकता थी। इसके साथ ही मेरी यह भी मांग है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 10 परसेंट आरक्षण रखने की आवश्यकता है। अपने देश की घुमन्तु कम्युनिटी को भी 10 परसेंट आरक्षण देने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी बिल जल्दी पास होना चाहिए था, लेकिन अभी वह पास नहीं है। अगली बार हमें ही यह करना है और इससे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मेरी मांग है कि शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब के लिए मंत्रिमंडल में भी आरक्षण रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अपने लोग बहुत कम होते हैं। मेरा यह सोचना है कि मत्रिमंडल, राज्यसभा और विधान परिषदों में भी आरक्षण होना चाहिए।

महोदया, हमारी यह मांग है कि इकानामिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए 20 परसेंट आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर बहुत बड़ा विवाद भी है। मेरी मांग यह भी है कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है और जो दूसरी कम्युनिटी हैं, जिन्हें बिल्कुल आरक्षण नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी 20 परसेंट आरक्षण देना चाहिए। इस समाज में भी बैकवर्ड क्लास के लोगों की संख्या

[श्री रामदास आठवले]

है। इसलिए संविधान में संशोधन करके इनको भी 20 परसेंट आरक्षण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह मत है कि आरक्षण 50 परसेंट से आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का मत यह है कि हर बैकवर्ड क्लास की कौम को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। इसलिए माननीय प्रणब दा मैं आपको भी यह बताना चाहता हूं कि जो जातियां आरक्षण के दायरे में नहीं आती हैं, ऊपर वाली जातियों को भी अगर आप 20 परसेंट आरक्षण देते हैं, तो इकानामिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों की संख्या और भी कम हो सकती है। इस काम को करने की आवश्यकता है।

महोदया, मेरी दूसरी मांग यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा है और बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस भी करते हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान में सोशल एंड इकानामिक इक्वलिटी की बात बतायी थी। आज भी देश में कास्टिज्म है और देश में इकानामिक इक्वलिटी नहीं है। देश में इकानामिक इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी लाने के लिए भी काम करना चाहिए और उसके साथ-साथ बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो मैमोरियल है क्षेत्र भूमि मुंबई में है, दीक्षा भूमि नागपुर में है और 26 अलीपुर रोड यहां जो दिल्ली में है, इन सबके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यह मेरी मांग है। हमारे देश में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, लखनऊ, हर शहर में स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्लम में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए। अगर उनको पक्का मकान मिलेगा तो अपनी सरकार भी पक्की बन सकती है।

सभापति महोदया: धन्यवाद, रामदास आठवले जी।

श्री रामदास आठवले: इसलिए स्लम वालों को भी अच्छी मदद देने की आवश्यकता है। हमारे देश में बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तब तक उनको हर महीने तीन हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। एज पर कांस्टीट्यूशन सरकार की यह जिम्मेदारी हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पूरी ताकत से काम कीजिए। मेरी पार्टी आपके साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वालों को केवल सपना देखने दीजिए और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि इन्होंने श्री आडवाणी जी का नाम आगे बढ़ाया है। इन आडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद को गिराया है। राम रथ यात्रा निकालकर आपने इस देश के टुकड़े करने का प्रयत्न किया है। इसलिए आडवाणी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमारे लिए यह बहुत ठीक है कि आप आडवाणी जी का नाम आगे लाये हैं। हम आपसे यह अपील करते हैं कि हम सब लोग मिलकर देश को एक साथ रखेंगे। हमारी पार्टी चाहे अलग-अलग ही क्यों न हों, लेकिन देश एक साथ रहना चाहिए। हिन्दू हो या मुसलमान हो, दलित हो या और कोई अल्पसंख्यक हो, हम सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब आगे बढ़ते रहेंगे और देश को मजबूत करेंगे। हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आज माननीय स्पीकर साहब ने यह बोला है कि जो ज्यादा हंगामा करते हैं वे चुनकर नहीं आएंगे। मैं यह बताता हूं कि मैं चुनकर आऊंगा। यह बात सही है कि मैंने बहुत बार हंगामा किया है, लेकिन हमने लोगों के इश्यू पर हंगामा किया है। हम माननीय स्पीकर साहब की भी रेस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने हमको रेस्पेक्ट दिया है। मैं हंगामा करने के बाद भी चुनकर आने वाला हूं और आप चुनकर आइए, सब लोग चुनकर आइए।

सभापति महोदया: तथागत सत्पथी जी आप बोलिये।

श्री रामदास आठवले: हमारी सरकार दोबारा आयेगी और हम दुबारा अच्छा बजट देंगे। हम आपको उड़ीसा के लिए भी अच्छा बजट देंगे, लेकिन आप लोग उधर मत रहिये।

सभापति महोदया: रामदास आठवले जी, कृपया आप बैठ जाइए। आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं।

श्री रामदास आठवले: आपकी विचारधारा समाजवादी थी, लेकिन आप बीजेपी के साथ क्यों हैं? हमारे मन में आपके लिए बहुत आदर है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ा गड़बड़ हो गया है।

सभापति महोदया: कुछ भी रिकार्ड में नहीं आएगा। मैं दूसरा नाम बता चुकी हूं।

श्री रामदास आठवले: आप लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, तो आप बीजेपी के साथ क्यों हैं? आपको इधर आना चाहिए। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन वहां जाकर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: रामदास आठवले जी, आपका अब कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): माननीय सभापति महोदया, सर्वप्रथम बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आभार व्यक्त

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं और मैं सभा का बहुत अधिक बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। मैं कुछ बिन्दुओं को उजागर करना चाहता हूं और यह दिखाना चाहता हूं कि यह बजट कितना लापरवाही वाला, अनदेखी करने वाला और अव्यवस्थित बजट है।

महोदया, यह हकीकत है कि संप्रग की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस महात्मा मोहन दास करमचंद गांधी के नाम की शपथ लेती है। उनका आह्वान था कि इस देश को सूक्ष्म रूप में देखा जाए। वह सुशासन के प्रमुख लोगों से यह चाहते थे कि वह इस देश को पंचायत स्तर पर पर देखें। परन्तु हमारे अमरीकीयों की नकल करने की सनक, उनको आदर्श मानने और उनके द्वारा बहिष्कृत हर बात को स्वीकार करने के कारण हमारा देश एक अव्यवहारिक देश बन गया है। हम भूल गए कि हमारे पुरखों ने हमें क्या सिखलाया था।

महोदया, मैं कुछ बिन्दुओं को उजागर करना चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिल्ली शहर के लोगों के सभ्य प्रतिनिधि के रूप में आप भी मुझसे सहमत होंगे।

उदाहरण के तौर पर प्रति व्यक्ति आय को ही लीजिए। भारत में प्रति व्यक्ति आय 38,000 रु. है। वहीं दूसरी ओर जैसा कि हमें हाल ही में पता चला है कि 2010 तक इस देश द्वारा लिया गया ऋण प्रति व्यक्ति पर 30,000 रुपये हो जायेगा। यह राशि वर्ष 2003 में 15,000 रु. थी और सात वर्षों में यह राशि दोगुनी होकर 30,000 रु. हो जायेगी। अतः सामान्य व्यक्ति चाहे वह सभापति महोदया हो अथवा कोई बड़ा उद्योगपति अथवा छोटा उद्योगपति, निर्धन अथवा पिछड़ा कृषि श्रमिक यह राशि सभी पर समान रूप से 30,000 रु. होगी। जब प्रति व्यक्ति आय 38,000 रु. है, इसका अर्थ है कि आप दस महीने कठिन परिश्रम करेंगे। ऋण की अदायगी कठोर कारावास के समान होगी जो अदा नहीं की जा सकेगी क्योंकि जब तक आप 30,000 रु. अदा करते हैं यह सरकार प्रति व्यक्ति 60,000 रु. का और ऋण ले लेती है। इसलिए वास्तव में यह समय यह निर्णय लेने का है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था के साथ और अपने देश के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मुद्दा क्या है और आप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिड-डे मील योजना, नरेगा, स्वजलधारा तथा अन्य तथाकथित अवसंरचना निर्माण, सर्वशिक्षा अभियान और टापूनुमा प्रपर्टीज जैसी उन परियोजनाओं की उपलब्धि का दावा ठोंकने की झूठी वाहवाही क्यों लूट रहे है जो कि आप उद्योगपतियों और बड़े करोबारियों के लिए बना रहे हैं। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा जब गरीब और वास्तविक आम आदमी को कुचला जा रहा है?

महोदया, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। इस बजट में रक्षा शीर्ष के अधीन इस सरकार ने 1,41,700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। लेकिन विगत में लगातार कई वर्षों का इतिहास क्या कहता है? इस सरकार सहित हमारी सरकारें विगत पांच वर्षों से अपनी सशस्त्र सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने में विफल रही हैं। इसलिए होता क्या है कि हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष रक्षा मंत्रालय धनराशि वापस लौटाने पर विवश हो जाता है क्योंकि वे निधियां बिना खर्च किए ही रह जाती हैं। इसका कारण है कि वे निधियां खर्च नहीं हो पातीं। इसलिए आप उनको इतनी भारी धनराशि देते हैं और वे कोई हल्का लड़ाकू विमान अथवा कोई समुचित बख्तरबन्द गाड़ी अथवा कोई टैंक अथवा अपना कोई हथियार विकसित नहीं कर पाए हैं। हमें ए.के. 47 और ए.के. 56 राइफलों का आयात करना पड़ता है। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि हम उनको अधिप्राप्ति करने और आधुनिक बनने का अवसर नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं निजी तौर पर यह महसूस करता हूं कि इतनी बड़ी राशि को रोकना और उसे खर्च न करना और इस देश के निर्दोष गरीब लोगों को ऋण लौटाने पर मजबूर करना, जिसके लिए उनकी कोई गलती नहीं है, आपराधिक कृत्य है।

महोदया, माननीय विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट इस राष्ट्र के साथ क्रूर मजाक है क्योंकि वित्त मंत्री, गृह मंत्री बन जाते हैं और गृह मंत्री कुछ और बन जाते हैं। प्रधानमंत्री कहीं चले गए हैं। तब कोई और प्रधानमंत्री का कार्य करता है। कार्यवाहक और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को अवसर नहीं मिलता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: क्या यह अंतरिम बजट का हिस्सा है?

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी बहुत ही सम्मानित, बहुत वरिष्ठ और संभवतः इस देश के सच्चे नेता हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी अपमानित होना पड़ता है जैसा कि समूचे राष्ट्र ने देखा कि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ। कुछ भी हो हमें दुःख होता है क्योंकि एक वरिष्ठ और सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सदन में कहां बैठते हैं, वे एक महान व्यक्ति हैं जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वे इस सरकार में सम्भवतः उन थोड़े से व्यक्तियों में से हैं जो इस बात को जानते हैं कि अपने सहयोगियों का किस प्रकार सम्मानपूर्वक और हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है। वे हमेशा अपने भाषण में ''यह मेरा नम्र निवेदन है'' शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अधिकांश लोगों के भाषण में नदारद होते हैं। मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन हमें यह देखकर दुःख होता है कि उनकी पार्टी उनको किस प्रकार नीचा

[श्री तथागत सत्पथी]

दिखाती है और उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हैं। वे प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पार्टी इस तरह की रीति नीति पर नहीं चलती है। अन्ततः वे लोगों द्वारा पसन्द किए जाने के योग्य नहीं हैं। लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस बजट में सर्वांगीण उपाय के रूप में इन सभी मुद्दों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण संयोजकता, ऊर्जा—की अनदेखी की गई है। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई धनराशि बहुत ही नगण्य रही है।

उदाहरण के लिए ऋण माफी को ही लीजिए। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा और उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिस तरह से ऋण माफी योजना को इस देश में लागू किया गया है, यह बहुत ही दुःखद है। अधिकांशतः सहकारी ऋण ग्रामीण स्तर पर या तो राजनीतिक गुण्डों ने लिए हैं या फिर वास्तविक किसानों अथवा वास्तविक गरीब लोगों ने लिए हैं। अब वास्तविक निष्ठावान कामगार ने ऋण के कुछ भाग को अदा करने का प्रयास किया है। वह इसमें या तो सफल रहा होगा या विफल रहा होगा। उन्होंने प्रयास किया है। लकिन गुण्डों, पहुंच वाले व्यक्तियों, वे लोग जिनकी पहुंच अधिकारियों, नौकरशाहों, पुलिस और राजनीतिज्ञों तक है, ने ऋण की अदायगी बिल्कुल बन्द कर दी है। उन्होंने एक पैसा भी नहीं चुकाया है। ऋण माफी योजना पूरे राष्ट्र के साथ एक मजाक है। इस ऋण माफी योजना से उन लोगों को लाभ हुआ है जिन्होंने एक पैसा भी नहीं चुकाया है, लेकिन उन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है जिन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत और परिश्रम किया है। यह बहुत हास्यास्पद बात है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस देश के बहुत बड़े हिस्से में जब तक आपकी शहरी क्षेत्रों तक पहुंच नहीं है, जब तक वहां आपके मित्र और रिश्तेदार नहीं हैं, तब तक आप अपना उपचार नहीं करा सकते क्योंकि आज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं है। कोई भी डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता है। कोई नर्स वहां नहीं होती। कोई कम्पाउण्डर वहां नहीं होता है। वहां कोई दवाइयां नहीं मिलती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केवल भवन निर्माण करने या अचल संपत्ति का निर्माण करने तक सीमित है। लेकिन इस देश में साफ्टवेयर, डाक्टर, दवाइयां और अन्य चीजें उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सचेत रहें कि जब हम देश के लिए योजना बना रहे हैं, जब हम पुनः चुनाव के लिए लोगों के सामने जा रहे हैं, पिछले पांच वर्षों से हमारी यह संसद अथवा यह सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति जी, बजट और अन्तरिम बजट, अन्तरिम बजट कुछ नहीं होता है, बजट ही होता है और उसे बजट की तरह प्रस्तुत किया गया है। बजट की जो विशेषता होनी चाहिए एक निरन्तरता की, कंटीन्युटी की, भविष्य की रचना की, चुनावी वर्ष होने के कारण उन सारी बातों को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए इस बजट के बारे में बाकी लोगों की जो राय है, वह है, किन्तु जो लिखा गया है, उसमें 'प्रणब दा का बजट' लिखा गया है। मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय सहारा, अपने 17 फरवरी के अंक में लिखता है कि-

''सम्प्रति सरकार की अब तक की उपलब्धियों का महिमामंडन कर एवं औद्योगिक नीतियों का अनछुआ रहना और चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आबंटन आदि, बस थोड़े शब्दों में यही प्रणब मुखर्जी के शब्दों का सार है। उद्योग जगत सहित आर्थिक विशेषज्ञ आदि इस पर निराशा प्रकट कर रहे हैं, तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है। आखिर मंदी से छटपटाते देश के लिए एक-एक दिन कीमती है और हम नीतिगत घोषणाओं की जिम्मेदारी अगली सरकार पर लाद दें, इसका क्या तुक है।''

महोदया, वास्तव में बजट को जानने वाले लोग कितने हैं। बजट का प्रभाव जिन लोगों पर होता है, उसके बारे में यदि हम चिन्ता करें, तो निश्चित रूप से इस देश का भला होगा। देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बेरोजगारी से, गरीबी से और असहायता से जूझ रहा है और उसे पता नहीं है कि वह क्या करे। प्रो. अमर्त्यसेन की, 'सामाजिक न्याय की मांग' विषय पर एक पुस्तक मुझे अभी-अभी प्राप्त हुई है। उसमें पृष्ठ 46 पर लिखा है कि-

''हमारे देश के वंचित वर्ग की घोर दरिद्रता के बारे में अपेक्षाकृत कम राजनैतिक चर्चा तथा उसकी मूक स्वीकार्यता पर मुझे आश्चर्य होता है। राजनैतिक हितों का अम्बार लगाकर भारतीय समाज के वंचित वर्ग की भीषण व सतत तंगहाली को मात्र तात्कालिक मुद्दों पर आसान बयानबाजी के जरिए दूर करने की कवायद से सरकार पर इस बात के लिए दबाव कम हो जाता है कि वह भारत में विद्यमान अतिघोर एवं सतत अन्याय को अत्यावश्यक तत्परता के साथ दूर करे।''

महोदया, यह भाषण का हिस्सा है। यह देश का किस्सा है। क्या बदला जब मानवता की पीर वही, तकदीर वही। यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, परन्तु जहां होना चाहिए, वहां उतना नहीं दिखाई दे रहा है, जितना की दिखाई देना चाहिए। गांव, गरीब और किसान, कौन बनाता है हिन्दुस्तान, भारत का मजदूर किसान।

अब गांव की दशा क्या है, गांव की दशा गांव जैसी है। असुविधाग्रस्त समुदाय जहां पर भी रह रहा है, जहां पहुंच नहीं है, जहां सड़क अभी भी नहीं पहुंची है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25 दिसम्बर, 2000 को गांवों की सड़कें बनाने का काम प्रारम्भ हुआ था और तब से सड़कें बननी शुरू हुईं। उन सड़कों का बनना धीमा हो गया है। उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इस मामले में लक्ष्य से तो पीछे हैं ही। इस प्रकार से जब तक गांवों की हालत दयनीय रहने वाली है, तब तक हिन्दुस्तान समृद्ध नहीं होगा। क्योंकि, गांव में किसान रहता है, गांव में देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, जो खेती पर निर्भर है और खेती के बारे में हम ऊपरी, सतही प्रबन्ध करते जाते हैं। कर्जा माफ, कर्जा क्यों हो गया, आगे न हो, नहीं तो ठीक है, अच्छी लोकप्रिय घोषणा है। यह हमारे देश की एक विडम्बना कहनी चाहिए कि हम जिन बातों को देश में हो ही जाना चाहिए था, उसके बाद में आश्वासन देकर चुनावों में जाते रहते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कमजोर वर्ग, गंदी बस्ती, इन्हीं बातों को बार-बार दोहराते हैं। मैं उसका कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं। गरीबी को हटाओ, जोर लगाओ, और हटाओ, भूल जाओ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: पर आप अपनी बात कहिये कि इस बजट पर आपको क्या कहना है।

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं कह रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं, मेरे भाषण का केवल एक सार है कि समाज के गरीब आदमी को सामर्थ्य दे दें, भारत सामर्थ्यवान बन जायेगा, इसलिए सामर्थ्य को लाने का बार-बार तकाजा यहां हम करते रहते हैं, किन्तु यह तो सरकार का काम है, जो भी सरकार होगी, उसको करना है और उसके लिए जो-जो उपाय हमें प्रभावी रूप से करने चाहिएं, उसे प्रभावी उपाय के रूप में यदि हम नहीं करेंगे तो इन बातों को दोहराते जाना पड़ेगा। ठीक है, गरीबी नहीं हटी, नहीं हटी, हटाने की कोशिश जारी है और आगे की क्या तैयारी है।

मैं कुछ बोलता नहीं, जो कुछ है, उसी को कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि, जिस तरह से यह कहा गया है, एक विश्लेषण और मेरे ध्यान में आ गया। सरकार ने अन्तरिम बजट में कुछ खास नहीं किया है, ये समीक्षा करने वाले लोग हैं, बजट के द्वारा सरकार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। स्पष्टत: सरकार ने अपने नकारात्मक पक्ष को छिपाने की कोशिश की है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि यह चुनावी बजट है। जिस ग्रोथ की सरकार बात कर रही है, उसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने की जरूरत है। 8.6 फीसदी ग्रोथ की जो बात हो रही है, उसे सरकार ने ऐसे आंकड़ों में उलझाकर पेश किया है, अपने अन्तरिम बजट में सरकार यह कह रही है कि उसने मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखा है, लेकिन यदि मुद्रास्फीति पिछले वर्षों की याद करें तो 10 फीसदी से ज्यादा थी, इसलिए यह कहना कि हमने मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लिया, गलत होगा। दरअसरल मुद्रास्फीति की दर और बाकी की बातें तो अन्य-अन्य क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं। दूसरी बात का विश्लेषण करते हुए उसने कहा कि सरकार इस अन्तरिम बजट में जिस ग्रोथ की बात कर रही है, उससे अमीरी-गरीबी की खाई और गहरी हुई है। अब यह गरीब गरीब, अमीर अमीर, अमीर ज्यादा अमीर हो जायेगा तो गरीब नीचे जायेगा। जो गरीब है, उसको जो जरूरी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको हम कैसे मुहैया करा रहे हैं? जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि लोगों को राशन की दुकानों से राशन पहुंचाने के लिए वही एक सिस्टम है। परन्तु इस सारे सिस्टम में जो कुछ मुश्किलें हैं, उनको दूर करने के उपाय हमें करने होंगे। हम लागतार उस परम्परा को ही जारी रखना चाहते हैं, उसको बदलने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसने कहा कि ये जो पी.डी.एस. सिस्टम वाली दुकानें हैं, इनको हम बराबर रखेंगे। पी.डी.एस. सिस्टम के अलावा भी कुछ और हो सकता है क्या? पी.डी.एस. सिस्टम पर आदमी क्यों जाता है, इसलिए कि उसके पास खरीद की क्षमता नहीं है, जिसकी खरीद की क्षमता नहीं है, उसका अर्थ है कि उसका रोजगार ठीक प्रकार का नहीं है। जब उसका रोजगार ठीक प्रकार का नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप यह नहीं बता पा रहे हैं, अगर इस अन्तरिम बजट पर आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं तो सरकार की जो कमियां हैं, वह बताइये। आपने बहुत टाइम ले लिया।

डा. सत्यनारायण जटिया: आपके सुझाव के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने टाइम नहीं लिया है, मैंने तो अभी शुरुआत की है। मुझे यह पता है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े गरीब आदमी नहीं समझ रहा है, उसकी गिनती ज्यादा से ज्यादा हजार तक जाती है, लाख तक बहुत मुश्किल से समझते हैं, करोड़ और अरब-खरब, बाकी की बातें तो बहुत मुश्किल लगेंगी, इसलिए यह बजट केवल बजट है तो यदि उसको सार्थक, साकार नहीं करने के उपाय हम करेंगे तो निश्चित रूप से यह किताबों की बातें हैं। यदि सार्थक नहीं हुआ तो स्याही के दम पर।

ये लफ्जों की उलझन, ये गिनती के हौवे,
अगर समझ गये तो जरा हमें भी बता दीजिए,
सिरा ढूंढता हूं, जिंदगी का,
अगर पता हो तो मुझे भी बता दीजिए।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

उसको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी को सौ दिन के रोजगार की गारंटी है, इसमें क्या गारंटी है? उस गारंटी रोजगार में जो शर्तें रखी गयी हैं, उन शर्तों के अंतर्गत तो वह काम ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसी शर्तों का कोई मतलब ही नहीं है।

सभापति महोदया: सत्यनारायण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी।

[अनुवाद]

छह बजे हैं। आम बजट पर बोलने के लिये यहां पर चार और वक्ता हैं। यदि सभा सहमत होती है तो सभा के समय को आधे घंटे के लिये बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदया: सभा का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

जटिया जी, आपका समय समाप्त हो गया है, आप जल्दी कंक्ल्यूड कर लें।

डा. सत्यनारायण जटिया: गांव के विकास के लिए जो जरूरी बातें हैं, उनको करने का उपाय तेजी से करना चाहिए। बहुत-बहुत बड़ी योजनाओं के बारे में आप बात कह रहे हैं, इतने हजार करोड़, उतने हजार करोड़, आप उन करोड़्स को गांव तक मोड़ दीजिए। गांव में ऐसा प्रबंध करिए कि उससे शिक्षा का प्रबंध हो जाए, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाए। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जरूर गया है, परंतु सर्व शिक्षा अभियान में जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमें उपाय करने चाहिएं। गरीब का बच्चा स्कूल में जाए, इसका प्रबंध करने के लिए, अगर उसके मां-बाप को रोजगार की गारंटी हो जाएगी, तो जरूर उसको इसका लाभ मिलेगा। किसान को खुशहाल करने के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि आज निश्चित रूप से खेत और उसका रकबा कम होता जा रहा है, क्योंकि खेत कोई ऐसी चीज नहीं है, जो हमेशा बढ़ जाएगी, परिवार के बढ़ जाने से खेत का बटवारा हो जाता है और रकबा कम हो जाता है। वह गुणवत्ता की खेती कर सके और इतनी खेती कर सके, जिससे उसको अपने गुजारे लायक खर्च करने का मौका हो। खेती के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, उसे गुणवत्ता के बीज मिलें और किसान का कर्ज माफ करने का अवसर फिर न आए, आप इस तरह से उपाय करें।

आप आज हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ की बात कह रहे हैं, यदि पहले हम उस पैसे को उसकी खुशहाली में लगा देते, तो शायद यह कर्ज नहीं होता। इसे अब भी कर सकते हैं। किसान के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जहां तक रोजगार और श्रम की बात है, निश्चित रूप से श्रम की स्थितियां हमारे देश में कमजोर होती चली जा रही हैं और रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। मंदी का वातावरण है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारा देश तो कभी पूंजीवादी देश नहीं रहा, हम तो कौशल के वैश्वीकरण के प्रमुख देश रहे हैं। आज पूंजी का वैश्वीकरण हो रहा है। हम स्किल ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, स्किल को ज्यादा प्रोत्साहन करके, अनुकूल परिस्थितियां पैदा करें। जो गरीब आदमी गांव के अंदर काम करता था, यदि फैक्ट्रियां उस काम को करना शुरू कर दें, तो उसके रोजगार के अवसर जाते रहेंगे, इसलिए उसको रोजगार के विकल्प के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए। यदि हम प्रशिक्षण देकर अन्य रोजगारों के बारे में उनको तैयार कर सकें, तो निश्चित रूप से यह सब के लिए ठीक होगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में सीमेंट और स्टील के दाम ज्यादा बढ़ गए थे। इस कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कोरीडोर की बात आयी। इन सारी बातों को लागू करने का काम हो सकता था। बिजली की हमारे यहां कमी है, यह बहुत बड़ी मुश्किल है। बिजली की कमी की योजनाओं को किस तरह से हम पूरा कर सकें, अगर बिजली की कमी रहेगी, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उस पर उद्योग, कृषि और बहुत सारी चीजें निर्भर रहती हैं।

पानी के संबंध में कहना चाहूंगा कि पानी को किस तरह से हम बचा सकते हैं, पानी को किस तरह से हम रोक सकते हैं? सड़कों को जोड़ने की बात चल रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव को जोड़ने के लिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और बाकी की योजनाओं से शहर की सड़कों को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से यदि नदी के पानी को हम एक साथ मिलने का काम करें, तो निश्चित रूप से बाढ़ और सूखे के संकट से सारा देश बार-बार गरीब होता जाता है, वह संकट दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम सारी बातों को करने में समर्थ होंगे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा ध्यान गांव, गरीब और किसान की ओर जाना चाहिए, उस भूखे इंसान की ओर जाना चाहिए, जो रोजी-रोटी की तलाश कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बाकी सब बातों से बात नहीं

बनेगी, क्योंकि "बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे?"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): सभापति महोदया, प्रारम्भ में मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं चूककर्ता किसानों को 65,000 करोड़ रुपये का भुगतान किये जाने के लिए सरकार का आभारी हूं। परन्तु इस बात की क्या गारंटी है कि ये चूककर्ता किसान एक बार फिर यही काम नहीं करेंगे? मैं उन किसानों के एक बार फिर चूककर्ता बनने से रोकने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में जानना चाहता हूं। सरकार द्वारा इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

कृषि की लागत बढ़ रही है। किसान भी यह चाहते हैं कि उनके बच्चे भी शिक्षित हों तथा वे इंजीनियर अथवा डाक्टर बनें और किसानों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठे। लेकिन जब उर्वरकों की लागत में भी वृद्धि हो गई है, उनके लिये अपनी फसल जिसे उन्होंने बोया है, के लिए अच्छा लाभ प्राप्त करने की भी कोई गारंटी नहीं है। मानसून तथा जल की कोई गारंटी नहीं है। आज भी हमारी भूमि के 70 प्रतिशत पर बिना पानी के खेती-बाड़ी की जा रही है। यह स्थिति है हमारी भूमि की। इसलिये हम आश्वस्त नहीं हैं कि वे फिर चूककर्ता नहीं बनेंगे।

महोदया, वर्ष 1983 में मैं कर्नाटक में सहकारिता मंत्री था। मैंने इसका प्रयास किया। मैंने इस शर्त पर किसानों के बकाया सभी ब्याज को माफ कर दिया था कि वे अपने अतिदेय का भुगतान करेंगे। उनमें से अधिकांश लोगों ने अपने अतिदेय का भुगतान कर दिया था। मैं यह सोचकर बहुत ही प्रसन्न हुआ था कि वे कभी भी चूककर्ता नहीं बनेंगे परन्तु तीन वर्ष के भीतर वे फिर से चूककर्ता बन गये क्योंकि उन्हें सूखा तथा अन्य स्थितियों के कारण अपनी फसल का सही लाभ नहीं मिल सका। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह तीन प्रतिशत तक उनके ऋण पर ब्याज दर को कम करे ताकि किसान कृषि की अपनी लागत को पूरा कर सकें। उनके बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिये। जब कभी भी किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण दिया जाता है तो उनके ऋणों पर केवल तीन प्रतिशत ही लिया जाना चाहिये।

महोदया, स्वतंत्रता प्राप्त किये 60 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष हो गये हैं। नदियों को आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ने हेतु हमने क्या किया है? दुर्भाग्य से विगत एक अथवा दो वर्षों से हम नदियों को आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ने के बारे में बात करना भूल गये हैं। समुद्र में बहुत सारा जल व्यर्थ जा रहा है तथा हमें इस जल का उपयोग करना है। अन्यथा हमारे यहां हमेशा के लिये सूखा जैसी स्थितियां हो जायेंगी। यह बात महत्वपूर्ण है।

महोदया, मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने किसानों की प्रशंसा की तथा देश को काफी मात्रा में खाद्यान्न देने हेतु किसानों को धन्यवाद दिया। हां, यह बात तो सत्य है परन्तु इसके बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हैं? सरकार को अवश्य ही उनका आभारी होनी चाहिये। इसलिये सरकार को अवश्य ही उनकी भूमि हेतु जल की व्यवस्था करनी चाहिये। उन्हें सस्ते ऋण प्रदान करने चाहियें तथा उनके बच्चों की भी देखभाल करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आज बिजली के संबंध में क्या स्थिति है? हम उन लोगों, जिन्होंने वैल बोर करवाये हुए हैं, को भी एक दिन में आठ घंटे लगातार विद्युत आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कई बार सब्जियों की कीमतें बढ़ी जाती हैं, टमाटर 50/- रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक जाता है तथा प्याज 40/- रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक जाता है। किसान बिजली की कमी के कारण अपने बोरवैल में उपलब्ध जल का उपयोग करके इन सब्जियों को पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिये सरकार को अवश्य ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसानों को पर्याप्त वोलटेज के साथ एक दिन में आठ घंटे लगातार विद्युत आपूर्ति की जाये। इसे शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिये।

अब क्या हो रहा है? मेरे राज्य के कई हिस्सों में तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में जल प्राप्त करने के लिये किसी को भी एक हजार फीट गहरा कुंआ खोदना पड़ता है। वह जल जिसमें फ्लोराइड की काफी मात्रा होती है, किसानों के लिये न तो अपनी फसल पैदा करने हेतु उपयोगी है और न ही वह पीने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। इसलिये, तुरंत ही वाटर-बाडीज टैंकों की ठीक से मरम्मत की जानी चाहिये। सरकार वाटर-बाडीज की मरम्मत कर रही है, वाटर-बाडीज का जीर्णोद्धार कर रही है, उनसे गाद बाहर निकाल रही है तथा ये सभी काम कर रही है। अब, वाटर-बाडीज में जल संरक्षित करने हेतु वर्षा कहां है? अच्छी वर्षा नहीं हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? अब हमें बड़े पैमाने पर वृक्षा-रोपण करना चाहिये अथवा हम 10 वर्ष के भीतर समाप्त हो जायेंगे।

महोदया, सरकार को इसी बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि अब उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हैं। सबसे

[श्री आर.एल. जालप्पा]

पहले हमें अवश्य ही यह देखना चाहिये कि इन वाटर बाडीज की मरम्मत हो है तथा बड़े पैमाने पर वनरोपण हो।

अब, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। परन्तु ये सड़कें दो वर्षों तक भी नहीं चलेंगी क्योंकि इन्हें केवल 20 एम.एम. हाट मिक्स कंकरीट प्रयुक्त करके बनाया जा रहा है जो केवल सब्जियों, उर्वरकों आदि को बाजारों तक ले जाने वाले हल्के भार वाले वाहनों हेतु ही हैं। सड़क पर लगभग 15 से 20 टन उत्पाद को ले जाने वाली लारी (वाहन) इन सड़कों को खराब करेगी।

महोदया, एन.आर.ई.जी.पी. बहुत ही अच्छी योजना है। परन्तु मेरे राज्य के अधिकांश जिलों में हमारे लिये इसका कोई उपयोग नहीं है। मजदूरी में प्रति दिन 125/- रुपये तक वृद्धि की जानी चाहिये।

सभापति महोदया: जालप्पा जी, यदि यह लिखित भाषण है तो आप इसे सभा पटल पर रखें। इसे सभापटल पर रखा माना जायेगा।

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदया, यह एक लिखित भाषण नहीं है। मैंने मुश्किल से हो तीन से चार मिनट लिये है। मैं कभी-कभार ही बोलता हूं। मैं इस सारे समय अंतरिम बजट पर बोलने हेतु प्रतीक्षा कर रहा था। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया: ठीक है, कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदया, इन सड़कों जिन्हें बनाया जा हा है अथवा जिनकी मरम्मत की जा रही है, हेतु कम से कम 0 एम.एम. हाट मिक्स कंकरीट होना चाहिये अन्यथा ये सड़कें पयोगी नहीं होंगी।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि रकार को किसानों को दिये गये ऋणों पर केवल 3 प्रतिशत ाज लेना चाहिये। शिक्षा ऋण के बारे में किसानों के बच्चों के बंध में कोई भी ब्याज नहीं लेना चाहिये। अन्यों के लिये भी हें ब्याज घटक के रूप में केवल तीन प्रतिशत ही लेना चाहिये। ण देने के संबंध में बैंक उधार लेने वालों को बहुत ज्यादा शान कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं क्षणिक संस्थान चला रहा हूं तथा मैं यह जानता हूं कि ऋणों प्रावधान के संबंध में बैंकों में क्या चल रहा है। इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को इस पहलू पर करना चाहिये।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं इस अंतरिम बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदया, शुरू में मैं अंतरिम बजट का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि यह देखा गया है कि यह महज एक चुनावी घोषणा है। यह चुनावी घोषणा इसलिए है क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और हमें जनादेश के लिए एक बार फिर जनता के पास जाना होगा। संभवत:, इस ओर बैठे हुए सदस्य अगले चुनावों के बाद दूसरी ओर बैठेंगे और हम आशा करते हैं कि यह अंतरिम बजट सरकार चलाने के लिए, नई सरकार के आने तक सेवाएं देने के लिए एक स्थानापन्न व्यवस्था है। इसलिए यह एक 'कामचलाऊ' बजट है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम का ही मामला लीजिये। सरकार कह रही है कि इसे इस कार्यक्रम में बहुत सफलता मिली है। यह एक अच्छी घोषणा है और यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। परंतु बात यह है कि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं किया गया है। जिन राज्यों में, कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं है, उन राज्यों की केंद्र द्वारा उपेक्षा की जा रही है। मेरे जिले को आज की तारीख तक 'नरेगा' की अंतिम दो किस्तें नहीं मिली हैं।

श्री रामदास आठवले: अगली बार, हम आपको दे देंगे।

श्री बिक्रम केशरी देव: हमें तो यह अभी चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि लोगों ने भिन्न-भिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न औद्योगिक स्थलों की ओर पलायन करना आरंभ कर दिया है। इसलिए जब आप 'नरेगा' अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे अधिनियम बना रहे हैं तो आपको इनकी सफलता के लिए इनमें आमूल-चूल सुधार करके इन्हें आमूल परिवर्तनकारी विधान बनाना होगा। जब आप आमूल-चूल सुधार नहीं करेंगे तो आप इन्हें सफल कार्यक्रम कैसे बनाएंगे? 'नरेगा' कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बहुत-सी कमियां हैं। ये केवल घोषणाएं हैं। लोग इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए जनता तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए हमें आमूल-चूल सुधार करने होंगे। ये सब कार्य करने के लिए सरकार को इच्छाशक्ति रखनी होगी।

महोदया, मुझे याद है कि इसी सभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया पर ध्यान दिया जाएगा और इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें सुधार किए

जाएंगे जिससे कि डाक्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। परंतु उस घोषणा का क्या हुआ? आज आप देखेंगे कि उड़ीसा के केबीके जिलों में लगभग 60 प्रतिशत डाक्टर नहीं हैं। इसलिए हमें झोलाछाप डाक्टरों या अन्य राज्यों के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः इससे जनता को बहुत कठिनाई हो रही है।

फिर यह सरकार अपनी बात से मुकरने वाली सरकार के रूप में जानी जाती है। जब हाल ही में उड़ीसा में बाढ़ आई थी तो इसने हमें 500 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। बाढ़ आने के छह महीने के बाद केंद्रीय दल ने उड़ीसा का दौरा किया। हमें केवल लगभग 200 करोड़ रुपए दिए गए और हमें 300 करोड़ रुपए मिलना बाकी है। इसने घोषणा की थी कि बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के पास 15,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, परंतु हमें उड़ीसा राज्य के लिए 15,000 करोड़ रुपए की उस धनराशि में से एक पैसा भी नहीं मिला। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं, जो आज वित्त मंत्रालय के भी प्रभारी हैं, कि आप कृपया बाढ़ प्रबंधन के लिए उड़ीसा सरकार के अनुरोध को भी स्वीकार करें। पश्चिम बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है और पश्चिम बंगाल भी बाढ़ से प्रभावित है। परंतु आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है। हमें केवल 250 करोड़ रुपए मिले हैं और हमने उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है।

इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में हम किसानों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी बोलते हुए सुना है। आपने शायद किसानों का ऋण माफ कर दिया है। ऋण माफी एक स्वागतयोग्य कदम है। परंतु ऐसी नौबत क्यों आयी कि आपको किसानों का ऋण माफ करना पड़ा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान वास्तव में गरीब हो गए हैं। गत 60 वर्षों में हमारे पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो उनकी उन्नति या उनके आर्थिक विकास की दिशा में आरंभ किया गया हो। आज हम किसानों को नायक तो कह देते हैं। हर व्यक्ति उन्हें नायक कह देता है क्योंकि उन्होंने देश को जीवनाधार प्रदान किया है और उन्होंने दो हरित क्रांतियों को सफल बनाने में सहायता की है। उनके कारण दो हरित क्रांतियां सफल हुई हैं। परंतु आज जब किसान अपने अधिकारों के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है फिर भी आप उन्हें उनके अधिकार नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बैंकों से 3-4 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जाए। भारतीय कृषक संघ ने इस मुद्दे को यूपीए सरकार के समक्ष रखा परंतु इसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

फिर इसके लिए उर्वरक राजसहायता के संबंध में यह देखा गया है कि आप विनिर्माण इकाइयों को उर्वरक राजसहायता देते हैं। परंतु यदि इस राजसहायता को किसी न किसी रूप में कृषकों तक पहुंचाया जाए, तो कृषकों को लाभ होगा और उसे लाभप्रद मूल्य भी प्राप्त हो सकेंगे। हम चावल के लिए एक हजार रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। परंतु हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर केवल 900 रुपए मिले। क्यों? धान उगाने वाले कृषकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण-पूर्वी भारत के अधिकांश राज्य शामिल हैं? धान उगाने वाले कृषकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? केवल गेहूं उगाने वालों को अधिक लाभ क्यों दिया जा रहा है?

मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कृषि ऋण को घटाकर चार प्रतिशत या तीन प्रतिशत पर कर दिया जाए। फिर कहीं, जाकर किसानों के पास ऐसा कुछ होगा जिस पर वे आश्रित रह सकें। आज किसानों का कोई माई-बाप नहीं है। उसकी यदि कोई है तो वह है सरकार जो समस्या के समय उसे समस्या से उबार सकती है।

ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में यह अच्छा है कि आपने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम आशा करते हैं कि दो-एक वर्षों बाद हमारे पास उर्जा सुरक्षा होगी, परंतु उस समय तक बिजली की मांग बढ़कर दोगुनी हो जाएगी और ऊर्जा की मांग भी दोगुनी हो जायेगी। फिर आप क्या करेंगे? आपने कोयले से मीथेन गैस निकालने के लिए कितना धन दिया है? आपने ऊर्जा उत्पादन के लिए कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को चिन्हित किया है? इन चार वर्षों में आप केवल 7000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर पाए हैं। यह केवल 7000 मेगावाट है। क्या यह देश के लिए पर्याप्त है? यदि आप एक विकसित देश बनना चाहते हैं तो आपको 2020 तक न्यूनतम एक लाख मेगावाट की आवश्यकता होगी।

सर्व शिक्षा अभियान ठीक चल रहा है। हमारे पास इसके लिए और धन है परंतु वे अध्यापक, जो वहां कार्यरत हैं, उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। ईजीएस, शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत ही अध्यापकों को नियुक्त किया गया है जिन्हें बहुत कम धनराशि दी जाती है। यहां मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के बच्चे, जो मुख्यतः बहुत ही गरीब बच्चे हैं, उन्हें पर्याप्त प्रोटीन आहार दिया जाना चाहिए ताकि उनका स्वस्थ विकास हो सके।

ओलम्पिक खेलों के संबंध में मैं ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले उन तीन ओलम्पिक खिलाड़ियों को बधाई देता हूं जिन्होंने हमें इस बार मेडल दिलाये हैं। हम श्री अभिनव बिंद्रा तथा

[श्री बिक्रम केशरी देव]

पहलवानों तथा मुक्केबाजों को बधाई देते हैं। परन्तु भारत के गांवों में संभावना तो है। केवल शहरी क्षेत्रों में ही खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है परंतु गांवों में तो बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। इन ग्रामीण प्रतिभाओं का उपयोग किया जाना चाहिये।

आज मैं मैराथन के बारे में बोल रहा हूं। इथोपिया जैसे देश जो भारत की तुलना में गरीब हैं, को स्वर्णपदक (गोल्ड मेडल) मिल रहे हैं। भारत में पहाड़ में रहने वाले एक गरीब लड़के को प्रतिदिन अपने परिवार के लिये जल तथा ईंधन लाने हेतु पांच किलोमीटर जाना होता है। उसे जीने के लिये बहुत कुछ करना होता है। इसलिये यदि इस लड़के का समुचित ढंग से उपयोग किया जाये तो वह देश के लिये भविष्य में स्वर्णपदक विजेता बन सकता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ भी अपने शासन काल में किया है, इसका भरसक प्रयास रहा है, परंतु इसके साथ जो गठजोड़ था उसमें कई पार्टियां शामिल थीं। यदि वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली उस एन.डी.ए. सरकार का अनुसरण करते जिसने ग्रामीण क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त किया तो मैं मान लेता हूं कि शायद यह हमें एक अच्छी सरकार देते। उस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र पर ही अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिकतम ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं वाली एक नई योजना को पिछले माननीय वित्त मंत्री के बजट प्रावधानों में लगभग 2 करोड़ रुपये का ही बजट मिला है। इस योजना हेतु आबंटन को बढ़ाया जाना चाहिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिये क्योंकि 60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदया, मैं वर्ष 2009-2010 के अंतरिम बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है। चूंकि समय बहुत ही कम है इसलिये मैं इस बात का विश्लेषण करना चाहूंगा। अंतरिम बजट इस विशेष सत्र में कैसे आया है। आप जानते हैं कि हमारे समक्ष अगली लोक सभा के चुनाव हैं। यू.पी.ए. सरकार का कार्यकाल कुछ माह में समाप्त हो जायेगा। इसलिए अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया गया है। यह अगले वित्तीय वर्ष के आने वाले चार माह के दौरान होने वाले व्यय को पूरा करने की बजाए सरकार चलाने हेतु पूरी तरह से लेखानुदान मांगने हेतु ही है।

जब मैं गणित के विद्यार्थी के रूप में माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण की ओर देखता हूं तो मुझे यह एक बहुत ही रुचिकर मामला दिखाई देता। हमारे माननीय मंत्री भी यहां पर हैं। हमारे पास भाषण में 69 पैराग्राफ हैं। 6 में 9 जोड़ने पर 15 बनता है तथा यह 14वीं लोक सभा का 15वां सत्र है। यदि आप आगे एक और पांच जोड़ते है तो यह छः हो जाता है तथा यह वर्तमान यू.पी.ए. सरकार का छठा बजट है। यह बहुत ही रुचिकर तथ्य है। मेरे विचार से मंत्रालय में हमारे मित्रों ने इसे अच्छा बनाने में समुचित कार्य किया है। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं।

अंतरिम बजट की विषय-सूची पर आते हुए विनम्रतापूर्वक मैं यह कहूंगा कि मैं सभा के दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्यों द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उससे सहमत नहीं हूं। हमने देखा है कि आप पहले ही कई नए विचारों, यू.पी.ए. सरकार के हमारे मिशन कार्यक्रमों से सहमत हो चुके हैं। पहली बार हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार तीन वर्षों से प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसका सम्मान किया जाना चाहिये।

महोदया, हम इस बात को याद करें कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह उल्लेख किया है

[हिन्दी]

कि आम आदमी को क्या मिले।

[अनुवाद]

यह सब आम आदमी के लिये है। इससे हमें राष्ट्रपिता के शब्दों का भी स्मरण हो आता है कि भारत गांवों में बसता है। इसलिये, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अनेक कार्यक्रम हैं। मैं उन सभी कार्यक्रमों का विवरण नहीं दूंगा परन्तु उनका जोरदार ढंग से अनुसरण किया जा रहा है। प्रत्येक सरकार की अपनी सीमायें होती हैं और फिर भी हम सरकार को डिलीवरी (सुपुर्दगी) तंत्र के बारे में सुझाव दे सकते हैं। चूंकि भारत एक विशाल देश है और यह राज्यों का संघ है और राज्यों का शासन विभिन्न राजनीति दलों, विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए यत्र तत्र कुछ भूल चूक हो सकती है, लेकिन तब भी मिशन तो मिशन होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का ही उदाहरण लीजिए। यह बहुत से क्षेत्रों में अच्छा चल रहा है और हमें बहुत खुशी है कि ग्रामीण भारत के एक परिवार को उसके भरण पोषण के लिए एक वर्ष में कम-से-कम 10,000 रुपये मिल जाते हैं।

शायद, आप सभी जानते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित है। इसलिए इसका आर्थिक विशेषज्ञों से कोई संबंध नहीं है। हमारे किसान बिना किसी वैज्ञानिक सहायता के अपने दम पर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे हमें अपनी खाद्य सुरक्षा का मार्ग दिखलाते हैं। इन बातों का हमें पता चला है।

अब, मैं एक बहुत संवेदनशील मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं देश के सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला हूं। हमारे यहां बहुत

से सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बल्कि वे बहुत चुनौतीपूर्ण और अशान्त क्षेत्र हैं जिनमें राजस्व के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसलिए वे वास्तव में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों पर निर्भर रहते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि बहुत भारी भरकम होती है। मैं यह भी बता दूं कि वे समृद्ध राज्य अपनी योजनागत धनराशि मिल जाने के बाद उस धनराशि को हमारे विकास कार्यों के साथ सांझा करते हैं। राज्यों में विकास हेतु धनराशि पहुंच जाने के बाद हमें इस विशेष बात को देखना होता है कि उस धनराशि का उपयोग समुचित रूप से हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें उन क्षेत्रों और इन कई सीमावर्ती क्षेत्रों जिन्हें अशांत क्षेत्र कहा जाता है जैसे मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर में इस प्रयोजन के लिए शांति स्थापित करनी होगी। वे विशेष श्रेणी के राज्य हैं जहां बहुत-सी समस्याएं हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह वित्तीय सहायता के मामले में इन राज्यों के साथ और अधिक उदारतापूर्ण व्यवहार करे। इसके साथ-साथ उन्हें इन राज्यों के सामने आ रही समस्याओं का सर्वांगीण रूप से समाधान करने में भी सहायता करनी होगी ताकि मणिपुर में चल रहे हालिया घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। एक कर्मचारी और एक वाहन चालक के साथ एक एस.डी.ओ. का जिला मुख्यालय के द्वार पर से अपहरण कर लिया गया और इस माह की 13 तारीख को वे एक सुनसान जगह पर मृत पाए गए। हम नहीं जानते कि यह किसने किया। राज्य के समक्ष कई समस्याएं आ रही हैं। अब इस हत्या के कारण इम्फाल में पूरी तरह कर्फ्यू लग गया है। इस संदर्भ में, मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे आने का अनुरोध करूंगा ताकि निर्दोष लोगों की इस तरह से बिना किसी कारण की हत्याएं भविष्य में न हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्तरिम बजट का समर्थन करता हूं और कामना करता हूं कि संप्रग सरकार अगले चुनाव में भी सत्ता में लौटे।

सभापति महोदया: धन्यवाद। अब, आज के अंतिम वक्ता, श्री एस.के. बैसीमुथियारी है। कृपया भाषण देते समय समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): धन्यवाद, सभापति महोदया। वर्ष 2009-2010 के अंतरिम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। परंतु, इस बजट के बारे में मैं अपनी खरी राय व्यक्त करूंगा। मैं इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं पूरे देश के लिए अपनाई गई वृहत-आधार नीतियों और दृष्टिकोण के लिए खुश हो सकता हूं। परंतु साथ ही आपको यह बताते हुए मुझे गहरा खेद हो रहा है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से, मैं अपने बोडोलैंड क्षेत्र का उल्लेख करूंगा, के समग्र विकास के लिए इस बजट में कोई ठोस और प्रभावी नीतिगत उपाय नहीं किए गए हैं या इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जनजातीय लोगों के विरुद्ध और पूरे देश के पिछड़े लोगों के विरुद्ध कोई भेदभावपूर्ण नीति न अपनाई जाए। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् प्रशासन को प्रति वर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए समुचित कदम उठाए ताकि मेरे बोडोलैंड क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के समग्र सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके।

यहां, मुझे भारत सरकार को यह बात स्मरण कराते हुए गहरा दुख हो रहा है कि दिनांक 16 जनवरी, 2006 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, माननीय डा. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की एक विद्युत संयंत्र परियोजना की आधारशिला रखने के लिए कोकराझार जिले के सालाकाटी नामक स्थान का दौरा किया था। उन्होंने हमें आगामी पांच वर्षों के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का आश्वासन दिया था। परंतु आज मुझे पता चला है कि इस बजट में बोडोलैंड क्षेत्र के लिए केवल 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह गंभीर चिंता और गहरे खेद का विषय है। अतः, मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह इस नीतिगत निर्णय को सही करे। संपूर्ण बोडोलैंड क्षेत्र के हर पहलू में विकास के लिए हमें कम से कम 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने चाहिएं। ये 500 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं हैं क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् गत 60 वर्षों में हर पहलू से मेरे बोडोलैंड क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है। यहां कुछ नहीं किया गया।

मेरा बोडोलैंड क्षेत्र भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है। यह भारत-भूटान सीमा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ और उपेक्षित है। इसलिए मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि बोडोलैंड क्षेत्र को न्यूनतम 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे प्रांत का विकास करने के लिए केंद्र सरकार को वहां बोडोलैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। बोडोलैंड क्षेत्र के लिए एक अन्य केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। वहां कम से कम एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, दस पालीटैक्नीक संस्थान, दस आईटीआई, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा एक आदर्श संस्थान तथा एक मेडिकल कालेज होना चाहिए। वर्तमान केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन करके उसे एक पूर्ण केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देना चाहिए। वहां एक बोडोलैंड टैक्सटाइल और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान होना चाहिए। बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थान होना चाहिए।

बोडोलैंड क्षेत्र में कम से कम एक घरेलू विमानपत्तन होना चाहिए। मैं कई वर्षों से घरेलू विमानपत्तन की मांग कर रहा हूं परंतु आज तक कुछ नहीं किया गया। गुवाहाटी और बागडोगरा के बीच एक भी विमानपत्तन नहीं है। इसके कारण हमें यहां आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह बड़े दुख की बात है।

बाढ़ और नदी से होने वाला भूमि का कटाव असम की स्थायी समस्या बन गया है। भारत सरकार द्वारा इन समस्याओं पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार किया जाना चाहिए और इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए प्रभावी नीति उपाय अपनाए जाने चाहिएं।

महोदया, मेरे बोडोलैंड क्षेत्र में बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाने के अलावा कोई भी उद्योग नहीं है। भारत सरकार को हमारे बोडोलैंड क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करने के लिए कुछ ठोस नीतिगत उपाय करने चाहिएं ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जा सकें। जनसंख्या के संदर्भ में हमारी आबादी लगभग 30 लाख है। हमें अपर्याप्त मात्रा में केंद्रीय निधि दी जाती है। यह बड़े खेद की बात है। बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है।

महोदया, मैं अपना बाकी भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

*वहां एक बोडोलैंड मेडिकल कालेज, एक बोडोलैंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, एक नर्स एवं पैरामेडिक्स प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए।

मैं काफी समय से लंबित पड़े लोक महत्व के एक गंभीर विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह मामला गत कुछ दशकों में संसाधनों की कमी के कारण असम राज्य सरकार द्वारा प्रांत नहीं बनाए जाने के कारण बोडोलैंड क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों जगह लोवर प्राइमरी, अपर प्राइमरी (मिडल इंगलिश) और हाई स्कूलों में बड़ी संख्या में बोडो मीडियम स्कूलों के समक्ष आ रही बहुत-सी गंभीर समस्याओं और कठिनाइयों से संबंधित है, लोवर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों की कुल संख्या क्रमशः 1000, 500 और 500 है। अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपर्युक्त उपेक्षित स्कूलों को आंचलिक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में सहायता और सुविधा देने के लिए बोडोलैंड क्षेत्र परिषद् प्रशासन और असम राज्य सरकार को न्यूनतम 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र समुचित कदम उठाए।*

सभापति महोदया: इस अंतरिम बजट पर मंगलवार तक चर्चा जारी रहेगी। अब सभा 24 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 फरवरी, 2009/5 फाल्गुन, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री के. सुब्बारायण	81
2.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री नन्द कुमार साय	82
3.	श्री जीवाभाई ए. पटेल	83
4.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	84
5.	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	85
6.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील श्रीमती मेनका गांधी	86
7.	श्री निखिल कुमार	87
8.	श्री चंद्रकांत खैरे	88
9.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	89
10.	श्री बसुदेव आचार्य श्री चन्द्र शेखर दूबे	90
11.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री हेमलाल मुर्मू	91
12.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	92
13.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री कीरेन रिजीजू	93
14.	श्री तथागत सत्पथी	94
15.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	95
16.	श्री अजय चक्रवर्ती	96
17.	श्री एस. अजय कुमार श्री पन्नियन रवीन्द्रन	97
18.	श्री हेमंत खंडेलवाल	98
19.	श्री हंसराज गं. अहीर	99
20.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	480
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	480
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	480, 487
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	452
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	430, 447, 473
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	435
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	477
8.	आठवले, श्री रामदास	441, 465, 479, 486, 491
9.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	494
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	436, 449, 463, 482
11.	भगोरा, श्री महावीर	442, 483, 495
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	492, 497
13.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	480
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	447
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	480
16.	चिन्ता मोहन, डा.	451, 498
17.	चौधरी, श्री पंकज	499
18.	चौधरी, श्री अधीर	445, 487
19.	धोत्रे, श्री संजय	451, 461
20.	गढ़वी, श्री पी.एस.	480
21.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	480
22.	गमांग, श्री गिरिधर	487
23.	गंगवार, श्री संतोष	447
24.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	454

1	2	3
25.	गुढ़े, श्री अनंत	454
26.	करुणाकरन, श्री पी.	444, 492, 497
27.	कस्वां, श्री राम सिंह	449
28.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	472, 483
29.	खारवेनथन, श्री एस.के.	435, 459, 462
30.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	431, 447
31.	कृष्ण, श्री विजय	470, 485, 490
32.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	445, 456, 475, 484
33.	महरिया, श्री सुभाष	451, 487
34.	मंडल, श्री सनत कुमार	440
35.	माने, श्रीमती निवेदिता	480
36.	मसूद, श्री रशीद	453, 471
37.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	443
38.	मुर्मु, श्री हेमलाल	480
39.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	445
40.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	437, 487
41.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	469, 487
42.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	430, 473, 476, 500
43.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	452
44.	राई, श्री नकुल दास	439, 464, 478
45.	राजगोपाल, श्री एल.	442
46.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	496
47.	राणा, श्री काशीराम	474, 487
48.	राव, श्री ई. दयाकर	497
49.	राव, श्री के.एस.	433, 454, 461
50.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	466, 470, 480, 487
51.	रावले, श्री मोहन	457, 476
52.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	448

1	2	3
53.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	450
54.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	480
55.	साय, श्री नन्द कुमार	469, 487
56.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	438
57.	सरोज, श्री तूफानी	493
58.	सेन, श्रीमती मिनाती	447
59.	सेनथिल, डा. आर.	446
60.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	480, 487
61.	शिवन्ना, श्री एम.	494
62.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	432, 451, 460, 477, 489
63.	सिंह, श्री मोहन	469
64.	सिंह, श्री सुग्रीव	469, 487
65.	सिंह, श्री सूरज	498
66.	सिंह, श्री उदय	443
67.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	480
68.	सुमन, श्री रामजीलाल	451
69.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	434, 501
70.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	458, 480
71.	थामस, श्री पी.सी.	445
72.	तुम्मर, श्री वी.के.	455, 474
73.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	468
74.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	467, 481, 488
75.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	480, 487
76.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	487
77.	यादव, श्री पारसनाथ	492, 497
78.	यास्खी, श्री मधु गौड	480
79.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	500

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	88, 90
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	95, 96
विधि और न्याय		93
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	81, 99
विद्युत	:	83, 84, 86, 87, 92, 94
ग्रामीण विकास	:	82, 85, 89
जनजातीय कार्य	:	98
शहरी विकास	:	97, 100
महिला और बाल विकास	:	91

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	444, 447, 480
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	479, 495
विधि और न्याय		445, 453, 470, 484, 490, 500
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	454, 456
विद्युत	:	438, 451, 452, 461, 462, 474, 496, 498, 501
ग्रामीण विकास	:	430, 432, 442, 449, 455, 467, 468, 469, 481, 487, 489
जनजातीय कार्य		443, 446, 463, 472, 477, 482, 483
शहरी विकास	:	431, 434, 436, 439, 441, 448, 457, 458, 459, 460, 464, 465, 476, 478, 488, 491, 492, 493, 494, 497, 499
महिला और बाल विकास	:	433, 435, 437, 440, 450, 466, 471, 473, 475, 485, 486.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/37/7/2009 (1930 शक) (एन०)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।